VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

मार्च 2022

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

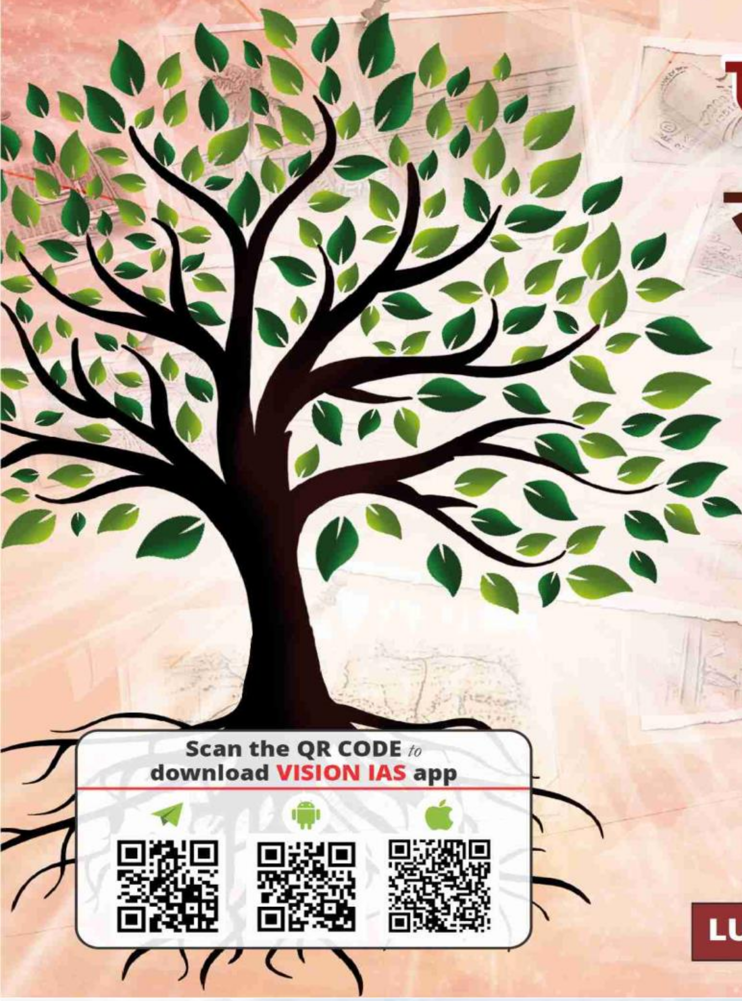

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI: 5 APR, 9 AM | 1 FEB, 1 PM

LUCKNOW: 17 MAY | 9 AM

JAIPUR: 10 MAY | 4 PM

अभ्यास 2022

ऑल इंडिया प्रीलिम्स (GS+CSAT) मॉक टेस्ट सीरिज

3 टेस्ट | 17 अप्रैल | 1 मई | 15 मई

- ऑल इंडिया रैंकिंग और अन्य अभ्यर्थियों के साथ विस्तृत तुलना
- सुधारात्मक उपायों और प्रदर्शन में निरंतर सुधार के लिए Vision IAS द्वारा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस™

ऑफलाइन* मोड 100+ शहरों में

*सरकार के नियमों और छात्रों की सुरक्षा के अधीन

पर्जीकरण करें
www.visionias.in/abhyaas

AGARTALA | AGRA | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | AURANGABAD | BAREILLY | BENGALURU | BHAGALPUR | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR | COIMBATORE | CUTTACK | DEHRADUN | DELHI MUKHERJEE NAGAR | DELHI RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARWAR | DIBRUGARH | FARIDABAD | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GREATER NOIDA | GUNTUR | GURUGRAM | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JAMSHEDPUR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KANPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLKATTA | KOTA | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MORADABAD | MUMBAI | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NASIK | NAVI MUMBAI | NOIDA | ORAI | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUNE | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | ROHTAK | ROORKEE | SAMBALPUR | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THIRUVANANTHAPURAM | TIRUCHIRAPALLI | UDAIPUR | VADODARA | VARANASI | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (POLITY & GOVERNANCE) _5

1.1. समान नागरिक संहिता (UNIFORM CIVIL CODE: UCC)5

1.2. एक राष्ट्र एक निर्वाचन (ONE NATION ONE ELECTION) _7

1.3. आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 {THE CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) ACT, 2022} _10

1.4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग {NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES (NCST)}___12

1.5. ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022 (Draft India Data Accessibility and use policy)____14

1.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) ___________17

1.6.1. सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा या मृत्युदंड पर ऐतिहासिक निर्णय की पुष्टि की (SC Enforces a Landmark Ruling on Death Penalty) _ 17

1.6.2. कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि "हिज़ाब, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं (Wearing Hijab is not Essential Religious Practice Rules Karnataka High Court) _ 18

1.6.3. जनगणना के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए (Census New Rules Notified) _ 18

1.6.4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर फिल्म उद्योग के साथ परामर्श किया {Ministry of Information and Broadcasting (I&B) holds consultation with Film Industry on Proposed Amendments to Cinematograph Act} _ 18

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS) _20

2.1. रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) _________20

2.1.1. युद्ध के प्रति प्रतिक्रियाएं (Responses to the War) ____ 21

2.1.2. वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तन और भारत (Global Geopolitical Changes and India) _ 22

2.1.3. युद्ध के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-Economic Impact of War) _ 23

2.2. श्रीलंका संकट (Sri-Lanka Crisis)_______________24

2.2.1. बाह्य ऋण संकट (External Debt Crisis)___________ 27

2.3. भारत-जापान संबंध (INDIA-JAPAN RELATIONS) __28

2.4. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (INDIA-AUSTRALIA RELATIONS) _31

2.5. भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (India-UAE CEPA) _34

2.6. भारत की आर्कटिक नीति (India's Arctic Policy) __36

2.7. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) {Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)} _40

2.8. बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता {BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) MOTOR VEHICLES AGREEMENT (MVA)}_________43

2.9. कोविड-19 वैक्सीन और बौद्धिक संपदा छूट (COVID-19 VACCINE AND IP WAIVER)____________________45

2.9.1. महामारी संधि (PANDEMIC TREATY)____________ 47

2.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) __________49

2.10.1. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की NSA स्तरीय 5वीं बैठक आयोजित की गयी {5th NSA Level Meeting of the Colombo Security Conclave (CSC) Held} _ 49

2.10.2. इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) _ 50

2.10.3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) _ 50

2.10.4. बुखारेस्ट नाइन {Bucharest Nine (B9)} ___________ 50

2.10.5. काला सागर (Black Sea) _________________________ 50

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)___________________ 51

3.1. बैंक पुनर्पूंजीकरण (BANK RECAPITALISATION)___51

3.2. विकास वित्तीय संस्थान (DEVELOPMENT FINANCIAL INSTITUTIONS: DFIs) _53

3.3. सागरमाला कार्यक्रम (SAGARMALA PROGRAMME) _56

3.4. भारतनेट (BHARATNET) _58

3.5. लिथियम आपूर्ति (LITHIUM SUPPLY) __________60

3.6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) __________62

3.7. राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (National Digital Tourism Mission: NDTM) _65

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) ___________68

3.8.1. नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया {NITI Aayog Releases Second Edition of Export Preparedness Index (EPI) 2021} _ 68

3.8.2. सरकार ने "इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम" का दायरा बढाया और इसकी वैधता बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है {Government extends Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) till March 31, 2023} _ 68

3.8.3. भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ने ई-कॉमर्स, निवेश तथा MSMEs के मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन में जारी वार्ता का विरोध किया है (India, South Africa, Namibia oppose talks at WTO on E-commerce, Investment, MSMEs) _ 69

3.8.4. भारत के स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम में बाधा, बोली-प्रक्रिया 15 मार्च तक स्थगित की गयी (India's Smart Metering Programme Hits a Snag, Bids Suspended Till 15 March) _____________ 69
3.8.5. इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रसंस्करण प्रणाली {Electronic Bill (e-Bill) processing system} ______________________ 70
3.8.6. रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (Reserve Bank Innovation Hub: RBIH) ____________________________________ 70
3.8.7. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अरब डॉलर-रुपये की स्वैप नीलामी आयोजित की है {Reserve Bank of India (RBI) conducts a $ 5 billion dollar-rupee swap auction} ________________ 70
3.8.8. तापी, पार और नर्मदा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना (Tapi, Par, Narmada River Interlinking Project) ___________ 70

4. सुरक्षा (SECURITY)_________________________72

4.1. रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण (DEFENCE INDIGENISATION) ____72

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) ___________74

4.2.1. जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूह {Village Defence Groups (VDGs) in J&K} ________________________________ 74
4.2.2. IONS ने पहला समुद्री अभ्यास आयोजित किया {Indian Ocean Naval Symposium (IONS) holds maiden Maritime Exercise}_____________________________________ 74
4.2.3. सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख अभ्यास (Exercises in News) ____ 75

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)_________________76

5.1. IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट: भाग II (IPCC'S SIXTH ASSESSMENT REPORT: PART II)________________76

5.1.1. मुख्य निष्कर्ष (KEY FINDINGS) ___________________ 76
5.1.2. भारत से संबंधित निष्कर्ष (INDIA SPECIFIC FINDINGS)_ 79
5.1.3. अनुकूलन संबंधी उपाय (ADAPTATION MEASURES)__ 80
5.1.4. रिपोर्ट की सिफारिशें (RECOMMENDATIONS OF THE REPORT)______________________________________ 81

5.2. राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस (NATIONAL DOLPHIN DAY) ____82

5.3. पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DISASTER MANAGEMENT PLAN OF MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ: DMP-MoPR) _______________83

5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) ___________85

5.4.1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने "प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति: कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की ओर" नामक एक ऐतिहासिक संकल्प अपनाया (UNEA ADOPTS HISTORICAL RESOLUTION "END PLASTIC POLLUTION: TOWARDS AN INTERNATIONALLY LEGALLY BINDING INSTRUMENT") 85
5.4.2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 (UNEP 'Frontiers' Report 2022) _________________ 86
5.4.3. मिनामाता अभिसमय (Minamata Convention) _____ 86
5.4.4. लक्ष्य जीरो डंप-साइट (Lakshya Zero Dumpsite) ____ 87
5.4.5. अर्थ आवर (Earth Hour) ________________________ 87
5.4.6. राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन 2006-07 तथा 2017-18 के शीर्षक से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस जारी (NATIONAL WETLAND DECADAL CHANGE ATLAS TITLED NATIONAL WETLAND INVENTORY AND ASSESSMENT-2006-07 AND 2017-18) ____ 87
5.4.7. एक अध्ययन के अनुसार यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया की पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियाँ टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई हैं (Permafrost peatlands in Europe, Western Siberia Nearing Tipping Point: Study) ____ 87
5.4.8. वहन क्षमता (Carrying capacity) _______________ 88
5.4.9. एशियाई शेरों की पहचान के लिए सिम्बा / SIMBA (सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियन लायंस) तकनीक {SOFTWARE WITH INTELLIGENCE MARKING BASED IDENTIFICATION OF ASIATIC LIONS (SIMBA) TO IDENTIFY ASIATIC LIONS} ______________________________________ 88
5.4.10. चीता एक्शन प्लान: वर्ष 2022 में भारत में चीता लाने के लिए कार्ययोजना (Cheetah Action Plan: Translocation in 2022) 89
5.4.11. भारतीय भेड़िया (Indian Wolf) _______________ 89
5.4.12. गोल्डन लंगूर (GOLDEN LANGUR) _______________ 90
5.4.13. रफ-टूथ डॉल्फिन (Rough-Toothed Dolphin) _____ 90
5.4.14. ओलिव रिडले कछुए 'मास नेस्टिंग' के लिए ओडिशा तट पर पहुँचने लगे (Olive Ridley Turtles Arrive at Odisha Coast for Mass Nesting)____ 90
5.4.15. कार्बोफ्यूरान (Carbofuran)___________________ 91
5.4.16. इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज (India Water Pitch-Pilot-Scale Start-up Challenge) ________ 91
5.4.17. वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक-2022 (World Energy Transition Outlook 2022) ______________________ 91
5.4.18. मेकेदातु बांध (Mekedatu Dam)_______________ 91
5.4.19. मानस राष्ट्रीय उद्यान (Manas National Park)______ 92
5.4.20. सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve)_____ 92
5.4.21. अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ (International Monsoons Project Office: IMPO) _____ 92

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES) _____________ 93

6.1. देखभाल अर्थव्यवस्था (CARE ECONOMY) _______93

6.2. लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive Health: SRH)_______________________________95

6.3. महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) ____99

6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) __________101

6.4.1. शिक्षा मंत्रालय ने "यूडाइस+ यानी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21" पर रिपोर्ट जारी की है {MINISTRY OF EDUCATION REPORT ON UNIFIED DISTRICT INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATION PLUS (UDISE+) 2020-21} _________________________________ 101

6.4.2. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की सांख्यिकी रिपोर्ट-2019 जारी की गयी {Sample Registration System (SRS) Statistical Report 2019 Released} 102
6.4.3. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के तहत वर्ष 2017-19 के लिए भारत में मातृ मृत्यु पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया {Sample Registration System (SRS) Bulletin on Maternal Mortality in India (2017-19) Released} 103
6.4.4. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR), 2022 जारी की {United Nations Sustainable Development Solutions Network released the World Happiness Report (WHR) 2022} 103
6.4.5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दिया है {University Grants Commission (UGC) makes Common Entrance Test Mandatory for all Central Universities} 104
6.4.6. स्त्री मनोरक्षा परियोजना (Stree Manoraksha Project) 104
6.4.7. महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - “समर्थ (SAMARTH)” {Special Entrepreneurship Promotion Drive for Women – “SAMARTH”} 104
6.4.8. नारी शक्ति पुरस्कार (Nari Shakti Puraskar) 105

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY) 106

7.1. नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) 106
7.2. अंतरिक्ष मलबा (Space Debris) 108
7.3. जीनोम संपादन (Genome Editing) 111
7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) 114
7.4.1. चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के वायुमंडल में ऑर्गन-40 के चारों ओर वितरण की पहचान की गयी है (Chandrayaan-2 Makes First Observations of Distribution Of Argon-40 in Moon’s Atmosphere) 114
7.4.2. GSAT 7B और भारत के अन्य सैन्य उपग्रह (The GSAT 7B and India’s other Military Satellites) 114
7.4.3. एक्सोमार्स (ExoMars) 115
7.4.4. क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार (CLUSTER BOMBS AND THERMOBARIC WEAPONS) 115
7.4.5. मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम (Man-Portable Air-Defence Systems: MANPADS) 116
7.4.6. कामिकेज़ ड्रोन्स (Kamikaze Drones) 116
7.4.7. कवच (Kavach) 116
7.4.8. भारत में “WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM) (WHO Global Centre for Traditional Medicine in India) 116
7.4.9. 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस 2022 मनाया गया (World Tuberculosis Day 2022 Observed on 24th March) 117
7.4.10. ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation) 117
7.4.11. रक्त में माइक्रोप्लास्टिक्स (Microplastics in Blood) 118

8. संस्कृति (CULTURE) 119

8.1. भारत के संगीत वाद्ययंत्र (INDIA’S MUSICAL INSTRUMENTS) 119
8.2. पाइका विद्रोह (Paika Rebellion) 120
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) 122
8.3.1. करेवा (KAREWAS) 122
8.3.2. जी.आई. टैग वाला कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीन (GI-TAGGED KASHMIR CARPETS) 122
8.3.3. पाल-दाधवाव नरसंहार (PAL-DADHVAV MASSACRE) 122
8.3.4. यूनेस्को “सिटी ऑफ लिटरेचर” (UNESCO’S CITY OF LITERATURE) 122
8.3.5. ओल चिकी (OLCHIKI) 123
8.3.6. हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम (HORNBILL NEST ADOPTION PROGRAM: HNAP) 123
8.3.7. बामियान बुद्ध (BAMIYAN BUDDHAS) 123
8.3.8. पद्म पुरस्कार 2022 (PADMA AWARDS 2022) 123
8.3.9. खेलो इंडिया स्कीम के तहत ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों को बढ़ावा {PROMOTION OF RURAL AND INDIGENOUS/TRIBAL GAMES UNDER KHELO INDIA SCHEME (KIS)} 124
8.3.10. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Films Development Corporation- NFDC) 125

9. नीतिशास्त्र (ETHICS) 126

9.1. भगवद गीता और प्रशासनिक नैतिकता के लिए सीख (Bhagavad Gita And The Learnings For Administrative Ethics) 126

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (SCHEMES IN NEWS) 128

10.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA (GRAMIN)} 128
10.2 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PRADHAN MANTRI GARIB KALYAN ANNA YOJANA) 129

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (POLITY & GOVERNANCE)

1.1. समान नागरिक संहिता (UNIFORM CIVIL CODE: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक विशेषज्ञ पैनल के गठन की घोषणा की है जो राज्य में **समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना** की जांच करेगा।

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- UCC विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में **सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाले एक कानून** को तैयार करने का आह्वान करता है।
- इसका उद्देश्य **अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की प्रणाली को बदलना है,** जो वर्तमान में **विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर** पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को प्रशासित करते हैं।
- यह विचार संविधान के **अनुच्छेद 44** (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक) से आया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए **भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।**

समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित तथ्य

मूल स्रोत

- **19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय देशों में समान नागरिक संहिता जैसी संहिताओं का प्रारूप तैयार किया गया था।** इन्हीं संहिताओं से समान नागरिक संहिता का विचार उत्पन्न हुआ था।
- **1804 की फ्रांसीसी संहिता** ने उस समय प्रचलित सभी प्रकार के प्रथागत और सांविधिक कानूनों को समाप्त कर दिया था। इस प्रकार, उनका स्थान एक **समान संहिता** ने ले लिया था।

स्वतंत्रता से पहले

- **लेक्स लोकी रिपोर्ट (1840) में भारतीय कानूनों के संहिताकरण में एकरूपता** के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया था। हालांकि, इसमें यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुओं और मुस्लिमों के वैयक्तिक कानूनों को इस प्रकार की संहिताकरण से **बाहर रखा जाना** चाहिए।
- **बी. एन. राव समिति** (वर्ष 1941 में गठित) ने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए, संहिताकृत हिंदू कानून का सुझाव दिया था। इसमें **महिलाओं को समान अधिकार** देने की बात कही गई थी।

स्वतंत्रता के बाद

- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954** में एक व्यक्ति को किसी भी **धर्म को मानने वाले नागरिक से विवाह** का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, भारतीय नागरिकों को यह अनुमति दी गई है कि वे **किसी विशेष धार्मिक वैयक्तिक कानून की व्यवस्था से बाहर विवाह कर सकते हैं।**
- **हिंदू विधान से संबंधित चार प्रमुख कानूनः** हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम, 1956; एवं हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **शाह बानो वाद (1985):** संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
- **सुश्री जॉर्डन दिएंगदेह बनाम एस. एस. चोपड़ा (1985):** एक समान नागरिक संहिता को अविलंब कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **सरला मुद्गल वाद (1995):** संसद द्वारा एक समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता को दोहराया गया।
- **शायरा बानो बनाम भारत संघ वाद (2017):** तलाक–ए–बिद्दत (तीन तलाक) की प्रथा की वैधानिकता को प्रश्नगत किया गया और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया।

UCC के पक्ष में तर्क

- **कानूनों का सरलीकरण:** अधिनियमित किए जाने पर यह संहिता उन कानूनों को सरल बनाने का कार्य करेगी जो **वर्तमान में** धार्मिक मान्यताओं के आधार पर **अलग-अलग हैं,** जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य। यह संहिता विवाह समारोहों, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे **जटिल कानूनों को सरल तथा सभी के लिए एकसमान बनाएगी।**
- **लैंगिक समानता:** सभी व्यक्तिगत कानून, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों, किसी न किसी रूप में महिलाओं के साथ **भेदभाव** करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, **ईसाई महिलाएं** पति द्वारा किए गए व्यभिचार के आधार पर तलाक नहीं ले सकतीं, तलाक के लिए व्यभिचार के साथ ही **क्रूरता, पाशविकता और अप्राकृतिक यौन संबंध** भी सिद्ध होना चाहिए। दूसरी ओर, ईसाई पति अपनी पत्नी को मात्र **व्यभिचारिणी घोषित करके उसे तलाक दे सकता है।**
    - इसी प्रकार, उत्तराधिकार को प्रशासित करने वाले एक हिंदू विधि शास्त्र मिताक्षरा के नियमों के अनुसार **बेटियों को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकार से वंचित** किया गया था। **लता मित्तल वाद** (वर्ष 1985 में दायर) के बाद ही हिंदू बेटियों को पैतृक संपत्ति में **समान अधिकार** दिए गए हैं।
    - विभिन्न समुदायों की अलग-अलग महिलाएं व्यक्तिगत कानूनों के भेदभावपूर्ण पहलुओं की **संवैधानिक वैधता को अदालतों में चुनौती** देती रही हैं।
    - उनकी मुख्य चिंता **जबरन विवाह** की धमकी और **अंतर्जातीय, अंतर-वर्गीय एवं अंतर-धार्मिक विवाहों तथा संपत्ति विवाद** के मामलों में जानलेवा हमले हैं, वह भी तब जब उन्हें व्यभिचार, द्विविवाह, बहुविवाह, तलाक आदि जैसे मुद्दों से जूझना पड़ता है।
- **विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा समर्थन: शाहबानो मामले** (1985) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को एक **समान नागरिक संहिता** की रूपरेखा तैयार करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो **राष्ट्रीय सद्भाव और विधि के समक्ष समता की सुविधा** सुनिश्चित करता है।
    - वर्ष **1995 के सरला मुद्गल वाद में** शीर्ष अदालत ने संसद द्वारा **एक समान नागरिक संहिता तैयार करने की आवश्यकता को दोहराया,** जो **वैचारिक अंतर्विरोधों** को दूर कर **राष्ट्रीय एकता** के उद्देश्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
- **अन्य:**
    - एक **धर्मनिरपेक्ष गणराज्य** में **धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय** सभी नागरिकों के लिए एक **समान कानून** की आवश्यकता होती है।
    - धार्मिक परंपरा द्वारा शासित कई प्रथाएं **भारतीय संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत** हैं।
    - भारत में **UCC की कमी भारतीय समाज के समग्र विकास की संभावनाओं को कम** कर रही है।

UCC के विपक्ष में तर्क

- **विविधता के विरुद्ध:** एक **एकीकृत राष्ट्र** में **"एकरूपता"** होना अनिवार्य नहीं है। मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक और निर्विवाद तर्कों के साथ हमारी विविधता को स्वीकार करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
    - "धर्मनिरपेक्षता" शब्द केवल तभी सार्थक है जब यह **किसी भी प्रकार के मतभेद** की **अभिव्यक्ति का आश्वासन** देता हो। **यह विविधता**, चाहे वह धार्मिक हो या क्षेत्रीय, **बहुमत की तेज आवाज के कारण दबना नहीं चाहिए।**
    - **अधिकांश देश अब भिन्नताओं को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं**, और केवल भिन्नताओं के होने का अर्थ भेदभाव नहीं है बल्कि यह एक **मजबूत लोकतंत्र का संकेत** है।
- **गैर-धार्मिक मामलों से संबंधित नागरिक कानूनों में भी एकरूपता का अभाव:** भारतीय कानून **अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं, जैसे** - भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल विक्रय अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। हालांकि, राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए, **कुछ मामलों में इन नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता है।**
- **विधि आयोग द्वारा समर्थन नहीं:** वर्ष 2018 में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र में कहा कि इस स्तर पर UCC **न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।** बल्कि इसने **सभी व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण का सुझाव दिया** ताकि उनमें से प्रत्येक में मौजूद पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता को सामने लाया जा सके और उनका **संविधान के मौलिक अधिकारों के आधार पर परीक्षण किया जा सके।**
- **राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा:** UCC के लगातार सांप्रदायिकरण के आलोक में इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है। शाहबानो से लेकर सरला मुद्गल वाद तक, अदालत इस बात से भी चिंतित थी कि **क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को एक ऐसी संहिता बनाना चाहिए** जिसे विभिन्न धर्मों की **धार्मिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों के लिए खतरा माना जा सकता है।**

आगे की राह

- **नागरिकों को शिक्षित करना:** चूंकि **जाति और धार्मिक मान्यताएं नागरिकों के विचारों से अलग नहीं की जा सकती हैं**, इसलिए मीडिया के समर्थन और सोशल मीडिया के द्वारा जागरूकता के माध्यम से **UCC के वास्तविक स्वरूप और सकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना** आम सहमति बनाने की दिशा में पहला कदम है।
- **भेदभाव को खत्म करना:** UCC पर **आम सहमति की अनुपस्थिति** को देखते हुए, विधि आयोग के परामर्श पत्र (2018) ने भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस तरह, **व्यक्तिगत कानूनों के भीतर कुछ भिन्नताएं, जो सार्थक हैं, उन्हें संरक्षित किया जा सकता है** और असमानताओं को, पूर्ण एकरूपता की स्थिति प्राप्त किए बिना, यथासंभव अधिकतम सीमा तक दूर किया जा सकता है।
    - कई **महिला समूहों** (सहेली, विमोचन और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मंच) और **मानवाधिकार वकीलों की टीमों** (लॉयर्स कलेक्टिव और इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट) ने **लैंगिक दृष्टि से न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानूनों** के तकनीकी विवरण वाले मसौदे तैयार किए हैं।
- **धीरे-धीरे सुधार का दृष्टिकोण अपनाना:** यह देखते हुए कि **एक बार में** UCC का **अधिनियमन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रतिकूल** हो सकता है, एक UCC के लक्ष्य को आदर्श रूप से धीरे-धीरे से पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि **विवाह की उम्र पर हाल में किये गये संशोधन**। यह दृष्टिकोण धार्मिक व्यवस्था के भीतर आंतरिक सुधार और परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।
- **व्यक्तिगत कानूनों को सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए खोलना:** वर्ष 2001 में **ईसाई विवाह एवं तलाक कानूनों में संशोधन** और वर्ष 2010 में **हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956** तथा **अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890** में संशोधन इस बात के उदाहरण हैं कि एक बार संहिताबद्ध होने के बाद व्यक्तिगत कानूनों को आगे **सार्वजनिक बहस** और **जांच** के लिए रखा जा सकता है।
- **सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण:** संहिताकरण के माध्यम से कुछ **ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों** पर पहुंचा जा सकता है जो प्रक्रिया में एक समान संहिता को लागू करने के बजाय **समानता को प्राथमिकता** देते हों। **यह कई लोगों को विवाद के निपटारे के लिए पूर्णत: कानून का सहारा लेने के लिए हतोत्साहित भी कर सकता है**, क्योंकि विवाह और तलाक के मामलों को अतिरिक्त न्यायिक रूप से भी सुलझाया जा सकता है।
    - विधि आयोग ने **विवाह और तलाक जैसे मामलों में कुछ उपाय सुझाए** है जिन्हें सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

1.2. एक राष्ट्र एक निर्वाचन (ONE NATION ONE ELECTION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में बताया कि निर्वाचन आयोग (EC) प्रधानमंत्री के **'एक राष्ट्र एक निर्वाचन'** के आह्वान की तर्ज पर **एक साथ निर्वाचन कराने** के लिए तैयार है।

एक राष्ट्र एक निर्वाचन के बारे में

- आदर्श रूप से **'एक राष्ट्र एक निर्वाचन'** का अर्थ संवैधानिक संस्थाओं के **तीनों स्तरों के निर्वाचन एक साथ** और **समन्वित तरीके से** कराने से है। इसका तात्पर्य यह है कि मतदाता एक ही दिन में सरकार के सभी स्तरों के लिए सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान कर सकता है।
- हालांकि, संविधान के अनुसार **तीसरे स्तर के संस्थानों के निर्वाचन** राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा, तीसरे स्तर के निर्वाचन **राज्य निर्वाचन आयोगों** द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते हैं और देश में **उनकी संख्या काफी अधिक** है।
    - इस प्रकार, **तीसरे स्तर** के निर्वाचन कार्यक्रमों को लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचनों के साथ समन्वयित और संरेखित करना **अव्यवहारिक** होगा।
- तदनुसार, भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में **"एक राष्ट्र एक निर्वाचन"** शब्द को **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ कराने के रूप में परिभाषित** किया गया है।

 ©Vision IAS

- ऐसे परिदृश्य में, एक मतदाता आमतौर पर **एक ही दिन और एक ही समय में** लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए **मतदान कर सकेगा।**
- इसका अर्थ यह नहीं है कि **पूरे देश में** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए **मतदान एक ही दिन में होना चाहिए।** यह मौजूदा परंपरा के अनुसार **चरणबद्ध तरीके से** आयोजित किया जा सकता है।

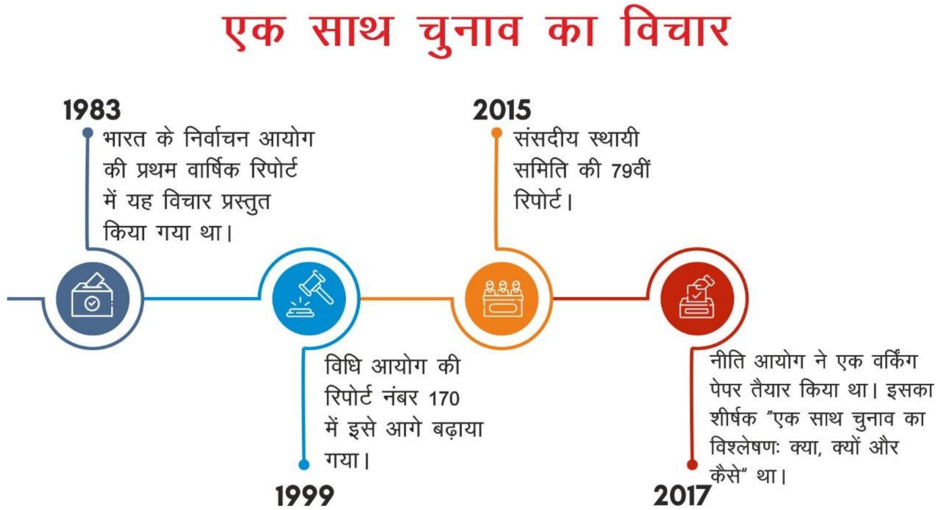

एक राष्ट्र एक निर्वाचन की आवश्यकता क्यों?

- **वर्षभर रहने वाला चुनावी माहौल:** ऐसा माना जाता है कि **भारतीय राजनीति हमेशा चुनावी रंग में रंगी रहती है।** लोकसभा के सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल के भीतर कुछ वर्षों को छोड़कर, देश में प्रतिवर्ष औसतन **लगभग 5-7 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन होते हैं।**
- **नीति और शासन न्यूनता:** निर्वाचनों में **राजनेताओं की व्यस्तता के कारण वे निर्णय-निर्धारण कार्यों के बजाय** निरंतर चुनाव-अभियानों में व्यस्त रहते हैं। नियमित प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर **अन्य विकास कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाएं, पूंजीगत परियोजनाएं** आदि आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने तक बड़े पैमाने पर निलंबित रहती हैं, जो नीति और शासन न्यूनता का कारण बनता है।
    - **अलग-अलग समय पर होने वाले और लंबे समय तक चलने वाले निर्वाचन कार्यक्रमों** के कारण सरकार की **बुनियादी सेवाओं और कार्यों** की हर बार महीनों तक उपेक्षा होती है।
- **निर्वाचन पर व्यय:** बार-बार होने वाले निर्वाचन राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों द्वारा इनमें **बड़े पैमाने पर व्यय** का कारण बनते हैं। बार-बार होने वाले निर्वाचन **ऐसी लागतों को अनुकूलित करने के अवसर समाप्त कर देते हैं।**
    - इसके अलावा, जब निर्वाचन स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं तो लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के वास्तविक संचालन का पूरा व्यय **क्रमशः भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।**
    - यदि लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचन एक साथ आयोजित किए जाते हैं, **तो इसमें होने वाला व्यय भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है।**
- **अदृश्य और अकल्पनीय सामाजिक-आर्थिक लागत:** निर्वाचन ड्यूटी के कारण प्रत्येक निर्वाचन के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को, पूरी राजस्व मशीनरी को तथा अधिकारियों और वाहनों को निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगा दिया जाता है।
    - **उपयोग किए गए लाखों मानव-घंटों की इन लागतों** और खोए हुए शिक्षण सप्ताहों की आर्थिक लागतों, **गरीबों को घटिया तरीके से प्रदान की गई या प्रदान न की जा सकी कल्याणकारी योजनाओं** की लागत की गणना कभी नहीं की गई है।
- **सुरक्षा बलों की नियुक्ति:** निर्वाचन आयोजित करना एक **विशाल, जटिल और समय लेने वाली गतिविधि है।** निर्वाचन आयोग सुचारू, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए **मतदान अधिकारियों के साथ-साथ सशस्त्र बलों** की भी बड़ी संख्या में मदद लेता है।
    - बार-बार निर्वाचन होने से **CAPF और राज्य पुलिस बल** लंबे समय तक अपने मूल कार्य से विलग हो जाते हैं। इस प्रकार, इससे सशस्त्र पुलिस बल का एक हिस्सा निर्वाचन कार्यों में व्यस्त हो जाता है जिसे अन्यथा अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता था।
- **अन्य:**
    - बार-बार निर्वाचन होने के कारण सामान्य **सार्वजनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।** राजनीतिक रैलियों के आयोजन से सड़क यातायात बाधित होता है और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है।
        - यदि एक साथ निर्वाचन आयोजित कराए जाते हैं तो **व्यवधान की यह अवधि सीमित होगी।**
    - बार-बार होने वाले निर्वाचन देश भर में **जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों** को भी जीवित रखते हैं।
    - यह **प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद** को भी बढ़ावा देता है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों की बेताबी के कारण बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमत पर **अल्पकालिक, अनुत्पादक मुफ्त उपहारों पर संसाधनों को बर्बाद करने की प्रवृत्ति** हमेशा बनी रहती है।
    - एक संसदीय स्थायी समिति का मानना है कि एक साथ निर्वाचन होने पर इससे बार-बार होने वाले **निर्वाचनों के प्रति मतदाताओं की उदासीनता** कम होगी और आम जनता, विशेष रूप से मतदाताओं का उत्साह बढ़ेगा जो **अंततः चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाएगा।**

एक राष्ट्र एक निर्वाचन से जुड़ी चिंताएं

- **परिचालन व्यवहार्यता:** ऐसी कई चिंताएं हैं जिनका, **संवैधानिक और सांविधिक सीमाओं के भीतर,** उचित रूप से समाधान करने की आवश्यकता होगी।
  - इसमें ऐसे पहलू शामिल हैं जैसे कि विधानसभाओं/लोकसभा के कार्यकाल को **पहली बार कैसे समन्वयित किया जाएगा** और क्या एक राष्ट्र एक निर्वाचन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं के **मौजूदा कार्यकाल का विस्तार करना या उसमें कटौती करना व्यवहार्य होगा।**
  - इसके अलावा, प्रत्येक राज्य की अपनी शक्ति गतिशीलता होती है और **बार-बार एवं लंबे समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन का सहारा लिए बिना** केंद्र के समान कार्यकाल वाली विधानसभाओं के कार्यकाल को बनाए रखना मुश्किल होगा।
  - चूंकि **संवैधानिक प्रावधान किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं करते हैं,** इसलिए निर्वाचन प्रणाली बार-बार बाधित होगी।
- **वेस्टमिंस्टर लोकतंत्र और संघवाद के साथ असंगत:** किसी भी राज्य के निर्वाचन कैलेंडर को केंद्र के निर्वाचन कैलेंडर के समकालिक बनाना **राज्य को वेस्टमिंस्टर लोकतंत्र के आवश्यक तत्वों में से एक से वंचित कर देगा** जिसके अनुसार एक **सरकार खुद को भंग करने का विकल्प चुन सकती है**, या यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है तो वह गिर सकती है।
- **मतदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव:** यह भी संभव है कि एक साथ निर्वाचन होने की स्थिति में मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए **मतदान विकल्पों के बीच अंतर न कर पाएं।** इसके निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
  - **राष्ट्रीय मुद्दे राज्य विधानसभा निर्वाचनों में** मतदान के लिए मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं; या
  - **राज्य विशिष्ट मुद्दे** लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।
- **क्षेत्रीय दलों को नुकसान:** इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है क्योंकि **ऐसा माना जाता है कि मतदाताओं द्वारा प्रभावी रूप से एकतरफ़ा मतदान करने की संभावना होती है,** जिससे केंद्र की प्रमुख पार्टी को लाभ होता है। इस प्रकार, केंद्र में राजनीतिक दल की प्रभावी स्थिति **राज्य स्तर पर उसे लाभ प्रदान कर सकती है।**
  - एक राष्ट्र एक निर्वाचन **बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सबसे अनुकूल स्थिति प्रदान करेगा** जिससे उन्हें बड़े पैमाने की किफायत (इकोनॉमी ऑफ स्केल) का लाभ प्राप्त होगा तथा क्षेत्रीय दलों को तुलनात्मक रूप से नुकसान होगा।
- **अन्य: प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के सामने आना** राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ाता है और उन्हें अपने कार्य के प्रति गंभीर रखता है।

आगे का राह

- **दो चरणों में निर्वाचन आयोजित करना:** संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि **दो चरणों में** एक साथ निर्वाचन कराने पर विचार किया जाए। चरण **I** को लोकसभा निर्वाचनों के साथ संपन्न कराने का सुझाव दिया गया है जबकि चरण **II** को लोकसभा की अवधि के लगभग बीच में संपन्न कराने का सुझाव दिया गया है।
  - इस प्रकार, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के **संपूर्ण निर्वाचन चक्रों** के **समन्वयित होने** के बाद **देश में प्रति 2.5 वर्ष** (30 महीने) में निर्वाचन कराने की परिकल्पना की गई है।
- **समय से पहले विघटन से बचना:** इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
  - **लोकसभा के मामले में:** किसी भी **'अविश्वास प्रस्ताव'** के साथ **एक 'विश्वास प्रस्ताव' भी शामिल होना चाहिए** जो उस प्रस्ताव में भावी प्रधानमंत्री के रूप में नामित व्यक्ति की अध्यक्षता वाली सरकार के पक्ष में हो।
  - उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद, यदि ऐसी स्थिति बनती है जहां लोकसभा के विघटन को टाला नहीं जा सकता है, तो निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है:
    - यदि लोकसभा का शेष कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है (अर्थात ऐसी अवधि जो विनिर्दिष्ट की जाए), तो **राष्ट्रपति** द्वारा, उसके द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से, तब तक देश का **प्रशासन चलाने का प्रावधान** किया जा सकता है जब तक कि निर्धारित समय पर अगले सदन का गठन नहीं हो जाता है।
    - यदि शेष कार्यकल लंबा है (अर्थात ऐसी अवधि जो विनिर्दिष्ट की जाए), तो **नए निर्वाचन कराये जा सकते हैं** और ऐसे मामले में **सदन का कार्यकाल बाकी के मूल कार्यकाल के समान होना चाहिए।**
  - **विधानसभा के मामले में:** 'अविश्वास प्रस्ताव' की स्थिति में, इस प्रस्ताव के साथ ही **वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए एक 'विश्वास प्रस्ताव' भी प्रस्तुत करना** अनिवार्य होना चाहिए। यह, सामान्य तौर पर, विधानसभाओं के **समय से पहले विघटन के मामलों को समाप्त कर देगा।**

  - **यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी भी मौजूदा विधानसभा को समय से पहले भंग करना पड़ता है,** तो कार्यकाल की समाप्ति की अवधि तक **राज्यपाल** द्वारा, अपने द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राज्य के प्रशासन को चलाने अथवा **राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए**, प्रावधान होना चाहिए।
- **उप-निर्वाचनों की अनुसूची:** संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि एक वर्ष के दौरान खाली होने वाली **सभी सीटों के लिए उप-निर्वाचन एक पूर्व निर्धारित समय अवधि के दौरान** एक साथ कराए जा सकते हैं।
- **विधि आयोग की सिफारिशें:** भारतीय विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि ऐसी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, जिनका कार्यकाल लोकसभा के साधारण निर्वाचन के **छह महीने बाद समाप्त होने वाला है, एक साथ कराए जा सकते हैं।** हालांकि, ऐसे निर्वाचन के परिणाम विधानसभा के कार्यकाल के अंत में घोषित किए जा सकते हैं।

1.3. आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 {THE CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) ACT, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022** को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इस अधिनियम के बारे में

यह अधिनियम **'अपराधियों की पहचान अधिनियम, 1920' को प्रतिस्थापित** करता है।

- **इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों है?**
  - विकसित देशों में उपयोग की जाने वाली 'नई मापन' तकनीकें **विश्वसनीय और भरोसेमंद** परिणाम दे रही हैं।
  - 1980 में, **भारत के विधि आयोग** ने अधिनियम को आपराधिक जांच में **आधुनिक प्रवृत्ति के अनुरूप ढालने** की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
  - 2003 में, **मलिमथ समिति** ने अपराधियों का डेटा, जैसे DNA के लिए खून के नमूने, बाल, लार, शुक्राणु आदि **संग्रहीत करने के लिए मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करने** हेतु अधिनियम को संशोधित करने की सिफ़ारिश की थी।
- **उद्देश्य:** इस अधिनियम का उद्देश्य इसके प्रावधानों के तहत किए जाने वाले "मापन" के दायरे और कार्यक्षेत्र को बढ़ाना है। यह अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान स्थापित करने और आपराधिक मामलों को सुलझाने में जांच एजेंसियों की मदद करेगा।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- **कार्यक्षेत्र में बढोतरी (टेबल देखें):** यह अधिनियम **संग्रहीत किए जाने वाले डेटा के प्रकार, वे व्यक्ति जिनसे ऐसा डेटा प्राप्त किया जा सकता है** और इस **संग्रहण को अधिकृत करने वाले प्राधिकारी** के क्षेत्रों को विस्तृत करता है।
- **विवरण का प्रतिधारण:** इस अधिनियम के तहत संग्रहित किए गए विवरण को संग्रहण की तारीख से लेकर 75 वर्षों तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा। इस रिकॉर्ड को उन मामलों में नष्ट किया जा सकता है जिनमें व्यक्ति को पहले दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है और जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई के बिना ही छोड़ दिया गया है या बरी या रिहा कर दिया गया है, अर्थात सभी प्रकार के कानूनी उपचारों के समाप्त होने के बाद।
- **विवरण देने का प्रतिषेध:** अधिनियम के अनुसार, विवरण देने का प्रतिरोध करना या मना करना **भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध** माना जाएगा। ऐसे प्रतिरोध या इनकार करने पर, पुलिस अधिकारी या जेल के अधिकारी, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित तरीके से विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

- **मजिस्ट्रेट की शक्ति:** इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत जांच या कार्यवाही करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को विवरण देने के लिए निर्देशित कर सकता है।
- **नियम बनाने की शक्ति को केंद्र सरकार तक विस्तृत करना:** पहले अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास थी। अब अधिनियम द्वारा इस अधिकार को केंद्र सरकार तक विस्तृत कर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें कई मामलों में नियम बना सकती हैं, जैसे जानकारी संगृहीत करने के तरीके से संबंधित।

	1920 का अधिनियम	2022 के अधिनियम में बदलाव
किस डेटा के संग्रहण की अनुमति है	• अंगुली का निशान, पदचिह्न छाप, तस्वीरें।	• आंख की पुतली और रेटिना का स्कैन; भौतिक, जैविक नमूने और उनका विश्लेषण; व्यवहार संबंधी विशेषताएं जिनमें हस्ताक्षर, लिखावट या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 या 53A में संदर्भित कोई अन्य परीक्षण शामिल है।
किन व्यक्तियों का डेटा संग्रहीत किया जाएगा।	• एक वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति • ऐसे व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार और शांति बनाए रखने हेतु सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया हो। • मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति के डेटा संग्रहण का आदेश दे सकता है, ताकि आपराधिक जांच में सहायता मिल सके।	• किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्धि या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। लेकिन, जैविक नमूने बलपूर्वक तरीके से केवल ऐसे व्यक्ति से लिए जा सकते हैं जिसे किसी महिला या बालक के विरुद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया हो या जब अपराध के लिए न्यूनतम 7 वर्षों के कारावास का दंड हो। • किसी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति। • मजिस्ट्रेट के आदेश पर, जांच में सहायता के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से विवरण लिये जा सकते हैं, न कि केवल गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से।
किन व्यक्तियों को डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है/ कौन से व्यक्ति डेटा संग्रहण का निर्देश दे सकते हैं?	• अन्वेषण अधिकारी, पुलिस चौकी का प्रभारी अधिकारी, या उप निरीक्षक या उससे उच्च पद का अधिकारी। • मजिस्ट्रेट	• किसी पुलिस चौकी का प्रभारी अधिकारी या मुख्य कांस्टेबल या उससे उच्च पद का अधिकारी। इसके साथ ही जेल के मुख्य वार्डन। • प्रथम दर्जे का मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। जिस मामले में व्यक्तियों को सुव्यवहार और शांति बनाए रखने के लिए कहा जाए, वहां कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

अधिनियम को लेकर चिंताएं:

- **यह अधिनियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है:** अधिनियम के तहत निर्दिष्ट की गई जानकारी **व्यक्ति के निजी डेटा का हिस्सा होती है**, इसलिए इसे **निजता के अधिकार** के तहत संरक्षित किया जाता है। इस अधिनियम के कई प्रावधान (इंफोग्राफिक्स देखें) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारत अनिवार्यता और आनुपातिकता के मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
- **विधि आयोग के अवलोकन से भिन्न:** यह अधिनियम किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को शामिल करते हुए उन व्यक्तियों के समूह का विस्तार करता है जिनका डेटा संगृहीत किया जा सकता है। इसमें बहुत तीव्र गति से और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति भी शामिल होगा, जिसके लिए अधिकतम छः माह के कारावास के दंड का प्रावधान है।
    - **यह अधिनियम मजिस्ट्रेट की शक्तियों का भी विस्तार करता है** जिसके तहत जांच में सहायता के लिए मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति से डेटा संग्रहीत करने का आदेश दे सकता है (इससे पहले केवल उन्हीं व्यक्तियों से डेटा संग्रहीत किया जा सकता था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया हो)।

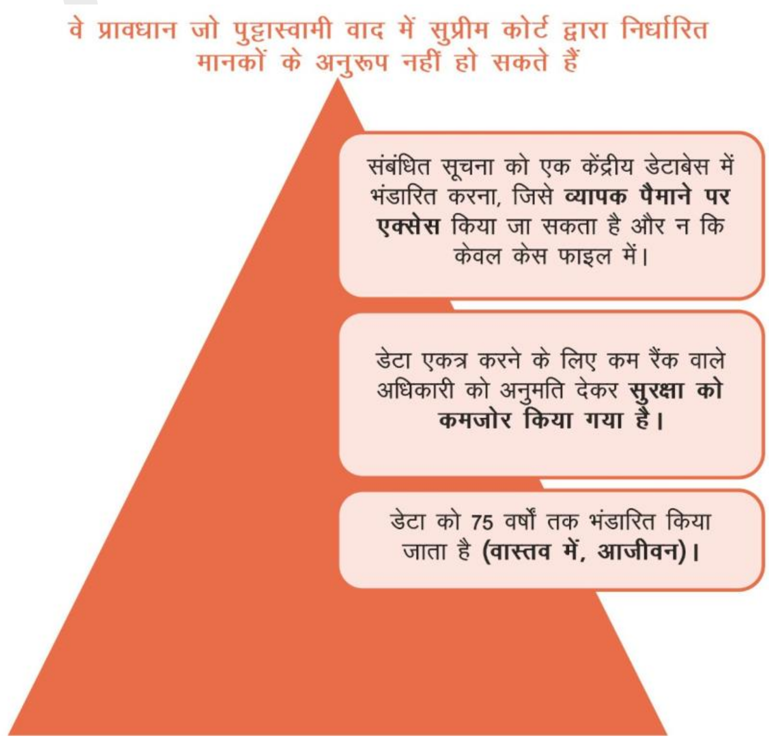

- **यह विधि आयोग के अवलोकन (1980) से भिन्न है।** इसके अवलोकन के अनुसार, 1920 का अधिनियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि **अपराध जितना कम गंभीर हो, दंडात्मक उपाय करने की शक्ति उतनी ही अधिक प्रतिबंधित होनी चाहिए।**

- **अन्य समस्याएं:**
    - यह संविधान के **अनुच्छेद 20(3) का भी उल्लंघन करता है।** यह एक मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं बनने का अधिकार देता है।
    - विभिन्न प्रकार के निजी विवरणों, जिनकी विश्वसनीयता और उपयोगिता आपराधिक जांच के संदर्भ में अलग-अलग होती है, को शामिल करने वाली मापन की परिभाषा स्पष्ट रूप से मनमानी है।
    - विवरण एकत्र करने वाले व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता के बारे में चिंताएं हैं क्योंकि विवरण के संग्रहण के लिए कोई भी मानकीकृत मानदंड निर्धारित नहीं हैं।
    - प्रस्तावित विवरणों, विशेष रूप से जैविक नमूनों और उनके विश्लेषण के रिकॉर्ड वाले डेटाबेस के गुणवत्ता प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए NCRB के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।
    - संगृहीत किए गए डेटा के उपयोग पर कोई सीमा नहीं है और 'विश्लेषण' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संग्रहण और 'मापन' के प्रयोग को लेकर स्पष्टता के अभाव के कारण इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

निष्कर्ष:

मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला कानून अपनी सीमा, विस्तार और अनुमति दी गई हस्तक्षेप की प्रकृति के संदर्भ में **पर्याप्त रूप से स्पष्ट और सटीक** होना चाहिए, साथ ही, अधिकारियों द्वारा शक्तियों के **दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय** भी किए जाने चाहिए।

1.4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग {NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES (NCST)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय है।** समिति ने यह भी कहा है कि NCST ने इस दौरान संसद में **एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं** की है।

NCST के बारे में

- NCST की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और **89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** के माध्यम से संविधान में एक नया **अनुच्छेद 338A** सम्मिलित करके की गई थी।
- इस संशोधन के द्वारा, पूर्ववर्ती **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग** को दो अलग-अलग आयोगों नामतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)[1] और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा **19 फरवरी, 2004** में प्रतिस्थापित किया गया था।

NCST की आवश्यकता

- **निम्न साक्षरता दर:** 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों (ST) की साक्षरता दर 59% थी। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर समग्र साक्षरता दर 73% थी।
- **खराब स्वास्थ्य संकेतक:** उदाहरण के लिए, NFHS 4 के अनुसार, जनजातीय आबादी में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1,000 जीवित जन्म पर 57.2 (आबादी के दूसरे हिस्से में 38.5) थी। शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR) 1,000 जीवित जन्म पर 44.4 थी, जबकि अन्य आबादी में यह 32.156 थी।
- **गरीबी की उच्च दर:** वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI), 2018 के अनुसार, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हर दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल है। 'उच्च' जातियों के मामले में यह संख्या केवल 15 प्रतिशत है।
- **वंचित वर्ग:** अनुसूचित जनजाति भारत में सर्वाधिक वंचन से प्रभावित समुदाय हैं। सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के परिणामों के अनुसार, लगभग 79 प्रतिशत ग्रामीण आदिवासी परिवारों को "वंचित" वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि ग्रामीण परिवारों के संदर्भ में यह स्थिति 61 प्रतिशत के करीब है।
- **उच्च विस्थापन दर:** हालांकि देश की आबादी में आदिवासी जनसंख्या की हिस्सेदारी लगभग 8.6% है, लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण कुल विस्थापित आबादी में आदिवासी जनसंख्या की हिस्सेदारी 40 से 50% रही है।

[1] National Commission for Scheduled Castes

शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 15(4):** अन्य पिछड़े वर्गों (जिनमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) के विकास के लिए विशिष्ट प्रावधान;
- **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यकों (जिनमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) के हितों का संरक्षण;
- **अनुच्छेद 46:** राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों (विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) के शिक्षा और वित्त संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। साथ ही, राज्य सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
- **अनुच्छेद 350A**: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा।

सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 23**:– मानव का दुर्व्यापार और बेगार एवं इस प्रकार के अन्य बलात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है;
- **अनुच्छेद 24**:– बाल मजदूरी पर रोक;
- **अनुच्छेद 244 (1)**:– पांचवी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे; अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार, छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे;
- **अनुच्छेद 275**:– संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों के तहत आने वाले राज्यों (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य) को सहायता अनुदान।

अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा

राजनीतिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 164(1)**:– छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजाति कल्याण मंत्रियों का प्रावधान किया गया है;
- **अनुच्छेद 330**:– लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण;
- **अनुच्छेद 332**:– राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण;
- **अनुच्छेद 334**:– आरक्षण की अवधि 10 वर्ष (इस अवधि को बढ़ाने के लिए कई बार संशोधन किया गया);
- **अनुच्छेद 243**:– पंचायतों में स्थानों का आरक्षण;
- **अनुच्छेद 371**:– पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान।

विभिन्न कानूनों के तहत सुरक्षा

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके तहत बने नियम;
- बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम 1976 (अनुसूचित जनजाति के संबंध में);
- बाल श्रम (निषेध व विनियमन) कानून 1986;
- अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि के हस्तांतरण और पुनर्बहाली से संबंधित राज्यों के कानून और विनियमन;
- वन संरक्षण अधिनियम 1980;
- पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996;
- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

आयोग के कार्य {अनुच्छेद 338A के उपखंड (5) के अनुसार}

- अनुसूचित जनजातियों के लिए **उपबंधित रक्षोपायों** से संबंधित सभी मामलों की **जांच और निगरानी करना** और ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजातियों को उनके **अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने** के संबंध में **विशिष्ट शिकायतों** की जांच करना।
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की **योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना** एवं **उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।**
- **उन सभी के रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में** प्रति वर्ष तथा ऐसे अन्य समयों पर, जिसे वह ठीक समझे, राष्टपति को रिपोर्ट प्रतुत करना।
- अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन रक्षापायों और अन्य उपायों के **प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में** सिफारिशें करना।
- राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किसी भी **विधि के उपबंधों के अधीन** रहते हुए ऐसे **अन्य कार्यों** का निर्वहन करना।
- आयोग **निम्नलिखित अन्य कार्यों** का भी निर्वहन करेगा अर्थात्:
  - अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में **स्वामित्व अधिकार प्रदान करने** के लिए किए जाने वाले उपाय।
  - खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि पर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय।
  - **जनजातियों के विकास** के लिए किए जाने वाले उपाय और उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना।
  - विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए **राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावकारिता बढाने संबंधी** किए जाने वाले उपाय।
  - **जनजातीय लोगों का भूमि से बिलगाव** को रोकने के लिए उपाय किए जाने और **ऐसे लोगों का प्रभावी पुनर्वास करना** जो पहले ही भूमि से विलग हो चुके हैं।
  - इनके वनों की सुरक्षा तथा सामाजिक वानिकी जनजातीय **समुदायों का अधिकतम सहयोग** और भागीदारी प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

- **पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996** के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय।
- जनजातियों द्वारा **स्थानांतरित खेती की प्रथा को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए** किए जाने वाले उपाय।

संसदीय समिति द्वारा उजागर किए गए NCST से संबद्ध मुद्दे:

- **लंबित रिपोर्ट:** वर्ष 2018 से आयोग की रिपोर्ट अभी भी जनजातीय मामलों के मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है और आज तक संसद में प्रस्तुत नहीं की गई है।
  - लंबित रिपोर्टों में आंध्र प्रदेश में **इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना** के जनजातीय आबादी पर प्रभाव का अध्ययन और **राउरकेला स्टील प्लांट के कारण विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास और पुनरूद्धार पर** एक विशेष रिपोर्ट शामिल है।
- **जनशक्ति और बजट की कमी:** समिति ने कहा कि आयोग में कई पद अभी भी रिक्त हैं। आवेदकों की कमी के कारण आयोग में होने वाली नियुक्तियां बाधित हुई हैं क्योंकि पात्रता मानदंडों को अत्यधिक उच्च बनाए रखा गया था। इसके साथ ही कई और उम्मीदवारों को आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए नियमों को भी बदल दिया गया था।

NCST की प्रमुख सिफारिशें

खनिज संसाधनों पर **जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए** आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- अनुसूचित क्षेत्रों में खनन रियायतों के अनुदान में अनुसूचित जनजातियों को वरीयता देने के लिए **स्पष्ट दिशा-निर्देश** जारी करने की आवश्यकता है।
- भूरिया समिति (1995) की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित सभी औद्योगिक उद्यमों (छोटे उद्यमों के अलावा) में समुदायों को 50% शेयर के साथ मालिकाना हक़ प्राप्त हो सके।
- आदिवासियों को **व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता** दी जानी चाहिए ताकि वे खनन कार्यों को चलाने की स्थिति में आ सकें।
- खानों और खनिजों से संबंधित अधिनियमों में विशिष्ट कानूनी प्रावधान करने हेतु, उनके लिए गौण खनिजों के बारे में किसी भी पट्टे से पहले **ग्राम सभाओं से परामर्श** करने को **अनिवार्य** बनाना चाहिए।

- **NCST से संबंधित अन्य मुद्दे:**
  - आयोग की वेबसाइट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में इसकी **सिर्फ चार बार बैठक हुई** है।
  - शिकायतों के समाधान और इसे प्राप्त होने वाले मामलों के **लंबित होने की दर भी 50 प्रतिशत** के करीब है।
  - विभिन्न नीति संबंधी मुद्दों पर आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति/ अस्वीकृति/ टिप्पणियों/ विचारों/ सलाह के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हैं।

NCST को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय

- **संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें:** समिति ने सिफारिश की है कि अधिकारियों की भर्ती और NCST के लिए **बजटीय आवंटन** के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- **सार्थक परामर्श को प्रोत्साहित करना:** कैबिनेट सचिवालय और कानून तथा कानूनी मामलों के मंत्रालय को संबंधित विधायी प्रस्तावों को **मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखने** से पहले NCST के साथ **सार्थक परामर्श सुनिश्चित करने** की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
- **समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई:** यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आयोग की रिपोर्ट **संसद और राज्य विधान-मंडलों में**, जैसा भी मामला हो, एक उचित अवधि के भीतर (अर्थात् **तीन महीने से अधिक नहीं) रखी जाए।**
  - इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसकी **सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/ प्रस्तावित कार्रवाई** का ज्ञापन इस तरह की रिपोर्ट **प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर** संसद/राज्य विधान-मंडल में अलग से रखा जाना चाहिए।
- **सरकार से प्रतिक्रिया:** उचित फीडबैक न केवल ऐसे नीति संबंधी मुद्दों पर सरकार के **अंतिम विचारों** के साथ **आयोग को सूचित** करेगा, बल्कि भविष्य में इसी तरह के मामलों में **अपनी सिफारिशों की प्रभावशीलता की रिपोर्ट करने और अपनी सिफारिशों को परिष्कृत करने में सक्षम करेगा।**

1.5. ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022 (Draft India Data Accessibility and use policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी (भारत का डेटा अभिगम्यता तथा उपयोग नीति), 2022 जारी की गई है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा का महत्व

- **सुशासन:** यह अंतर-सरकारी डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित करके सेवा वितरण की दक्षता बढ़ाता है साथ ही यह डेटा साझाकरण और गोपनीयता नीतियों तथा मानकों के समग्र अनुपालन में सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण है।
- **डेटा का प्रभावी उपयोग:** डिजिटलीकरण और ऑनलाइन गतिविधियों में हो रही तीव्र वृद्धि के साथ, 5 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का भारत की महत्वाकांक्षा, डेटा मूल्य के प्रयोग करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है।
- **सूचित नीति निर्माण:** इससे भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। यह अधिक सूचित नीति निर्माण और कुशल सार्वजनिक सेवाओं के लिए, नई पीढ़ी के स्टार्ट-अप को उच्च प्राथमिकता वाले उपयोग के मामलों हेतु डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने और नए बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है।इस प्रकार यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को भी गति प्रदान करता है।
- **समन्वय संबंधी सुधार:** नीति की निगरानी हेतु एक निकाय, तकनीकी उपकरणों, डेटा साझाकरण मानकों के प्रभावी प्रवर्तन के अभाव के कारण एक प्रभावी डेटा नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षाविदों और उद्योगों के साथ परामर्श की प्रवृति का अभाव के कारण भी इसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022 के बारे में

- इस नीति का उद्देश्य, **सार्वजनिक क्षेत्रक डेटा के उपयोग की भारत की क्षमता को मूल रूप से परिवर्तित करना** है। यह बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा। इस नीति का उद्देश्य व्यापक पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने हेतु **सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता का मौलिक रूपांतरण करना** है।
- नीति के अनुसार, किसी भी प्रकार का डेटा साझाकरण **भारत के कानूनी ढांचे**, इसकी राष्ट्रीय नीतियों एवं कानून और मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत होगा।
- **नीति के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के पास उपलब्ध गैर-वैयक्तिक डेटा की गुणवत्ता तक पहुँच और उसके प्रयोग को बढ़ाना।
  - नीति निर्माण, मूल्यांकन और निगरानी में सुधार करना।
  - डिजिटल और डेटा क्षमता तथा सरकारी अधिकारियों के ज्ञान और योग्यता का निर्माण करना।
  - ओपन डेटा के साथ अधिक नागरिक जागरूकता, भागीदारी और सहभागिता को सुनिश्चित करना।
- यह नीति प्रारूप, वर्ष 2019 में इंफ़ोसिस के सह संस्थापक एस. गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में **गैर-वैयक्तिक डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क (NPDF)** के मसौदे को तैयार करने हेतु गठित एक सरकारी समिति की अनुशंसाओं के अनुसार विकसित किया गया है।
  - NPDF का लक्ष्य डेटा के प्रयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक मूल्यों को सृजित करने हेतु एक रूपरेखा का निर्माण करना और ऐसे डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना था।

नीति की प्रमुख विशेषताएं

वर्तमान नीतियों के अनुरूप	• यह मौजूदा सरकारी नीतियों (राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी एवं अभिगम्यता नीति तथा ओपन गवर्मेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया) का अपडेट प्रदान करती है।
प्रयोज्यता	• केंद्र सरकार और प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा सृजित, निर्मित, संग्रहित किए गए सभी प्रकार के डेटा और सूचनाओं पर लागू होगी।
संस्थागत ढांचा	• **भारत डेटा कार्यालय (IDO) को स्थापित** करने हेतु प्रावधान किया गया है। IDO की स्थापना का उद्देश्य डेटा एक्सेस और साझाकरण को सुव्यवस्थित व एकीकृत करना तथा NPD भंडार (repositories) को सरकार और हितधारकों के साथ साझा करना है।

	○ गैर-वैयक्तिक डेटा परिसंपत्तियों के साझाकरण के लिए IDO नियमों को अधिसूचित करेगा। ○ इस नीति के क्रियान्वयन और प्रवर्तन की देखरेख का उत्तरदायित्व IDO को सौंपा जाएगा। • **प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग द्वारा**, प्रमुख डेटा अधिकारी की अध्यक्षता में, **एक डेटा प्रबंधन इकाई की स्थापना** की जाएगी। यह इकाई नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए IDO के साथ मिलकर कार्य करेगी। • एक **परामर्शी निकाय के रूप में भारतीय डेटा परिषद (IDC)** का गठन किया जाएगा। यह अन्य कार्यों के साथ-साथ **उच्च-मूल्य वाले डेटा सेट के लिए रूपरेखा को परिभाषित करेगा, डेटा और मेटाडेटा मानकों को अंतिम रूप देगा तथा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा** करेगी। • IDC में विभागों और राज्य सरकारों का नामांकन 2 वर्षों की अवधि के लिए (एक विभाग के लिए अधिकतम अवधि) क्रमावर्तन के आधार पर किया जाएगा।
एकीकृत डेटा पोर्टल	• **लाइन मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रबंधित सभी डेटा पोर्टल/डैशबोर्ड को API या अन्य उपयुक्त एकीकरण तंत्रों के माध्यम से** खुले सरकारी डेटा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।
डेटा साझाकरण टूलकिट	• डेटा साझाकरण और प्रकाशन से संबंधित जोखिमों की पहचान और उनके प्रबंधन हेतु • डेटा **उसी एजेंसी/ विभाग/ मंत्रालय या इकाई की संपत्ति होगी, जिसने इसे सृजित/संग्रहीत** किया है।
सरकार से सरकार को डेटा साझाकरण	• सभी मंत्रालय/ विभागों को मौजूदा डेटा परिसंपत्ति की पहचान करनी होगी और विस्तृत खोज योग्य डेटा सूची का निर्माण करना होगा।
सामान्य रूप से, डेटा को सबके लिए उपलब्ध कराना	• नकारात्मक डेटा परिसंपत्ति की सूची में वर्गीकृत डेटा को छोड़कर सभी **सरकारी डेटा को सबके लिए उपलब्ध कराया और साझा करने योग्य** बनाया जाएगा। निषिद्ध डेटा सेट्स के लिए मूल्य धारक सरकारी एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ○ नकारात्मक सूची डेटा परिसंपत्ति की वह सूची है जिसकी प्रवृत्ति गोपनीय होती है और/या राष्ट्र सुरक्षा के हित में इन्हें जनता के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।
डेटा अनामिकता	• सभी मंत्रालयों/ विभागों को IDO/MietY या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी कानून/अधिनियम/नीति द्वारा परिभाषित अनामिकता संबंधी मानकों का अनुपालन करना होगा।

डेटा साझाकरण और उपयोग नीति से संबंधित मुद्दे

- **गोपनीयता से संबंधित मुद्दे:** वैयक्तिक डेटा संरक्षण कानून की अनुपस्थिति में, सरकारी विभागों में अंतर-विभागीय डेटा साझाकरण की परिकल्पना से नागरिकों की निजता का उल्लंघन हो सकता है।
- डेटा की अनामिकता के संबंध में **उचित मानकों और रूपरेखा के अभाव** के कारण यह संभव है कि ऐसे डेटा की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए या उसमें हेर फेर किया जाए। इससे डेटा के उत्पत्ति कर्ताओं की पुनः पहचान आसानी से हो सकती है।
- **अवधारणाओं से संबंधित अस्पष्टता:** कुछ अवधारणाओं को बेहद संदिग्ध और अस्पष्ट तरीके से वर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में इनकी गलत व्याख्या होने की संभावना बनी रहती है।
  - जैसे, वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक और NDPF के ओवरलैपिंग वाले क्षेत्रों के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति के सरकार के पास उपलब्ध निजी डेटा हेतु स्वीकृति और अनामिकता से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन किस तरह किया जाएगा।
- डेटा सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दे:
  - डेटा की चोरी कई तरीकों से हो सकती है
    - **साइबर हमलों,**
    - संरक्षित सूचनाओं वाले उपकरणों की चोरी या गुम होना, या
    - **मानवीय त्रुटियों** जैसे किसी संवेदनशील डेटा का अनजाने में किसी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ साझाकरण।
  - **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** भारत में डेटा संग्रहण कंपनियों की कमी के कारण भारत को विदेशों में डेटा संग्रहीत करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  - **क्लाउड सुरक्षा:** कोविड महामारी के कारण क्लाउड के अंगीकरण की प्रवृत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। किन्तु क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को उन प्रणालियों में रखा जाता है जो पारंपरिक दायरे से बाहर होती हैं। इसलिए इन्हे आसानी से चुराया जा सकता है।
  - **प्रतिभा की कमी** वस्तुतः जोखिमों को कम करने, खतरों का पता लगाने और हमलों के प्रति प्रतिक्रिया देने संबंधी सरकार की क्षमता को सीमित करती है।

आगे की राह

- **अंतर-संचालित डिजिटल अवसंरचना:** अंतर-संचालित डेटा अवसंरचना, डेटा और मेटा-डेटा संबंधित कठोर मानकों के अनुपालन को अधिदेशित करती है। साथ ही यह सम्पूर्ण डेटा परितंत्र में मानकों के लिए **सुदृढ़ प्रवर्तनीय ढांचे के निर्माण** को सुनिश्चित करती है।

* **डेटा कौशल और डेटा संचालित संस्कृति:** उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और उसके प्रयोग के विस्तार को सुनिश्चित करने के क्रम में डेटा विज्ञान, विश्लेषण, उभरती प्रौद्योगिकी और नीतिशास्त्र के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए सरकारी प्रणाली में कौशल निवेश आवश्यक है।
* **सुदृढ़ रणनीति:** शासन के मूल्य संबंधी सिद्धांतों (जैसे डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा संबंधित सिद्धांत) के प्रभावी उपयोग हेतु डेटा तक पहुंच और उसके उपयोग के संबंध में एक उत्तरदायी नीति की अत्यधिक आवश्यकता है। यह नीति ऐसी होनी चाहिए जो जोखिम को टालने के दृष्टिकोण की जगह जोखिम प्रबंधन रणनीति को अपनाए।
* **पारदर्शी तंत्र:** यह सुनिश्चित करने हेतु कि डेटा अधिकारी ओपन सार्वजनिक डेटा तक नागरिकों की पहुँच को सीमित न कर सके, एक पारदर्शी तंत्र की स्थापना आवश्यक है। चूंकि ऐसे डेटा करदाताओं के धन के उपयोग, विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और विकास परियोजनाओं पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आदि हेतु पारदर्शिता के लिए आवश्यक होते हैं।

डेटा से संबंधित प्रमुख पहलें

* **वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Data Protection Bill: PDPB), 2019**
    * **डेटा संरक्षण प्राधिकरण (DPA)** के गठन का प्रावधान करता है।
    * सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के गैर-वैयक्तिक डेटा की मांग किए जाने पर डेटा साझाकरण हेतु फिडयुशियरी को अधिदेशित किया गया है।
        * डेटा फिडयुशियरी अथवा विश्वासी वस्तुतः एक इकाई या व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत करने के साधन और उद्देश्यों को तय करता है।
    * वैयक्तिक डेटा के संरक्षण में असफलता के लिए कम्पनियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के प्रावधान को हटाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को संशोधित किया गया है।
* **गैर-वैयक्तिक डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क (Non-Personal Data Protection Framework: NPDF)**
    * कोई भी डेटा जो **वैयक्तिक डेटा नहीं** है, उसे NPD के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वैयक्तिक डेटा ऐसा डेटा होता है जो किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी विशेषताओं, प्रवृत्तियों और गुणों से संबंधित होते हैं और जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए किया जा सकता है। NPD को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
        * **सार्वजनिक NPD:** सभी सार्वजनिक वित्तपोषित कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सरकार द्वारा संग्रहित किया गया डेटा जैसे जनगणना।
        * **सामुदायिक NPD:** व्यक्तियों के एक ऐसे समूह जिनकी भौगोलिक स्थिति, धर्म, नौकरी या कोई अन्य सामान्य सामाजिक हित समान हों, से संबंधित पहचान प्रदान करने वाला कोई भी डेटा। उदाहरण के लिए: विद्युत वितरण कंपनियां आदि।
        * **निजी NPD:** स्वामित्वाधीन सॉफ्टवेयर या ज्ञान के अनुप्रयोग से निजी व्यक्तियों द्वारा सृजित किया गया डेटा।
* **ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफ़ॉर्म:** विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध डेटा को सक्रिय रूप से प्रकाशित करके, सभी तक उपलब्ध करवाना (ओपन एक्सेस)।
* **ओपन गवर्नमेंट डेटा लाइसेंस:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रकाशित किए गए डेटा सेट्स का दुरुपयोग या गलत व्याख्या न की जाए।
* **अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सेतु (API Setu):** सरकार के सभी APIs को एक स्थान पर लाने और उन्हें मंत्रालयों तथा उद्योग द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध करवाने हेतु।
* **भारतीय शहरी डेटा विनिमय (IUDX):** ओपन स्रोत डेटा विनिमय जो विभिन्न डेटा प्लेटफ़ॉर्म के बीच सुरक्षित और प्रामाणिक विनिमय की सुविधा प्रदान करता है।

1.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

1.6.1. सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा या मृत्युदंड पर ऐतिहासिक निर्णय की पुष्टि की (SC Enforces a Landmark Ruling on Death Penalty)

* सुप्रीम कोर्ट ने **'छन्नू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य' मामले में** निर्णय देते हुए कहा था कि मौत की सज़ा देने से पहले अपराधी में सुधार की संभावना की तलाश के लिए उसका **मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकीय आकलन** होना चाहिए। इससे अपराधी में सुधार की किसी संभावना का आकलन किया जा सकेगा।
* इस वाद या मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निम्नलिखित निर्णयों को आधार बनाया:
    * **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामला:** इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा देने के मामले में **"रेयरेस्ट ऑफ रेयर" क्राइम का सिद्धांत** स्थापित किया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तेजक परिस्थितियों और गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण को अनिवार्य किया था।
    * **माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने **'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' के सिद्धांत को और स्पष्ट किया** तथा मौत की सज़ा के मामलों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए।
        * **उत्तेजक परिस्थितियां या जोश में आना:** इसमें शामिल हैं- अपराध को अंजाम देने का तरीका, अपराध को अंजाम देने का उद्देश्य, अपराध की गंभीरता और अपराध का पीड़ित कौन है।
        * **गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियां:** इसमें शामिल हैं- एक आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना, उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसके जीवन की पृष्ठभूमि।

- वर्ष 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि **मौत की सज़ा को अमल में लाने में बिना किसी ठोस कारण के देर करना, मृत्युदंड की सजा के लघुकरण (commutation) का एक आधार** हो सकता है।
    - ऐसा होने पर एक कैदी, उसका कोई परिजन, या यहां तक कि एक सक्रिय नागरिक, इस तरह की सजा को कम करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर कर सकता है।

1.6.2. कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि "हिज़ाब, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं (Wearing Hijab is not Essential Religious Practice Rules Karnataka High Court)

- हाईकोर्ट ने यह निर्णय उस याचिका पर दिया है जिसमें स्कूल और कॉलेज में **कक्षाओं के अंदर यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने के अधिकार** की मांग की गयी थी।
- **कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा?**
    - मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिज़ाब (हेड स्कार्फ) पहनना, **इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं** है। इसे **संविधान के अनुच्छेद 25** के तहत **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं** है।
    - स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण, **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह **अनुच्छेद 21** के तहत निजता के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है।
    - **शैक्षणिक संस्थानों में हिज़ाब पहनने पर प्रतिबंध,** एक ऐसा **युक्तियुक्त प्रतिबंध (reasonable restriction)** है, जिसकी अनुमति संविधान में भी है।
- **"अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण" (essential religious practice test) क्या है?**
    - यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1954 के **"शिरूर मठ" मामले** में प्रस्तुत किया गया था।
    - सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत केवल ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए विकसित किया है, जो धर्म के अनुसार आचरण के लिए **आवश्यक और धर्म का अभिन्न हिस्सा** हैं।
    - सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि **'धर्म'** शब्द, एक धर्म के लिए 'अभिन्न (integral)' सभी रिवाजों और प्रथाओं को शामिल करेगा। और कौन-सी प्रथाएं **अनिवार्य** हैं और कौन-सी **गैर-अनिवार्य**, इसे निर्धारित करने की जिम्मेदारी कोर्ट ने अपने ऊपर ले ली।
    - सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग फैसलों में अनिवार्य और गैर-अनिवार्य प्रथाओं में अंतर करने का प्रयास किया है।

1.6.3. जनगणना के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए (Census New Rules Notified)

- जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची में **"इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म"** और **"स्व-गणना" (self-enumeration)** को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने **जनगणना नियम, 1990 में संशोधन** किया है।
    - इस संशोधन से आगामी **जनगणना** और **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register: NPR)** में ऑनलाइन तरीके से **खुद अपनी गणना करने की अनुमति** मिल गयी है।
        - NPR देश के **सामान्य निवासियों (usual residents) का एक रजिस्टर** है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी को शामिल करते हुए एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है।
    - **जनगणना अधिनियम, 1948** की **धारा 8,** गणना करने वाले को जनगणना के संबंध में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करती है। कुछ अपवादों के साथ, इन प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है।
- इसके अलावा, जनगणना के व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने के तरीकों की सूची में **"प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** और **सोशल मीडिया"** को जोड़ा गया है। पहले इस सूची में केवल रेडियो, ऑडियो-विजुअल और पोस्टर शामिल थे।
- इससे पहले, जनगणना 2021 के पहले चरण और NPR को अपडेट करने की कवायद को **कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित** कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि NPR को अपडेट करने का काम वर्ष 2020 में ही पूरा किया जाना था।
- आबादी की जनगणना वस्तुत: **किसी देश या देश के किसी हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा** एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और उन्हें जारी करने की एक प्रक्रिया है।
    - **जनगणना का आयोजन:** जनगणना कार्य **गृह मंत्रालय** के तहत आने वाले **महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय** द्वारा संपन्न किया जाता है।

जनगणना का इतिहास

- देश के विभिन्न हिस्सों में **वर्ष 1865 और 1872 के बीच** एक व्यवस्थित और आधुनिक जनगणना आयोजित की गई थी। हालांकि, यह **एक साथ पूरे देश में आयोजित नहीं** की गयी थी।
- **वर्ष 1872** में संपन्न हुई इस प्रक्रिया को लोकप्रिय रूप से **भारत की पहली जनगणना** माना जाता है।
- हालांकि, **भारत में पहली बार एक साथ जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी।** तब से, **प्रति दस वर्ष** में एक बार नियमित रूप से जनगणना की जाती रही है।

1.6.4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर फिल्म उद्योग के साथ परामर्श किया {Ministry of Information and Broadcasting (I&B) holds consultation with Film Industry on Proposed Amendments to Cinematograph Act}

- **चलचित्र अधिनियम (Cinematograph Act), 1952** में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रमाणन (certification) और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के विनियमन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

- इसके तहत, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)[2] का गठन किया गया। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित (रेगुलेट) करता है।

- **चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रमुख प्रावधान:**
  - किसी फिल्म को जारी किए गए प्रमाणन पर **पुनर्विचार** करने हेतु CBFC को निर्देश देने का सरकार को अधिकार दिया गया है।
  - U/A श्रेणी को **U/A 7+, U/A 13+** और **U/A 16+** में **उप-विभाजित** किया गया है।
  - दंडात्मक प्रावधानों को लागू करके **पायरेसी को रोकने के लिए धारा 6AA** को जोड़ा गया है।
- **इस विधेयक के विरोध में उठाए गए मुद्दे:**
  - केंद्र सरकार के पास उन फिल्मों के **प्रमाणन को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार** होगा, जिन्हें CBFC द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है।
  - यह फिल्म प्रमाणन पर **मुद्गल समिति (वर्ष 2013) और श्याम बेनेगल समिति (वर्ष 2016) की सिफारिशों के विरुद्ध** है।
  - फिल्म जगत का मानना है कि इसके कुछ प्रावधान **स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विमर्श में बाधा** बनकर रचनात्मकता को दबाते हैं।
- **सुझाव:**
  - स्व-विनियमन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,
  - राज्य की सेंसरिंग शक्ति संबंधी सीमा को सीमित किया जाना चाहिए,
  - आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित कंटेंट के लिए. प्रदर्शन से पहले चेतावनियों के उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिए, आदि।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

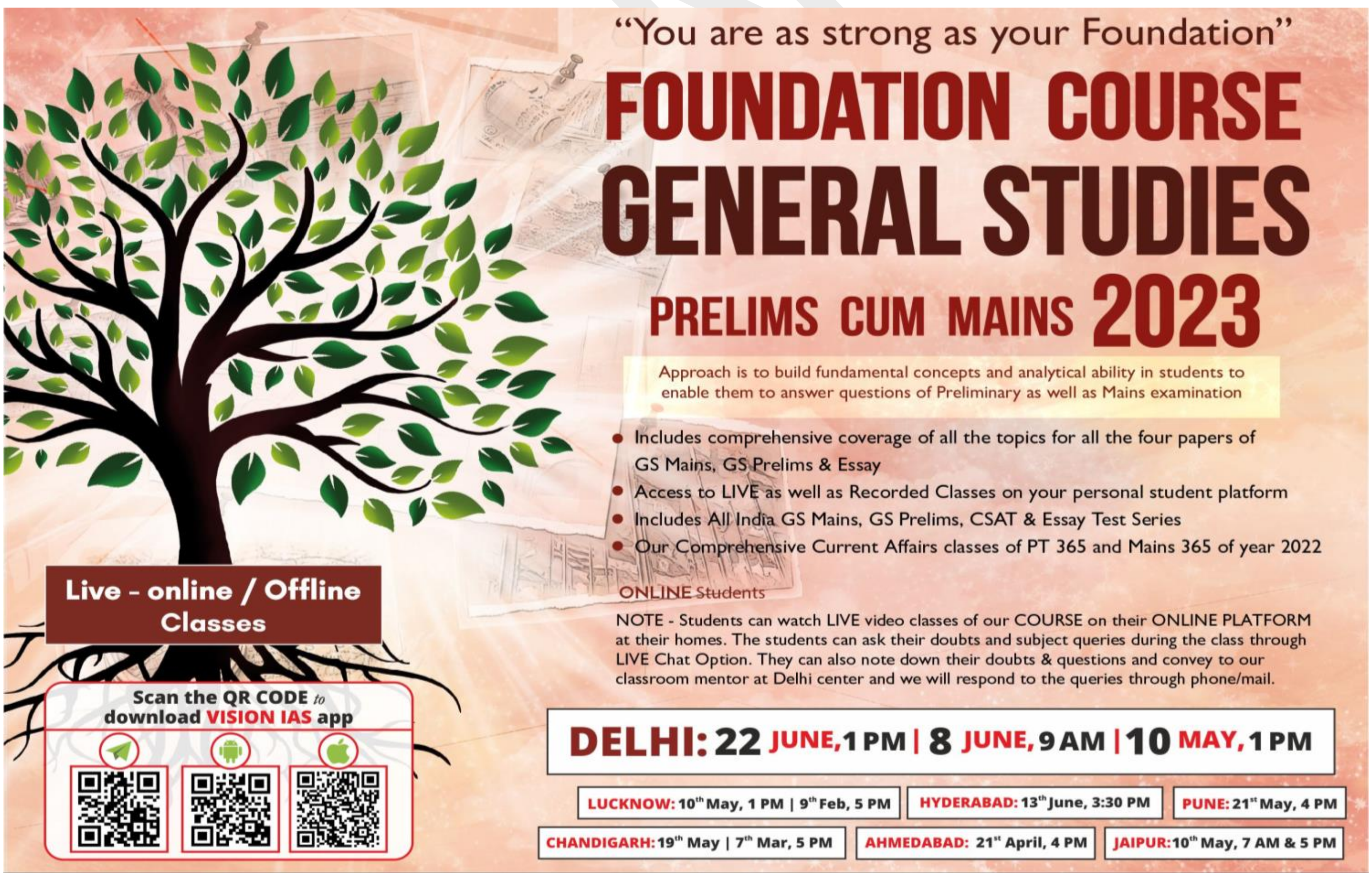

[2] Central Board of Film Certification

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। हालांकि यह युद्ध समय के साथ और अधिक हिंसक होता गया है। इसके अतिरिक्त, रूस पर बढ़ते **प्रतिबंधों** के साथ-साथ यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों की संख्या भी बढ़कर अब **11.4 मिलियन** पहुच गई है।

यूक्रेन और वर्तमान रूस-यूक्रेन युद्ध के बारे में

- रूस-यूक्रेन का संबंध **1700 के दशक के उत्तरार्ध से जुड़ा हुआ** है। इस अवधि में **कैथरीन द ग्रेट** द्वारा वर्तमान यूक्रेनी क्षेत्र को रूसी साम्राज्य के अधीन शामिल कर लिया गया था।
- **स्वायत्त अस्तित्व** की एक संक्षिप्त अवधि (वर्ष 1917-20) के बाद, यूक्रेन अंततः **सोवियत संघ** का हिस्सा बन गया।
- अंत में, **सोवियत संघ** के पतन **(वर्ष 1991)** के साथ ही इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
- वर्तमान युद्ध की जड़ें तीन बिंदुओं पर आधारित हैं, यथा-
  - **यूक्रेन द्वारा रूस** के साथ स्थापित सांस्कृतिक संबंधों को समाप्त करने का प्रयास,
  - **यूक्रेन के स्वायत्त अस्तित्व** की रक्षा करना और
  - रूस-नाटो के प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रों से बाहर होने के साथ साथ तत्कालीन सोवियत संघ क्षेत्र में **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का बढ़ता प्रभाव।**

यूक्रेन और रूस की वर्तमान स्थिति

यूक्रेन का मत

- यूक्रेन को यूरोपीय संघ के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को शीघ्र एकीकृत करने के लिए रूस द्वारा गठित यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के समान, यूरोपीय संघ (EU) के साथ **एसोसिएशन एग्रीमेंट (AA)** में शामिल होने की आवश्यकता है।
  - इससे **डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (DCFTA)** के तहत वस्तुओं के व्यापार पर अधिकांश प्रशुल्कों को समाप्त करने में मदद मिलेगी तथा साथ ही यह यूक्रेन को यूरोपीय संघ की वैधानिक सदस्यता हेतु भी अवसर प्रदान करेगा।
- विशेषकर रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण (2014) के बाद, **उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की सदस्यता** इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए आवश्यक है।

रूस का तर्क

- रूस के अनुसार यूक्रेन को सदस्य देश के रूप में **नाटो में शामिल नहीं** होना चाहिए।
- नाटो को वर्ष **1997 की स्थिति** अर्थात **नाटो-रसिया फाउंडिंग एक्ट**[3] पर हस्ताक्षर करने से पूर्व की स्थिति, को पुनः स्वीकार करना चाहिए। इसके तहत यह समझौता किया गया था कि इन क्षेत्रों में नाटो द्वारा सैनिकों को तैनात करने के लिए किसी नवीन अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा।
- **ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों** और रूसी पहचान प्राप्त लोगों को हाशिए पर जाने से रोका जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में, यूक्रेनी भाषा को विशेष दर्जे प्रदान करते हुए उसे सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही, पूर्वी यूक्रेन में बड़ी संख्या में रूसी भाषी आबादी होने के बावजूद प्रिंट मीडिया के संबंध में अल्पसंख्यक भाषाओं के अपवाद के रूप में भी रूसी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था।

[3] NATO-Russia Founding Act

2.1.1. युद्ध के प्रति प्रतिक्रियाएं (Responses to the War)

रूस और यूक्रेन के बीच **भू-राजनीतिक तनाव** को समाप्त करने में **मिन्स्क समझौते** की विफलता वस्तुतः **स्थायी शांतिपूर्ण समाधान** की आवश्यकता को रेखांकित करती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व इस चुनौती का प्रत्युत्तर देने के संदर्भ में अधिक विभाजित रहा है।

प्रथम मिन्स्क समझौता (वर्ष 2014)

यह बेलारूस में हताक्षरित एक **12-सूत्रीय युद्ध विराम समझौता** है। इस पर रूस, यूक्रेन, यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (OSCE) तथा डोनेट्स्क और लुहान्स्क के रूस समर्थक नेतृत्व कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।

द्वितीय मिन्स्क समझौता (वर्ष 2015)

- इसे **नॉरमैंडी फोर** के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्रथम मिन्स्क समझौते की विफलता के बाद **फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस** द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।
- इसके तहत मिन्स्क समझौते के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए **13 सूत्री पैकेज की घोषणा** की गई थी।

पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया

- यूक्रेन द्वारा अब तक **नाटो की सदस्यता ग्रहण नहीं की गई है**। हालांकि फिर भी अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों की प्रतिक्रिया, **रूस के खिलाफ प्रतिबंध** आरोपित करने तथा यूक्रेन को **सैन्य सामग्री, नकदी और राजनयिक सहायता** प्रदान करने की दिशा में अधिक केंद्रित रही है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) आदि द्वारा भी **रूस के खिलाफ प्रस्ताव** पारित किए गए हैं। साथ ही, भारत सहित अन्य देशों पर दबाव बनाने के लिए भी **प्रतिबंधों और कूटनीति का उपयोग** किया जा रहा है।

भारत की प्रतिक्रिया

- हालांकि भारत ने किसी भी राष्ट्र के दबाव के अधीन कार्य करने की बजाय अपने **राष्ट्रीय हित और सिद्धांतों** के आधार पर एक स्वतंत्र प्रतिक्रिया रणनीति को अपनाया है (चित्र देखें)।
  - भारत ने सभी प्रस्तावों पर **मतदान न करने का निर्णय** लिया है।
- ये सिद्धांत **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सिद्धांतों के आधार** पर एक **सुरक्षित और स्थायी समाधान** की दिशा में कार्य करते हैं।
- भारत द्वारा किसी भी पक्ष की निंदा से दूर रहने और हथियार प्रदान करने की बजाय **मानवीय राहत और सहायता** प्रदान करने पर बल दिया गया रहा है। उदाहरण के लिए-
  - भारत द्वारा यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान (90 टन वस्तु एवं आवश्यक सामग्री के रूप में) की गई है।
- यह वैश्विक उथल-पुथल के दौर में **रणनीतिक स्वायत्तता** और साझा उत्तरदायित्व के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के महत्व को रेखांकित करता है।

भारत की प्रतिक्रिया के समक्ष चुनौतियां

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने **वैश्विक पटल पर एक राष्ट्र के रूप में वर्तमान स्थिति में देशों को साथ लाने और दोनों पक्षों तक पहुंच बनाए रखने की क्षमता के कारण** भारतीय प्रयासों की प्रशंसा की है। लेकिन **वैश्विक अन्योन्याश्रितता के कारण** यह कुछ चुनौतियां को भी प्रस्तुत करता है:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ निकटता:** भारत-अमेरिका कई **रणनीतिक मुद्दों** पर एक समान मत साझा करते हैं, विशेष रूप से **भारत के पूर्वी भाग** जैसे **हिंद-प्रशांत क्षेत्र (क्वाड के गठन)** पर।
- **आयातित महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति:** यूक्रेन-रूस युद्ध और रूस के विरुद्ध बढ़ते प्रतिबंध, भारत के लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध बेहतर रहे हैं।

- ○ **रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों में शामिल हैं-** रूस के केंद्रीय बैंक की परिसंपत्ति को फ्रीज करना; **अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट भुगतान हस्तांतरण नेटवर्क** से प्रमुख रूसी बैंकों को अवरुद्ध करना; यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा आदि के हवाई क्षेत्र से रूसी एयरलाइनों को उड़ान भरने से रोकना।
- **रूस के साथ हथियारों का व्यापार:** रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। हालांकि, युद्ध ने एक बार फिर अमेरिका द्वारा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंशंस एक्ट (CAATSA) के उपयोग के जोखिम की संभावना को बढ़ा दिया है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों के अनुसार, रूस की **वर्ष 2017-21** के मध्य भारत के हथियारों के कुल आयात में **46%** की हिस्सेदारी रही है। ध्यातव्य है कि **वर्ष 2012-16 में यह योगदान 69% था।**

काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंशंस एक्ट (CAATSA), 2017

- यह ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर **प्रतिबंध आरोपित** करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में पारित एक **अमेरिकी संघीय कानून है।** संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, इसका उद्देश्य है:
  - ○ ईरान की **अस्थिरता** उत्पन्न करने वाली गतिविधियों का निस्तारण करना,
  - ○ यूरोप और यूरेशिया में **रूसी प्रभाव** को सीमित करना, और
  - ○ **कोरिया पर आरोपित पाबंदियों** और प्रतिबंधों का आधुनिकीकरण करना।
- इस कानून के तहत, अमेरिका द्वारा रूस से **रक्षा उत्पादों का क्रय करने वाले** देशों पर कठोर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इसने **तुर्की पर** रूस से **S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली** को खरीदने के कारण प्रतिबंध आरोपित किए हैं।
- भारत को रूस के साथ 5 अरब अमेरिकी डॉलर के S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे पर भी **प्रतिबंधों** का सामना करना पड़ा है।

2.1.2. वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तन और भारत (Global Geopolitical Changes and India)

रूस-यूक्रेन युद्ध ने रूस के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही पश्चिमी देशों की सनक को और अधिक बढ़ा दिया है। प्रतिरोधी रणनीति के उपयोग ने विभिन्न राष्ट्रों को दो **भू-राजनीतिक गुटों** में विभाजित कर दिया है। हालांकि युद्धकारी स्थितियों में बढ़ोतरी होने पर, यह प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंधों की परिवर्तित गतिशीलता के साथ-साथ दुनिया भर में महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है।

विभिन्न क्षेत्रों में संभावित परिवर्तन/खतरे

- **यूरोप:** तेल और अन्य वस्तुओं के लिए रूस पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु **अफ्रीका और एशिया-प्रशांत** की ओर संबंधों के विस्तार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **काकेशस और मध्य एशिया:** रूस-यूक्रेन का निकटतम पड़ोसी होने के नाते; यह युद्ध उनके लिए व्यापार कठिनाइयों में वृद्धि करेगा। उदाहरण के लिए, **पांच मध्य एशियाई देश भू आबद्ध देश हैं।** इसके अतिरिक्त काला सागर से काकेशस की समुद्री पहुंच के लिए स्वतंत्र रूप से तैरने वाली नौसैनिक सुरंगों की सूचना प्राप्त हुई है।
- **पश्चिमी गोलार्ध:** उच्च मुद्रास्फीति के दबाव के साथ, तेल की ऊंची कीमतें मध्य अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि तेल, धातु और कृषि उत्पादों के निर्यातक देश जैसे कि ब्राजील, चिली आदि इस प्रभाव को कम कर सकते हैं।
- **उप-सहारा अफ्रीका:** यह क्षेत्र महामारी के कारण पहले से ही **मिनिमम पॉलिसी स्पेस** के कठिन दौर से गुजर रहा है, साथ ही इसकी गेहूं के लिए रूस या यूक्रेन पर अत्यधिक निर्भरता इसके सामाजिक-आर्थिक दबाव को और बढ़ा देगी।
- **मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका:** खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें खाद्य असुरक्षा की स्थिति को उत्पन्न करेंगी और साथ ही यहां खाद्य असुरक्षा की स्थिति के साथ **अरब स्प्रिंग** के समान **राजनीतिक अस्थिरता** का भी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, मिस्र अपने 80% गेहूं का आयात यूक्रेन से करता है।
- **हिंद-प्रशांत:** बढ़ती **चीनी आक्रामकता** (जैसे कि ताइवान में) इस क्षेत्र को बलपूर्वक यथास्थिति में एकतरफा परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाती है।

भारत का वर्तमान दृष्टिकोण और प्रमुख शक्तियों के साथ इसके भू-राजनीतिक समीकरण

- **भारत का दृष्टिकोण:**
  - ○ भारत ने अपने नीतिगत प्रसार को प्रभावी बनाने के लिए **रणनीतिक स्वायत्तता** के दृष्टिकोण को अपनाया है। उदाहरण के लिए-
    - ▪ **गुटीय राजनीति पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता** देने से भारत को रूस से रियायती दर पर तेल, उर्वरक और अन्य वस्तुएं प्राप्त करने में मदद मिली है।
    - ▪ **राजनयिक सक्रियता** ने भारत को मिशन मोड **(ऑपरेशन गंगा)** में 18 देशों से 22,500 से अधिक भारतीयों और विदेशी नागरिकों को निकालने में सहायता प्रदान की है।

- परन्तु अधिकांश भावी परिदृश्य, **भू-राजनीतिक व्यावहारिकता** की निरंतरता और प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के **भू-राजनीतिक समीकरणों** पर निर्भर करता है। वर्तमान में, चीन को छोड़कर (भारत-चीन सीमा पर तनाव जैसे कारणों के चलते) लगभग अन्य सभी प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध बेहतर रहे हैं।

- **उभरते मतभेद:** लेकिन पृथक दृष्टिकोण के कारण मौजूदा यूक्रेन संकट का प्रभाव, पश्चिमी दुनिया के साथ भारत के वर्तमान संबंधों पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए-
    - भारत के साथ **यूरोपीय संघ और ब्रिटेन** के संबंध मौजूदा व्यापार, जलवायु परिवर्तन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र जैसे समान हित के मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण रहे हैं। लेकिन **यूक्रेन संकट पर अलग-अलग दृष्टिकोण होने के कारण अपेक्षाओं से संबंधित अंतराल में वृद्धि हुई है।**
    - **भारत-अमेरिका** साझेदारी वस्तुतः साझा हितों के आधार पर कई क्षेत्रों (हिंद-प्रशांत, आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद, ड्रग-तस्करी, साइबर स्पेस आदि) को कवर करने वाली एक **व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी** के रूप में स्थापित हुई है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को रूस से दूर करने तथा साथ ही **रक्षा और तेल** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर केंद्रित करने की दिशा में प्रयासरत रहा है।
- **इन मतभेदों को समायोजित करने की इच्छा और गतिशीलता** पश्चिमी दुनिया के साथ भारत के समीकरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, विशेषकर रूस के संदर्भ में जो वर्ष 1971 (शांति, मैत्री और सहयोग संधि के साथ) से भारत का एक परखा हुआ मित्र रहा है।

2.1.3. युद्ध के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-Economic Impact of War)

परंपरागत रूप से देखा जाए तो, युद्धों ने उन्हीं राष्ट्रों पर हानिकारक प्रभाव डाला है, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया है-

युद्ध के प्रभाव:

- **आर्थिक-** सकल घरेलू उत्पाद की हानि, उच्च मुद्रास्फीति, ऋण में वृद्धि, भवनों और अवसंरचना को क्षति आदि।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक-** शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत की क्षति और
- लोगों और राष्ट्र पर **मनोवैज्ञानिक प्रभाव**।

हालांकि परस्पर निर्भर आधुनिक विश्व में रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को संपूर्ण विश्व में महसूस किया गया है। **भारत भी इसके महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रभावों से अछूता नहीं** रहा है तथा इन्हें प्रायः मौजूदा या भावी संबंधों में देखा जा सकता है जैसे:

- **तेल की कीमतें:** रूस पर प्रतिबंधों के कारण तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक राष्ट्र रहा है।** ऐसे में तेल के मूल्य में **1 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि** वार्षिक आधार पर भारत के आयात बिल में **10,700 करोड़** रुपये की वृद्धि कर सकती है।
    - **वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि भी** तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि का ही एक परिणाम रही है जो **भारत के विकास को नकारात्मक रूप प्रभावित करेगी** और जीवन की बढ़ती लागत तथा अन्य वृहत आर्थिक चरों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।
- **गैस की कीमतें:** पिछले वर्ष पांच गुना वृद्धि के बाद अब इस वर्ष गैस की कीमतों में भी **50%** से अधिक की वृद्धि हुई है। इस मूल्य वृद्धि से भारत के आयात बिल और **चालू खाता घाटे** में वृद्धि हो सकती है।
- **कृषि:** रूस और यूक्रेन कुछ वस्तुओं के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता रहे हैं (चित्र देखें)। इसके अतिरिक्त, रूस की वैश्विक **नाइट्रोजन उर्वरक व्यापार में 15%** और वैश्विक **पोटाश उर्वरक व्यापार में 17%** की हिस्सेदारी रही है।

Russian Federation and Ukraine: Global players in agrifood markets (Percentage)

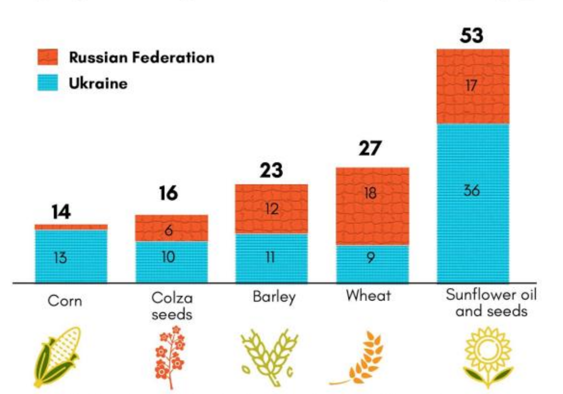

Source: UNCTAD calculations, based on 2020 data from United Nations Comtrade Database.
*Harmonized System codes are 1001 (wheat), 1003, (barley) 1005 (corn), 120510 (colza seeds) and 120600 and 151211 (sunflower seeds and oil).

- एक तरफ इसने भारत से गेहूं के निर्यात के नए अवसर उत्पन्न किए हैं वहीं दूसरी ओर इसने उर्वरक और **सूरजमुखी** के तेल की उपलब्धता को बाधित किया है क्योंकि भारत प्रत्येक वर्ष अपने कुल **1.9 मीट्रिक टन** आयात में से **1.4 मीट्रिक टन** हिस्सा यूक्रेन से आयात करता रहा है।

- **धातु:** रूस वस्तुतः टाइटेनियम, पैलेडियम, स्कैंडियम, अपरिष्कृत डायमंड आदि का एक प्रमुख उत्पादक रहा है। हालांकि युद्ध और प्रतिबंधों के कारण, यह भारत के **हीरा उद्योग** (आयात में कमी) और सेमीकंडक्टर उद्योग, **ऑटोमोबाइल कंपनियों** आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
- **निर्यात चिंताएं:** रूस और यूक्रेन भारतीय दवा उद्योग के प्रमुख निर्यात गंतव्य रहे हैं। इसके अलावा, भारत के चाय निर्यात में 18% हिस्सेदारी रूस की रही है।

आगे की राह

"बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप जीना ही बौद्धिकता है।"

-तिरुवल्लुवर

रूस-यूक्रेन युद्ध का वैश्विक प्रभाव एक **प्रबल पारस्परिक निर्भरता वाले अत्यधिक विरोधाभासी विश्व** की ओर संकेत करता है। भारत को सभी प्रमुख शक्तियों के साथ सर्वोत्तम संबंध बनाए रखने तथा मौजूदा **वैश्विक उथल-पुथल** के अनुरूप सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही, निम्नलिखित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है-

- सतत विकास हेतु जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पुन: आकार प्रदान करके मुद्रास्फीति, व्यापार की बढ़ती लागत और व्यवधान से होने वाली **वित्तीय अस्थिरता के प्रबंधन हेतु प्रयास** करने चाहिए।
- एक मजबूत भू-राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए समग्र समृद्धि में सुधार करते हुए **सामाजिक प्रभावों पर नियंत्रण** स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- अपनी रक्षा और महत्वपूर्ण आपूर्ति आवश्यकताओं के लिए **अन्य देशों पर निर्भरता को कम** करने अर्थात **आत्मनिर्भर भारत** के विचार को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए।
- विभिन्न मंचों पर सभी प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़कर और वैश्विक संस्थानों को मजबूत करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए ताकि **शीत युद्ध की मानसिकता को समाप्त** करने की दिशा में कार्य किया जा सके।
- एक साझा और स्थायी कानूनी व्यवस्था तथा संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्थापित किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर: प्रस्तावना
हम संयुक्त राष्ट्र के लोग दृढ़ संकल्पित हैं, कि

- युद्ध की उन विभीषिकाओं, जिसने हमारे जीवन काल में दो बार मानव जाति को अकथित दुख पहुंचाया है, से हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना और
- मूलभूत मानवाधिकारों, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्यों में, पुरुषों एवं महिलाओं के समान अधिकारों तथा छोटे और बड़े राष्ट्रों के प्रति विश्वास की पुष्टि करना और
- ऐसी स्थितियां स्थापित करना, जिनके तहत संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए न्याय और सम्मान बनाए रखा जा सकता है,
- व्यापक स्वतंत्रता के लिए सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देना।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए

- सहिष्णुता का अभ्यास करना और आदर्श पड़ोसियों के रूप में एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहना और
- अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों को संगठित करना और
- यह सुनिश्चित करना कि सिद्धांतों की स्वीकृति और विधियों की संस्था द्वारा, सामान्य हित को छोड़कर, अन्य किसी कार्य के लिए सशस्त्र शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा
- सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी को नियोजित करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया है

तदनुसार, हमारी संबंधित सरकारें, सैन फ्रांसिस्को शहर में एकत्रित प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिन्होंने अपनी पूर्ण शक्तियों को अच्छे और उचित रूप में स्थापित किया है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान चार्टर के लिए सहमत हुए हैं और इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र के रूप में जाना जाता है।

2.2. श्रीलंका संकट (Sri-Lanka Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने श्रीलंका को वृहत आर्थिक और ऊर्जा संकट से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि श्रीलंका ईंधन, खाद्य और दवाएं खरीदने में समर्थ हो सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **श्रीलंका को इस अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने हेतु निरंतर सहयोग** प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
- श्रीलंका ने भारत से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान जैसे **इसके कुछ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों तक पहुंच स्थापित कर,** श्रीलंका के लिए वित्तीय मदद लेने हेतु **"गारंटर"** की भूमिका निभाने के लिए भी प्रार्थना की है।
- विदेशी मुद्रा की कमी के कारण **श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है,** जिसके परिणामस्वरूप उसे विद्युत की दीर्घकालिक कटौती, कीमतों में बढ़ोतरी और आवश्यक वस्तुओं की कमी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है।

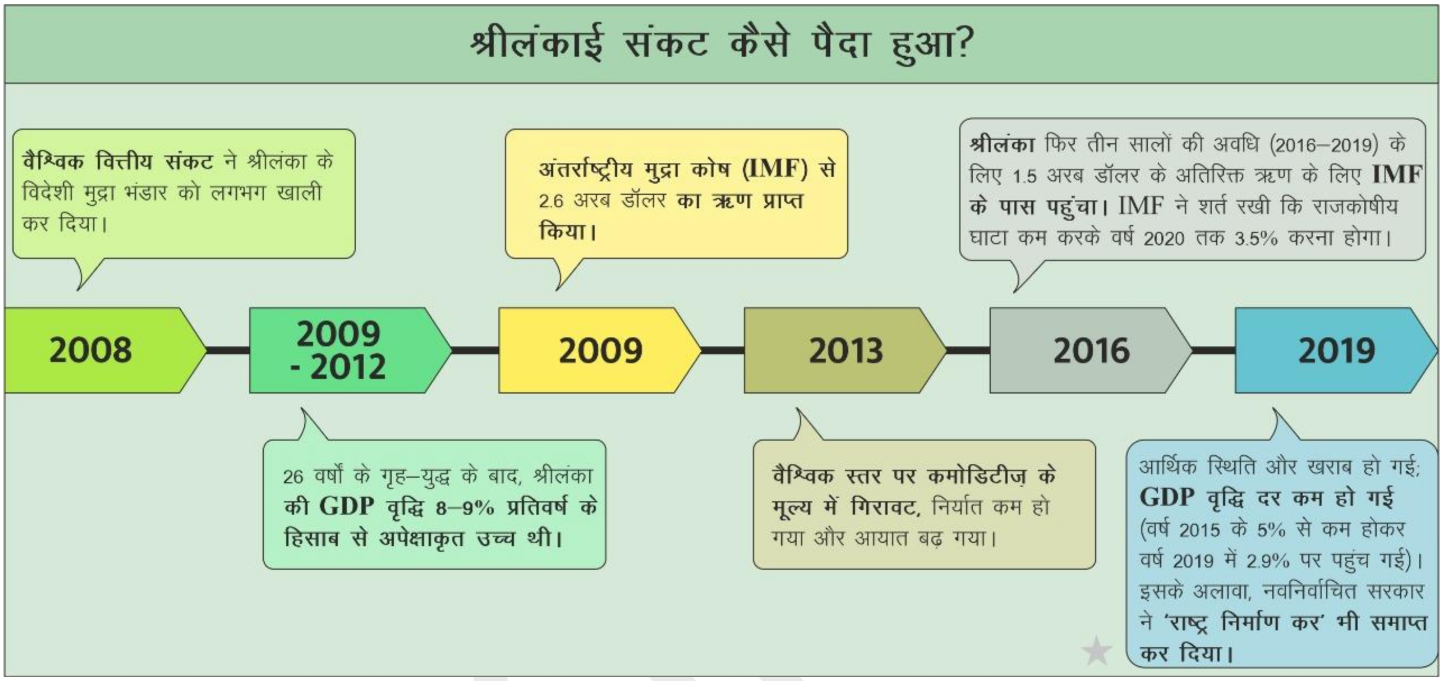

श्रीलंका संकट के कारण

- **विदेशी ऋण देयता संबंधी चूक:** आर्थिक कुप्रबंधन ने **श्रीलंका के अधिकांश विदेशी भंडार को पूर्णतः खाली** कर दिया है। अपनी स्वतंत्रता (वर्ष 1948) के बाद से पहली बार इस तरह के प्रतिकूल आर्थिक संकट का सामना करने के कारण श्रीलंका अपनी 51 बिलियन डॉलर की विदेशी ऋण देयता के भुगतान में विफल रहा है।
  - **चीनी, दालों और अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात पर श्रीलंका की उच्च निर्भरता के परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी** और बढ़ सकती है क्योंकि श्रीलंका के पास अपने आयात बिलों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध नहीं है।
  - **अतिरिक्त कर कटौती** के कारण स्थिति और खराब हो गई है, जिससे उसे सरकारी राजस्व में भी कमी का सामना करना पड़ा है।
- **ऋण जाल कूटनीति:** यह दावा किया गया है कि श्रीलंका अवसंरचना परियोजनाओं (हंबनटोटा बंदरगाह) हेतु **चीन द्वारा दिए गए ऋण के दुष्चक्र में फंस गया** और उनका पुनर्भुगतान करने में विफल रहा है।
- **पर्यटन क्षेत्र में गिरावट:** कोविड-19 वैश्विक महामारी और वर्ष 2019 के **ईस्टर बम विस्फोट के कारण पर्यटन राजस्व में गिरावट** आई है, क्योंकि इसके चलते तीन प्रमुख देशों- भारत, रूस और ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट हुई है।
  - श्रीलंका की पर्यटन से होने वाली आय **वर्ष 2018 में 4.4 बिलियन डॉलर से घटकर वर्ष 2021 में 506.9 मिलियन डॉलर** रह गई है।
  - ध्यातव्य है कि पर्यटन श्रीलंका का **तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र** रहा है।
- **कृषि संकट:** वर्ष 2020 में, **रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध** और कृषि को 100% जैविक बनाने के लिए किए गए आकस्मिक परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है, विशेषकर चावल और चीनी उत्पादन में।

वर्तमान संकट को नियंत्रित करने के लिए श्रीलंका द्वारा उठाए गए कदम

- **विदेशी मुद्रा के बहिप्रवाह को रोकने के लिए लग्जरी वाहनों**, रासायनिक उर्वरकों और हल्दी जैसे खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- प्रवासी कर्मचारियों आदि के लिए अंशदायी पेंशन योजना स्थापित करके विप्रेषण प्रवाह में वृद्धि करने हेतु प्रयास किया गया है।
- सरकार ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए **विशेष जमा खातों** का प्रावधान किया है।
- बांग्लादेश, भारत और चीन जैसे द्विपक्षीय भागीदारों से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया है।
- भारत ने अब तक, 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

- इस परिवर्तन से केवल एक ही वर्ष में, कृषि उत्पादकता की स्थिति (पूर्ण रूप से किसी भी उर्वरक और कीटनाशक से रहित होने के कारण) अत्यधिक बाधित हुई, क्योंकि **किसान जैविक कृषि हेतु किए गए इस आकस्मिक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे।**
- हालांकि, सरकार ने **नवंबर 2021 में उर्वरकों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था,** किंतु इससे पहले ही अत्यधिक नुकसान हो चुका था, क्योंकि **उर्वरकों की समय पर अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप उत्पादकता में गिरावट** के साथ-साथ श्रीलंका की अधिकांश कृषि भूमि अप्रयुक्त रह गई थी परिणामस्वरूप देश की खाद्य सुरक्षा पूर्णतया ध्वस्त हो गई।
- कुछ अनुमानों के अनुसार, **श्रीलंका का चावल, चाय और रबर का उत्पादन 90-94% तक रासायनिक आदानों पर निर्भर रहा है।**
- यदि इस तरह का परिवर्तन अवसंरचना और किसानों को मानसिक रूप से तैयार किए बिना शीघ्रता से लागू किया जाता है तो जैविक कृषि लाभ प्रदान करने की बजाय अधिक हानिकारक साबित हो सकती है। साथ ही, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सुनिश्चित करना है कि इसे अपनाने के परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित (परंपरागत कृषि की तुलना में जैविक कृषि की उत्पादकता कम होने के कारण) न हो।

- **युद्ध-जनित मुद्रास्फीति:** रूस-यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध के परिणामस्वरूप **कच्चे तेल, सूरजमुखी तेल और गेहूं की कीमतों में भारी मुद्रास्फीति देखी गई है।**
  - कच्चे तेल की कीमतों में विगत 14 वर्षों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और यह 125 डॉलर प्रति बैरल से अधिक के स्तर पर पहुँच गई।
  - सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के अनुसार, मार्च 2022 में **हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 18.7%** और खाद्य मुद्रास्फीति 30.2% हो गई है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वर्ष 2019 और वर्ष 2018 के क्रमशः 793 मिलियन डॉलर और 1.6 बिलियन डॉलर की तुलना में **वर्ष 2020 में घटकर 548 मिलियन डॉलर हो गया।**
- **कमजोर मुद्रा:** वर्ष 2022 में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले **श्रीलंकाई रुपये में 50% से अधिक की गिरावट** आई है तथा भारतीय रुपये के मुकाबले इसमें 31.6% की गिरावट दर्ज की गई है

श्रीलंका संकट का भारत पर प्रभाव

- **शरणार्थी संकट:** व्यापक शरणार्थी नीति की कमी के कारण, भारत में शरणार्थियों का प्रवेश **आपूर्ति-पक्ष जनित आघात** और श्रम बाजार में **प्रतिस्पर्धा** को बढ़ा सकता है। साथ ही यदि शरणार्थी शिविरों में पर्याप्त स्वच्छता की कमी रही, तो ऐसी स्थिति में वेक्टर जनित और संक्रामक रोगों के उद्भव के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव उत्पन्न हो सकता है।
- **चीन का प्रभाव:** श्रीलंका ने चीन से 2.5 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता की मांग की है, अतः ऐसे में इस बात का खतरा है कि चीन इस **द्वीपीय राष्ट्र में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है।**
- **व्यापार पर प्रभाव:** भारत वैश्विक व्यापार के लिए कोलंबो बंदरगाह पर अत्यधिक निर्भर रहा है क्योंकि यह एक ट्रांस-शिपमेंट हब है। इस प्रकार, कोलंबो बंदरगाह के संचालन में कोई भी व्यवधान भारत को लागत में वृद्धि और संकुलन (Congestion) जैसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील बना सकता है।
  - स्पॉट ट्रेडिंग और विदेशी अनुबंधों पर प्रतिबंध लगाने से श्रीलंका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।
- **विद्रोही समूहों का उदय:** तमिल विद्रोही और **सिंहली समुदाय जैसे असंतुष्ट समूह, संकट के इस दौर में शस्त्र उठा सकते हैं** और श्रीलंका में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
- **निवेश:** इस मौजूदा संकट से इंडियन ऑयल, एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन आदि जैसी कई **भारतीय कंपनियों के निवेश और कार्य संचालन हेतु जोखिम उत्पन्न हो गया है।** यह बदले में इनके राजस्व को प्रभावित करने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

श्रीलंका संकट में भारत की भूमिका

- **उत्पादन बढ़ाना:** भारत आवश्यक दवाओं के उत्पादन में वृद्धि कर सकता है और बाद में श्रीलंका के उद्योगों की क्षमता निर्माण की दिशा में काम करते हुए, **अल्पावधि में भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पाद सुविधाओं का विकास कर सकता है।**
  - अब तक, श्रीलंका द्वारा संपूर्ण फार्मास्युटिकल उत्पादों का 85% आयात किया जाता है, जो उसे कीमतों में वृद्धि के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- **निवेश:** अधिकतम ऋण सीमाएं (क्रेडिट लाइन्स) और मुद्रा विनिमय (करेंसी स्वैप्स) जैसी सुविधाएं श्रीलंका को अपनी तात्कालिक चिंताओं को दूर करने में मदद करेंगी और निवेश तक पहुंच एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने में सहयोग करेगी।
- **चीन का प्रतिरोध:** बीजिंग के साथ कोलंबो का किसी भी प्रकार का मोहभंग **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल' नीति से** श्रीलंकाई द्वीपसमूह को बाहर रखने के भारत के प्रयास को सुगम बनाता है, जैसा कि जाफना प्रायद्वीप में चीनी ऊर्जा परियोजनाओं को निरस्त करने के प्रयास में परिलक्षित हुआ था।
- **वैश्विक निर्यात:** बिगड़ते संकट और उत्पादन तथा शिपमेंट में गिरावट का यह दौर, **भारतीय निर्यातकों को** चाय और वस्त्र जैसे **उत्पादों के निर्यात** एवं बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर प्रदान कर सकता है।

- **रक्षा:** भारत एक प्रशिक्षण दल के साथ श्रीलंका को एक फ्री-फ्लोटिंग डॉक सुविधा और एक डोर्नियर टोही विमान की पेशकश की गई है। इससे **हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।**
- **अवसंरचना:** भारत के पास ऐसे अवसर मौजूद हैं जहां वह **श्रीलंका में अवसंरचना के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन** कर सकता है, जैसा कि उत्तर में मन्नार और पूनेरिन (Pooneryn) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, बंदरगाह विकास आदि द्वारा उल्लेखित किया गया है।
  - भारतीय उद्योग एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं जो पर्यटन से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक की वस्तुओं और सेवाओं में भारत और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ सकते हैं।
- **अतीत के मुद्दों का समाधान:** वर्तमान संकट का उपयोग नई दिल्ली और कोलंबो के लिए एक अवसर के रूप में किया जाना चाहिए ताकि **पाक खाड़ी मत्स्य विवाद का समाधान** निकाला जा सके, जो द्विपक्षीय संबंधों में लंबे समय से बाधा के रूप में विद्यमान रहा है।
  - साथ ही, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान संकट का उपयोग दोनों देशों में तस्करी गतिविधियों और दुर्व्यापार को बढ़ाने के लिए न हो।

निष्कर्ष

श्रीलंका और भारत दोनों के लिए ही तनावपूर्ण संबंधों की उपस्थिति प्रतिकूल हो सकती है। ऐसे में भारत को कोलंबो के घरेलू मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को सतर्कतापूर्वक स्पष्ट करते हुए, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जन-केंद्रित विकासात्मक गतिविधियों के अनुरूप श्रीलंका के साथ और भी अधिक निकटता से जुड़ने की आवश्यकता है।

2.2.1. बाह्य ऋण संकट (External Debt Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना करते हुए, श्रीलंका की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार की गंभीर कमी के कारण अपनी विदेशी सार्वजनिक ऋण की सामान्य ऋण सेवा को निलंबित कर दिया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का बेलआउट पैकेज भी लंबित है।

बाह्य ऋण चूक के बारे में

- **बाह्य ऋण** किसी **देश के ऋण के उस भाग** को संदर्भित करता है, जो **विदेशी उधारदाताओं** जैसे-वाणिज्यिक बैंकों, सरकारों, या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IMF, विश्व बैंक आदि) से ऋण के रूप में लिया जाता है।
- सरकार बाह्य ऋण को **अतिरिक्त व्यय के वित्तपोषण, अतिरिक्त अवसंरचना निर्माण, प्राकृतिक आपदाओं के बाद वित्तीय पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) हेतु, या पुराने बाह्य ऋण के भुगतान** हेतु प्राप्त कर सकती है।
  - जब कोई राष्ट्र किसी ऋण (ऋण या प्रतिभूति) पर **आवश्यक ब्याज या मूलधन का भुगतान** करने में विफल रहता है, तो इसे **बाह्य ऋण चूक (External Debt Default) या संप्रभु चूक (Sovereign Default)** के रूप में जाना जाता है।
- **बाह्य ऋण पर संप्रभु चूक का जोखिम अधिक** होता है, क्योंकि इसे उसी मुद्रा में पुनः भुगतान करना होता है जिसमें इसे ऋण के रूप में लिया गया था। अतः सरकार इस ऋण से बाहर निकलने के लिए **न तो मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है न A1 QAही नए नोट छाप सकती है।**
- ऐसी स्थिति सामान्यतः **आर्थिक कुप्रबंधन, अत्यधिक ऋण भार, आर्थिक गतिहीनता, राजनीतिक अस्थिरता या बैंकिंग संकट जैसे कारकों** के संयोजन से होती है।

बाह्य ऋण चूक के परिणाम

श्रीलंका पर लगभग कुल **51 बिलियन डॉलर** का विदेशी ऋण है। श्रीलंका द्वारा डिफ़ॉल्ट किए गए ऋणों में सभी अंतर्राष्ट्रीय बांड, सेंट्रल बैंक और एक विदेशी केंद्रीय बैंक के मध्य स्वैप को छोड़कर सभी द्विपक्षीय ऋण, वाणिज्यिक बैंकों और संस्थागत उधारदाताओं से लिए गए सभी ऋण शामिल हैं। राष्ट्र पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं जैसे:

- **आर्थिक घटकों पर प्रभाव:**
  - आगामी वर्षों के लिए उधारदाताओं द्वारा परिसंपत्तियों के भविष्योन्मुखी निर्गमन को रोकने और ऋण बाजारों तक पहुंच में कमी होने के कारण **आर्थिक मंदी या मुद्रा अवमूल्यन** का सामना करना पड़ सकता है।
  - **रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन रेटिंग को कम** (डाउनग्रेड) किया जा सकता है, जिससे आगे भविष्य में फंड जुटाने की क्षमता और विदेशी निवेश आकर्षित करने की क्षमता और कम हो सकती है।
  - उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए **ब्याज दरों में वृद्धि**, कम निवेश के कारण निम्न आर्थिक विकास का कारण बन सकती है।

* **बुनियादी स्तर के आर्थिक परिदृश्य पर प्रभाव:**
    * अनिवार्य वस्तुओं के लिए नागरिकों की लंबी कतारें देखी जा सकती है, इसके साथ ही श्रीलंका खाद्य, तेल, फार्मास्यूटिकल्स आदि जैसी **आवश्यक वस्तुओं का भी आयात करने में असमर्थ** है।
    * उच्च मुद्रास्फीति और लोगों की बचत क्षमता के कम हो जाने के कारण **जीवन यापन करने की लागत में वृद्धि** हुई है।
    * **कठोर मितव्ययी उपाय अपनाने के कारण नौकरियों का नुकसान और स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर कम व्यय** किया जा रहा है।
* **राजनीतिक-आर्थिक संबंधों पर प्रभाव:**
    * यह देश में **वित्तीय संस्थाओं के पतन या राजनीतिक अशांति** का कारण बन सकता है, जो गृहयुद्ध या क्रांति में परिवर्तित हो सकता है।
    * वर्तमान स्थिति विदेशी और घरेलू लेनदारों के विश्वास को कम करती है, जिससे **ऋण को पुनर्वित्त करना अधिक कठिन और महंगा** हो जाता है।

बाह्य खातों का दबाव; भारत से सबक

* अपने उच्च राजकोषीय घाटे और व्यापार असंतुलन के बावजूद, भारत का शून्य संप्रभु चूक का इतिहास रहा है।
* अब तक भारत के सम्मुख उत्पन्न हुए सबसे गंभीर आर्थिक संकट हैं- **भुगतान संतुलन संकट** (वर्ष 1991) और **एशियाई वित्तीय संकट** (वर्ष 1997) - राजनीतिक अनिश्चितताओं, तनावपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार, उच्च ब्याज दरों और बैड लोन की समस्याओं के कारण।
* इन आंतरिक और वाह्य चुनौतियों से निपटने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास अन्य देशों को कई सबक प्रदान करते हैं, जैसे:
    * **आधारभूत बातों और निष्पादन वृहत चरों** जैसे-संवृद्धि दर, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटे को कम करने की रूपरेखा जैसे कि FRBM अधिनियम, 2003 आदि **पर ध्यान केंद्रित करना।**
    * **ऋण-जीडीपी अनुपात में विदेशी ऋण का हिस्सा कम रखना।** (मार्च 2021 के अंत तक 21.1%)
    * संप्रभु विदेशी ऋण के अलावा निजी क्षेत्र के अल्पकालिक ऋण सहित कुल विदेशी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त **विदेशी मुद्रा भंडार रखना।**
    * गैर-ऋण सृजन प्रवाहों को प्राथमिकता देना।
    * उच्च पुनर्भुगतान के लिए **उच्च ऋण सेवा अनुपात** (2021 में 8.2)।
        * ऋण सेवा अनुपात **किसी देश के ऋण सेवा भुगतान (मूल + ब्याज) का उसकी निर्यात आय से अनुपात है।**

आगे की राह

बाह्य ऋण चूक पर नियंत्रण पाना और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकना विभिन्न राष्ट्रों की बाह्य ऋण के दुष्चक्र से दूर रहने की क्षमता पर निर्भर करता है, अर्थात्, राष्ट्रों को निरंतर ऋण लेने के चक्र, भुगतान के भार का संचय करने और अंतिम चूक आदि से बचना चाहिए। यह निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जा सकता है:

* **संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना,** अर्थात् सुदृढ़ और सतत विकास के लिए राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को राजकोषीय समेकन और कठोर मौद्रिक नीति के माध्यम से कम करना चाहिए।
* आर्थिक रूपांतरण के माध्यम से **भुगतान संतुलन को पुनर्बहाल** (Restoring) करते हुए आयात को कम करने (विदेशी भंडार के संरक्षण के लिए) और निर्यात में वृद्धि करने (विदेशी भंडार को बढ़ाने के लिए) पर बल देना चाहिए।
    * इसमें गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात के साथ-साथ अन्य आयातित वस्तुओं पर उच्च कर लगाना सहायक हो सकता है।
* घरेलू राजस्व संग्रहण को मजबूत करते हुए **ऋण स्थिरता को पुनर्बहाल करना** और विकास पर निरंतर निगरानी रखना जो विनिमय बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
    * उदाहरण के लिए, मुद्रा के मूल्यह्रास से बैंकों की बैलेंस शीट पर पड़ने वाले प्रभाव की निगरानी रखना।
* सुधारों और निवेशों के माध्यम से **प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में वृद्धि करना।** उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच उच्च उत्पादकता के लिए कृषि में निवेश करना।
* अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और देश की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सभी जोखिमों को कवर करने के लिए **विवेकपूर्ण विनियमों को मजबूत करना।**
* लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए और भ्रष्टाचार,अपर्याप्त निवेश आदि जैसे मुद्दों से बचने के लिए **पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु सुदृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।** लोगों के विश्वास से प्रवासी विप्रेषण/सहायता में वृद्धि हो सकती है।

2.3. भारत-जापान संबंध (INDIA-JAPAN RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों द्वारा **नई दिल्ली में आयोजित 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया।** वर्ष 2022 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ भी है।

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु

पहल/सहयोग	विशेषताएं
स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (CEP)	• **इसे सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने,** जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग हेतु वर्ष 2007 में स्थापित **'भारत-जापान ऊर्जा वार्ता'** के दायरे के तहत शुरू किया गया था।
संयुक्त क्रेडिट तंत्र (JCM)	• इसे **पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। यह अनुच्छेद विकासशील देशों को निजी पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करने से संबंधित है।** ○ पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 मानता है कि कुछ पक्ष अपने शमन और अनुकूलन कार्यों में उच्च महत्वाकांक्षा की अनुमति देने तथा संधारणीय विकास और पर्यावरणीय शुद्धता को बढ़ावा देने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक सहयोग का चयन करते हैं।
संधारणीय विकास	• दोनों देशों ने विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन, कुशल परिवहन प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे सतत शहरी विकास पर **सहयोग ज्ञापन (MoC)**[4] पर हस्ताक्षर किए।
जलवायु पहल	• जापान भारी उद्योग की दिशा में अवस्थांतर को बढ़ावा देने के लिए **भारतीय-स्वीडिश जलवायु पहल 'उद्योग अवस्थांतर के लिए नेतृत्व समूह (LeadIT)'** में शामिल होगा। • **LeadIT** कम कार्बन अवस्थांतर को बढ़ावा देने के लिए एक स्वैच्छिक पहल है, विशेष रूप से लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम, आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में।
पूर्वोत्तर भारत का विकास	• दोनों पक्षों ने **'भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सतत विकास पहल'** शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें वर्तमान में कार्यान्वित परियोजनाएं तथा कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में संभावित भावी सहयोग संबंधी पहलें शामिल हैं। साथ ही इसके तहत बांस मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की पहल भी शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट	• भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023-2024 की अवधि के लिए UNSC में एक अस्थायी सीट के लिए **जापान की उम्मीदवारी के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है।**
निवेश	• जापान अगले पांच वर्षों में **भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश** करेगा। दोनों पक्ष **मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर** पर 'वन टीम-वन प्रोजेक्ट' के रूप में कार्य कर रहे हैं।
साइबर सुरक्षा	• सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सहयोग के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

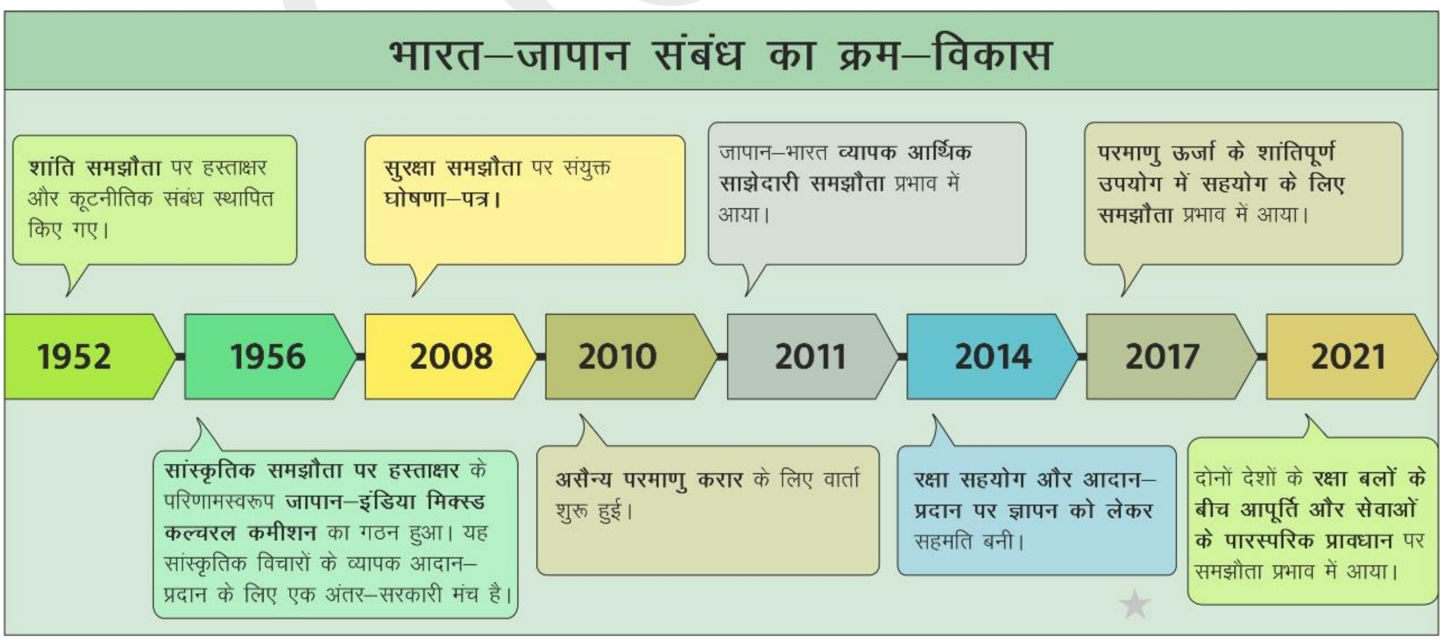

[4] Memorandum of Cooperation

भारत-जापान संबंधों का महत्व

- **बहुपक्षीय सहयोग**: दोनों देश **क्वाड, G20 और G4** का हिस्सा हैं। साथ ही दोनो वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
    - G20 में अर्जेंटीना, **ऑस्ट्रेलिया**, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, **भारत**, इंडोनेशिया, इटली, **जापान**, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और **संयुक्त राज्य अमेरिका** शामिल हैं।
    - G4 **ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान** का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्य बनने हेतु प्रयासरत हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** जापान भारत के लिए सबसे बड़ा **आधिकारिक विकास सहायता (ODA) भागीदार** है।
    - वर्ष 2011 में, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार में विकास को सुगम बनाना के लिए एक **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)** पर हस्ताक्षर किए थे।
    - वर्ष 2019-20 के दौरान, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल **11.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा है।
    - वर्ष 2020 में, **भारत जापान के लिए 18वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** था। साथ ही, **जापान भारत के लिए 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** था।
    - इससे पहले, भारत और जापान ने **मुद्रा विनिमय समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे।

- **रक्षा सहयोग**: दोनों देश **द्विपक्षीय अभ्यास** में संलग्न हैं- धर्म गार्जियन (थल सेना), शिन्यू-मैत्री (वायु सेना), JIMEX (नौसेना)।
    - वर्ष 2015 से **मालाबार अभ्यास** में भारत और अमेरिका के साथ जापान भी स्थायी भागीदार के रूप में शामिल हो गया है।
    - दोनों देशों ने द्विपक्षीय अभ्यास और प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों और अन्य मानवीय गतिविधियों के दौरान आपूर्ति और सेवाओं का आदान-प्रदान करने के लिए **एक्विजिशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA)** पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **रणनीतिक सहयोग:** जापान सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर समुद्री डोमेन, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और आपदा रोकथाम और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बैंकॉक में **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)**[5] में वर्ष 2019 में घोषित **इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI)**[6] का स्वागत करता है।
    - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए,** दोनों देशों ने सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (SCRI) शुरू की। इस पहल का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों की पहचान करके और देशों के मध्य पूरकताओं का मानचित्रण करके व्यापार सुविधा को बढ़ावा देना है।
    - दोनों देशों के बीच **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)**[7] को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी**: **भारतीय आई.टी. पेशेवरों के लिए डिजिटल परिवर्तन और अवसरों** के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमता, इंटरनेट ऑफ थिंगस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-जापान डिजिटल साझेदारी सुचारू रूप से जारी है।

---

[5] East Asia Summit
[6] Indo-Pacific Ocean's Initiative
[7] Asia-Africa Growth Corridor

- **ऐतिहासिक संबंध**: माना जाता है कि जापान और भारत के बीच आदान-प्रदान **छठी शताब्दी में अर्थात जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत** के साथ प्रारंभ हुई थी। बौद्ध धर्म के माध्यम से परिवर्तित भारतीय संस्कृति का जापानी संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा है, और यह जापानी लोगों की भारत से निकटता की भावना का स्रोत है।

भारत-जापान संबंधों के संबंध में चिंताएं

- **व्यापार**: सामरिक साझेदारी को मजबूत आर्थिक संबंधों की आवश्यकता है क्योंकि वर्ष 2017 में भारत-जापान का व्यापार लगभग 15 बिलियन डॉलर था जो कि चीन के साथ व्यापार का एक चौथाई है। जबकि जापान-चीन व्यापार लगभग 300 बिलियन डॉलर है।
    - **भारत से जापान को सेवाओं के निर्यात में बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में** भाषाई बाधाएं, जापान की अनूठी औद्योगिक संगठन प्रणाली, लंबी वीजा प्रक्रियाएं, पारस्परिक मान्यता समझौतों की कमी आदि शामिल हैं।
- **एशिया और अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) के संबंध में संशयवाद:** अफ्रीकी देशों के साथ कमजोर आर्थिक और सैन्य जुड़ाव स्थिर वातावरण के लिए एक चुनौती है। एशिया और अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इसी स्थिर वातावरण पर निर्भर करता है।
- **विभिन्न हित**: व्यापार घाटे और घरेलू विरोध को देखते हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से भारत का बाहर निकलना आवश्यक था। लेकिन जापान के दृष्टिकोण से, RCEP में भारत की वापसी से भारत-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी सैन्य उपस्थिति के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने में योगदान मिलेगा।
- **सामान्य आधार**: भारत और जापान के संबंधों के विकास का आधार चीन का बढ़ता प्रभाव है न कि पारस्परिक आधारों जैसे- व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग आदि।
- **लंबित परियोजनाएं**: द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में प्रगति के बावजूद, अहमदाबाद और मुंबई के बीच प्रमुख बुलेट ट्रेन परियोजना अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

आगे की राह

- **निवेश**: बेहतर लॉजिस्टिक्स, एक अधिक खुली, स्थिर और सुसंगत व्यापार नीतिगत प्रणाली और **'केंद्रीकृत सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम'** की स्थापना से जापानी निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ेगा।
- **मजबूत व्यापार:** दोनों नेताओं को द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। साथ ही इनके द्वारा मौजूदा तंत्र के माध्यम से CEPA के कार्यान्वयन की समीक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **चीन का प्रत्युत्तर**: वार्षिक त्रिपक्षीय **मालाबार अभ्यास**, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, एक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है जहां तीन राष्ट्र इस क्षेत्र में चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए सैन्य रूप से गठबंधन कर सकते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत भागीदारी विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जैसे कि **हरित ऊर्जा भागीदारी** के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा विनिर्माण और एम.एस.एम.ई. क्षेत्रों में **नई अभिनव साझेदारी बनाना।**

2.4. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (INDIA-AUSTRALIA RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के मध्य **दूसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन का** आयोजन किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य:

- इस शिखर सम्मेलन से पूर्व 2020 में पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में **द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP)[8] तक बढ़ा दिया** गया था।
- दोनों देशों ने **राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, साइबर, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति** की है।
- इस शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप **CSP के तहत दोनों देशों की सरकार के प्रमुखों के स्तर पर वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित** करने का निर्णय लिया गया है।

[8] Comprehensive Strategic Partnership

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हालिया विकास

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं	
आर्थिक और व्यापारिक सहयोग	• दोनों देश CSP के तहत **प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित** करने पर सहमत हुए। • दोनों देश आर्थिक सुरक्षा के लिए **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA)** को शीघ्र ही अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। • **भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष और ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर फंड** के बीच सहयोग बढ़ाना, जो एक सॉवरेन वेल्थ फंड है। • **पर्यटन सहयोग पर भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन** का नवीनीकरण।
जलवायु, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग	• ऑस्ट्रेलिया, **स्वच्छ प्रौद्योगिकी, समुद्री नौवहन, आपदा प्रत्यास्थता, सूचनाओं के आदान-प्रदान और नवाचार** जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए **280 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर** से अधिक पूंजी का निवेश करेगा। • **ऑस्ट्रेलिया-भारत सामरिक अनुसंधान कोष (AISRF)** का विस्तार- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पर सहयोग का एक स्तंभ है। • महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए **ऑस्ट्रेलियाई महत्वपूर्ण खनिज परियोजना** के संदर्भ में खनिज बिदेश भारत और ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिज सुविधा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। • भारत-ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों द्वारा साइबर फ्रेमवर्क वार्ता के उद्घाटन के माध्यम से **साइबर प्रशासन, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण,** साइबर अपराध, डिजिटल अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग का निर्णय लिया गया है। • बेंगलुरु में **महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी नीति के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित** करने के लिए समझौता किया गया।
लोगों के मध्य परस्पर संबंध	• उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए योग्यता की मान्यता के लिए व्यवस्था में सुधार और रोजगार के अवसरों का समर्थन करने के लिए **शिक्षा योग्यता मान्यता पर कार्यबल** की स्थापना।
कोविड-19 सहयोग	• विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते कोविड-19 टीकों, उपचारों और महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के लिए **निष्पक्ष, समय पर और समान पहुंच** को बढ़ावा देना।
सुरक्षा और रक्षा सहयोग	• सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण के अवसरों में सुधार और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए **युवा रक्षा अधिकारी आदान-प्रदान कार्यक्रम** का प्रारंभ।

क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग	• क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने, अपने सकारात्मक और महत्वाकांक्षी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए **क्वाड के सदस्यों के बीच सहयोग** को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।
	  ○ **क्वाड, अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें चार देश (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान)** शामिल हैं। ये देश एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं।
	  ○ क्वाड की पहली बैठक 2007 में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के दौरान किंतु पृथक रूप से हुई थी।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

- **आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA):** इस पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। एक दशक से अधिक समय के बाद **एक विकसित देश के साथ भारत का यह पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।**
  - इस समझौते से **वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार पांच वर्षों में $27 बिलियन से $45-50 बिलियन तक बढ़ने** की संभावना है। साथ ही इससे भारत में दस लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगी।

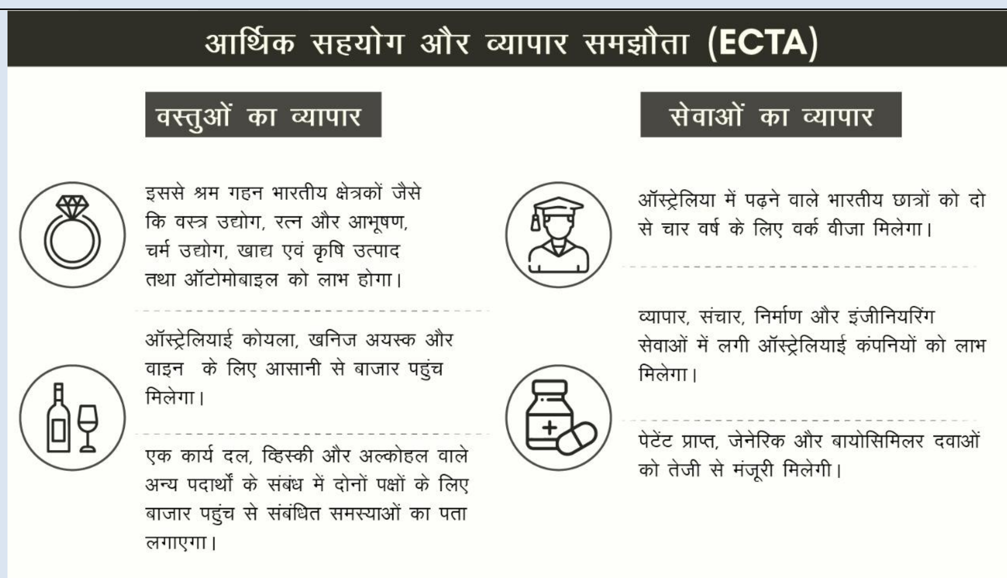

- **स्टडी ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम (SAIEP):** इसे ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग द्वारा शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में वर्तमान भारतीय छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- **मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम:** ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री द्वारा भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया के विश्व-प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए **चार वर्षों में 11 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक की राशि प्रदान** करने की घोषणा की गई है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का महत्व

- **व्यापार: ऑस्ट्रेलिया, भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है, जबकि **भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा भागीदार** है।
- **खनिज और कृषि:** भारत ने **ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ संयुक्त रूप से $6 मिलियन का निवेश** करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह निवेश ऑस्ट्रेलिया में **लिथियम और कोबाल्ट के खदानों** की खोज करने के लिए किया जाएगा। इस कदम से भारत को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी योजनाओं के लिए प्रमुख खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
    - o 2021 में **भारत-ऑस्ट्रेलिया अनाज साझेदारी** की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का उपयोग कर ग्रामीण अनाज भंडारण तथा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके परिणामस्वरूप नुकसान और अपव्यय को कम किया जा सकता है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** CSP आपसी समझ, विश्वास, सामान्य हितों, लोकतंत्र के साझा मूल्यों और विधि के शासन पर आधारित है। साथ ही यह कोविड-19 जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **बहुपक्षीय भागीदारी:** ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। दोनों देश **क्वाड, G-20, IOR-ARC तथा आसियान क्षेत्रीय मंच, जलवायु और स्वच्छ विकास पर एशिया प्रशांत भागीदारी**[9] के सदस्य हैं।
    - o 2021 में, जापान के साथ दोनों देशों ने इस क्षेत्र में सतत, संतुलित और समावेशी विकास के लिए सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव **(SCRI)** की शुरुआत की है।
- **रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा: आस्ट्रेहिंद आसीइंडेक्स, जैसे रक्षा अभ्यास सैन्य अंतर-संचालन को बढ़ाते** हैं। साथ ही ये आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
    - o 2014 में, दोनों देशों ने **असैनिक परमाणु सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से भारत को यूरेनियम की बिक्री का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस प्रकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं को दूर किया गया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों से जुड़ी चुनौतियां

- **व्यापार के मुद्दे:** दोनों देशों के बीच CECA के लिए बातचीत 2011 में शुरू हुई थी ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। फिर भी, दोनों पक्ष निकट समय में **द्विपक्षीय CECA को अंतिम रूप देने से 'बहुत दूर'** हैं।
- **भारत की परमाणु स्थिति:** हालांकि भारत द्वारा 2014 में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के कारण भारत की परमाणु शक्ति के रूप में रक्षा संबंध अभी अवरोधित हैं।
- **कृषि:** भारत, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ऑस्ट्रेलियाई डेयरी क्षेत्र से भारतीय उत्पादों की रक्षा के लिए संवेदनशील डेयरी और कृषि वस्तुओं को भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए से बाहर रख रहा है।
- **इंडो-पैसिफिक की धारणा:** कोई सुसंगत इंडो-पैसिफिक रणनीति नहीं है क्योंकि देशों के पास इस क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। इसे बड़े पैमाने पर चीन के उदय को रोकने के लिए वैश्विक निर्माण के रूप में देखा जाता है।

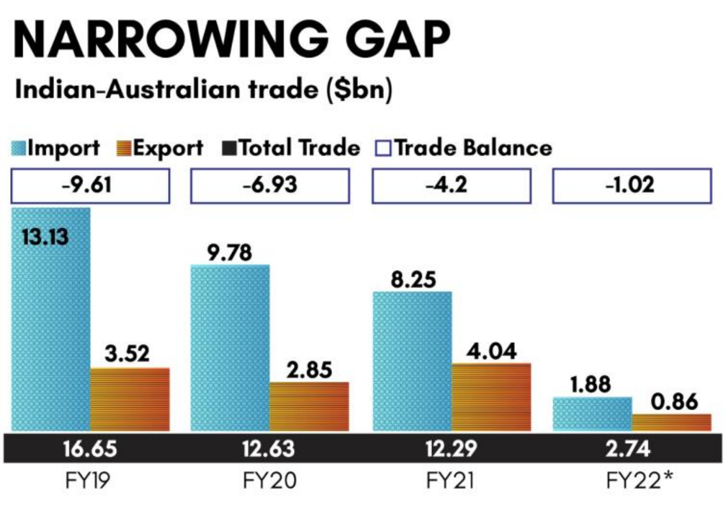

आगे की राह

- **साझा हित:** दोनों पक्षों को एक व्यापक साझा इंडो-पेसिफिक विजन तैयार करने की आवश्यकता है जो समावेशिता, पारदर्शिता, खुलेपन और नियम-आधारित व्यवस्था को सुनिश्चित करता हो। दोनों पक्षों को बढ़े हुए सहयोग के लाभों को समान रूप से साझा करना चाहिए।

[9] Asia Pacific Partnership on Climate and Clean Development

 ©Vision IAS

- **आर्थिक सहयोग:** भारत को शासन स्तर पर मौजूद विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा और त्वरित भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। असीमित व्यापार क्षमता का दोहन करने के लिए CECA को तुरंत अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।
- **समुद्री सीमा सुरक्षा पर एक साथ मिलकर कार्य करना:** आतंकवादी गतिविधियों और अन्य खतरों के विरुद्ध समुद्री सीमाओं की सुरक्षा एक प्रमुख साझा चिंता है। दोनों देशों को हिंद महासागर में समुद्री खतरों की पहचान करने के लिए प्रणालियों को अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए दोनों देशों को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
- **मानवीय और आपदा राहत पर बल देना:** दोनों पक्षों को पूर्वी हिंद महासागर में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अन्य संबंधित देशों के साथ एक सहकारी प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय समूहों में सहयोग करना:** हिंद महासागर रिम-एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC) और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) समूहों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दोनों देशों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को **सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल में भी सहयोग** करना चाहिए।

2.5. भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (India-UAE CEPA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मध्य व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)** के अनावरण की घोषणा की है।

व्यापार समझौतों (TAs) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के बारे में

- व्यापार समझौता (TAs) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से देश एक-दूसरे के साथ तरजीही (प्रेफरेंशियल) व्यवहार को बनाए रखते हैं।
- यह व्यापार, पूंजी प्रवाह और श्रम के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करके व्यापार को सुगम बनाने में मदद करता है।
- CEPA अर्थात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, यह व्यापक व्यापार समझौते का ही एक रूप है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - व्यापार शुल्क और टैरिफ दर कोटा (TQR) दरों पर समझौता,
  - **सेवाओं और निवेश में व्यापार,**
  - व्यापार के **नियामक पहलुओं सहित आर्थिक भागीदारी के अन्य क्षेत्र** जैसे सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)।
- भारत पहले ही **जापान और दक्षिण कोरिया** के साथ CEPA समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है।

भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता और इसका महत्व

50 वर्षों के **मजबूत द्विपक्षीय संबंधों** की नींव पर विकसित, यह पिछले दशक में किसी भी प्रमुख व्यापारिक भागीदार के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित **पहला सुदृढ़ और पूर्ण** मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।

- यह आर्थिक और व्यापार संबंधों के प्रचार और विकास के लिए एक **अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है** क्योंकि इसमें क्रमशः भारत (11,908 टैरिफ लाइन) और संयुक्त अरब अमीरात (7581 टैरिफ लाइन) द्वारा लागू किए गए लगभग सभी टैरिफ लाइनें शामिल हैं।
  - यह उन **टैरिफ लाइनों** को प्रभावी बनाएगा और उनसे लाभावांतित करने में मदद करेगा जो मूल्य की दृष्टि से संयुक्त अरब अमीरात को **किए जाने वाले भारतीय निर्यात के 99%** हेतु उत्तरदायी रहे हैं। वर्तमान में, भारतीय उत्पादों पर **5% आयात शुल्क** आरोपित किया जाता है।
  - भारत अपनी **90%** से अधिक **टैरिफ लाइनों** पर **UAE** को तरजीह (अधिमान्य) पहुंच प्रदान करेगा।
- **यह जनकल्याणकारी उद्देश्यों की रक्षा करने मदद करता है,** जैसे- स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जीवित या निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि।
  - भारत-**UAE** व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत व्यापार के सभी पहलुओं को कवर किया गया है जैसे- **वस्तु व्यापार (Trade in Goods), उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin), सेवाओं में व्यापार, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (TBT), स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) उपाय, विवाद निपटान, सरकारी खरीद, IPR** आदि।
- यह निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले उत्पादों के लिए 90 दिनों में स्वचालित पंजीकरण सुविधा और विपणन प्राधिकरण के माध्यम से भारतीय **फार्मास्युटिकल उत्पादों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा।**
- यह न केवल सदस्य देशों के बीच बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए भी आर्थिक लाभों के साथ-साथ अधिक से अधिक **क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा** देने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए:

- यह भारत को **खाड़ी सहयोग परिषद** और **मध्य-पूर्व के देशों** साथ ही **अफ्रीका**, **CIS देशों** और कुछ **यूरोपीय देशों** के **बाजारों में प्रवेश हेतु अवसर प्रदान** करेगा।
- यह लागत कम करने और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने के लिए कुशल एवं पारदर्शी सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर **विश्व व्यापार** के **सामंजस्यपूर्ण विकास** और **विस्तार का समर्थन** करता है।
  - यह भारत को वर्ष **2030 तक 1 ट्रिलियन** डॉलर के माल निर्यात के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- भारत के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात में भी **रोजगार के नए अवसर का सृजन करेगा** जिसमें लोगों के जीवन स्तर और लोक कल्याण का उन्नयन शामिल है।
  - वर्तमान में लगभग **3 मिलियन** प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में निवास करते हैं।

चुनौतियाँ

हालांकि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के संबंध में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के निस्तारण हेतु प्रयास करना होगा:

आगे की राह

भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते ने महामारी के कारण क्षतिग्रस्त हुए **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं** और **वैश्विक कौशल गतिशीलता** को बहाल करने के लिए भारत को अवसर प्रदान किए हैं। हालांकि भारत इन अवसरों का निम्नलिखित रूप से लाभ उठा सकता है:

- तीव्र अनुपालन और व्यापार सुगमता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन की **क्षमताओं में वृद्धि** किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय वस्तुतः बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रसद लागत के मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है।
- गुणवत्ता निर्माण के लिए वैश्विक मानकों के साथ घरेलू सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का निर्धारण किया जाना और भारत में निम्न गुणवत्ता वाले खतरनाक वस्तुओं की डंपिंग से बचना चाहिए।
- **बाजार** और **उत्पादों** एवं **सेवाओं** के संदर्भ में **भारतीय निर्यात में विविधता** लाने एवं मांग और मूल्य संवेदनशीलता के मुद्दों को दूर करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।
- संयुक्त अरब अमीरात के बाजार और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए **निर्यातकों और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत** किया जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशनों और भारतीय समुदाय (डायस्पोरा) का उपयोग बाजार जागरूकता और नेटवर्क बनाने में किया जा सकता है।

भारत के लिए FTAs से जुड़ी चुनौतियां

FTAs का कम उपयोग

कई अनुमानों के अनुसार, भारत विभिन्न देशों या ग्रुपिंग के साथ संपन्न FTAs से 25% से भी कम लाभ उठा पाया है:

- FTA वाले देशों को भारत के समग्र निर्यात वृद्धि में बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।
- भारत से निर्यात की तुलना में भारतीय आयात में अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, साउथ कोरिया और जापान के साथ CEPA के बाद व्यापार घाटा बढ़ा (केवल श्रीलंका के साथ FTA को छोड़कर) है।

FTAs की विसंगतियां

- व्यापार समझौतों की बहुलता भी एक अन्य समस्या है। उदाहरण के लिए, भारत के सिंगापुर, मलेशिया और साथ ही आसियान के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं। इससे दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- कई सारे विकसित देश गैर–प्रशुल्क बाधाओं का उपयोग कर भारतीय निर्यात को हतोत्साहित करते हैं। इन गैर–प्रशुल्क बाधाओं में शामिल हैं– उत्पाद के मानक, स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Sanitary and Phyto-Sanitary) उपाय आदि।

अन्य समस्याएं

- दूसरे देशों के बाजार, और उनके साथ संपन्न FTAs के लाभ के बारे में कॉर्पोरेट के बीच जागरूकता का अभाव है।
- पारस्परिक मान्यता पर आधारित समझौतों के कारण, भारत के निर्यात संबंधी मजबूत पक्षों, जैसे कि सेवाओं पर कम ध्यान देना।
- घरेलू सुरक्षा और गुणवत्ता का निम्न मानक।
- रूल्स ऑफ ऑरिजिन के संबंध में अन्य देशों से होने वाले निर्यात पर निम्नस्तरीय निगरानी और अन्य प्रशासनिक समस्याएं।

आपूर्ति पक्ष के अवरोध

निम्नलिखित से संबंधित घरेलू समस्याएं:

- लॉजिस्टिक लागत का उच्च होना, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आती है।
- ऊर्जा की कमी और निम्नतर व्यापार सुगमता।
- मूल्य परिवर्तन और वैश्विक मांग के प्रति भारतीय निर्यात का अत्यधिक संवेदनशील होना।

2.6. भारत की आर्कटिक नीति (India's Arctic Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा **'भारत और आर्कटिक: सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण'** शीर्षक से भारत की आर्कटिक नीति जारी की है।

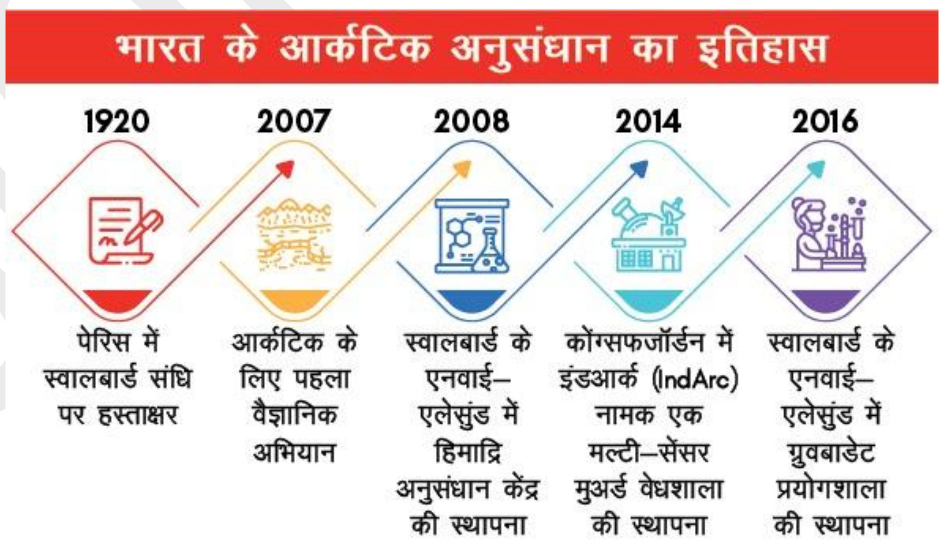

नीति के बारे में

- **भारत की आर्कटिक नीति-दृष्टिकोण:**
  - **आर्कटिक परिषद में** भारत की **भागीदारी** को बढ़ाना।
  - **ध्रुवीय अनुसंधान** को तीसरे ध्रुव-हिमालय के साथ **सुसंगत करना**।
  - विभिन्न आर्कटिक मंचों के माध्यम से भारत और आर्कटिक क्षेत्र के देशों के बीच **सहयोग को सुदृढ़ करना**।
  - भारत के आर्थिक, सैन्य और सामरिक हितों पर **आर्कटिक में बर्फ के पिघलने** के प्रभावों का **बेहतर विश्लेषण, भविष्यवाणी और समन्वित नीति-निर्माण में योगदान** देना।
- इस नीति में **अकादमिक, अनुसंधान समुदाय, व्यवसाय और उद्योग सहित कई हितधारक** शामिल होंगे।
- गोवा में **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (NCPOR)**, **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम के लिए नोडल संस्थान है, जिसमें आर्कटिक अध्ययन शामिल है।
- भारत की आर्कटिक नीति छह स्तंभ निर्धारित करती है:

नीति के छह स्तंभ और उसके उद्देश्य					
विज्ञान एवं अनुसंधान	**जलवायु एवं पर्यावरणीय सुरक्षा**	**आर्थिक एवं मानव विकास**	**परिवहन एवं संपर्क**	**प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	**राष्ट्रीय क्षमता निर्माण**
• हिमाद्री में मौजूदा **अनुसंधान आधार को सुदृढ़ बनाना।** • अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए **अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।** • जियो-इंजीनियरिंग, कोल्ड बायोलॉजी, और माइक्रोबियल विविधता जैसे विषयों में **मौजूदा विशेषज्ञता को संरेखित और दोहन करना।** • ध्रुवीय कक्षाओं में भारतीय उपग्रहों के इष्टतम उपयोग के लिए आर्कटिक में **उपग्रह ग्राउंड स्टेशन स्थापित करना।** • आर्कटिक में **सुदूर संवेदन क्षमता** का विस्तार करना और **भूमि** और **जल प्रबंधन** के लिए **भारत के रिसोर्ससैट डेटा** को पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझाकरण के लिए आर्कटिक देशों के साथ जुड़ना।	• मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों का समर्थन करने के लिए **पृथ्वी प्रणाली मॉडलिंग को बेहतर बनाने** के लिए भागीदारों के साथ जुड़ना। • **आर्कटिक-मीथेन उत्सर्जन में पर्यावरण प्रबंधन** में योगदान देना। • क्षेत्र में वैज्ञानिक और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते हुए **उच्च पर्यावरणीय मानकों के उपयोग को बढ़ावा देना।** • **संयुक्त राष्ट्र SDGs** को पूरा करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र के साथ **भारत के जुड़ाव को बढ़ाना।** • आर्कटिक परिषद के कार्यकारी समूहों के साथ जुड़ें-**आर्कटिक वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण** और **आर्कटिक समुद्री पर्यावरण का संरक्षण** करना, ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रकृति-आधारित समाधान और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।	• **प्राकृतिक संसाधनों** और खनिजों के **उत्तरदायित्वपूर्ण अन्वेषण के अवसरों की खोज करना।** • आर्कटिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में **निवेश के लिए अवसरों की पहचान** करना। • हिमालय और आर्कटिक के हिमनद क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों के बीच **सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान** करना। • क्रायोस्फीयर क्षेत्र में **सुरक्षित बीज भंडारण सुविधाओं का विकास** करना। • **ई-कॉमर्स को बढ़ावा** देने के लिए आर्कटिक देशों के साथ **डिजिटल भागीदारी स्थापित करना।** • आर्कटिक क्षेत्र में स्थायी पर्यटन में भारत की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। • औषधियों **की पारंपरिक प्रणालियों** में सहयोग को बढ़ावा देना।	• जिनके पास प्रासंगिक विशेषज्ञता हो, उन भागीदारों के साथ **जहाज निर्माण के क्षेत्र में सहयोग** करना। • आर्कटिक पारगमन में लगे चालक दल के जहाजों में **भारतीय नाविकों के लिए अवसरों को बढ़ावा देना।** • अंतर्राष्ट्रीय **उत्तर-दक्षिण गलियारे को एकीकृत गहरे जल प्रणाली के साथ जोड़ने** की दिशा में कार्य करना और आगे इसका आर्कटिक तक विस्तार करना।	• आर्कटिक क्षेत्र में **जटिल प्रशासनिक संरचनाओं की समझ में सुधार** करना। • आर्कटिक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संधि** ढांचे में सक्रिय रूप से भाग लेना। • आर्कटिक में **सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा** देना। • **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन** करना विशेष रूप से UNCLOS से संबंधित जिसमें अधिकार और स्वतंत्रता शामिल है। • आर्कटिक राष्ट्र, **विशेषज्ञ निकाय और संगठनों में अंतर- सरकार वाद को बढ़ावा देना।**	• **संस्थागत और मानव संसाधन** क्षमताओं को मजबूत करना। • हिम-वर्ग (आइस-क्लास) मानकों के जहाजों के निर्माण में **स्वदेशी क्षमता का निर्माण।** • NCPOR को सुदृढ़ करके आर्कटिक से संबंधित अनुसंधान **क्षमता और जागरूकता का विस्तार करना।** • आर्कटिक क्षेत्र में खनिज, तेल और गैस, ब्लू-बायो इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में **विशेषज्ञों का विस्तृत दल** तैयार करना। • समुद्री बीमा के क्षेत्र में **भारत के प्रशिक्षित जनशक्ति का विस्तार करना।**

आर्कटिक नीति की आवश्यकता

- **बढ़ता समुद्री स्तर:** ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ-भूमि की हानि वैश्विक समुद्री जल-स्तर में वृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, इसका समुद्री जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
    - 1971 से 2019 तक, आर्कटिक बर्फ का आवरण और आर्कटिक-समुद्री बर्फ का विस्तार क्रमशः 21 प्रतिशत और 43 प्रतिशत तक कम हो गया है।
- **हिमालय में हिमनदों का पिघलना:** यह वैज्ञानिक समुदाय को हिमालय में हिमनदों के पिघलने को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का स्रोत हैं, जिनकी घाटी लगभग 600 मिलियन की आबादी का पोषण करती है।
- **मानसून:** आर्कटिक में परिवर्तन का भारतीय मानसून सहित वैश्विक मौसम, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जो कृषि को प्रभावित करता है, यह लगभग 58 प्रतिशत आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान देता है।

- **खनिज संसाधन और हाइड्रोकार्बन:** भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों और सामरिक एवं दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की कमी को संभावित रूप से प्रतिपूर्ति करने के लिए, चूंकि आर्कटिक क्षेत्र में कोयले, जिप्सम और जस्ता, सीसा, प्लेसर गोल्ड आदि के पर्याप्त भंडार हैं।

भारत के लिए आर्कटिक का महत्व

- **आर्कटिक परिषद:** 2013 से, **भारत इसका एक पर्यवेक्षक राष्ट्र रहा है** और यह मानता है कि सभी मानव गतिविधि संधारणीय, जिम्मेदार, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए।
- **संपर्क: उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR)** जो उत्तरी अटलांटिक को उत्तरी प्रशांत से- उत्तर में यूरोप को एक छोटे ध्रुवीय चाप के माध्यम से एशिया से जोड़ने वाला सबसे आकर्षक मार्ग है।
- **संसाधन संपन्न:** बर्फ पिघलने से ऊर्जा की खोज, खनन, खाद्य सुरक्षा और शिपिंग जैसे नए अवसरों का निर्माण होता है। आर्कटिक सागर में विश्व के तेल का लगभग 10 से 20 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का लगभग 30% होने का अनुमान है।
- **तापमान नियंत्रण:** आर्कटिक दुनिया के महासागरीय प्रवाह का प्रसार करने, ठंडे और गर्म जल को दुनिया भर में प्रसारित करने में मदद करता है, इस प्रकार तापमान का अधिशेष से कमी वाले क्षेत्रों में वितरण करता है।
- **अनुसंधान:** हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों के व्यवहार को समझने और तुलना करने के लिए वैज्ञानिक आर्कटिक ग्लेशियरों के द्रव्यमान संतुलन की निगरानी कर रहे हैं। यह भारत के लिए आर्कटिक अनुसंधान को महत्वपूर्ण बनाता है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग, अशांत जलवायु परिवर्तन, असमान वर्षा पैटर्न, तापमान अंतर आदि के संकेतों का अनुभव करना शुरू कर दिया है।

आर्कटिक के बारे में

- यह पृथ्वी पर सबसे **उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र** है, जो **स्थलखण्ड से घिरा एक बर्फीला महासागर** है। (जबकि अंटार्कटिका समुद्र से घिरी भूमि है।)
- आर्कटिक के प्राथमिक निवासियों में **एस्किमो (इनुइट्स), सामी** और **रूसी** शामिल हैं।

आर्कटिक परिषद के बारे में

- इसे **1996** के **ओटावा घोषणा-पत्र** के माध्यम से **आठ आर्कटिक राष्ट्रों** द्वारा स्थापित किया गया था। ये राष्ट्र हैं- **कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड्स सहित), फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका।** (भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।)
- यह आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर आर्कटिक राष्ट्रों, स्वदेशी लोगों के बीच **सहयोग, समन्वय** और **संपर्क** को बढ़ावा देने वाला प्रमुख **अंतर सरकारी मंच** है।
- सभी **निर्णय आठ सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से** और स्थायी प्रतिभागियों के परामर्श से होते हैं।
- परिषद आर्कटिक क्षेत्र में **संसाधनों के वाणिज्यिक दोहन पर रोक नहीं** लगाती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र निकायों या व्यापार, सैन्य या क्षेत्रीय समूहों जैसे WTO, NATO, या ASEAN जैसी **संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई नहीं है।**

आर्कटिक में बदलाव से जुड़ी चिंताएं

- **अपरिवर्तनीयता के जोखिम:** आर्कटिक पर जलवायु का प्रभाव, जैसे कि समुद्री बर्फ और ग्लेशियरों की हानि, प्रणाली में बदलाव ला सकती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये तापमान स्थिर होने पर भी मानव समय पर अपरिवर्तनीय होगा।
- **अचानक परिवर्तन के जोखिम:** पर्माफ्रॉस्ट (हिमकृत) क्षेत्र के पिघलने से निष्क्रिय बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय हो सकते हैं, जिससे वैश्विक महामारी (कोविड-19) फैल सकती है। इसके अलावा, शीत युद्ध के परमाणु रिएक्टरों और पनडुब्बी से रेडियोधर्मी कचरे को छोड़ने से विकिरण विषाक्तता हो सकती है।
- **ऊष्मन में वृद्धि:** पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों के पिघलने से ग्रीन हाउस गैसें (C02 और मीथेन) निकल सकती हैं, बर्फ के आवरण कम होने से सूर्यातप का परावर्तन कम हो सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक भू-ऊष्मन) में वृद्धि हो सकती है।
- **प्रादेशिक दावे:** आर्कटिक राष्ट्रों के बीच सीमाएँ अनसुलझी हैं। आर्कटिक अंतर्राष्ट्रीय जल के एक बड़े हिस्से के साथ-साथ उत्तरी ध्रुव पर ग्रीनलैंड (डेनमार्क) और रूस दोनों दावा करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, कनाडा और रूस के साथ **अमेरिका का महाद्वीपीय शेल्फ अतिच्छादित (ओवरलैप)** है, जबकि रूस और कनाडा के पास अलग-अलग महाद्वीपीय शेल्फ दावे हैं।
    - इसके अलावा, कनाडा और डेनमार्क के बीच हैंस द्वीप को लेकर विवाद है।
- **चीन की बढ़ती उपस्थिति:** चीन, खुद को **आर्कटिक राज्य** के रूप में वर्णित करता है, ध्रुवीय सिल्क रोड को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तार के रूप में पेश करता है। साथ ही, उसने बंदरगाहों, ऊर्जा, पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे और खनन परियोजनाओं में भारी निवेश किया है।

आगे की राह

- **सहयोग में वृद्धि:** आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत को आर्कटिक क्षेत्र के देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ घनिष्ठ भागीदारी करनी चाहिए।
- **विशेषज्ञ समिति:** भारत की आर्कटिक नीति की योजना, निगरानी, संचालन, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए एक समर्पित विशेषज्ञ समिति का गठन करने से राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
    - भारत को आधिकारिक तौर पर एक **'आर्कटिक राजदूत/प्रतिनिधि' भी नियुक्त करना चाहिए** जो आर्कटिक मामलों पर भारत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करे और उसको बुलंद करने की आवाज बने।
- **स्रोतों में विविधता लाने के लिए सहयोग:** चूंकि भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, प्राकृतिक गैस की खरीद या देशों के सहयोग से आर्कटिक क्षेत्र से मीथेन हाइड्रेट्स जैसे नए संसाधनों की खरीद, इसके ऊर्जा आयात में विविधता ला सकती है।
- **वैश्विक अभिविन्यास:** नीति को अधिक वैश्विक अभिविन्यासित करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलता को शामिल करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, दस्तावेज में कनाडा के उच्च आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन के साथ भारत के समझौता ज्ञापन का उल्लेख नहीं है।

सम्बंधित तथ्य

ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (PACER) योजना

- **2021-2026 के दौरान** जारी रखने के लिए **PACER योजना** को मंजूरी दी गई है।
- **PACER योजना के बारे में:**
    - इसमें **अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिणी महासागर कार्यक्रम** और **क्रायोस्फीयर** तथा **जलवायु** कार्यक्रम शामिल हैं।
    - **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के तहत एक स्वायत्त संस्थान, **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (NCPOR)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **उपलब्धियां:**
    - अंटार्कटिका के लिए **39वां** और **40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान** (41वां चल रहा) निष्पादित किया गया।
    - **स्पीति क्षेत्र** के बारालाचा ला में **स्वचालित मौसम स्टेशन (AWM)** सिस्टम स्थापित किया गया।
    - **IndARC** मूरिंग सिस्टम **कोंग्सफजॉर्डन, स्वालबार्ड** में तैनात किया गया।
    - **11वें हिंद दक्षिणी महासागर अभियान का आयोजन किया गया।**

2.7. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) {Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के क्षेत्रीय समूह के **5वें शिखर सम्मेलन** को **कोलंबो** में आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया है।

इस शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु

नेतृत्वकर्ता	क्षेत्र
बांग्लादेश	व्यापार, निवेश और विकास
भूटान	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
भारत	सुरक्षा, ऊर्जा
म्यांमार	कृषि एवं खाद्य सुरक्षा
नेपाल	व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क
श्रीलंका	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार
थाईलैंड	संपर्क (कनेक्टिविटी)

- **बिम्सटेक चार्टर** पर **हस्ताक्षर** और इसका **अंगीकरण** वस्तुतः बिम्सटेक को **"अंतर-सरकारी संगठन"** के साथ-साथ एक **"वैधानिक निकाय"** के रूप में प्रस्तुत करता है। यह समूह अब स्वयं को एक **उप-क्षेत्रीय संगठन के स्थान पर** एक **क्षेत्रीय संगठन** के रूप में देखता है।
- **सहयोग के क्षेत्रों का पुनर्गठन** करके इसकी संख्या 14 से घटाकर 7 कर दी गई है। हालांकि इसे **अधिक प्रबंधनीय बनाने हेतु** सहयोग के क्षेत्रों की संख्या कम की गयी है। **प्रत्येक सदस्य राष्ट्र प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक नेतृत्वकर्ता** की भूमिका का निर्वहन करेगा (तालिका देखें)।
- वर्ष 2018-2028 की अवधि के दौरान **परिवहन संपर्क के लिए एक मास्टर प्लान** को अपनाया गया है जो भविष्य में इस क्षेत्र में संपर्क संबंधी गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शन फ्रेमवर्क स्थापित करने में मदद करेगा।
- **सदस्य राष्ट्रों द्वारा तीन नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:**
  - आपराधिक मामलों में **पारस्परिक कानूनी सहायता** के लिए बिम्सटेक अभिसमय;
  - **राजनयिक प्रशिक्षण** के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिम्सटेक समझौता ज्ञापन;
  - बिम्सटेक **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा** की स्थापना पर समूह समझौता ज्ञापन।

बिम्सटेक के बारे में

- बिम्सटेक वस्तुतः बंगाल की खाड़ी के **तटवर्ती** और **आस-पास के क्षेत्रों** में स्थित अपने **7 सदस्य देशों** यथा; भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के मध्य **क्षेत्रीय** और **आर्थिक सहयोग** को बढ़ावा देने वाला एक **अंतर-क्षेत्रीय समूह** है।
- बंगाल की खाड़ी (BoB) क्षेत्र में **1.68 अरब लोग अधिवासित** हैं, जिनकी वैश्विक आबादी में हिस्सेदारी लगभग **22 प्रतिशत** है। साथ ही, जिनका **संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
- **बिम्सटेक के सिद्धांत: समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों** में **हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व** और **पारस्परिक लाभ को बनाए** रखना।
  - सदस्य देशों के मध्य अन्य **द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित** करने के बजाय **अन्य विकल्प** प्रदान करना।
- **बिम्सटेक के उद्देश्य**
  - तीव्र **आर्थिक विकास** के लिए एक **सक्षम परिवेश का निर्माण** करना। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से **आर्थिक विकास** और **सामाजिक प्रगति** में तीव्रता लाना।
  - **साझा हितों** के मामलों पर **सक्रिय सहभागिता** और **पारस्परिक सहयोग** को बढ़ावा देना।
  - **शैक्षणिक, व्यावसायिक** और **तकनीकी क्षेत्रों** में **प्रशिक्षण** और **अनुसंधान सुविधाओं** के रूप में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करना।
  - संयुक्त प्रयासों में **अधिक प्रभावी ढंग से एक-दूसरे को सहयोग** करना जोकि सदस्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय विकास योजनाओं के समर्थक और पूरक हैं।
  - मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ **घनिष्ठ और लाभकारी सहयोग** को बनाए रखना।

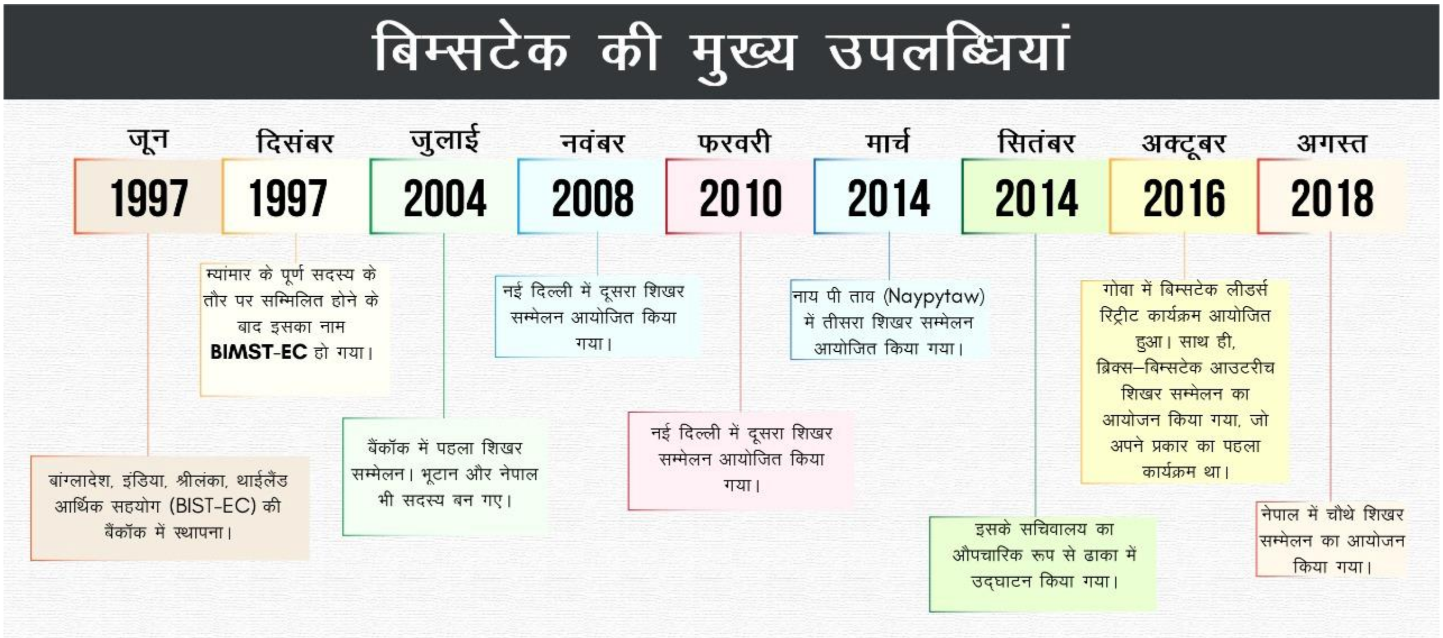

बिम्सटेक का महत्व

- **सामरिक: भारत और चीन के मध्य प्रतिस्पर्धा** के कारण **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र** के अधीन आने वाली बंगाल की खाड़ी का **सामरिक महत्व** बढ़ गया है। यह क्षेत्र अब प्रमुख शक्तियों और विशेष रूप से **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** जैसी व्यापक पहलों के संदर्भ में **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा** का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।
  - भारत के लिए बिम्सटेक **'हिन्द-प्रशांत'** और **हिंद महासागर समुदाय** की व्यापक अवधारणा को बढ़ावा देने तथा **देश की रणनीतिक आकांक्षाओं** को पूरा करने का एक माध्यम बन गया है। यह समूह **भारत के सामरिक दायरे** (दक्षिण, पूर्व और उत्तर) को एक आधार प्रदान करता है।
- **आर्थिक:** भारत के **पूर्वी तटीय राज्यों** और **पूर्वोत्तर-क्षेत्र** दोनों के लिए तथा **सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था** हेतु, संवृद्धि और विकास **दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों के साथ संपर्क** के स्तर पर निर्भर करती है।
  - बंगाल की खाड़ी विश्व की **सबसे बड़ी खाड़ी** है और **वैश्विक व्यापार** का लगभग **25 प्रतिशत** इसी मार्ग के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाड़ी में **प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार** भी मौजूद है जिनका अब तक ऊर्जा-स्रोत के रूप में दोहन नहीं किया गया है।
- **क्षेत्रीय सहयोग: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)** की असफलताओं के बाद, विशेष रूप से तब, जब **वर्ष 2016 का शिखर सम्मेलन स्थगित** (इसके सदस्य देशों द्वारा भाग लेने से इंकार करने के कारण) कर दिया गया था, बिम्सटेक दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक **"तरजीही मंच"** के रूप में उभरा है।
  - भारत का लंबे समय से यह मानना रहा है कि प्रतिक्रिया की कमी और **पाकिस्तान के अवरोधकारी दृष्टिकोण** के कारण, **सार्क की क्षमताओं का उपयोग** अत्यंत **सीमित** रहा है, और इसके सदस्य अनेक अवसरों का लाभ उठाने में भी विफल रहे हैं।
  - बिम्सटेक **दक्षिण** और **दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक सेतु** के रूप में कार्य करने हेतु प्रयासरत है, हालांकि इस दृष्टिकोण के कारण **'पड़ोसी प्रथम' (नेबरहुड फर्स्ट)** और **'एक्ट ईस्ट'** की हमारी प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए यह एक **नेचुरल प्लेटफॉर्म** बन गया है।
- **सुरक्षा:** सुरक्षा की दृष्टि से बंगाल की खाड़ी का अत्यधिक महत्व रहा है क्योंकि यह **मलक्का जलडमरूमध्य** के साथ सीमा साझा करता है। यह जलडमरूमध्य पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए **ऊर्जा आपूर्ति के एक मुख्य मार्ग** के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष **2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे बम विस्फोटों** के बाद बिम्सटेक की सुरक्षा संबंधी प्रासंगिकता और बढ़ गई है।
  - यह भारत की **ब्लू इकोनॉमी** और **समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी अवसर** प्रदान करता है। **समुद्री डकैती** और **तस्करी**, **घटते मत्स्य भंडार** और **अनियमित प्रवास** ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो खाड़ी को प्रभावित करते हैं और उनके सुचारू संचालन हेतु क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
  - भारत **बिम्सटेक के सुरक्षा स्तंभ** को बेहतर दिशा प्रदान करने में सहयोग करेगा और यह **संयुक्त रूप से सहमत मुद्दों** पर **क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग** के समन्वय में भी मदद करेगा। इस प्रकार यह **निवल सुरक्षा प्रदाता** होने के अपने विचार को आगे बढ़ाएगा।

बिम्सटेक से जुड़ी चुनौतियां

- **अप्रयुक्त क्षमता:** एक **प्रमुख समुद्री केंद्र** होने और **महत्वपूर्ण आर्थिक संभावनाओं** के बावजूद, बंगाल की खाड़ी की क्षमता **घनिष्ठ आंतरिक आर्थिक एकीकरण की कमी** के कारण बाधित हुई है विशेषकर उन देशों के मध्य जो इस क्षेत्र को अपना घर मानते हैं। एक संगठन के रूप में बिम्सटेक निम्न कारकों के चलते अपने अस्तित्व के उन्नयन को लेकर **काफी हद तक निष्क्रिय** रहा है, जैसे कि:
  - किसी भी **तात्कालिक खतरे की अनुपस्थिति** जो सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकती है;
  - **घरेलू राजनीतिक मुद्दे** बहुपक्षीय संबंधों की आवश्यकता को प्रभावित कर रहे हैं।
- **भौतिक अवसंरचना:** बिम्सटेक क्षेत्र **खराब सड़क और रेल संपर्क**, अपर्याप्त अंतिम-बिन्दु संपर्क और **उच्च सीमा शुल्क एवं स्वीकृति प्रक्रियाओं** से प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा है जो **व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क** को बाधित करता है।
- **सदस्यों के मध्य असमानताएं:** वार्ता और कार्यान्वयन के दौरान सदस्यों के बीच **महत्वपूर्ण असमानताओं** को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, **म्यांमार संभवतः रोहिंग्या संकट** के कारण अपनी **घरेलू राजनीति के मामले में सर्वाधिक अविश्वसनीय** रहा है, **भूटान भी अपने पर्यावरण संरक्षण को लेकर रक्षात्मक** बना हुआ है इत्यादि।
  - वर्तमान में **बिम्सटेक जिस गति से अग्रसर है, उसे बनाए रखने** (इन विषमताओं को ध्यान में रखते हुए) **की आवश्यकता है** ताकि संगठन की सफलता के लिए अलग-अलग सदस्य देशों की शक्ति का लाभ उठाया जा सके।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** वर्ष 2004 में एक **व्यापक FTA** हेतु रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बिम्सटेक **इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा** है। दक्षिण एशियाई देशों की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्थाएं और तथाकथित राष्ट्रीय हित मुक्त व्यापार को एक अप्राप्य उद्देश्य बना रहे हैं।
- **भारतीय प्रभुत्व की धारणा:** ऐसी धारणा रही है कि यह एक **भारत-प्रभुत्व वाला ब्लॉक** है, हालांकि भारत सार्क के साथ भी लंबे समय से इस समस्या का सामना करता रहा है। चीन पर बिम्सटेक देशों की अत्यधिक निर्भरता के साथ **भारतीय आधिपत्य** की यह धारणा इसकी सफलता में एक बड़ी बाधा प्रतीत होती है।

आगे की राह

- **राजनीतिक जुड़ाव को मजबूत करना:** राजनीतिक नेतृत्व की व्यक्तिगत भागीदारी को **बढ़ाया जा सकता** है। कोलंबो में प्रत्येक **दो वर्ष पर एक शिखर सम्मेलन** आयोजित करने का निर्णय स्वागत योग्य है।
- **संपर्क एवं कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना:** यह लोगों से लोगों के **संपर्क को प्रोत्साहित** करके और साथ ही पहले से शुरू की गई **बहुपक्षीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं** पर प्रक्रियागत तीव्रता लाकर किया जा सकता है।
- **समुदाय आधारित विचार-विमर्श:** बिम्सटेक को अपनी **सांस्कृतिक जड़ों की पहचान करने** और निर्णय लेने हेतु अपनी स्वयं की शब्दावलियों का पता लगाने के लिए एक **सुदृढ़ और समावेशी तंत्र** की आवश्यकता है। आदर्श रूप से, बिम्सटेक को एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें **वार्ता, नियमित बैठकें** और **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चर्चा** शामिल हो।
  - **समुदाय आधारित विचार-विमर्श** सदस्य राष्ट्रों के बीच **घनिष्ठ संबंध** को बढ़ावा देने और **आपसी विश्वास को बढ़ाने** तथा मजबूत सामुदायिक भावना लाने में मदद करेगा।
- **अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ भागीदारी:** बिम्सटेक को अपनी कुछ प्रमुख पहलों में अन्य क्षेत्रीय संगठनों को शामिल करना चाहिए। वर्ष 2017 ब्रिक्स आउटरीच शिखर सम्मेलन संबंधी प्रयास के तहत बिम्सटेक को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न **समकक्षों के साथ संचार के अधिक नियमित चैनल** विकसित करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

- इसमें **आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी** और **एशियाई विकास बैंक** {विशेष रूप से दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)}, **विश्व बैंक और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों**, मेकांग गंगा सहयोग (MGC) और CLMV (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम) पहलों द्वारा किए गए समान कनेक्टिविटी प्रयासों का लाभ उठाना शामिल है।
- **भारत G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के** इस अवसर को, बिम्सटेक को अधिक से अधिक दृश्यता प्रदान करने हेतु (अपने सभी सदस्यों को अध्यक्ष के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करके) उचित रीति से प्रयोग कर सकता है।

प्रमुख कनेक्टिविटी पहलें

- **कलादान मल्टी मॉडल परियोजना:** इस परियोजना में **कोलकाता** को **म्यांमार** के **सित्वे बंदरगाह** से और उसके बाद मिजोरम को **नदी** और **सड़क मार्ग** के माध्यम से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।
- **IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग:** यह म्यांमार के माध्यम से भारत और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। यह राजमार्ग **मणिपुर के मोरेह** से **म्यांमार होते हुए थाईलैंड में माई सॉट** तक जाएगा जिससे **भारत** और **दक्षिण-पूर्व एशियाई** देशों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA):** भूटान के बाहर हो जाने के बाद, अन्य तीन देश **वस्तुओं और व्यक्तियों के मुक्त आवागमन** के लिए समझौते को लागू करने की दिशा में प्रयासरत हैं।

2.8. बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता {BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) MOTOR VEHICLES AGREEMENT (MVA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने **बांग्लादेश-भूटान-इंडिया-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA)** को लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। हालांकि इस समझौते को भूटान का अनुसमर्थन अभी लंबित है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सदस्य राष्ट्रों ने BBIN के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए **यात्री और कार्गो नियमों की दिशा में यथाशीघ्र** प्रयास करने को लेकर सहमति प्रदान की है।
- ये नियम वस्तुतः इन देशों के मध्य **यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों** के आवागमन को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- भूटान ने इस बैठक में **पर्यवेक्षक** देश के रूप में भाग लिया था।
- **एशियाई विकास बैंक** वस्तुतः **दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)** को अपने सहयोग के हिस्से के रूप में BBIN MVA तकनीकी, सलाहकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- विश्व बैंक ने भी **BBIN MVA का समर्थन करने हेतु अपनी इच्छा प्रकट** की है।

दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) कार्यक्रम के बारे में

- **यह परियोजना-आधारित साझेदारी के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका** को एक मंच पर लाता है।
- सदस्य देश आर्थिक विकास, आर्थिक विविधीकरण, समावेशी विकास एवं स्थिरता तथा ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा से संबंधित समान आकांक्षाओं को साझा करते हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ाना, आर्थिक अवसरों में सुधार करना और उप-क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता का निर्माण करना है।
- **SASEC परिचालन प्राथमिकता क्षेत्र:** इसके अंतर्गत परिवहन, व्यापार सुविधा, ऊर्जा और आर्थिक गलियारा विकास इत्यादि शामिल हैं।
- **एशियाई विकास बैंक** (मुख्यालय: मेट्रो मनीला, फिलीपींस) **SASEC सचिवालय** के रूप में कार्य करता है।
- मार्च 2022 तक, SASEC के सदस्य देशों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 17.28 बिलियन डॉलर से अधिक की एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित 72 निवेश परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्हें लागू किया है।

BBIN MVA के बारे में

- वर्ष **2014** में पाकिस्तान से जुड़ी चिंताओं के कारण **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)** के मध्य क्षेत्रीय MVA समझौते की विफलता के बाद इसे वर्ष **2015** में आरंभ किया गया था।
    - वर्ष 2017 में, **भूटान ने अस्थायी रूप से इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना** था क्योंकि भूटान की संसद ने पर्यावरण और परियोजना स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण इस समझौते का अनुमोदन नहीं किया था।
- BBIN वस्तुतः **यात्री, व्यक्तिगत और मालवाहक वाहनों के यातायात के विनियमन का** प्रावधान करता है।
- **प्रत्येक देश** इस समझौते के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली अपनी **लागत को स्वयं वहन करेगा।**

एक बार लागू होने के बाद यह समझौता क्षेत्र में **सुरक्षित, किफायती, कुशल और पर्यावरण अनुकूल** सड़क परिवहन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

BBIN MVA के प्रमुख लाभ

- **सामरिक महत्व:**
    - ऊर्जा, जल प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में **बेहतर निवेश और सहयोग को बढ़ावा** मिल सकता है।
    - पूर्वोत्तर भारत में **संवृद्धि और विकास सुनिश्चित** होगा क्योंकि यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को और उसके माध्यम से सदस्य देशों को जोड़ने में मदद करेगा।
    - नेपाल को चीन की **ऋण-जाल** कूटनीति से सुरक्षा प्रदान करने के माध्यम से चीन पर नेपाल की भू-राजनीतिक निर्भरता को कम करके **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का विकल्प प्रदान करेगा।**
    - यह हिमालयी देशों में किसी भी प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा जोखिम की स्थिति में **प्रथम अनुक्रियाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने में भारत की सहायता करेगा।**
    - आसियान देशों के साथ व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा देने और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इसे **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** से जोड़कर **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
- **सामाजिक-आर्थिक महत्व**
    - वस्तुओं, वाहनों और लोगों की निर्बाध सीमापार आवाजाही को सक्षम बनाकर यह **आर्थिक एकीकरण को बढ़ाएगा।** विश्व बैंक के अनुसार, MVA के माध्यम से **क्षेत्रीय व्यापार यातायात को 60% तक बढ़ाया जा सकता है।**
    - **उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा** देकर व्यापार और लोगों से लोगों के मध्य संपर्क की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है जिसमें नेपाल के कुल निर्यात में 74% हिस्सेदारी भारत की है।
    - यह क्षेत्र में व्यापार और परिवहन दक्षता में सुधार करके **लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI)** को बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, व्यस्ततम मार्ग होने के कारण भारत-बांग्लादेश सीमा के मध्य **पेट्रापोल-बेनापोल सीमा क्रॉसिंग** धीमे निर्यात की समस्या से ग्रस्त रही है।

अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (विश्व बैंक द्वारा जारी)** लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन के आकलन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक संकेतक है। यह विभिन्न देशों के लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन हेतु बेंचमार्किंग और तुलनात्मक अध्ययन करता है।
- यह किसी भी राष्ट्र में **लॉजिस्टिक के छह मुख्य घटकों के प्रदर्शन** का आकलन करता है (चित्र देखें)। यह इन घटकों को **1 से 5** के मध्य रेटिंग प्रदान करता है जिसमें 1 सबसे कम और 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है।
- **वर्ष 2018** में **भारत** का **अंतर्राष्ट्रीय LPI** स्कोर **3.18** (वैश्विक स्तर पर 44वां स्थान) था।
- अन्य BBIN देशों का LPI स्कोर और भी कम था, जैसे **बांग्लादेश** - रैंक 100, **नेपाल** - रैंक 114 और **भूटान** - रैंक 149

समझौते के क्रियान्वयन में मौजूदा चुनौतियां

- अधिकारियों के मध्य विभिन्न प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों के उपयोग, उनकी समझ, स्पष्टीकरण और पहुंच संबंधी कमियों को दूर करने के **प्रयास की गति अत्यंत धीमी बनी हुई** है।
- **तकनीकी चुनौतियां,** जैसे सीमा शुल्क और टैरिफ, सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट की अनुपस्थिति आदि।
- निरंतर प्राकृतिक जोखिमों के साथ **भौगोलिक चुनौतियां, जैसे हिमालय पर्वत, अनेक नदी घाटियां, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र** आदि की उपस्थिति समझौते के क्रियान्वयन को बाधित करती हैं।
- **विकसित सहायक अवसंरचना का अभाव** जैसे वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के सुचारू प्रवाह के लिए ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आदि।
- नेपाल और बांग्लादेश में राजनीतिक दलों के मध्य भारत के विरुद्ध **स्पष्ट वैचारिक विभाजन** (ऐसे समझौतों में भारत के प्रभुत्व के मुद्दे का हवाला देते हुए), मैत्रीपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की निरंतरता की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है।

आगे की राह

वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में, दक्षिण एशिया की विकास दर **7.1%** (विश्व बैंक द्वारा) रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में, BBIN MVA वस्तुतः आसियान और पूर्वी एशियाई देशों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने करने की दिशा में एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है। लाभों को प्राप्त करने और चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदमों पर विचार किया जा सकता है-

- धीमी गति जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए यात्री और कार्गो प्रोटोकॉल पर **शीघ्र हस्ताक्षर के साथ समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।**
- तकनीकी मुद्दों को हल करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के लिए सड़क यातायात पर **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (जैसे सड़क यातायात पर वियना कन्वेंशन, 1968) की यथाशीघ्र अभिपुष्टि** की जानी चाहिए।
  - यह परिवहन और पारगमन सुविधा पर घरेलू नीतियों को अनुकूल बनाने में मदद करेगा।
- तकनीकी सहायता से भौगोलिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु **पेशेवर विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए** या अन्य देशों के अनुभव से सीखा जाना चाहिए।
- वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के सुचारू प्रवाह के लिए सहायक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सड़कों, रेल और जलमार्गों के **निर्माण तथा इनके उन्नयन** हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।
- वैचारिक मतभेदों को दूर करने के साथ-साथ भूटान को सदस्य देश के रूप में वापस लाने के लिए पड़ोसी देशों में परियोजना के **पारस्परिक लाभों पर परिचर्चा को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए।

2.9. कोविड-19 वैक्सीन और बौद्धिक संपदा छूट (COVID-19 VACCINE AND IP WAIVER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत और दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा (Intellectual Property: IP) अधिकारों में छूट पर "समाधान समझौता" के मसौदे पर सहमति बन गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, **भारत और दक्षिण अफ्रीका** ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कोविड-19 टीकों और कोविड से संबंधित अन्य तकनीकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर तब तक के लिए **अस्थायी छूट प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था जब तक कि वैश्विक रूप से सामूहिक प्रतिरक्षा (herd immunity) प्राप्त नहीं हो जाती है।**
  - इस प्रस्ताव को **ट्रिप्स छूट** के रूप में भी जाना है।
- यह छूट **कोविड-19 टीकों के जेनेरिक संस्करणों का निर्माण संभव** बनाएगी। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को अस्थायी रूप से "समाप्त" कर देती है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व व्यापार संगठन के **164 देशों में से लगभग 100 देशों** ने भारत के प्रस्ताव का **समर्थन किया** है।
  - हालांकि, लागू होने के लिए, **प्रस्ताव को विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन आम सहमति पर कार्य करता है।**

बौद्धिक संपदा (IP) के बारे में

- बौद्धिक संपदा **मानव बुद्धि** की किसी भी मौलिक रचना जैसे कलात्मक, साहित्यिक, तकनीकी या वैज्ञानिक सृजन से संबंधित है।

- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs)** व्यक्तियों को उनकी बौद्धिक रचनाओं पर दिए जाने वाले अधिकार हैं। ये आमतौर पर रचनाकार को **एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार के रूप में प्रदान किए जाते हैं।**
    - सुरक्षा आमतौर पर एक सीमित अवधि के लिए दी जाती है (आमतौर पर **पेटेंट के मामले में 20 वर्ष के लिए)।**
- **ट्रिप्स** पर विश्व व्यापार संगठन समझौता, जो वर्ष 1995 में लागू हुआ था, **IP पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।**

बौद्धिक संपदा छूट के पक्ष में तर्क

- **वैक्सीन की असमानता:** WHO के अनुसार, पिछले वर्ष लगभग 80% कोविड-19 टीके सिर्फ 10 अमीर देशों में लगाए गए, जबकि 2.5 बिलियन से अधिक लोग अपने पहले टीके का इंतजार कर रहे हैं। WHO द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद टीके तक पहुंच में असमानता (अमीर देशों के पास अधिक टीके और वहां टीकाकरण की दर उच्च है) महामारी को समाप्त करने और दुनिया के लाखों गरीब लोगों की रक्षा करने में सबसे बड़ी बाधा है।
- **वैक्सीन राष्ट्रवाद:** कई अमीर राष्ट्रों (अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित) द्वारा टीकों के लिए "पहले से ऑर्डर देने" के माध्यम से "वैक्सीन राष्ट्रवाद" का उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में टीकों की उपलब्धता घट जाने के लिए दोषी ठहराया गया है। वहीं मौजूदा वैक्सीन निर्माताओं को बहुत उदार शर्तों की पेशकश करने के लिए इसकी आलोचना भी की गई है।
- **वहनीयता:** पेटेंट सुरक्षा में छूट कम संसाधनों वाले देशों (जैसे, मध्य अफ्रीका) को वैक्सीन की कीमत घटाने की अनुमति दे सकती है जो कि बड़ी मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन करने हेतु आवश्यक है। भारत जैसे देशों (जिसे 'दुनिया का वैक्सीन हब' माना जाता है) के उत्पादक प्रयासों के बावजूद, वैक्सीन की उच्च कीमत के कारण अभी भी यह सभी निम्न आय वाले देशों के लिए सुलभ नहीं है।
- **महामारी का अंत:** इसके अलावा, कोविड-19 की विभिन्न उपभेदों के साथ बार-बार आने वाली लहरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वैश्विक टीकाकरण पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंच जाता है तब तक महामारी समाप्त नहीं होगी। बड़े पैमाने पर टीकाकरण को एक वैश्विक संघर्ष माना जाना चाहिए जिसमें किसी भी देश को, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों को, पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है।

बौद्धिक संपदा छूट के विरुद्ध तर्क

- **अनुपलब्धता के मुद्दे को हल नहीं कर सकते हैं:** वैश्विक स्वास्थ्य के संबंध में इस विफलता को दूर करने के लिए कई जटिल मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है, जैसे निम्न आय वाले देशों में टीकाकरण करने के लिए लॉजिस्टिक्स की समस्या। IP ढांचे में बदलाव उस बड़ी समस्या का मात्र एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है जिसे वैश्विक वैक्सीन समानता प्राप्त करने के लिए **निर्णय निर्माताओं और जमीनी स्तर पर कार्यरत कई ऑपरेटरों** को हल करना होगा।
- **महामारी की तात्कालिकता को संबोधित नहीं कर सकते:** इस व्यवस्था की सर्वसम्मति-आधारित प्रकृति और इसमें शामिल मुद्दों की जटिलता को देखते हुए वार्ता में समय लगेगा। यह एक अंतर्निहित स्वीकृति है कि जिस ट्रिप्स समाधान पर बातचीत की जानी है (उदाहरण के लिए प्रभावित होने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में छूट का सटीक दायरा, कवर किए गए उत्पाद/तकनीक, इसकी अवधि, सुरक्षा उपाय, आदि) वह महामारी की तात्कालिकता के प्रति अनुक्रिया नहीं करेगा। इस प्रकार, छूट का प्रभाव केवल मध्यम और दीर्घावधि में ही होगा।
- **क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां:** वास्तव में, विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर प्रदान की जाने वाली छूट केवल ऐसे चिकित्सा उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा संबंधी सुरक्षा की गारंटी देने हेतु देशों के दायित्व को समाप्त कर देगी जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकते हैं। यह निजी पक्षकारों द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा सुरक्षा पर संभावित निर्भरता को नहीं समाप्त करेगा।
    - निजी पक्षकारों के लिए अपने मौजूदा **IP अधिकारों पर निर्भरता की संभावना को समाप्त करने के लिए, WTO के स्तर पर दी जाने वाली छूट को अपनाने हेतु प्रासंगिक WTO राष्ट्रों में पर्याप्त राष्ट्रीय कानून बनाने होंगे। इस प्रकार, निजी अभिकर्ताओं के लिए छूट (WTO राष्ट्रों के बीच) के कानूनी प्रभावों में देरी होगी।**

- **अन्य बीमारियों के लिए टीकों की पहुंच की कोई गारंटी नहीं:** कोविड-19 टीकाकरण पर हालिया ध्यान के कारण निम्न-मध्यम-आय वाले देशों (LMICs)[10] में व्यापक टीकाकरण मुद्दों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। वर्ष 2018 तक, WHO के 194 सदस्य राज्यों में से 74 राज्यों में किसी भी बीमारी के लिए कोई वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम नहीं था; अफ्रीका और दक्षिण एशिया के 11% से भी कम देशों ने ऐसा कोई कार्यक्रम होने की सूचना प्रदान की है। कोविड-19 वैक्सीन केंद्रित दृष्टिकोण अन्य बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य संकट का समाधान नहीं कर सकता है।

आगे की राह

- **LIMCs में विनिर्माण क्षमताओं में सुधार करना:** विनिर्माण क्षमताओं में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है और उन टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है जिन्होंने पर्याप्त प्रभावकारिता दिखाई है।
- **कच्चे माल की आपूर्ति:** उत्पादन बढ़ाने में एक बाधा इन टीकों को बनाने और परिनियोजित करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति की है। विशेष सामग्रियों की मांग लगभग तत्काल तिगुनी होना कई औषधि और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारी दबाव डाल रही है। इसे न केवल अधिकृत कोविड-19 टीकों के उत्पादन में मदद करने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी हल किया जाना चाहिए कि हम उन टीकों के परीक्षण और अनुमोदन में देरी न करें जो अभी भी विकास के चरण में हैं।
- **टीकों के निर्यात को आसान बनाना:** अनिवार्य लाइसेंस के तहत निर्मित किए गए कोविड से संबंधित दवा उत्पादों (न केवल टीके) के निर्यात के लिए कुछ अनिवार्यताओं को कम से कम तीन वर्षों के लिए समाप्त करना या सरल बनाना।
- **LMICs में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करना:** इसके लिए, उदाहरण के लिए, लॉजिस्टिक्स में भारी निवेश की आवश्यकता हो सकती है (टीकों के परिवहन और संरक्षण के लिए क्योंकि कई टीकों को अल्ट्रा-कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है और उनकी शेल्फ-लाइफ कम होती है), कॉल सेंटर स्थापित करना, और विभिन्न मीडिया के माध्यम से तत्काल जागरूकता अभियानों को शुरू करना।
- **अभिगम्यता बढ़ाने के लिए वैश्विक गठबंधन:** कई सरकारों या अन्य एजेंसियों द्वारा एकजुटता प्रदर्शित करना आगे के संभावित समाधानों में से एक है। उदाहरण के लिए, इस रणनीति का अनुसरण कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस (COVAX) कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। बाद वाले को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन (GAVI), कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (CEPI) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का समर्थन प्राप्त है।

2.9.1. महामारी संधि (PANDEMIC TREATY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों ने महामारी संधि की दिशा में पहले दौर की वार्ता सम्पन्न की।

अन्य संबंधित तथ्य

- दिसंबर 2021 में, **विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)[11] ने महामारी संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक वैश्विक प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।**
- WHA ने वर्ष 1948 में अपनी स्थापना के बाद अपने दूसरे विशेष सत्र में **"द वर्ल्ड टुगेदर" शीर्षक से एक निर्णय लिया।**
  - निर्णय के अंतर्गत, **WHO** ने WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुपालन में **महामारी संधि का मसौदा तैयार करने और वार्ता करने के लिए एक अंतरसरकारी वार्ता निकाय (INB)[12] की स्थापना की है।**

विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)

- विश्व स्वास्थ्य सभा **WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है।**
- इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य सभा के मुख्य कार्य संगठन की नीतियां निर्धारित करना, **महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन करना है।**
- स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है।

WHO संविधान का अनुच्छेद 19

- **यह विश्व स्वास्थ्य सभा को** स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर सम्मेलनों या समझौतों को **अपनाने का अधिकार प्रदान करता है।**
  - ऐसे सम्मेलनों या समझौतों को अपनाने के लिए **दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता** होती है।
- **तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन अनुच्छेद 19 के तहत स्थापित किया गया था** और यह वर्ष 2005 में लागू हुआ था।

प्रस्तावित संधि के बारे में

- इस संधि का मुख्य लक्ष्य एक **सर्व-सरकारी और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण** को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करना और भविष्य की महामारियों के प्रति सुनम्यता विकसित करना है।

10 Low-Middle-Income-Countries
11 World Health Assembly
12 Intergovernmental Negotiating Body

 ©Vision IAS

- इसमें उभरते हुए विषाणुओं के **डेटा साझाकरण एवं जीनोम अनुक्रमण और टीकों एवं दवाओं के समान वितरण** तथा दुनिया भर में संबंधित अनुसंधान जैसे पहलुओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है।
- **यूरोपीय संघ (EU)** भी चाहता है कि **वन्यजीव बाजारों पर प्रतिबंध** को संधि में शामिल किया जाए।
- यूरोपीय संघ चाहता है कि **संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी हो** जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और भारत ने इस बारे में आरक्षण की इच्छा व्यक्त की है।

महामारी संधि की आवश्यकता

- **क्षमताओं को मजबूत करना:** यह देशों को **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करने** में सक्षम करेगा और भविष्य की महामारियों के प्रति लचीलापन प्रदान करेगा।
- **आवश्यक सामूहिक कार्रवाई की संरचना तैयार करना:** यह महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक सामूहिक कार्रवाई की संरचना तैयार करने के लिए **उद्देश्यों और मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित** करेगा।
- **ऐसी संधि**
  - राज्यों या सरकारों के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं के स्तर पर **उच्चतर, निरंतर और दीर्घकालिक राजनीतिक संबद्धता** सुनिश्चित करेगी।
  - **स्पष्ट प्रक्रियाओं और कार्यों** को परिभाषित करेगी।
  - सभी स्तरों पर **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के दीर्घकालिक समर्थन** को बढ़ावा देगी।
  - **सभी प्रासंगिक नीति क्षेत्रों में स्वास्थ्य मामलों के एकीकरण को बढ़ावा देगी।**
- **यह संधि निम्नलिखित का समर्थन करेगी और इस पर ध्यान केंद्रित करेगी:**
  - महामारी की **शीघ्र पहचान और रोकथाम।**
  - भविष्य की महामारियों के प्रति **लचीलापन।**
  - भविष्य की किसी भी महामारी के प्रति अनुक्रिया, विशेष रूप से चिकित्सा समाधानों जैसे टीके, दवाओं और निदान तक **सार्वभौमिक और समान पहुंच** सुनिश्चित करके।
  - वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर समन्वय प्राधिकरण के रूप में WHO के साथ एक **मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना।**
  - मनुष्यों, जानवरों और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के संबंध में **"वन हेल्थ" दृष्टिकोण।**

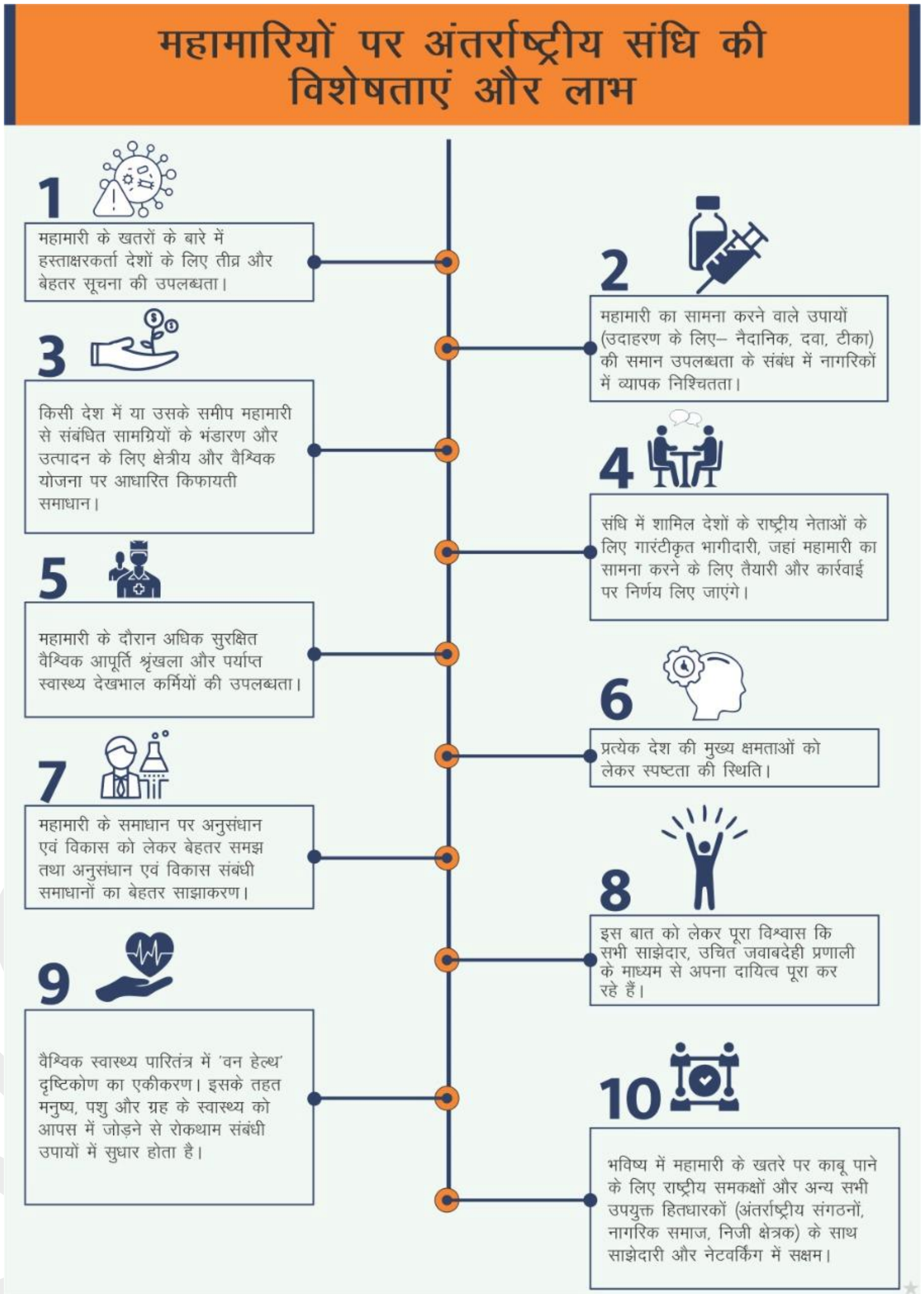

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) के बारे में

- **IHR एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण है।** यह WHO के 194 सदस्य राज्यों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- IHR एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी स्थितियों और आपात स्थितियों से निपटने के लिए देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है** जिनमें सीमा पार करने की क्षमता है।
- ये विनियम देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता सहित **उनके अधिकार और दायित्व निर्धारित करते हैं।**
- ये विनियम यह **निर्धारित करने के लिए मानदंड भी रेखांकित करते हैं कि क्या कोई विशेष घटना "अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात" है।**

प्रस्तावित महामारी संधि के विरुद्ध उठाई गई चिंताएं

* इस संधि में इस बात पर **ध्यान, स्पष्टता और सुसंगतता का अभाव** है कि देशों को किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए (निगरानी, प्रकोप अधिसूचना, आनुवंशिक अनुक्रम की जानकारी साझा करना, व्यापार और यात्रा उपायों आदि के बीच)।
* यह **टीकों और उपचारों तक बेहतर पहुंच की मांगों से ध्यान भटकाती** है और इसके बजाय यह कहानी गढ़ने की प्रयास करती है कि नियमों की कमी ने दुनिया को कोविड-19 महामारी के प्रति प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रिया करने से रोका है।
* महामारी संधि में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित **अधिकांश प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (International Health Regulations: IHR)** के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
* कोविड-19 के प्रति सरकारों की अनुक्रियाओं ने कई संधियों का कथित रूप से उल्लंघन या उनमें हेरफेर किया है और आलोचकों को इस बात पर संदेह है कि **एक नई संधि प्रतिबद्धता उत्पन्न करेगी।**

निष्कर्ष

वर्ष 1940 के बाद से कोविड-19 महामारी वैश्विक समुदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भविष्य में अन्य महामारियां और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य आपात स्थितियां भी हो सकती हैं। लेकिन कोई भी सरकार या बहुपक्षीय एजेंसी अकेले ऐसे जोखिम का समाधान नहीं कर सकती है।

इसके लिए, राष्ट्रों को महामारी से निपटने के लिए मौजूदा WHO क्रियाविधि को मजबूत करने की दिशा में एक साथ काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महामारी संधि की आवश्यकता पर एक वैश्विक चर्चा भी करना चाहिए, विशेष रूप से महामारी से सीखे गए सबक के आलोक में, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारियों और अनुक्रिया पर चर्चा करना चाहिए।

2.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

2.10.1. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की NSA स्तरीय 5वीं बैठक आयोजित की गयी {5th NSA Level Meeting of the Colombo Security Conclave (CSC) Held}

* वर्ष 2011 में **"समुद्री सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक"** का आयोजन किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC)** कर दिया गया। यह कॉन्क्लेव या सम्मेलन सदस्य देशों को साझा सुरक्षा खतरों पर क्षमता निर्माण में मदद करता है।
  * इसके संस्थापक सदस्य **मालदीव, भारत** और **श्रीलंका** हैं। हाल ही में, संपन्न हुई बैठक में **मॉरीशस** को **नवीनतम सदस्य** के रूप में जोड़ा गया है।
  * बांग्लादेश और सेशेल्स को इसमें **पर्यवेक्षक (observer)** का दर्जा प्राप्त है।
* **इसकी 5वीं बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोग के निम्नलिखित पांच व्यापक क्षेत्रों की भी पहचान की गई है:**
  * **समुद्री रक्षा और सुरक्षा,**
  * **आतंकवाद और कट्टरपंथ रोधी उपाय करना,**
  * तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय **संगठित अपराध का मुकाबला** करना,
  * **साइबर सुरक्षा,** महत्वपूर्ण अवसंरचना (critical infrastructure) और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा करना, तथा
  * **मानवीय सहायता** और आपदा राहत कार्य में सहयोग करना।
* इसके तहत निर्धारित रोडमैप सदस्य देशों के बीच निम्नलिखित के लिए एक मजबूत तंत्र की सुविधा प्रदान करेगा:
  * **समन्वित कार्रवाई करने के लिए,**
  * **क्षमता निर्माण करने के लिए,** और
  * **प्रभावी रूप से सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए।**
* कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को भारत द्वारा अपनी **समुद्री सुरक्षा बढ़ाने** के संबंध में एक जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा है।
  * समुद्री सुरक्षा में **समुद्री क्षेत्र से जुड़े व्यापक मुद्दे जैसे कि** राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण, आर्थिक विकास, मानवीय सुरक्षा आदि शामिल होते हैं।
  * विश्व के महासागरों के अलावा, यह **क्षेत्रीय समुद्रों, प्रादेशिक जल क्षेत्र, नदियों और बंदरगाहों से भी संबंधित** है।

समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदम

* **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास अर्थात् सागर (Security & Growth for All in the Region: SAGAR):** यह नीति अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। साथ ही, इसके तहत इन पड़ोसियों की समुद्री सुरक्षा से संबंधित क्षमताओं के निर्माण में भी सहायता प्रदान की जाती है।
* **हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium: IONS):** इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना और राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में मदद करना है।
  * **भारत की "पड़ोस प्रथम" (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति:** यह स्थिरता और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद, जनोन्मुख व क्षेत्रीय फ्रेमवर्क के निर्माण पर केंद्रित है।

2.10.2. इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation: OIC)

- OIC की **विदेश मंत्री स्तरीय बैठक** इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। इस बैठक में शामिल होने के लिए OIC ने **हुर्रियत प्रमुख** को भी आमंत्रित किया है। यही कारण है कि भारत ने OIC की आलोचना की है।
- **OIC के बारे में:**
    - यह संयुक्त राष्ट्र के बाद **दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन** है।
    - यह **मुस्लिम जगत के हितों की सुरक्षा और इसके लिए रक्षोपाय (सेफगाड्र्स) करने का प्रयास करता है।** इसके लिए OIC, विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
    - **सदस्य:** विश्व के 57 देश इसके सदस्य हैं।
    - **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय सऊदी अरब के **जेद्दा** में है।
    - भारत इसका **सदस्य नहीं** है।

2.10.3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF)

- FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण के कारण अपनी **'ग्रे लिस्ट' में बरकरार रखा है।**
    - पाकिस्तान, धन शोधन (money laundering) को रोकने में विफल रहने के कारण जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। यह धन शोधन ही आतंकी वित्तपोषण का साधन है।
    - इसके अलावा, **संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट** में शामिल किया गया है।
- FATF की स्थापना **वर्ष 1989** में की गई थी। यह **एक अंतर-सरकारी निकाय** है। इसे **धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण** और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के समक्ष **अन्य संबंधित खतरों** से निपटने हेतु स्थापित किया गया था।
- **सदस्य:** इसके 39 सदस्य हैं। इनमें **भारत** सहित 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन- **यूरोपीय आयोग** और **खाड़ी सहयोग परिषद** (GCC) शामिल हैं।
- **FATF द्वारा जारी की जाने वाली दो सूचियां:**
    - **ब्लैक लिस्ट** (कार्रवाई की अनिवार्यता वाले उच्च जोखिम युक्त देश/अधिकार क्षेत्र से संबंधित) तथा
    - **ग्रे लिस्ट** (अधिक निगरानी की आवश्यकता वाले देश/ अधिकार क्षेत्र से संबंधित)।

2.10.4. बुखारेस्ट नाइन {Bucharest Nine (B9)}

- हाल ही में, रूस ने यह दावा किया था कि **नाटो, पूर्व की ओर अपना 'विस्तार'** कर रहा है। हालांकि, बुखारेस्ट नाइन ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया है।
- बुखारेस्ट नाइन, **पूर्वी यूरोप में 9 नाटो देशों का एक समूह है।** यह समूह शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन (नाटो) का हिस्सा बन गया था।
    - B9 की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका नाम रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पर रखा गया है।
    - B9 के **सभी सदस्य यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)** का हिस्सा हैं।
    - B9 समूह के सदस्य **रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया** तथा तीन बाल्टिक देश **एस्टोनिया, लातविया** और **लिथुआनिया** हैं।

2.10.5. काला सागर (Black Sea)

- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से होकर गुजरने वाला पोत परिवहन मार्ग बंद हो गया है।
- काला सागर एक अंतर्देशीय समुद्र है। यह **दक्षिण-पूर्वी यूरोप व अनातोलिया प्रायद्वीप (तुर्की)** के मध्य स्थित है।
- यह **भूमध्य सागर और एजियन सागर तथा विभिन्न जलडमरूमध्यों के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा** हुआ है।
- **बोस्फोरस जलडमरूमध्य इसे मरमारा सागर** से जोड़ता है। **डारडेनेल्स जलडमरूमध्य इसे भूमध्य सागर के एजियन सागर क्षेत्र** से जोड़ता है।
- उत्तर में, यह **केर्च जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर** से जुड़ा हुआ है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

3.1. बैंक पुनर्पूंजीकरण (BANK RECAPITALISATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये की सहायता से कमजोर PSBs (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

इस राशि से बैंकों को अपनी पूँजी को अनिवार्य सीमा तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)[13] फ्रेमवर्क के अधीन आने से भी बच जाएंगे।

बैंक पुनर्पूंजीकरण (Bank Recapitalization) के बारे में

- **बैंक पुनर्पूंजीकरण:** इसके तहत पूँजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों को पूरा करने के लिए **सरकार द्वारा संचालित बैंकों में अतिरिक्त पूँजी की आपूर्ति की जाती** है।
  - **पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)[14] या जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)[15]:** यह बैंक की जोखिम-भारित आस्तियों और पूँजी संबंधी निधियों का अनुपात होता है।
- **PSBs में अधिकतम शेयरधारिता सरकार की** होती है। इसलिए, **PSBs का पुनर्पूंजीकरण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी** भी सरकार की होती है।

बैंक पुनर्पूंजीकरण के चालक

- **पूँजी पर्याप्तता संबंधी विनियामकीय अनिवार्यताओं को पूरा करना:** इसके संबंध में विनियामकीय फ्रेमवर्क को, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS)[16] द्वारा तैयार किया गया है। अभी तक, बेसल मानदंडों के तीन समुच्चय जारी किए जा चुके हैं (बॉक्स देखें)।
- **ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि करना:** निवेश और रोजगार के अच्छे चक्र का निर्माण करने के लिए, बैंकों को स्वस्थ कंपनियों और उधारकर्ताओं को ऋण देने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए।

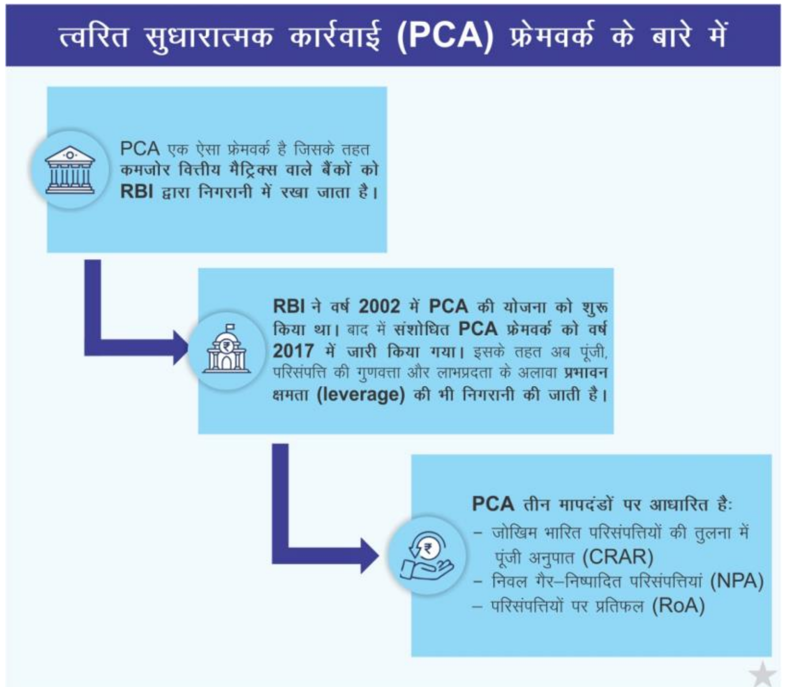

बेसल मानदंडों के बारे में

- **बेसल मानदंड:** यह **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS)** द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियमों के लिए जारी किए गए मापदंड हैं।
  - इन मानदंडों का लक्ष्य **दुनिया भर में बैंकिंग विनियमों में सामंजस्य स्थापित करना** और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है।

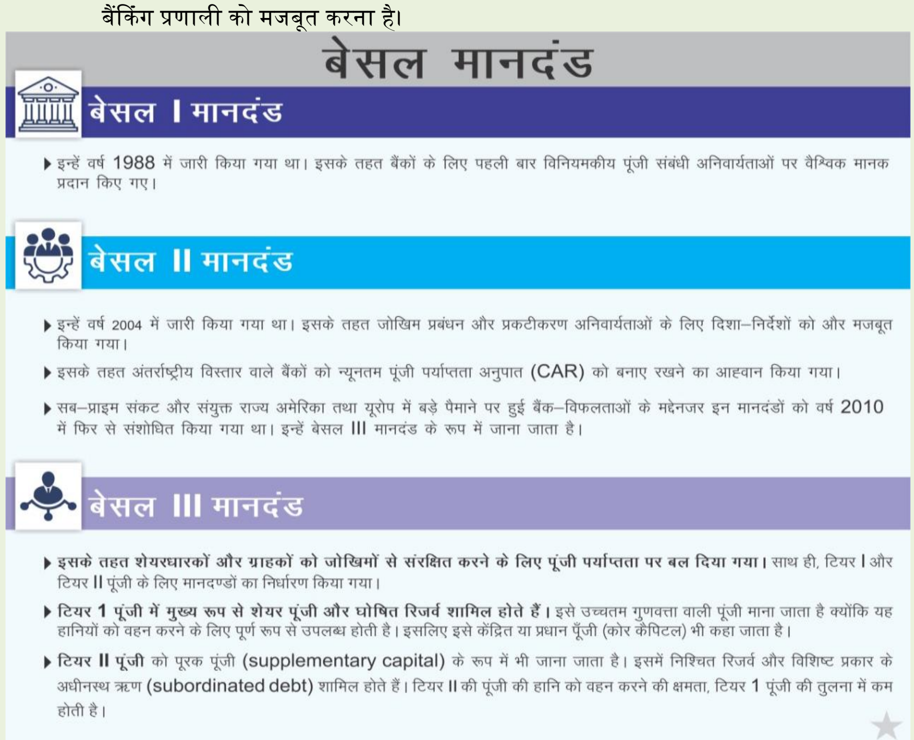

---

13 Prompt Corrective Action
14 Capital Adequacy Ratio
15 Capital to Risk-weighted Assets Ratio
16 Basel Committee on Banking Supervision

- **NPAs से निपटना:** बैंकों का किसी भी प्रकार से पुनर्पूंजीकरण करने से उनका पूँजी आधार मजबूत होगा। इससे उन्हें अशोध्य ऋण (bad loans) को बट्टे खाते (write-off) में डालने में मदद मिलेगी।
- **अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन:** इससे ऋण पर लगने वाली ब्याज दरों में कमी आएगी, कुल माँग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे निष्क्रिय पड़े कारखाने को चलाने के लिए अतिरिक्त ऋण मिल पाएगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **महत्वपूर्ण बैंकों को डूबने से बचाना:** बड़े और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों को डूबने से बचाने के लिए पहले भी बैंको को बेलआउट पैकेज दिए जाते रहे हैं।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने की योजना कैसे बनाती है?

- पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम के लिए सरकार **बैंक पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड** जारी करके, **बजटीय आवंटन** द्वारा और **बाजार से धन की उगाही** के माध्यम से धन जुटाती है।
- **बैंक पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड (Bank Recapitalisation Bonds):**
  - सरकार बॉण्ड्स जारी करती है, **जो बैंकों द्वारा खरीदे यानी अभिदत्त (subscribed) किए जाते हैं।**
  - इसके तहत सरकार द्वारा एकत्र की गई राशि, बैंको को **इक्विटी पूंजी के रूप में** प्रदान की जाती है। इस प्रकार, **सरकार बैंक में इक्विटी होल्डिंग के माध्यम से अपनी शेयर-धारिया बढ़ाती है,** जिससे बैंकों के पूंजी भंडार में वृद्धि होती है।
- बैंकों द्वारा पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड में निवेश की गई राशि को **निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उन्हें ब्याज मिलता है।** इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि इसके तहत किसी भी प्रकार की राशि सरकारी खजाने से जारी नहीं की जाती है।

पुनर्पूंजीकरण के विरुद्ध चिंताएं

- **राजकोषीय घाटा:** PSBs को संकट से उबारने के लिए बेलआउट पैकेज जारी करने से **या तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या जन-कल्याण और पूंजीगत व्यय में कटौती होगी।**
- **बैंकों के गवर्नेंस में कोई मूलभूत बदलाव नहीं:** बैंकों के गवर्नेंस में आवश्यक मूलभूत बदलाव किए के बिना, इन्हें सार्वजनिक धन या करदाता का पैसा साल-दर-साल प्रदान किया जा रहा है।
- **कार्य संस्कृति प्रभावित होगी:** बैंकों ऋण देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरतेंगे, जब उन्हें पता होगा कि ऋण डूबने की स्थिति में सरकार उनकी मदद के लिए कदम उठाएगी।
- **जवाबदेही में कमी:** बैंक पुनर्पूंजीकरण का बैंकों के प्रदर्शन और दक्षता से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। ऐसे में यह एक अस्थायी उपाय बनकर रह गया है, जहाँ जवाबदेही के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों का अभाव भी दिखता है।

आगे की राह

- **संरचनात्मक सुधार: पी. जे. नायक समिति** की एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि सरकार को इन बैंकों और इनके बोर्ड्स के संचालन को पेशेवर बनाने के लिए बैंक निवेश कंपनी[17] गठित करनी चाहिए।
- **धन आपूर्ति करने संबंधी मानदंड:** बैंकों में धन की अतिरिक्त आपूर्ति करने संबंधी मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। साथ ही, इसे सभी PSBs के लिए **प्रभावी रूप से लागू** किया जाना चाहिए। हालांकि अलग-अलग स्थितियों के लिए भी मानदंडों को भली-भांति निर्धारित किया जाना चाहिए।
- **बेहतर निगरानी:** इसके संबंध में एक **प्रभावी निगरानी प्रणाली** स्थापित की जानी चाहिए, जो बैंको को धन की अतिरिक्त आपूर्ति करने से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करे।
- **बैंकों की स्वायत्तता:** NPAs के स्थायी समाधान के लिए, PSBs को पर्याप्त **कार्यात्मक स्वायत्तता और परिचालन में लचीलापन** प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप को भी कम किया जाना चाहिए।
- **आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन:** इसके तहत विदेशी मुद्रा, राजकोष, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा, और अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों में प्रतिभा संबंधी अभाव का समाधान करना चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों के कौशल में भी वृद्धि करनी चाहिए।

PSB यानी सार्वजनिक क्षेत्र का कोई बैंक कैसे कमजोर हो जाता है?

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का उच्च स्तर:** बहुत सारे PSBs अपने द्वारा बांटे गए ऋण को बट्टे खाते में डाल देते हैं, उनका NPAs उच्च स्तर पर बना रह रहता है, साथ ही वे अपनी संपत्ति को बढ़ाने में पीछे रह जाते हैं। दूसरी ओर, अशोध्य ऋण से बैंक की लाभप्रदता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ऐसे में ये बैंक निजी बैंकों की तुलना में अधिक गंभीर खतरों का सामना करते हैं।
- **PSBs के मामले में RBI की शक्तियां:** RBI ने कहा है कि वर्ष 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत RBI को प्राप्त कुछ शक्तियां, PSBs के मामले में उपलब्ध नहीं हैं।
  - इनमें शामिल हैं- PSBs के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को हटाना तथा नियुक्त करना, निदेशक मंडल को बदलना एवं उन्हें लाइसेंस प्रदान करना।
- **बोर्ड्स की गुणवत्ता:** सभी PSBs के बोर्ड्स में एक समान गुणवत्ता मौजूद नहीं है। अधिकांश निदेशकों में दूरदर्शिता का अभाव है और उनमें से कई तो उधारकर्ताओं को ऋण दिलाने के लिए मध्यस्थता भी करते हैं। साथ ही, अधिकांश में दूरदर्शिता के साथ वरिष्ठ प्रबंधन का मार्गदर्शन करने की क्षमता भी नहीं है।

[17] Bank Investment Company

- **CEO की गुणवत्ता और कार्यकाल:** कुछ समय पहले तक, इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी थी। साथ ही, इस पर औद्योगिक घरानों, सत्ताधारी राजनीतिक दलों और नौकरशाहों का प्रभाव भी था।
- **PSBs के अधिकारियों की अपर्याप्त वेतन संरचना:** अपर्याप्त वेतन संरचना किसी कुशल प्रतिभा को काम पर रखने और उन्हें नैतिक रूप से जोड़े रखने के समक्ष बाधा पैदा करती है।

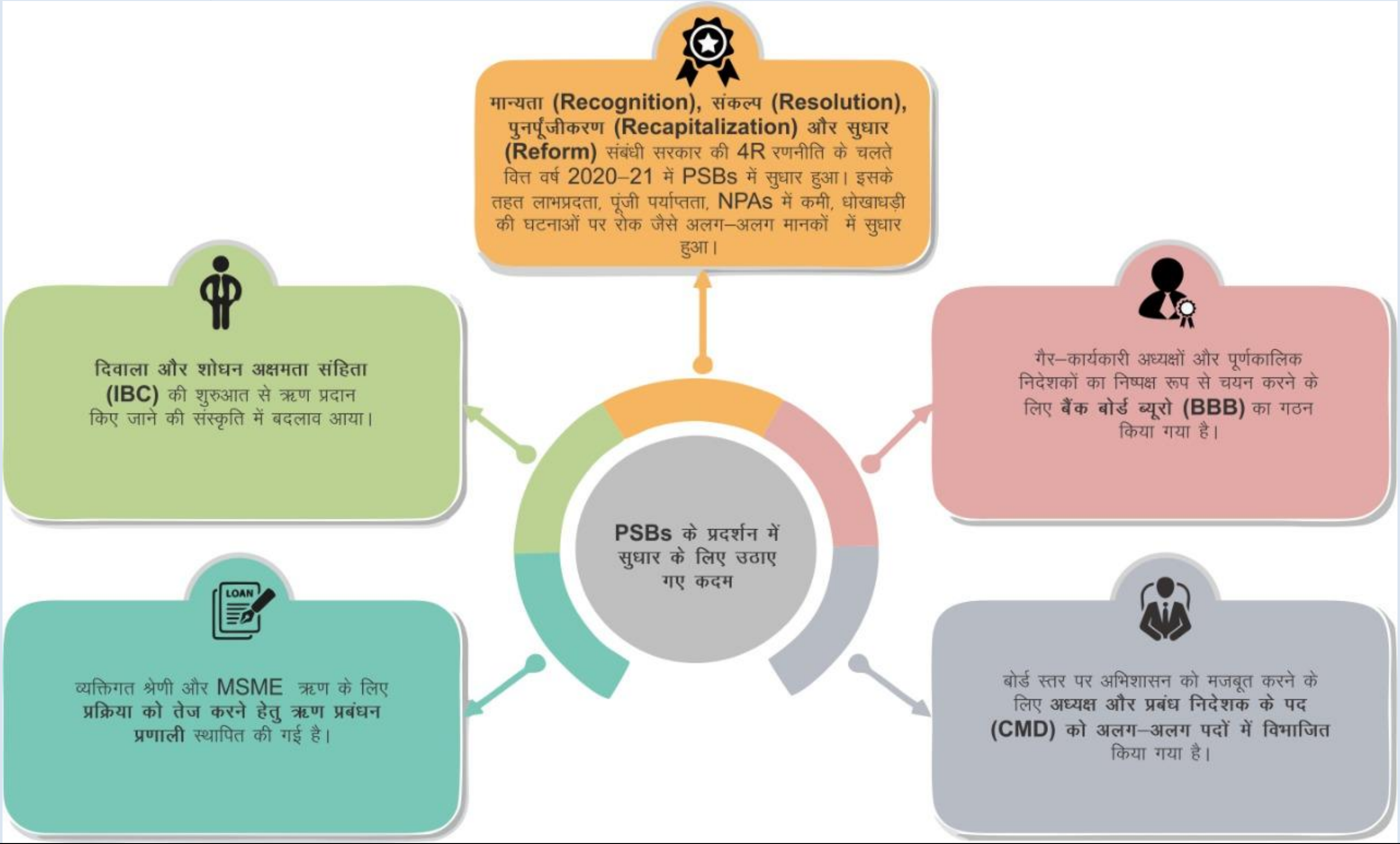

3.2. विकास वित्तीय संस्थान (DEVELOPMENT FINANCIAL INSTITUTIONS: DFIs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक **(NaBFID)**[18] वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही से परिचालन शुरू करेगा। वित्त वर्ष 2023 के लिए अवसंरचना हेतु **1 लाख करोड़ रुपये** का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **NaBFID (मुख्यालय: मुंबई)** की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत एक **विकास वित्तीय संस्थान (DFI)** के रूप में की गई है।
- इसकी **अधिकृत शेयर पूँजी (authorized share capita) 1 लाख करोड़ रुपये** है।
- RBI द्वारा इसका एक **अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI)**[19] के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। RBI द्वारा यह कार्य **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45L और 45N** के तहत किया जाएगा।
    - यह **एक्जिम बैंक** (EXIM BANK)**, नाबार्ड** (NABARD), **राष्ट्रीय आवास बैंक** (NHB) **और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** (SIDBI) के बाद **5वाँ AIFI** होगा।

[18] National Bank for Financial Infrastructure and Development
[19] All-India Financial Institution

DFI: उद्देश्य और महत्व

DFIs मुख्यतः समग्र आर्थिक विकास के लिए ऋण **(दीर्घकालिक पूँजी)** प्रदान कर महत्वपूर्ण उद्देश्यों (इन्फोग्राफिक देखें) की पूर्ति करते हैं। विकासशील देशों में इनके द्वारा वित्तपोषण और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि:

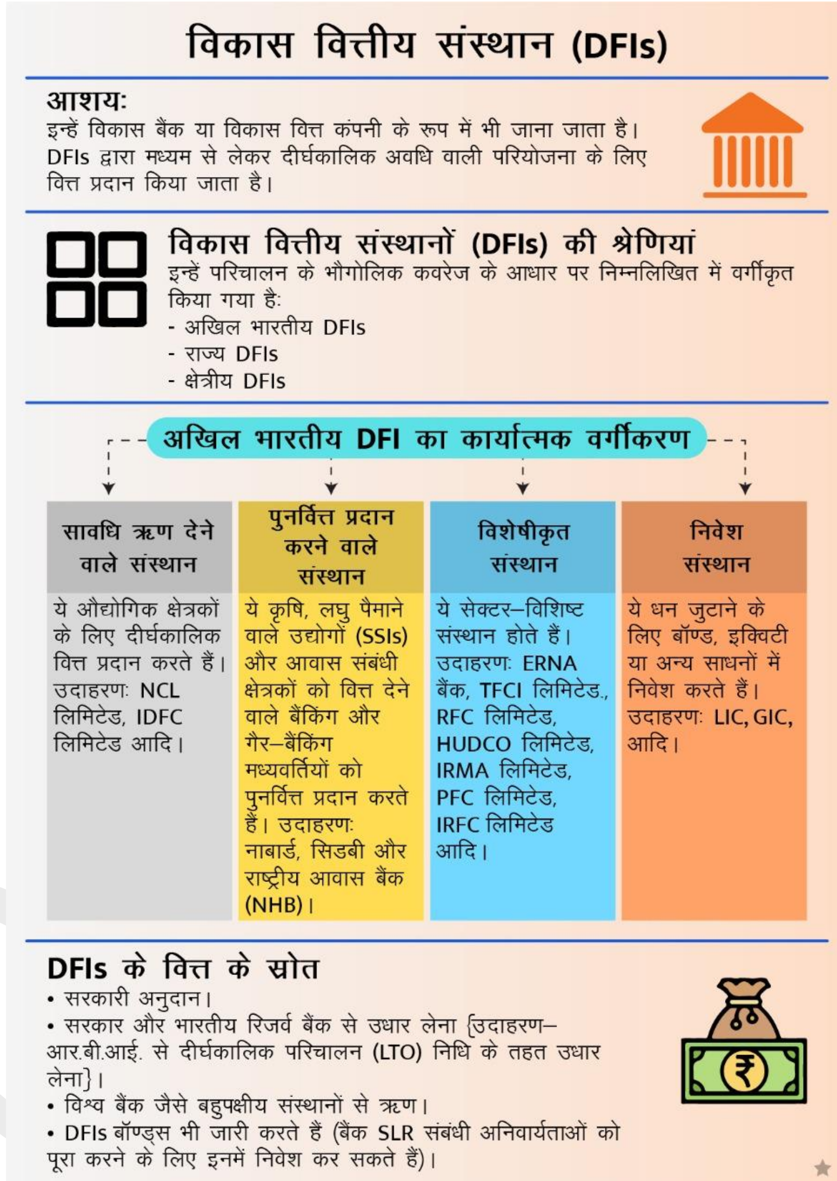

- **वित्त पोषण:** DFIs मुख्यतः **मध्यम से लेकर लंबी परिपक्वता अवधि** वाली परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराते हैं। दूसरी ओर, वाणिज्यिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए बड़े ऋण देने से प्रायः हिचकते हैं।
    - यह निम्नलिखित के कारण महत्वपूर्ण भी हो जाता है:
        - लंबी अवधि के वित्तपोषण में भुगतान संबंधी देरी या परियोजनाओं के विफल होने का जोखिम रहता है;
        - दीर्घकालिक ऋण या वित्तपोषण से बैंकों का बैलेंस शीट असंतुलित हो जाता है, ऐसे में परिसंपत्ति-दायित्व असंतुलन के कारण बैंकों की तरफ से प्रणालीगत जोखिम बना रहता है; और
        - भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार की व्यापकता पर्याप्त नहीं है।
- **सहायक कार्य:** वित्तीय सहायता के अलावा, कई DFIs राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक कंपनियों को वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी सलाह तथा परामर्श भी प्रदान करते हैं।
- **विकल्पों की विविधता:** DFIs के कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर उद्यमों को निम्नलिखित माध्यम से फंड मिल सकता है:
    - कंपनियों के बॉण्ड और डिबेंचर के माध्यम से; प्रतिभूतियों की अंडरराइटिंग के माध्यम से; ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से; और अन्य विदेशी तथा घरेलू स्रोतों से ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के के माध्यम से।
- **ख्याति का निर्माण:** DFIs से प्राप्त ऋण, कंपनियों को अपनी ख्याति का निर्माण करने में मदद करता है। इससे उन्हें पूँजी बाजार और अन्य स्रोतों से भी उधार लेने में मदद मिलती है।
- **संकटकालीन वित्तपोषण:** DFIs, कंपनियों की संकट या मंदी के समय में भी मदद करते हैं जब अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं या ऋण की लागत उच्च होती है।
- **पुनर्भुगतान करने संबंधी कम दबाव:** व्यवसायों को ऋण के लिए अधिस्थगन और आसान पुनर्भुगतान विकल्प उपलब्ध होता है। ऐसे में अन्य स्रोतों की तुलना में व्यवसायों पर ऋण पुनर्भुगतान करने संबंधी दबाव कम होता है।

DFIs से वित्तपोषण के समक्ष चुनौतियां

DFIs से वित्तपोषण यानी ऋण प्राप्त करने में कुछ बाधाएं भी हैं (इन्फोग्राफिक देखें)। दूसरी ओर, DFIs स्वयं भी निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करते हैं:

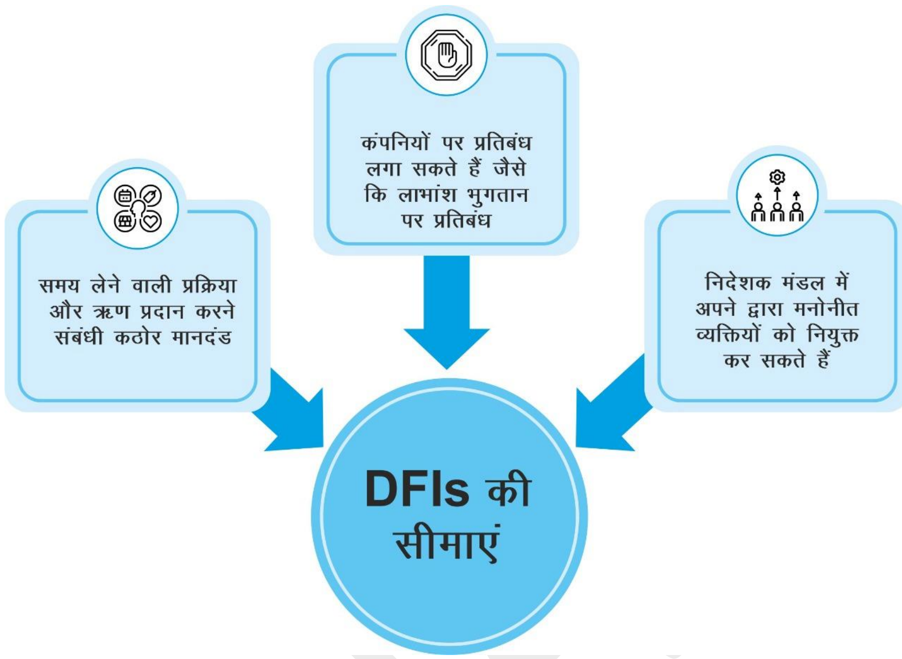

- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दा:** DFIs मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति सुभेद्य होते हैं।
- **सक्षमता:** DFIs से उम्मीद की जाती है कि वे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ जोखिमों का सामना करने की रणनीति में सक्षम हों। इसके लिए प्रबंधन के स्तर पर इस तरह की क्षमता और कौशल बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।
  - इसके अतिरिक्त, वेतन संबंधी व्यापक अंतराल के कारण सार्वजनिक DFIs के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने में, निजी अभिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।
- **वित्तीय संधारणीयता का मुद्दा:** DFIs की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अक्सर यह लाभप्रदता को कम वरीयता देते हैं, जिससे इन्हें नुकसान होता है। उदाहरण के लिए-
  - प्रारंभिक दौर की सफलता के बाद, कई DFIs को अपने अस्तित्व के समक्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके कारण DFIs जैसे कि **भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम**[20] का **ICICI बैंक** में (वर्ष 2002 में) और **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक** का **IDBI बैंक** में (वर्ष 2004 में) विलय हो गया।
- **तीव्र प्रतिस्पर्धा:** विदेशी फंड के प्रवाह में वृद्धि और अन्य स्रोतों से धन जुटाने के विकल्पों के कारण DFIs को तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में DFIs के लिए अपनी लाभप्रदता को बनाए रखना तथा प्रतिस्पर्धा का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- **अन्य चुनौतियां:** भ्रष्टाचार का मुद्दा; परिचालन संबंधी दक्षता में कमी; धन जुटाने के संबंध में सीमित लचीलापन; कार्य निष्पादन के संबंध में आकलन या पारदर्शिता का अभाव; आदि ने भी DFIs के लिए कठिनाइयां बढ़ाई हैं।

आगे की राह

- **लचीली संगठन संरचना** मुख्यतः एक कुशल संगठन और परिचालनगत लचीलेपन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने में संगठन को सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए-
  - DFIs की तुलना में, कंपनी की संरचना कहीं अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करती है।
- अधिदेश को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में एक उपयुक्त स्थिति और व्यावसायिक रणनीति हेतु **बोर्ड के विचार-विमर्श की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए।**
  - प्रमुख सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए **वार्षिक व्यावसायिक योजनाओं का उपयोग,** इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- DFIs को **परिचालन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।** यह चयन संबंधी नीतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दों को दूर करेगा। साथ ही, यह DFIs को और प्रतिभाओं को शामिल करने तथा उन्हें अपने साथ बनाए रखने में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए, **प्रदर्शन-आधारित पारिश्रमिक,** उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने में मदद कर सकता है।
- जोखिम से बचने या अतिरिक्त अनुपालन संबंधी डर को दूर करने हेतु निर्णय लेने के संबंध में **पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करना चाहिए।** उदाहरण के लिए, हालिया NaBFID अधिनियम के तहत जांच और अभियोजन के लिए पूर्व-अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है, जो नेक नियत से लिए गए निर्णयों हेतु एक रक्षोपाय है।

---
[20] Industrial Credit and Investment Corporation of India

- बदलते माहौल में परिचालन संबंधी दक्षता को बनाए रखने और सक्षम बने रहने; और दूसरों को बेहतर सहायता प्रदान करने; कौशल का नया समुच्चय प्रदान करने हेतु **क्षमता निर्माण** करना चाहिए।
- DFIs की उत्पाद संरचनाओं और मूल्य निर्धारण में **वित्तीय संधारणीयता सिद्धांतों को लागू करना चाहिए।** इससे DFIs को कम प्रतिफल, कम जोखिम और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की तलाश में रहने वाले निजी (खुदरा) निवेशकों को लक्षित करने में मदद मिलेगी।
- DFIs को सर्वोत्तम सुशासन प्रथाओं को शामिल करना चाहिए। इसके लिए सेबी के दिशा-निर्देशों के आधार पर गैर-सूचीबद्ध DFIs द्वारा **व्यापक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों को अपनाना** चाहिए। साथ ही, इस क्षेत्रक में अधिक सामंजस्य के लिए DFIs में **अधिक समन्वय और सहयोग** होना चाहिए।

3.3. सागरमाला कार्यक्रम (SAGARMALA PROGRAMME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के प्रमुख कार्यक्रम **सागरमाला** को सात वर्ष पूरे हो गए हैं।

सागरमाला के बारे में

- सागरमाला देश की तटरेखा और अंतर्देशीय जलमार्गों का लाभ उठाने के लिए परियोजनाओं की वह श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25 मार्च, 2015 को सागरमाला की अवधारणा को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम के भाग के तौर पर एक **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)**[21] तैयार की गई। इसे अप्रैल, 2016 में मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 में जारी किया गया। **NPP में भारत की लगभग 7,500 कि.मी. समुद्री तट रेखा, 14,500 कि.मी. संभावित नौगम्य जलमार्गों और समुद्री क्षेत्र का व्यापक विकास करना शामिल है।**
- इसके लक्ष्य हैं:
  - **पत्तन का आधुनिकीकरण और नए पत्तनों का विकास करना,**
  - **पत्तन कनेक्टिविटी में वृद्धि करना,**
  - **पत्तन आधारित औद्योगीकरण करना,**
  - **तटीय समुदाय का विकास करना, आदि।**

- सागरमाला कार्यक्रम के तहत चिन्हित परियोजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से **निजी या सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)** के माध्यम से संबंधित पत्तन, राज्य सरकार / समुद्री बोर्ड, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए **राज्य सरकार और अन्य MoPSW एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:**
  - पत्तन अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय बर्थ परियोजनाओं, सड़क और रेल परियोजनाओं, मछली पकड़ने के पत्तनों, कौशल विकास परियोजनाओं, क्रूज टर्मिनल और विशिष्ट परियोजनाओं जैसे रो-पैक्स नौका सेवाओं आदि।
- सागरमाला कार्यक्रम के तहत वर्ष 2035 तक 5.48 लाख करोड़ रुपये की 802 परियोजनाएं कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 99 हजार करोड़ रुपये की 194 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

[21] National Perspective Plan

सागरमाला कार्यक्रम का महत्व

- **लॉजिस्टिक लागत में कमी:** सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात-आयात (EXIM) और घरेलू व्यापार के मामले में लॉजिस्टिक की लागत में कमी लाना है। इसके लिए अवसंरचना में आवश्यक निवेश किया जा रहा है।
    - सागरमाला कार्यक्रम के तहत, पत्तनों और घरेलू उत्पादन/उपभोग केंद्रों के बीच बेहतर संपर्क या कनेक्टिविटी प्रदान करने पर बल दिया गया है।
- **बढ़ती दक्षता:**
    - **प्रमुख पत्तन (महापत्तन) का आधुनिक अभिशासन:** भारत में प्रमुख पत्तनों (मेजर पोर्ट्स) के प्रशासन के लिए एक नया युग शुरू हुआ है, जिसमें उन्हें निर्णय लेने अधिक स्वायत्तता मिली है। इससे. प्रमुख पत्तन विकास के 'लैंडलॉर्ड मॉडल' को अपनाकर विश्व स्तरीय पत्तन अवसंरचना प्रदान करने में भी सक्षम होंगे।
    - **प्रमुख पत्तनों और पोत परिवहन क्षेत्र में व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business: EODB):**
        - **निर्बाध कार्गो आवाजाही:** इसका लक्ष्य कार्गो आवाजाही के लिए पत्तनों पर उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। साथ ही, सूचना के आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके परिणामस्वरूप त्वरित, कुशल, झंझट मुक्त और निर्बाध कार्गो आवाजाही को बढ़ावा मिला है।
        - **परिचालन दक्षता में सुधार:** इसका उद्देश्य मौजूदा अवसंरचना के आधुनिकीकरण और उन्नयन, तथा बेहतर मशीनीकरण के अलावा अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए व्यवसाय संबंधी कार्यप्रणाली को पुनः निर्धारित करना है।
- **अर्थव्यवस्था की सहायता**: मजबूत समुद्री क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सागरमाला कार्यक्रम में ब्लू इकोनॉमी के सभी महत्वपूर्ण घटक जैसे कि पत्तन दक्षता और आधुनिकीकरण; पत्तन कनेक्टिविटी; पत्तन आधारित औद्योगीकरण और तटीय समुदाय का विकास करना भी शामिल है।
    - सागरमाला कार्यक्रम से वर्ष 2025 तक भारत का पण्य निर्यात बढ़कर 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही, यह 1.0 करोड़ नए रोजगार (चालीस लाख प्रत्यक्ष रोजगार) पैदा कर सकता है।
    - जीवन स्तर में सुधार के लिए इसके तहत पत्तन आधारित स्मार्ट शहरों और अन्य शहरी अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
- **क्षेत्रीय विकास में सहायता:** इसके तहत भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति को मजबूती प्रदान की जा रही है। इससे वैश्विक व्यापार समुदाय को यह संकेत जाता है कि वैश्विक समुदाय के सदस्य के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय पोत-परिवहन मार्गों को किसी भी खतरे से मुक्त रखने का प्रयास करेगा।
    - सागरमाला पहल के तहत भारत अफ्रीकी, पश्चिम एशियाई और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने पुराने पारंपरिक व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित कर सकेगा।

जलमार्गों की संभावनाओं को साकार करने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के तहत की गई पहल

- तटीय जल-मार्गों पर ट्रांसशिपमेंट कंटेनर, खाली कंटेनर, उर्वरक और कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी वस्तुओं को ले जाने वाले **विदेशी ध्वज वाले जहाजों को लाइसेंस में छूट प्रदान की गयी है।**
    - रो-रो, हाइब्रिड रो-रो, रो प्योर कार कैरियर, प्योर कार और ट्रक कैरियर, LNG कैरियर पोतों और ओवर-डायमेंशनल या प्रोजेक्ट कार्गो वाले विशेष पोतों के लिए तटीय पोत परिवहन हेतु लाइसेंस संबंधी छूट को बढ़ाया गया था।
- **तटीय बर्थ योजना के तहत,** समुद्री/राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो/यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के निर्माण का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। यह वित्तीय सहायता कुल परियोजना लागत या अधिकतम फंड सीमा के 50% तक की जा सकती है।
- **उन्नति परियोजना (Project Unnati) के तहत, 12 प्रमुख पत्तनों की दक्षता और उत्पादकता** संबंधी मुख्य प्रदर्शन सूचकांक (KPI)[22] में सुधार लाने के लिए वैश्विक मानदंडों को अपनाया गया है।
- तटीय पोतों के लिए **पोत और कार्गो संबंधित शुल्क पर प्रमुख पत्तनों द्वारा कम-से-कम 40% की छूट** प्रदान की जाती है।
- महाराष्ट्र के तट के उत्तरी हिस्से में **वधावन में एक नए डीप ड्राफ्ट पोर्ट का विकास** आकार ले रहा है।
- देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT)[23] को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत **111 (5 मौजूदा और 106 नए सहित) राष्ट्रीय जलमार्गों (NW) की घोषणा** की गई है।
- **पत्तन आधारित औद्योगीकरण के लिए, 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZ) की परिकल्पना** की गई है। इनमें से तीन तमिलनाडु में हैं।

भारतमाला और सागरमाला के बीच अंतर

- भारतमाला, **देश भर में सड़क संपर्क को बढ़ावा देना वाला एक** व्यापक कार्यक्रम है। सागरमाला, **तट रेखा के साथ पत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण करने** वाला सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
- 'भारतमाला परियोजना' के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण या उन्नयन किया जाना है। इसके अलावा, 'सागरमाला परियोजना' के तहत, तटीय क्षेत्रों और पत्तनों के निकटवर्ती क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है।

[22] Key Performance Index
[23] Inland Water Transport

©Vision IAS

- **तटीय समुदाय का विकास:** यह कौशल विकास और आजीविका से संबंधित गतिविधियों का निर्माण करके; मत्स्यन का विकास करके; तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के संधारणीय विकास को बढ़ावा दे रहा है।
  - इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए एक **सामुदायिक विकास कोष** का भी निर्माण करना है।
- **कौशल विकास को बढ़ावा देना:** तटीय आबादी को कौशल सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में **दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना सागरमाला अभिसरण कार्यक्रम** के तहत 1,900 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

चुनौतियां

- **संसाधन जुटाना:** ICRA के एक अध्ययन के अनुसार, समयबद्ध रूप से निवेश जुटाने में चूक और पर्याप्त बजटीय सहायता की कमी से परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ता है।
- **अनेक प्रकार के कर:** प्रमुख समुद्री देशों की तुलना में भारत में पोत परिवहन उद्योग पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। इसके कारण पोत परिवहन कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करना अनाकर्षक हो जाता है।
- **अकुशल समन्वय: परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति** ने MoPSW तथा कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के बीच निम्न-स्तरीय समन्वय को लेकर निराशा व्यक्त की है। सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर और तेजी से पूरा करने पर जोर देने के बजाय, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा को बढ़ाया जाता रहा है।
  - इस समिति ने **अनुमोदित लागत और निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित निगरानी तंत्र** स्थापित करने की सिफारिश की है।
- **कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि:** कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से पोत परिवहन उद्योग के लिए परेशानी और बढ़ा रही है, क्योंकि पिछले एक वर्ष में पोतों की ईंधन लागत में 40-50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- **पर्यावरणीय मुद्दे: तटों पर निम्नलिखित के संबंध में पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है:**
  - **तटीय क्षेत्र में अपरदन तथा तटीय क्षेत्र में निक्षेपण के संबंध में, तथा**
  - **समुद्र तल-कर्षण** और समुद्र तल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली **गंभीर समस्याओं के संबंध में।**
    - सागरमाला कार्यक्रम के तहत पत्तनों की संख्या में भारी वृद्धि के साथ-साथ बड़ी परियोजनाओं को घोषणा का अत्यधिक संख्या में पत्तनों की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता के साथ तालमेल नहीं है।
    - **तमिलनाडु में एक आगामी पत्तन एनायम पत्तन** के दुष्परिणामों को अव्यवहार्य माना जाता है और इसके कारण सघन आबादी वाले तटीय जिले में व्यापक विस्थापन होगा।
- **सुरक्षा का मुद्दा:** समुद्र तट पर लगभग 200 छोटे पत्तनों का निर्माण करना भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष

भारत का समुद्री क्षेत्रक व्यापक रूप से परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार की मात्रा में वृद्धि के साथ इस क्षेत्रक में काफी वृद्धि होने की संभावना है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत पत्तन संबंधी अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर सरकार का विशेष बल रहा है और पत्तनों ने इसके तहत कई पहलों को भी आरंभ किया है। साथ ही, इस क्षेत्रक के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियां और कानून मौजूद हैं। हालांकि, इस संबंध में निरंतर प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए अभी भी कार्गो और क्रूज दोनों मोर्चों पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

3.4. भारतनेट (BHARATNET)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार भारतनेट परियोजना के लिए एक संशोधित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)[24] मॉडल लाने की योजना बना रही है।

भारतनेट के बारे में

- भारतनेट परियोजना, **नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (NOFN)** का नया ब्रांड नाम है। इसे देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
- इसे दूरसंचार विभाग (DoT) के अंतर्गत **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा कार्यान्वित** किया जा रहा है।
- इसे **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)** द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

[24] Public-Private Partnership

भारतनेट परियोजना का महत्त्व

- **डिजिटल अंतराल को दूर करना:** दूरसंचार के दोनों हिस्सों (वायर्ड/तारयुक्त और मोबाइल ब्रॉडबैंड) में ज्यादातर ग्राहक शहरी क्षेत्रों में हैं। भारतनेट का लक्ष्य इस डिजिटल अंतराल को कम करते हुए देश के कोने-कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- **सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना:** यह ग्राम प्रशासन के प्राथमिक स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, नागरिक-केंद्रित सेवाओं, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ई-शिक्षा और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।
- **परिवर्तन को सक्षम बनाना:** भारतनेट **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** का महत्त्वपूर्ण स्तंभ/घटक है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतनेट का बहुत अधिक महत्व है।
- **GDP में वृद्धि करने वाला:** एक अध्ययन के अनुसार, भारत में इंटरनेट के प्रत्येक 10 प्रतिशत उपयोग से सकल घरेलू उत्पाद में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

"भारत नेट के चरण"

चरण I

- एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए **दिसंबर 2017 में पूरा हुआ।**

चरण II

- भूमिगत फाइबर, बिजली लाइनों पर फाइबर, रेडियो और उपग्रह मीडिया के इष्टतम मिश्रण का उपयोग करके **सभी 2,50,000 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।**
- **चरण 2 का कार्यान्वयन** राज्य आधारित मॉडल, निजी क्षेत्रक आधारित मॉडल, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम आधारित मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है।

चरण III

- **इसे वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।** इस दौरान जिलों और ब्लॉक के बीच फाइबर सहित भविष्य को ध्यान में रखकर अत्याधुनिक नेटवर्क प्रदान किया जाएगा।

भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में समस्याएं

- **राइट ऑफ वे (RoW) चुनौती:** परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 'मुफ्त' RoW की सुविधा के लिए दूरसंचार विभाग, राज्य सरकारों और BBNL के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बावजूद, कार्यान्वयन चरण के दौरान कई समस्याएं सामने आईं, जिसके कारण देरी हुई।
- **सेवाओं की गुणवत्ता:** संपूर्ण भारत की पंचायतें सेवा गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से शिकायत करती रही हैं। इसमें लाइन में बारंबार खराबी, अत्यधिक डाउनटाइम और सर्विस रिक्वेस्ट (सेवा अनुरोधों) पर प्रतिक्रिया में देरी जैसी कई कमियां शामिल हैं।
- **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की भूमिका:** CAG की एक मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, CSC को भारी भुगतान के बावजूद, विभिन्न सर्किल में केबल और अन्य बुनियादी ढांचे का रख-रखाव उचित नहीं पाया गया। इसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर सेवा की गुणवत्ता खराब हुई है।
- **सिंगल विंडो क्लीयरेंस का अभाव:** इसने परियोजना के क्रियान्वयन में देरी में बड़ा योगदान दिया है। ऐसा भूमि की उपलब्धता, मौजूदा अवसंरचना संबंधी कार्यों के साथ टकराव और कार्यान्वयन तथा मंजूरी में कई एजेंसियों के शामिल होने जैसे मुद्दों के कारण हुआ है।
- **क्रियान्वयन में देरी:** योजना, डिजाइन, खरीद जैसे विभिन्न पहलुओं में कमियों और राज्यों की गैर-भागीदारी के कारण भी परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हुई है। इसके साथ ही राज्य आधारित मॉडल के अंतर्गत राज्य सरकारों की धीमी प्रगति रही है।
- **खराब अवसंरचना:** ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनिश्चितता तथा उपकरणों एवं परिसंपत्तियों को स्थापित करने और सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। इससे ग्रामीण निवासियों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करना और भी मुश्किल हो जाता है।
- **निजी ऑपरेटर्स के लिए गैर-लाभदायक:** वर्तमान में, भारतनेट पर प्रति उपयोगकर्ता डेटा खपत लगभग 1 जीबी प्रति माह है, जो निजी ऑपरेटर्स को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन हेतु अपर्याप्त है।

आगे की राह

- **BBNL के अधिदेश का फिर से निर्धारण करना:** BBNL को पूर्ण कार्यान्वयन करने की बजाय एक समन्वयकारी निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **परियोजना का बेहतर प्रबंधन:** इसमें संचालन और रख-रखाव के लिए मौजूदा कार्यप्रणाली में संपूर्ण सुधार शामिल हो सकता है। इसके साथ ही आपूर्तिकर्ताओं के लिए निगरानी और जवाबदेही की एक कठोर प्रणाली की स्थापना भी की जा सकती है।
- **समान भागीदार के रूप में राज्य की भूमिका:** केंद्र की भूमिका विभिन्न केंद्रीय विभागों के बीच वित्तपोषण, निगरानी और समन्वय तक सीमित होनी चाहिए और राज्यों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की अनुमति देनी चाहिए।
- **रियायत पाने वालों के लिए लचीली व्यवस्था:** तकनीकी और **आर्थिक दक्षता** सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु रूट, निर्माण का विकल्प, टोपोलॉजी और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में रियायत पाने वालों के लिए लचीली व्यवस्था।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** PPP को प्रभावी बनाने के लिए भारतनेट को हर संभव तरीके से निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि निजी ऑपरेटर नेटवर्क के विस्तार, संचालन, रख-रखाव और उपयोग का कठिन कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

- **राइट ऑफ वे (RoW) क्लीयरेंस:** राज्य सरकारों द्वारा निजी भागीदार को सुव्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से RoW की सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे प्रदेशों में रोजगार सृजन पर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए।

फाइबर ऑप्टिक तकनीक के बारे में

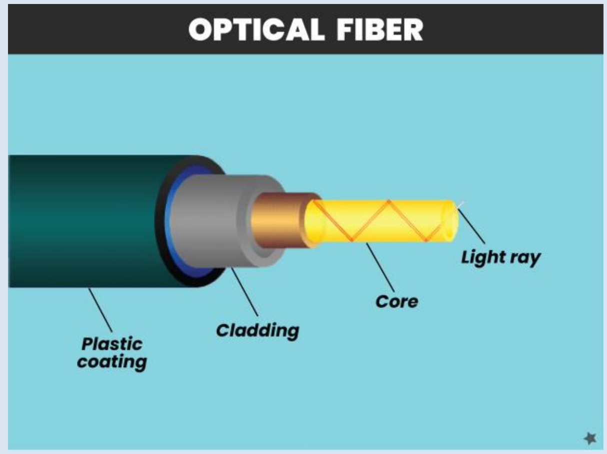

- फाइबर ऑप्टिक्स, कांच या प्लास्टिक से निर्मित **फाइबर के माध्यम से प्रकाश स्पंदन के रूप में लंबी दूरी तक सूचना प्रसारित करने के लिए** उपयोग की जाने वाली तकनीक है।
  - एक ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला, पारदर्शी फाइबर है जो कांच या प्लास्टिक को मानव बाल की तुलना में थोड़ा मोटा व्यास में खींचकर बनाया जाता है।
- आमतौर पर, एक फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली में तीन मुख्य घटक होते हैं- **ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, फाइबर ऑप्टिक केबल** और **एक ऑप्टिकल रिसीवर।**
  - ऑप्टिकल ट्रांसमीटर **इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तित** करता है।
  - फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्टिकल सिग्नल को ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से ऑप्टिकल रिसीवर तक ले जाती है।
  - ऑप्टिकल रिसीवर **ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पुनः परिवर्तित कर** देता है।
- **ऑप्टिकल फाइबर** का उपयोग दूरसंचार और नेटवर्किंग के लिए एक माध्यम के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह **लचीला होता है। साथ ही, इसका केबल के रूप में बंडल बनाया जा सकता है।**

ऑप्टिकल फाइबर केबल के लाभ

- **अधिक बैंडविड्थ:** ट्रांसमिशन के अन्य माध्यमों की तुलना में फाइबर में प्रति इकाई समय में अधिक सूचना प्रसारित करने का लाभ मिलता है।
- **कम विद्युत् ह्रास और कम व्यवधान** से लंबी दूरी तक सूचना का प्रसार संभव होता है।
- **छोटा आकार और हल्के वजन** के कारण इन्हें स्थापित करना आसान होता है।
- **लचीलापन (Flexibility):** समान व्यास के एक तांबे या स्टील फाइबर की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर की तन्यता क्षमता (Tensile Strength) अधिक होती है। यह लचीला होता है, आसानी से मुड़ जाता है और अधिकांश संक्षारक (जंग लगने वाले) तत्वों का प्रतिरोध करता है।
- **सुरक्षित (Secure):** ऑप्टिकल फाइबर को टैप करना मुश्किल होता है। चूंकि ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसलिए इनको रिकॉर्ड/इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल की कमियां

- **नाजुक (Fragility):** आमतौर पर कांच से बने ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिजली के तारों की तुलना में अधिक नाजुक होते हैं।
- **स्थापित करना कठिन:** फाइबर ऑप्टिक केबल को जोड़ना (कनेक्ट करना) आसान नहीं होता है। बहुत ज्यादा मोड़ने पर ये टूट सकते हैं।
- **संकेतों का क्षीण होना और फैलना (Attenuation & Dispersion):** जैसे-जैसे प्रसारण या संचरण दूरी लंबी होती जाएगी, संकेतों के रूप में प्रेषित प्रकाश क्षीण होता जाएगा और बिखर जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त ऑप्टिकल घटकों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी।
- **लागत:** कॉपर केबल की तुलना में इनकी लागत अधिक होती है।
- **विशेष उपकरण:** फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रायः विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है।

3.5. लिथियम आपूर्ति (LITHIUM SUPPLY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लिथियम पिछले कुछ वर्षों के दौरान **सबसे अधिक मांग वाले खनिजों** में से एक रहा है। इसका मुख्य कारण बैटरी विनिर्माण में इसका उपयोग है।

लिथियम आपूर्ति के बारे में

- **वैश्विक उत्पादन एवं मांग:** वर्तमान में लिथियम का उत्पादन **कठोर चट्टान या लवणीय खानों** से किया जाता है। **ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा** लिथियम आपूर्तिकर्ता देश है, जो कठोर चट्टानी खदानों से इसका उत्पादन करता है। **अर्जेंटीना, चिली और चीन** मुख्य रूप से लवणीय झीलों से इसका उत्पादन कर रहे हैं।
  - दिसंबर 2021 में लिथियम का कुल वैश्विक उत्पादन लगभग 4,85,000 टन था। यह **वर्ष 2023 में बढ़कर 8,21,000 टन** के आसपास हो जाएगा। इसका मापन **लिथियम कार्बोनेट समतुल्य (LCE)**[25] के आधार पर किया जाता है।
  - कुल मिलाकर, आने वाले वर्षों में वैश्विक लिथियम बैटरी बाजार वर्ष 2017 के 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर **वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।**

[25] Lithium carbonate equivalent

- वैश्विक उत्पादन अब तक वैश्विक मांग को पूरा करने में असफल रहा है, जिससे इस धातु की वैश्विक **आपूर्ति में कमी** आ गई है।
- **भारत में लिथियम:** भारत में **अब तक खोजे गए लिथियम के पहले साक्ष्य कर्नाटक के मांड्या जिले** में प्राचीन आग्नेय चट्टान के निक्षेपों में मिले हैं। प्रारंभिक खोज अपेक्षाकृत कम मात्रा में है, जिसमें लिथियम के केवल 1,600 टन निक्षेप मिले हैं।
  - मांड्या की चट्टानों में लिथियम की उपस्थिति भी अभी तक **केवल एक अनुमान** है, जिसमें खनन और निष्कर्षण में अभी कई महीने लगेंगे।
  - भारत वर्तमान में अपनी **सभी लिथियम जरूरतों का आयात करता है।** वर्ष 2016-17 और 2019-20 (30 नवंबर, 2019 तक) के बीच **अनुमानित 165 करोड़ से अधिक लिथियम बैटरियों का भारत में आयात** किया गया। इस पर **3.3 बिलियन डॉलर से अधिक का अनुमानित आयात बिल** आया।

सुरक्षित लिथियम आयात का महत्व

भारत ने **बैटरी भंडारण पारितंत्र** विकसित करने की योजना को आरंभ किया है। इसके तहत उन्नत केमिकल सेल बैटरी के लिए **कम-से-कम 50-गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता** स्थापित करना शामिल है।

- केंद्र सरकार ने भारत में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए **लिथियम-आयन सेल बनाने हेतु 18,100 करोड़ रुपये की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive: PLI) योजना** की भी घोषणा की है।
- ऐसी स्थिति में, लिथियम आपूर्ति सुनिश्चित करने से हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।
- इसकी मांग में और वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि **नई प्रौद्योगिकियों के लिए** लिथियम **एक प्रमुख तत्व** है और विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग होता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

लिथियम की आयात निर्भरता से जुड़ी चिंताएं

- **कुछ देशों में लिथियम भंडार का संकेंद्रण:** माना जाता है कि **दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया (लिथियम त्रिकोण)** के पास विश्व के **प्रमाणित लिथियम भंडार का 50% से अधिक** हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया और चीन दो अन्य देश हैं, जो लिथियम के भंडार के संबंध में शीर्ष देश होने का दावा करते हैं।
- **चीन का दबदबा और अपरिहार्य भू-राजनीतिक रेस:** लिथियम के भंडार के मामले में चीन की भारत पर बहुत बड़ी बढ़त है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) में बैटरी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह EV युग में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों को धीमा कर सकता है।
  - **बैटरी सेल विनिर्माण** की लगभग **तीन-चौथाई क्षमता** चीन में है। चीन की कंपनियों का घरेलू तथा विदेशों में बैटरी के लिए अनिवार्य कच्चे माल और प्रसंस्करण सुविधाओं पर प्रभावी नियंत्रण है।
  - चीन की कंपनियों द्वारा लिथियम आपूर्ति श्रृंखला की समग्र कमान अपने पास सुनिश्चित करने के लिए **ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका दोनों में खनन संबंधी निवेश किया गया है।** इस संदर्भ में, भारतीय सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन एक **अपरिहार्य भू-राजनीतिक रेस** में शामिल हो गए हैं।
  - वर्तमान में दुनिया की चार सबसे बड़ी खनन कंपनियां **वैश्विक लिथियम बाजार के 77% हिस्से** को नियंत्रित करती हैं। इसने **भारत और चीन के बीच एक रेस** शुरू कर दी है। इस रेस को उस **प्रतियोगिता की पुनरावृत्ति माना जा रहा है, जब ये दोनों देश विदेशी तेल और गैस क्षेत्रों के अन्वेषण** में संलग्न थे।

सुरक्षित लिथियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **अन्वेषण परियोजनाएं:** भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के मांड्या जिले में खोज के अलावा, **अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान** में सात अन्य लिथियम अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

- परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाला परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय[26] द्वारा भी **कर्नाटक एवं राजस्थान** में लिथियम अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है।

- **अन्य देशों के साथ सहयोग:** मार्च 2019 में, भारत ने **लिथियम के अन्वेषण और निष्कर्षण** के लिए **बोलीविया के साथ एक समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सामरिक खनिजों को हासिल करने के लिए **अर्जेंटीना के साथ द्विपक्षीय समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसे अर्जेंटीना में **राज्य के स्वामित्व वाले तीन संगठनों के साथ खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)** के अनुबंध के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
  - भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका लिथियम के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
  - KABIL कोबाल्ट और लिथियम की **सीधी खरीद** की संभावना भी तलाश रहा है।
- **लिथियम प्लांट:** भारत का **पहला लिथियम प्लांट वर्ष 2021 में गुजरात में स्थापित** किया गया, जहां एक निजी कंपनी ने **रिफाइनरी स्थापित** करने के लिए 1000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। यह रिफाइनरी **बेस बैटरी सामग्री के उत्पादन** के लिए लिथियम अयस्क का उपयोग करेगी।

सुरक्षित लिथियम आपूर्ति के लिए किए जा सकने वाले उपाय

- **पुनर्चक्रण या रिसाइक्लिंग पर ध्यान देना:** लिथियम अन्वेषण को तेज करने के अलावा, भारत को **उपयोग की गई लिथियम-आयन बैटरी के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण** के अवसरों का पता लगाना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में यह सुझाव दिया गया है कि लिथियम-आयन बैटरी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैटरी पुनर्चक्रण एक समाधान के रूप में काम आ सकता है। इससे **लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और ग्रेफाइट की 80-90% की रिकवरी या पुनर्प्राप्ति** हो सकती है।
  - इन कीमती धातुओं के खनन से संबंधित **पर्यावरणीय और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं** के कारण भी पुनर्चक्रण काफी महत्वपूर्ण है।
  - लिथियम-आयन बैटरी पुनर्चक्रण, **आपूर्ति सुरक्षा** सुनिश्चित करने के अलावा **सर्कुलर अर्थव्यवस्था** के हमारे लक्ष्य में भी मदद करेगा।
- **लिथियम-आयन बैटरी का विकल्प तलाशना: सॉलिड-स्टेट बैटरी** अपने **उच्च ऊर्जा घनत्व** और **व्यापक ऑपरेटिंग तापमान** के कारण उम्मीदों से भरा एक विकल्प है। इसके अगले 5-10 वर्षों के भीतर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो जाने की उम्मीद है।
  - **इसके विकल्प के रूप में एल्यूमीनियम-एयर बैटरी** (Al-air batteries) और **सोडियम-आयन बैटरी** भी शामिल हैं।

3.6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

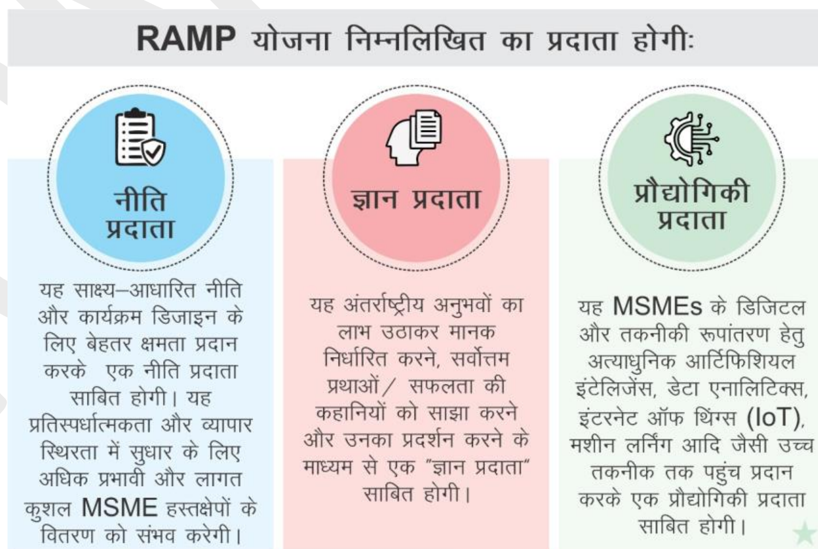

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कैबिनेट ने विश्व बैंक की सहायता वाली केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना का नाम **"रेज़िंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉरमेंस" (RAMP)**[27] है।

इस योजना के बारे में

- यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के तहत आरंभ की जा रही है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संबंधी अलग-अलग **लचीले (Resilience) और पुनर्बहाली (Recovery) संबंधी हस्तक्षेपों में सहायता करना है।**
  - इस योजना को **यू. के. सिन्हा समिति, के. वी. कामत समिति** और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप MSMEs को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया है।
- **लक्ष्य:**
  - **बाजार और ऋण तक MSMEs की पहुँच को बेहतर करना,**
  - केंद्र और राज्य में मौजूद **संस्थानों** और शासन को **मजबूत करना,**
  - **केंद्र-राज्य संबंधों** और भागीदारी **में सुधार करना,**
  - देरी से भुगतान की समस्या हल करना और MSMEs को पर्यावरण अनुकूल बनाना।

---
[26] Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research
[27] Raising and Accelerating MSME Performance

- **बजट:** इस योजना का कुल बजट या परिव्यय 6,062.45 करोड़ रुपये है। इसमें से **3,750 करोड़ रुपये विश्व बैंक ऋण के तौर पर** और शेष 2,312.45 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

MSMEs के बारे में

- **भारत में MSMEs को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित/वर्गीकृत किया गया है:**

भारत में MSMEs की परिभाषा

वर्गीकरण	सूक्ष्म (Micro)	लघु (Small)	मध्यम (Medium)
विनिर्माण उद्यम और सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यम	संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश: अधिकतम एक करोड़ रुपये और वार्षिक कारोबार अधिकतम 5 करोड़ रुपये।	संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश: अधिकतम 10 करोड़ रुपये और वार्षिक कारोबार अधिकतम 50 करोड़ रुपये।	संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश: अधिकतम 50 करोड़ रुपये और वार्षिक कारोबार अधिकतम 250 करोड़ रुपये।

- **आर्थिक योगदान:**
  - इसका **भारत की GDP में 29%** योगदान है।
  - **इसमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों (कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्रक) को रोजगार मिला है।**
- हालांकि, विभिन्न चिरकालिक और आधुनिक चुनौतियों के कारण इनकी व्यवहार्यता संदिग्ध बनी हुई है:
  - वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 (9 मार्च, 2022 तक) के दौरान, MSMEs के रूप में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय के पास पंजीकृत 5,907 उद्यम देश में बंद हो गए। इनमें से **99.1 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम** थे, जबकि 0.75 प्रतिशत लघु उद्यम थे।
  - **अगर उन संस्थाओं को भी शामिल कर लिया जाए जो MSMEs के रूप में पंजीकृत नहीं हैं**, तो यह संख्या और ज्यादा हो सकती है।

MSMEs को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल

- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (MEGP)**[28]**:** इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु स्वरोजगार उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (CGT SME)**[29]**:** MSE द्वारा बैंक को गारंटी शुल्क के भुगतान करने पर, किसी MSE के लिए 1 करोड़ रुपये तक का ऋण बिना किसी जमानत (कॉलेटरल) के उपलब्ध है।
- **शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED प्रमाणन योजना:** इसका उद्देश्य MSMEs को इस योग्य बनाना है कि वे 'ज़ीरो डिफेक्ट एंड ज़ीरो इफ़ेक्ट' तरीका अपना कर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करा सकें और साथ ही अपने उत्पाद में लगातार सुधार करते रहें। इन प्रयासों से मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस":** इसमें MSME की शिकायतों के निवारण और उनके मार्गदर्शन सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलू शामिल हैं।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)**[30]**:** इस योजना का उद्देश्य संधारणीय और हरित विनिर्माण प्रौद्योगिकी, बाजार तक पहुँच, कौशल और गुणवत्ता आदि से संबंधित समस्याओं को हल करके MSEs की संवृद्धि सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, MSEs के मौजूदा क्लस्टर और औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचनाओं का निर्माण भी इसके उद्देश्य में शामिल है।

भारत में MSMEs के समक्ष चुनौतियां

- **वित्त:**
  - **भुगतान में देरी:** भारत के MSMEs को शीघ्र भुगतान और बेहतर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए MSME समाधान (SAMADHAAN) पोर्टल शुरू किया गया था। इसके शुरू होने के चार साल बाद, पोर्टल पर राहत के लिए दायर किए गए आवेदनों की संख्या एक लाख के करीब हो गई है।

---
28 Prime Minister Employment Generation Programme
29 Credit Guarantee Trust Fund for Micro & Small Enterprises
30 Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme

- इन आवेदनों के तहत भुगतान में देरी वाली कुल राशि काफी अधिक यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपये है। हालांकि, इन लंबित आवेदनों के निपटारे में कई साल लग सकते हैं।

  - **क्रेडिट गैप:** MSMEs के लिए औपचारिक ऋण की सुलभता अभी भी एक चुनौती है। मोटे तौर पर MSME को मिलने वाला 40 प्रतिशत ऋण अनौपचारिक क्षेत्रक (वर्ष 2018 में) के माध्यम से प्राप्त होता है। अनौपचारिक क्षेत्रक में ब्याज दरें औपचारिक बाजार की तुलना में कम-से-कम दोगुनी होती हैं। व्यापक क्रेडिट गैप के दो कारण हैं:
    - **संपत्तियों का अभाव:** संपत्ति-आधारित ऋण या सुरक्षित ऋण प्राप्त करने के लिए MSMEs के पास संपत्तियों, जैसे- भूमि और भवन आदि का अभाव होता है।
    - **ऋण जोखिम मूल्यांकन की चुनौतियां:** छोटे व्यवसायों के पास वित्तीय डेटा और ऋण के ब्यौरे की कमी के कारण वित्तीय संस्थानों को ऋण जोखिम मूल्यांकन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **अवसंरचना संबंधित बाधाएं:**
  - **भूमि:** भूमि की उच्च लागत के कारण, औद्योगिक क्षेत्रक का सर्किल रेट आमतौर पर अधिक होता है। यह MSME उद्यमी के लिए वहनीय नहीं होता है।
  - **बिजली और पानी:** बिजली और पानी कनेक्शन का देरी से मिलना; देश के कुछ हिस्सों में बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त होना।
  - **लॉजिस्टिक्स:** किफायती और कुशल लॉजिस्टिक्स/सप्लाई चेन अवसंरचना का अभाव है। इसके साथ ही, समर्पित अवसंरचनाओं, जैसे- रेडी टू मूव इन, विभिन्न सुविधाओं से लैस तैयार शुदा कारखाने का भी अभाव है।
  - **क्षमता निर्माण हेतु बेकार अवसंरचना:** अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, उत्पाद और प्रोटोटाइप विकास केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि का सुलभ न होना।
  - **खराब मार्केटिंग रणनीति:** MSMEs अपने आकार के कारण 'इकोनॉमी ऑफ़ स्केल (यानी आकारिक मितव्ययिता) के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और न ही मजबूत मार्केटिंग रणनीति बनाने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को नियुक्त कर पाते हैं। साथ ही, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर भी उनकी पर्याप्त उपस्थिति नहीं होती है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** हालांकि भारत में अच्छी तरह से विकसित बौद्धिक क्षमता के साथ तकनीकी प्रतिभा का एक विशाल पूल है, **फिर भी देश नई और नवाचारी तकनीकों के विकास, व्यावसायीकरण और अंगीकरण के मामले में पीछे है।**
- **महिला विशिष्ट समस्याएं:** भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs की संख्या केवल एक दशक में 2.15 लाख से बढ़कर 1.23 करोड़ हो गई है। हालांकि, **ये MSMEs 158 अरब डॉलर के फाइनेंशल गैप यानी पूंजी की कमी का सामना कर रही हैं** और ये बड़े पैमाने पर अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। देश में महिलाओं के स्वामित्व वाली लगभग 90 प्रतिशत MSMEs अभी भी पूंजी या ऋण हासिल करने के अनौपचारिक तरीकों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक आर्थिक बाधाएं भी महिलाओं को उद्यमी बनने से रोकती हैं।

आगे की राह

- **चुनौती का आकलन:** अनौपचारिक क्षेत्रक के छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अधिकांश MSMEs अनौपचारिक क्षेत्रक से ही संबंधित हैं। इसलिए, MSME उद्यमों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की गंभीरता को समझने के लिए पहले अनौपचारिक क्षेत्रक में होने वाले नुकसान का आकलन करना अनिवार्य है।
- **समाधान (SAMADHAAN) की पुनर्रचना:** समाधान पोर्टल को भुगतान में होने वाली देरी को रोकने वाली व्यवस्था के तौर पर काम करना चाहिए, न कि बाद में समस्या हल करने वाली व्यवस्था के तौर पर। इसके लिए, पोर्टल को बड़ी संख्या में मानकीकृत अनुबंध टेम्पलेट प्रदान करना चाहिए, जो सभी प्रकार के व्यावसायिक सौदों और लेन-देन के मुताबिक हों।
- **वित्तीय संस्थानों द्वारा नकद प्रवाह-आधारित ऋण:** नकद प्रवाह-आधारित ऋण आम तौर पर कार्यशील पूंजी ऋण होते हैं। ये किराए, वेतन, कच्चे माल की खरीद और अन्य व्यावसायिक परिचालन खर्चों का प्रबंधन करने के लिए अल्पावधि के लिए जरूरी होते हैं। इस तरह के उधार से MSMEs को औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, भले ही उनके पास गिरवी रखने के लिए संपत्ति का अभाव हो।
- **अवसंरचना संबंधित अड़चनों को दूर करने के लिए क्लस्टर विकास:** MSME क्लस्टर पूरी दुनिया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं। इन क्लस्टरों की सफलता मुख्य रूप से क्लस्टर में शामिल छोटी-छोटी फर्मे हैं। ये फर्में आपस में सहयोग करती हैं और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं, जैसे- मार्केटिंग, प्रौद्योगिकी आदि के लिए संसाधनों को सामूहिक रूप से आपस में साझा करती हैं।
- **MSMEs के लिए विपणन (मार्केटिंग) सहायता:** इसके तहत नवाचार के विपणन पक्ष को सुगम बनाना और MSMEs को 'B2B' और 'B2C' ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में शामिल होने में सहायता करना चाहिए। MSMEs द्वारा आबादी के अलग-अलग वर्ग को लक्षित करने के लिए SMS, डिजिटल

न्यूजलेटर और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट मेल जैसे प्रौद्योगिकी माध्यमों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, MSMEs को पूर्ण और कम लागत वाले ICT समाधान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना चाहिए।

- **सरकार की नीतियों को मजबूत बनाना:** उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
    - **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLG):** MSMEs के लिए ECLG के तहत **ऋण चुकौती अवधि को सात-आठ साल** {वर्तमान में, अधिस्थगन (Moratorium) अवधि सहित तीन-चार साल की चुकौती अवधि} **तक बढ़ाया जाए।** संसदीय पैनल ने मूलधन पर कम-से-कम दो साल की अधिस्थगन (Moratorium) अवधि की मांग की है।
    - **सेंट्रल मार्केट इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना:** यह निकाय इस दिशा में काम करेगा कि MSME द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं का स्थान घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुएं ले सकें।
    - **प्रमाणन को सरल बनाना:** क्षेत्रीय MSME के सब्सिडी युक्त परीक्षण और प्रमाणन के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों का उपयोग करना। परीक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने, लागत कम करने और नए उद्यमियों के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय को ऐसे **वैश्विक परीक्षण केंद्रों के साथ समझौता करके एक व्यवस्था** बनानी चाहिए जिनका प्रमाणन संबंधित देशों/क्षेत्रों में स्वीकार्य हो।
    - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की तुलना में **मध्यम आकार के उद्यमों के लिए** उनकी अलग-अलग जरूरतों के **हिसाब से अलग नीतियां बनाना।**
- **महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान:** महिला उद्यमियों के लिए कई नीतिगत पैकेज और योजनाएं उपलब्ध हैं, फिर भी जमीन पर उनका प्रभाव देखा जाना अभी बाकी है। अब यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और वित्त पोषण संस्थानों को महिला उद्यमियों को ऋण तथा अनुदान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), नागरिक समाज आदि एक साथ मिलकर काम करें।

संबंधित सुर्ख़ियाँ

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME इनोवेटिव स्कीम (इंक्यूबेशन, डिजाइन और IPR) शुरू की

- यह योजना एक समग्र दृष्टिकोण है जो **इंक्यूबेशन, डिजाइन संबंधी हस्तक्षेप में नवाचार को जोड़ती** है और **IPR का संरक्षण करती** है। यह भारत के नवाचार के बारे में MSMEs के बीच जागरूकता पैदा करने के साथ ही उन्हें MSME चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करेगी।
    - **चैम्पियन्स यानी उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग (CHAMPIONS)**[31] का मूल उद्देश्य छोटी इकाइयों की सहायता और मार्गदर्शन करके उन्हें बड़ा बनाना है, खास तौर पर उनकी समस्याओं और शिकायतों को हल करके।
- **MSME इनोवेटिव योजना का विवरण**

इंक्यूबेशन	• उद्देश्य: **अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और सहायता करना** तथा MSMEs में **नई-नई तकनीकों के अंगीकरण को बढ़ावा देना।** • **वित्तीय सहायता:** हर आइडिया के लिए 15 लाख रुपये तक और संबंधित संयंत्र एवं मशीनों के लिए 1 करोड़ रुपये।
डिजाइन	• उद्देश्य: नए उत्पाद तैयार करने, इसमें निरंतर सुधार और इसके मूल्य को बढ़ाने के लिए, **डिजाइन संबंधी समस्याओं हेतु रियल टाइम में विशेषज्ञों की सलाह और किफायती समाधान प्रदान करना।** • **वित्तीय सहायता:** डिजाइन परियोजना के लिए 40 लाख रुपये तक और छात्र परियोजना के लिए 2.5 लाख रुपये तक।
IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार)	• उद्देश्य: MSMEs के बीच IPRs के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से **भारत में IP संस्कृति में सुधार करना।** • इसका उद्देश्य MSMEs द्वारा दिए गए **आइडिया, तकनीकी नवाचार और शोध आधारित व्यावसायिक रणनीतियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करना है।** • विदेशी पेटेंट, घरेलू पेटेंट, जी.आई. पंजीकरण आदि के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।

3.7. राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (National Digital Tourism Mission: NDTM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (NDTM) तैयार करने हेतु मसौदा रिपोर्ट पर हितधारकों से अंतिम टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

पृष्ठभूमि

- पर्यटन मंत्रालय ने **जुलाई, 2021 में NDTM के लिए एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स** का गठन किया था। इसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करना था। इसके अलावा, **NDTM के संदर्भ, मिशन, दृष्टिकोण, उद्देश्यों और समग्र दायरे को परिभाषित करना भी इसका उद्देश्य था।**

[31] Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength

- टास्क फोर्स ने एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की है, जो **इस क्षेत्र और प्रौद्योगिकी सिद्धांतों, मानकों, डिजिटल स्टैक, शासन संरचना** तथा प्रस्तावित NDTM के **कार्यान्वयन की योजना को निर्धारित करती है।**
- **मसौदा में उल्लेख किया गया है** कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक द्वारा विकसित अधिकांश पर्यटन प्रणालियां आपस में जुड़कर काम नहीं करती हैं।
  - नतीजतन, पर्यटन पारितंत्र सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित संयुक्त लाभों को प्राप्त नहीं कर पाया है। डेटा सिस्टम वर्तमान में एक आम भाषा का उपयोग करके एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते हैं, जिससे डेटा एनालिटिक्स और परिणामी नीति-निर्माण में कमी आती है।

भारत के पर्यटन क्षेत्रक का प्रदर्शन

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (WTTCI)[32] रैंकिंग में **भारत 34वें स्थान** पर है।
- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान:** यह योगदान वर्ष 2018-19 में लगभग 5% था। वर्ष 2015 से 2018 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद 10.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (International Tourist Arrivals: ITA):** वर्ष 2019 में 17.9 मिलियन आई.टी.ए. के साथ, भारत ITAs के मामले में दुनिया में 23वें स्थान पर था। वर्ष 2014-19 तक 6 वर्षों में ITAs 6.4% की CAGR के साथ बढ़ा है।
- **रोजगार में योगदान:** पर्यटन क्षेत्रक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की नौकरियों ने वर्ष 2019 में देश में कुल नौकरियों में 12.5 फीसदी का योगदान दिया।
- **विदेशी मुद्रा आय में योगदान (Foreign Exchange Earnings: FEE):** वर्ष 2019 में 2.12 लाख करोड़ FEE के साथ, भारत दुनिया में 12वें स्थान पर था। पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय वर्ष 2014 से वर्ष 2019 की 6 वर्षों की अवधि में 12.1% की CAGR के साथ बढ़ी है।

मसौदा NDTM की मुख्य विशेषताएं

विचार:

- राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के तहत **पर्यटन क्षेत्रक में डिजिटलीकरण की पूरी क्षमता का उपयोग करने** के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना है। इसके लिए पर्यटन क्षेत्रक से जुड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पर्यटन संगठनों, पर्यटन सेवा प्रदाताओं, पर्यटन स्थलों, उत्पादों, अनुभवों और पर्यटकों के बारे में सूचनाओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- NDTM की योजना डिजिटल माध्यमों के माध्यम से पर्यटन की पूरी व्यवस्था **के अलग-अलग हितधारकों के बीच मौजूद सूचना संबंधी अंतराल को खत्म करना है।**

पर्यटन क्षेत्रक में डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति

- **यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग:** सोशल मीडिया, मोबाइल उपकरण और सुलभ जानकारी जैसे डिजिटल माध्यम, गंतव्य स्थानों की मार्केटिंग करने वालों की सहायता कर रहे हैं। ये उपभोक्ताओं और हितधारकों को पहले से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर जुड़ने में सक्षम बना रहे हैं।
- **यात्रा पोर्टलों और प्लेटफॉर्म का विकास:** निजी क्षेत्रक द्वारा विकसित किए जा रहे **ऐसे प्लेटफॉर्म** परिवहन, रहने एवं भोजन आदि जैसी विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं।
- **अत्यधिक व्यक्तिगत बनाना:** ग्राहकों से व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करके और उनके व्यवहार के बारे में अधिक जानकारी जुटाकर, ऐसा किया जाएगा।
- **पर्यटन मंत्रालय के प्रयास**
  - बहुभाषी **'अतुल्य भारत' वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन** अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों की सहायता करते हैं।
  - **पर्यटन सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण और वर्गीकरण के लिए** आतिथ्य (Hospitality) उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDHI)[33] नामक प्लेटफॉर्म को आरंभ किया गया है।
  - **स्वदेश (swadesh) और प्रसाद (PRASHAD) योजनाओं का डिजिटलीकरण।**
  - **24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन।**

राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के सिद्धांत

पर्यटन पारितंत्र और इसकी ICT सेवाएं भारत पारितंत्र संरचना (India Ecosystem Architecture) के निम्नलिखित प्रासंगिक सिद्धांतों का पालन कर सकती हैं:

इस क्षेत्रक से संबंधित सिद्धांत	डिजाइन और संरचना सिद्धांत	प्रौद्योगिकी सिद्धांत
• **मूल्य-संचालित:** लाभार्थियों के हितों को केंद्र में रखना। • **एकीकृत सेवाएं:** आपस में जुड़े पारितंत्र के लक्ष्य को साकार करना। • **परिणाम-संचालित:** सर्वोत्तम के साथ बेंचमार्किंग कर, सेवा स्तर और आउटकम को परिभाषित करना। • **किफ़ायती विकल्प** • **विविधता और समावेश:** सभी प्रकार के डिवाइस, भाषाई बाधाओं,	• केंद्रीय और राज्यों, सार्वजनिक एवं निजी तथा अन्य व्यवस्थाओं में **इकोसिस्टम थिंकिंग लाना।** ○ **इकोसिस्टम थिंकिंग:** अकेले दम पर कुछ करने की बजाय, दूसरों के साथ मिलकर कुछ करने या भागीदारी वाली सोच। • सभी भाग लेने वाले हितधारकों को **सेवा स्तर का आश्वासन।** • 'सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ' और सिस्टम-ऑफ-रिकॉर्ड्स (डेटा प्रबंधन की व्यवस्था) पर आधारित **संघीय संरचना** का निर्माण करना। ○ किसी संगठन के कई सिस्टम के डेटा को किसी एक स्थान पर इकट्ठा करने की व्यवस्था। • **मुक्त और अंतर-संचालनीय हो।**	• **डेटा को संपत्ति समझना।** • **डेटा साझाकरण।** • **मानक:** पारितंत्र पर लागू मौजूदा प्रौद्योगिकी और डेटा मानकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना। अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीकों को परिभाषित करना। • **सुरक्षित और विश्वास आधारित।**

[32] World Travel and Tourism Competitiveness Index

[33] National Integrated Database of Hospitality Industry

भौगोलिक दशाओं और दिव्यांगों के अनुरूप।	• स्वचालित रिकवरी और अनुकूलन, विफलताओं का सामना करने के लिए **लचीलापन।** • **न्यूनतम, पुन: प्रयोज्य, पृथक और साझा करने योग्य पारितंत्र।** • **नवाचार** और उभरती प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग।	

NDTM के तहत परिकल्पित लाभ

मंत्रालय

- विश्वसनीय सूचना पर आधारित योजना और निर्णय।
- संसाधनों का बेहतर उपयोग।
- सेवाओं का आसान वितरण।
- विनियमों की पहचान/प्रवर्तन।
- सहयोगी मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय।

पर्यटक

- पारितंत्र से जुड़े अनुभव अर्थात् 'व्यक्तिगत यात्रा योजना'।
- पर्यटन सेवाओं और प्रदाताओं से जुड़ी विश्वसनीय सूचना।
- संपूर्ण जानकारी तक पहुंच।
- विनियमों का आसान अनुपालन।

टूर एंड ट्रैवल सर्विस

- हॉस्पिटैलिटी सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर संपर्क।
- समय और कार्रवाई के संबंध में रियल टाइम फीडबैक और लचीलापन।
- आपसी सहयोग के लिए नया मंच।

स्टार्टअप, उद्योग

- सेवा प्रदाताओं तक विश्वसनीय पहुंच।
- कम लागत और बाजार तक बेहतर पहुंच।
- शोध आधारित आंकड़ों या डेटा तक पहुंच।
- कई समग्र प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता।

परिवहन प्रदाता

- मल्टीपल एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म्स पर परिचालन करने की सुविधा।
- उचित कीमत और किराया मिक्स।
- अधिक लचीलापन।

अकोमोडेशन प्रदाता

- मल्टीपल एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म्स पर परिचालन करने की सुविधा
- उचित कीमत और किराया मिक्स।
- संसाधनों का साझाकरण।

©Vision IAS

निष्कर्ष

NDTM के कार्यान्वयन से पर्यटन पारितंत्र की विभिन्न संस्थाओं को कई गुना लाभ मिलेगा। यह न केवल दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाएगा, बल्कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यह आंकड़ों के रिसाव को रोककर पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

3.8.1. नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया {NITI Aayog Releases Second Edition of Export Preparedness Index (EPI) 2021}

- इस सूचकांक को **नीति आयोग** ने **'इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटिटिवनेस'** के साथ मिलकर तैयार किया है। वर्तमान सूचकांक EPI का दूसरा एडिशन या संस्करण है।
    - इस सूचकांक के माध्यम से निर्यात को लेकर, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता और उनकी तैयारी का आकलन किया जाता है। इससे भारत की निर्यात उपलब्धियों का एक व्यापक विश्लेषण प्राप्त होता है।
    - साथ ही, यह सूचकांक निर्यात के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों की भी पहचान करता है।
- **EPI,** राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक डेटा-चालित प्रयास** है।
    - यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **चार मुख्य स्तंभों** के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
        - ये चार मुख्य स्तंभ हैं- **नीति** (Policy); **व्यापार माहौल** (Business Ecosystem); **निर्यात माहौल** (Export Ecosystem); तथा **निर्यात प्रदर्शन** (Export Performance)।
        - इन चार स्तंभों को आगे **11 उप-स्तंभों** में बांटा गया है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **इस सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
    - EPI के इस दूसरे एडिशन में अधिकांश **"तटीय राज्य"** निर्यात के मामले में **बेस्ट परफॉर्मर्स** रहे हैं।
    - इसमें **गुजरात को शीर्ष स्थान** प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का स्थान है।
    - खास बात यह है कि जो उच्च निर्यात वाले राज्य हैं, उनका **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) भी अधिक** है।
    - **लैंडलॉक्ड राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन हरियाणा का रहा** है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान है।
- **निर्यात तैयारी सूचकांक का महत्व:**
    - यह निर्यात अनुकूल नीतियां बनाने के लिए **राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा** देता है।
    - इससे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **विनियामक ढांचे** को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
    - यह निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए रणनीतिक बिंदुओं को पहचाने में सहायता करता है।
- **निर्यात को बढ़ावा देने के समक्ष मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं:**
    - निर्यात के लिए जरुरी बुनियादी ढांचे में अलग-अलग क्षेत्रों के बीच तथा एक क्षेत्र के भीतर असमानताएं मौजूद हैं।
    - सभी राज्यों में **व्यापार को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति कमजोर** है। यही हाल व्यापार वृद्धि के मामले में भी है।
    - जटिल और विशेष प्रकार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, **अनुसंधान एवं विकास (R&D) अवसंरचना का अभाव** है।

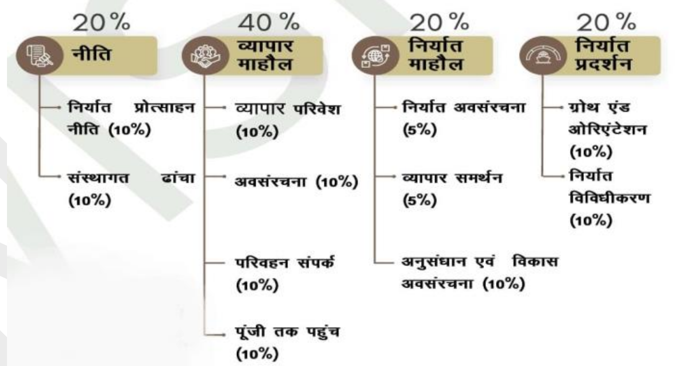

3.8.2. सरकार ने "इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम" का दायरा बढाया और इसकी वैधता बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है {Government extends Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) till March 31, 2023}

- **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** ने **ECLGS 3.0** के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों (operational guidelines) में संशोधन जारी किए हैं।
    - **ECLGS 3.0** के तहत निम्नलिखित कारोबारी या उद्यम ऋण प्राप्त कर सकेंगे:
        - हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम,
        - यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम,
        - मनोविनोद (leisure) एवं खेल क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम।
- **मुख्य संशोधन:**
    - इसके तहत **ऋण समर्थन (क्रेडिट सपोर्ट) में अतिरिक्त वृद्धि** की गई है। अब ECLGS 3.0 के तहत **फंड और नॉन-फंड आधारित क्रेडिट या ऋण बकाया का 50%, ऋण समर्थन** के रूप में दिया जाएगा। इससे पहले केवल फंड-आधारित क्रेडिट बकाया का **40%, ऋण समर्थन** के रूप में दिया जाता था।

- **उड्डयन उद्योग** से संबंधित MSMEs के लिए ऋण की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इसे 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  - **नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पात्र उधारकर्ताओं** को अब **नॉन-फंड आधारित आपातकालीन ऋण सुविधाओं** का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।
- ECLGS को वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था। इसकी घोषणा "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के अंतर्गत **2 ट्रिलियन रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में की गई थी।**
  - यह योजना **बैंकों** और **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** को उनके द्वारा दिये गये ऋण के एवज में 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करती है। इस प्रकार, यह बैंको और NBFCs को आपातकालीन ऋण प्रदान करने के लिए सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित कारोबारी या उद्यमों की अतिरिक्त टर्म लोन / कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
  - इस योजना के तहत ब्याज दरों को निर्धारित किया गया है। **बैंक और वित्तीय संस्थान 9.25%** तथा **NBFCs 14%** की दर से ब्याज वसूल सकते हैं।

3.8.3. भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ने ई-कॉमर्स, निवेश तथा MSMEs के मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन में जारी वार्ता का विरोध किया है (India, South Africa, Namibia oppose talks at WTO on E-commerce, Investment, MSMEs)

- भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ने संयुक्त रूप से **विश्व व्यापार संगठन** में ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा आदि मुद्दों पर **बहुपक्षीय वार्ता का विरोध** किया है।
- इस बहुपक्षीय वार्ता को **"संयुक्त वक्तव्य पहल" (Joint Statement Initiative: JSI)** भी कहा जा रहा है। इस वार्ता के समर्थक WTO के **12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (इस साल जून में संभावित)** में किसी ठोस परिणाम की आशा व्यक्त कर रहे हैं।
  - JSI को WTO के सदस्यों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया है। इसे एक **बहुपक्षीय वार्ता उपकरण** के रूप में परिभाषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि WTO में सभी प्रमुख निर्णय मोटे तौर **सर्वसम्मति** से लिए जाते हैं। हालांकि, **JSI के तहत निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति के नियमों का पालन किए बिना बहुपक्षीय वार्ता पर बल** दिया गया है।
- भारत ने **JSI वार्ताओं का हिस्सा बनने से मना कर दिया है।** भारत का मानना है कि सदस्यों को पहले खाद्य सब्सिडी से जुड़े मुद्दे का स्थायी समाधान निकलना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि WTO के सदस्यों को केवल इसके दायरे में रहकर ही मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  - WTO के सभी सदस्यों को इस **बहुपक्षीय संस्था के मूलभूत नियमों का पालन** करने की आवश्यकता है, जैसा कि मारकेश समझौते में निहित है।
  - **मारकेश समझौते** ने **टोक्यो दौर** के बाद बहुपक्षीय नियमों के टूटने पर चिंताओं को उजागर किया है। यह समझौता एक **एकीकृत, अधिक व्यवहार्य और टिकाऊ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली** विकसित करने के पक्ष में था।
  - **मारकेश समझौते** के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को की गई थी।
    - वर्ष 1979 में **जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT)** की टोक्यो दौर की वार्ता ने **बहुपक्षीय संहिताओं** को जन्म दिया था।

3.8.4. भारत के स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम में बाधा, बोली-प्रक्रिया 15 मार्च तक स्थगित की गयी (India's Smart Metering Programme Hits a Snag, Bids Suspended Till 15 March)

- रिपोर्ट्स के अनुसार, कई मुद्दों के कारण सरकार ने स्मार्ट-मीटर से जुड़ी बोली-प्रक्रिया को 15 मार्च तक स्थगित कर दिया है।
  - स्मार्ट मीटर के लिए बोलियां (बिड्स) 3.03 ट्रिलियन रुपये की **पुनर्गोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)**[34] के तहत आयोजित की जा रही हैं। इस योजना के लक्ष्य हैं:
    - भारत की औसत **समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C)[35] हानि को 20% के वर्तमान स्तर से घटाकर 12-15% करना।**
    - वर्ष 2024-25 तक **सेवा की औसत लागत और प्राप्त कुल राजस्व के बीच के अंतर को धीरे-धीरे कम करके शून्य करना।** दूसरे शब्दों में, विद्युत की लागत और जिस मूल्य पर इसकी आपूर्ति की जाती है, के बीच के घाटे को धीरे-धीरे कम करके शून्य करना।
- स्मार्ट मीटर एक एडवांस एनर्जी-मीटर है। यह जिस प्रणाली या आउटलेट में लगा होता है, वहाँ की **ऊर्जा खपत को दर्ज करता** है।
  - स्मार्ट मीटर, **स्मार्ट ग्रिड का एक घटक** है।
- **स्मार्ट मीटरिंग के लाभ:**
  - **ग्राहकों को लाभ:** यह विद्युत की खपत को नियंत्रण करने के मामले में में सहायक है। यह बेहतर शिकायत प्रबंधन, प्रणालीगत स्थिरता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के माध्यम से उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करता है।
  - **विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को लाभ:** यह AT&C हानि को कम करता है; कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करता है; ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करता है; बिल भुगतान में सुगमता को बढ़ाता है; और बिलिंग को त्रुटिहीन बनाता है।
- **स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ी समस्याएं:**
  - **प्रीपेड भुगतान** करने के बाद भी इन मीटरों के संचालन में विलंब होता है।

[34] Revamped Distribution Sector Scheme

[35] Aggregate Technical and Commercial

- **कनेक्शन और डिस्कनेक्शन मैन्युअल रूप से** किए जाते हैं। इस प्रकार, यह मानवीय हस्तक्षेप रहित उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।
- स्मार्ट मीटरिंग में साइबर सुरक्षा जोखिम भी हैं, जिसमें डेटा निजता की समस्या भी शामिल है।

सरकार द्वारा किए गए उपाय

- **राष्ट्रीय स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम (National Smart Metering Programme: NSMP):** इसका लक्ष्य **25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलना** है। यह बिजली की चोरी को कम करेगा और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
- **नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM):** यह मिशन भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाता है और उनकी निगरानी करता है।

3.8.5. इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रसंस्करण प्रणाली {Electronic Bill (e-Bill) processing system}

- **वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** ने, 46वें सिविल एकाउंट्स दिवस पर **ई-बिल प्रसंस्करण प्रणाली** का शुभारंभ किया है।
- **ई-वे बिल प्रणाली** उस GST पंजीकृत व्यक्ति / नामांकित ट्रांसपोर्टर के लिए है, जो **50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल** की आवाजाही शुरू होने पर **इलेक्ट्रॉनिक रूप से वे (Way) बिल जनरेट करता है।**
- इसके तहत **विक्रेता / आपूर्तिकर्ता अपने बिल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।** वे अपनी सुविधानुसार किसी भी समय, किसी भी जगह से डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सहायक दस्तावेजों के साथ बिल अपलोड कर सकते हैं।
- यह आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच **भौतिक संपर्क को समाप्त** करता है।
- इसे **पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) डिवीजन** द्वारा विकसित किया गया है।

3.8.6. रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (Reserve Bank Innovation Hub: RBIH)

- **बेंगलुरु में** रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) का उद्घाटन किया गया है।
- रिज़र्व बैंक ने **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा आठ की कंपनी (सेक्शन 8 कंपनी)** के तौर पर RBIH का गठन किया है। इसके लिए शुरुआती तौर पर **100 करोड़ रुपये** की पूंजी लगाई गई है।
- इसकी स्थापना देश में वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहन देने के इरादे से की गई है। इसके जरिये वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों को **स्थायी तरीके व एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।**
  - RBIH के जरिये वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों तक **निम्न-आय समूह की पहुंच को बढ़ावा देने वाले तंत्र का निर्माण** किया जाएगा।
- यह हब वित्तीय नवाचार क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों (जैसे BFSI सेक्टर्स, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम्स, नियामकों और शिक्षाविदों) के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

3.8.7. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अरब डॉलर-रुपये की स्वैप नीलामी आयोजित की है {Reserve Bank of India (RBI) conducts a $ 5 billion dollar-rupee swap auction}

- इस नीलामी के तहत, **RBI ने बैंकों को 5.135 अरब डॉलर की बिक्री की है।** साथ ही, RBI ने बैंकों से **स्वैप निपटान अवधि के अंत में डॉलर वापस खरीदने पर सहमति भी व्यक्त की है।**
  - यह नीलामी प्रक्रिया, RBI की तरलता प्रबंधन पहल का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रणाली में **डॉलर का अंतर्वाह (इनफ्लो) किया जाता है और प्रणाली से रुपया बाहर निकाला जाता** है।
- इससे **मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम होगा और रुपया मजबूत होगा,** जो पहले ही एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है।

3.8.8. तापी, पार और नर्मदा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना (Tapi, Par, Narmada River Interlinking Project)

- इन नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना की परिकल्पना **वर्ष 1980** की **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के तहत की गई है। इसके तहत पश्चिमी घाट के जल अधिकता वाले क्षेत्रों से **सौराष्ट्र और कच्छ के जल की कमी वाले क्षेत्रों में नदी जल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव** है।
  - **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan: NPP):** इसे **राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP)**[36] के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जल अधिकता वाली जलमग्न नदी घाटियों से **सूखे या जल की कमी वाली नदी घाटियों में जल स्थानांतरण की परिकल्पना** की गई है।
- इसमें तीन नदियों, यथा- **पार** (महाराष्ट्र के नासिक से उद्गम), **तापी** (सतपुड़ा से निकलने वाली) और **नर्मदा** (मध्य प्रदेश में उद्गम) को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।
- इसके तहत **सात बांधों** (झेरी, मोहनकवचली, पाइखेड़, चासमांडवा, चिक्कर, डाबदार और केलवान) का निर्माण किया जाना है। इनमें से एक महाराष्ट्र में और अन्य गुजरात में स्थित होंगे।
- **महत्व:**
  - यह **सरदार सरोवर बांध** के जल की बचत करने मदद करेगा, जिसका उपयोग वर्तमान में सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया जाता है।
  - इस परियोजना के तहत चार बांध स्थलों (डैम साइट्स) पर बिजलीघरों का निर्माण किया जाना है। इस प्रकार, इससे जल विद्युत उत्पादन में सहायता मिलेगी।
  - इन बांधों के कारण निर्मित होने वाले जलाशयों से नदी के प्रवाह की दिशा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाढ़ से भी राहत मिलेगी।

[36] National River Linking Project

- हालांकि, आदिवासियों द्वारा मुख्य रूप से **भूमि के जलमग्न होने, विस्थापन और आजीविका के नुकसान के संबंध में चिंता** व्यक्त की गई है।

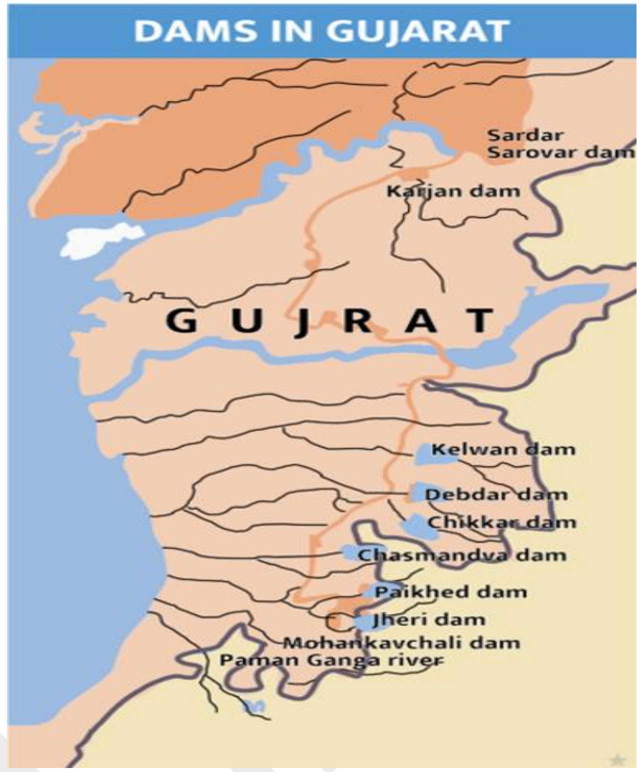

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

4. सुरक्षा (SECURITY)

4.1. रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण (DEFENCE INDIGENISATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक संसदीय पैनल ने रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण की दर अत्यंत मंद होने के कारण **रक्षा अनुसंधान पर भारत द्वारा किए जा रहे व्यय को लेकर चिंता व्यक्त** की है।

रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण

- इसका अभिप्राय रक्षा क्षेत्र में अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करके **देश के भीतर ही रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और उत्पादन करने की क्षमता को हासिल करना** है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आयात बोझ को कम करना है।
- DRDO, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) और **निजी संगठन या मूल उपकरण विनिर्माता (OEM),** तीनों रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

संसदीय पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों पर एक नज़र

- पिछले पांच वर्षों में भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास व्यय इसके **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1% से भी कम** रहा है।
    - यह वर्ष 2016-17 में 0.088 % था, जो घटकर वर्ष 2020-21 में 0.083% हो गया।
- भारत द्वारा **रक्षा बजट का केवल 6%** हिस्सा ही **रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्य** पर व्यय किया जा रहा है। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन द्वारा क्रमशः लगभग 12% और 20% व्यय किया जाता है।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में **808 वैज्ञानिकों की कमी है। यह वैज्ञानिकों की स्वीकृत संख्या के 10%** से थोड़ा अधिक है।
- वर्ष 2021-2022 में, 31,250 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले, दिसंबर 2021 तक **केवल 11,821 करोड़ रुपये का ही उपयोग** किया गया था। यह अंततः परिचालन आवश्यकताओं तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बाधित करेगा।

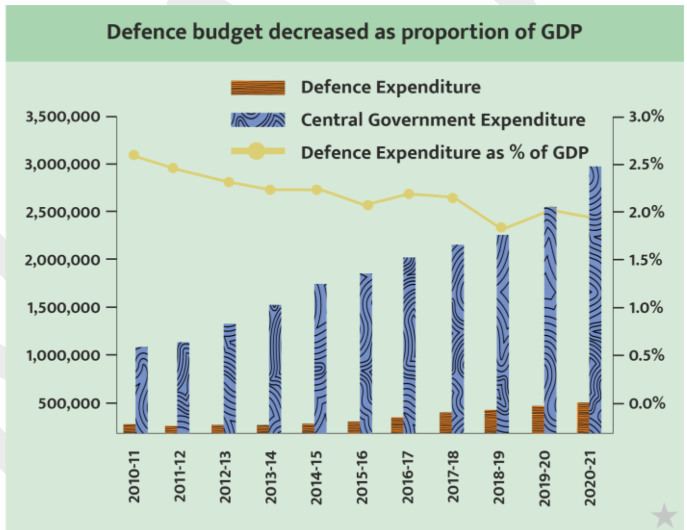

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है?

- **सुरक्षा चिंताएं:** चीन और पाकिस्तान के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ तथा वामपंथी उग्रवाद के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रक्षा सामग्री की खरीद के साथ-साथ स्वदेशीकरण पर भी अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय शक्ति:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए, भारत को उन्नत रक्षा हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में भी **आत्मनिर्भरता हासिल** करने की आवश्यकता है।

संबंधित सुर्ख़ियाँ

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट

- **वर्ष 2011-15 और 2016-20 के बीच भारत द्वारा हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है।** भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों के मामले में रूस सबसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, इसलिए इससे सर्वाधिक प्रभावित भी रूस ही हुआ है। साथ ही, अमेरिकी हथियारों के आयात में 46% की गिरावट आई है।
- चीन की तुलना में **भारत के हथियारों की मारक क्षमता कम है** तथा भारत द्वारा निर्मित हथियारों की अधिकतम मारक सीमा लगभग 5,000 कि.मी. तक है।
- वर्ष 1966 में स्थापित SIPRI, संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण की दिशा में अनुसंधान के लिए समर्पित एक **स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था** है।

- **आर्थिक लाभ:** हथियारों के आयात पर निर्भरता को कम करके, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित किया जा सकता है। साथ ही, इससे चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **क्षमता निर्माण:** भारत के सशस्त्र बलों में मौजूदा खामियों के मद्देनजर, युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- थल, जल और नभ हेतु **उन्नत तथा परिष्कृत हथियार प्रणाली के विकास** पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी:** सशस्त्र बलों के युद्ध-लड़ने की क्षमता, **नए हथियारों के विकास (हाइपरसोनिक मिसाइल) तथा हथियारों एवं उपकरणों में प्रयोग की जाने वाली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक** के निरंतर संवर्द्धित एवं अपडेट की आवश्यकता है। ये एक कुशल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

©Vision IAS

भारतीय रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के समक्ष बाधाएं

- **व्यापक संगठन का अभाव:** एक संगठन की अनुपस्थिति के कारण, कई एजेंसियां, जैसे- सेवा स्वदेशीकरण निदेशालय[37], DRDO, DPSUs आदि आत्मनिर्भरता प्राप्ति की दिशा संलग्न हैं। हालांकि, ये काफी हद तक विनियोजित एवं आपस में तालमेल की कमी से ग्रसित हैं। साथ ही, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी **सशस्त्र बलों एवं इन संगठनो के मध्य संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं** किया गया है।
- **निजी भागीदारी:** इसमें निजी क्षेत्र, विशेष रूप से MSMEs की भागीदारी बहुत कम है। जबकि ये उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करने में विशेष भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।
- **व्यापक नीति का अभाव:** रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) द्वारा केवल घटकों और स्पेयर पार्ट्स के स्वदेशीकरण की नीति पर जोर दिया गया है। हालांकि, इस नीति में कई वैचारिक और प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता मौजूद हैं।

रक्षा स्वदेशीकरण हेतु सरकारी पहलें

- **ऑफसेट पोर्टल:** आत्मनिर्भरता हासिल करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे आरंभ किया गया है।
  - **ऑफसेट एक खरीदार को विक्रेता से प्राप्त होने वाले अनिवार्य लाभ होते हैं।** दूसरे शब्दों में, इससे भारत में रक्षा उपकरण बेचने वाले विदेशी विक्रेता से भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी/क्षमता प्राप्त होती है।
  - ऑफसेट पर नीति को पहली बार **रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2005** के भाग के रूप में पेश किया गया था और तब से अब तक इसमें कई बार संशोधन किया गया है।
  - रक्षा ऑफसेट नीति का मुख्य उद्देश्य **"भारतीय रक्षा उद्योग को विकसित करने में मदद करना"** है।
- **रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP), 2016:** रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजी अधिग्रहण की नई श्रेणी **"इंडियन-IDDM खरीद (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित)"** की शुरुआत की गई है।
- **प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF):** इसका उद्देश्य रक्षा अनुप्रयोगों के संदर्भ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक/निजी उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारा (DICs):** इसे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आर्थिक विकास और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु एक इंजन के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है।

- **प्रौद्योगिकी और विलंब:** भारतीय रक्षा उद्योग विशेष रूप से उन्नत हथियार प्रणाली और रक्षा प्रौद्योगिकी में **अक्षमता, उत्पादकता तथा अनुसंधान एवं विकास कार्य में निवेश के अभाव से ग्रसित रहे** हैं।
  - उदाहरण के लिए, युद्धक टैंक अर्जुन और हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस के विकास के दौरान रक्षा अनुसंधान संगठनों को **कई बार उत्पादन में विलंब और लागत में वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।**
- **निर्णयन प्रक्रिया का मानक के अनुरूप न होना: निर्णय लेने में सैन्य इनपुट की कमी के कारण,** भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत एवं दीर्घकालिक रक्षा योजना की अनुपस्थिति जैसी खामियों का सामना करना पड़ा है।

रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लिए आवश्यक कदम

- **वित्त पोषण:** रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि रणनीतिक परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जा सके।
  - संशोधित अनुमानों और अनुपूरक चरण के आधार पर **DRDO** को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी अनुसंधान एवं विकास योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए **अतिरिक्त धन की व्यवस्था हेतु प्रयास करना** चाहिए।
- **रक्षा नवीकरण कोष:** वित्त मंत्रालय द्वारा एक **गैर-व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष**[38] स्थापित करना चाहिए, जिसका उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय में प्रमुख रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद के लिए किया जा सकता है।

रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण में विभिन्न हितधारकों की भूमिका

- **सार्वजनिक क्षेत्र:** ये किसी नए विकास पर अधिकार, स्वायत्तता और तकनीकी नियंत्रण बनाए रखते हुए एक समान आधार उपलब्ध कराने, निजी उद्यमियों के साथ संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की दक्षता को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।
- **निजी क्षेत्र:** यह **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा** तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे- कल-पुर्जों की कमी, R&D में कमी आदि के समाधान के लिए सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **सशस्त्र सेवाएं:** स्पष्ट समय सीमा, तकनीकी विशिष्टताओं और गुणात्मक आवश्यकताओं तथा लागत में वृद्धि का आकलन कर इन्हें भविष्य में **DAP में प्रभावी रूप से एकीकृत** किया जा सकता है।
- **रक्षा मंत्रालय:** यह सहयोग को बढ़ावा देने, **तीव्र अधिग्रहण को सुनिश्चित करने और सुरक्षा बलों की तत्काल जरूरतों को स्पष्ट रूप से उजागर** करने, MSMEs मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जैसे अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय में मदद कर सकता है।
- **वित्त मंत्रालय:** यह **कुल रक्षा बजट घाटे और राजस्व, पेंशन और पूंजीगत व्यय के बीच इसके आवंटन** को संबोधित करने में सहयोग तथा इस प्रकार त्रि-सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है।

[37] Indigenisation Directorates of the Services
[38] Non-Lapsable Defence Modernisation Fund

- **प्रक्रिया संबंधी मुद्दों का समाधान:** महज एक बाह्य प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा संस्था के रूप में कार्य करने की जगह परीक्षण, गुणवत्ता गारंटी और प्रमाणन संबंधित एजेंसियों को स्वदेशीकरण में सलग्न टीम के एक हिस्से के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** अत्यधिक अनुपयोगी और ख़राब सैन्य सामग्रियों की खरीद और इसके लिए किए जाने वाले व्यय से दूर रहकर, सैन्य बजट और खरीद प्रक्रियाओं में उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेहिता हासिल की जा सकती है।
- **एडॉप्ट 5Is:** कार्य में तेजी लाने, लागत को कम करने तथा समयबद्ध तरीके से रक्षा खरीद को पूरा करने के लिए **पहचान, इनक्यूबेट, नवाचार, एकीकृत और स्वदेशी (5Is)**[39] की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है।

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

4.2.1. जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूह {Village Defence Groups (VDGs) in J&K}

- गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में **ग्राम रक्षा समूहों (VDGs)** के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।
- ग्राम रक्षा समूहों के सदस्यों को **ग्राम रक्षा गार्ड** के रूप में नामित किया जाएगा। वे संबंधित जिले के **SP/SSP के निर्देशन** में कार्य करेंगे।
- ग्राम रक्षा समूहों को पहले **ग्राम रक्षा समितियों (Village Defence Committees: VDCs)** के रूप में जाना जाता था।
  - 1990 के दशक में आतंकवाद के चरम के दौरान, जम्मू और कश्मीर में 4,125 VDCs मौजूद थे।
  - VDCs **आतंकवाद-रोधी अभियानों में सुरक्षा बलों की सहायता करने, शत्रुओं (या शत्रुतापूर्ण तत्वों) पर निगरानी बनाए रखने** और **शांति बनाए रखने हेतु सहायता** करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.2.2. IONS ने पहला समुद्री अभ्यास आयोजित किया {Indian Ocean Naval Symposium (IONS) holds maiden Maritime Exercise}

- हाल ही में, **IONS मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 (IMEX-22)** का पहला संस्करण **गोवा और अरब सागर** में आयोजित किया गया था।
  - **IONS** का पूरा नाम है- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium)।
- इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों के नौसेनाओं के बीच **मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR)** अभियानों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।
  - इस अभ्यास में IONS के 24 सदस्य देशों में से 15 ने भाग लिया था।
- IONS की स्थापना **वर्ष 2007** में की गई थी। यह एक **स्वैच्छिक पहल** है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच **समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना** है। इसके लिए यह क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करता है।
  - इसने **क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा** को संभव बनाया है, **मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया है,** और हिंद महासागर क्षेत्र में **समुद्री सुरक्षा सहयोग के मामले में महत्वपूर्ण सुधार** किये हैं।
  - IONS के उद्घाटन सेमिनार का आयोजन **वर्ष 2008** में **भारतीय नौसेना की मेजबानी में** हुआ था।
- **IONS में 24 सदस्य देश शामिल हैं।** ये सब या तो IOR के तटवर्ती देश हैं या IOR में स्थित किसी क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार रखने वाले देश हैं (मानचित्र देखें)।
- **भारत के लिए IONS का महत्व:**
  - यह **हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ संबंधों** को मजबूत और गहन करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
  - यह भारत को **समग्र सुरक्षा प्रदाता (Net-Security Provider)** होने के नाते, क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का अवसर उपलब्ध कराता है।
  - यह **हिंद महासागर क्षेत्र में नियम-आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण** को साकार करने के लिए आवश्यक है।
  - यह **IOR में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रति-संतुलित करने में भी सहायक है।**

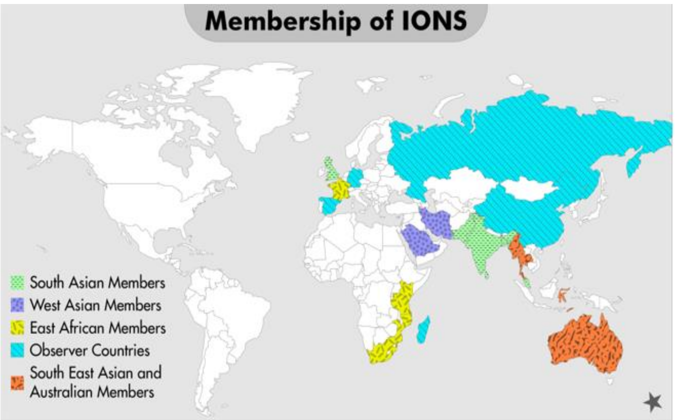

[39] Identify, Incubate, Innovate, Integrate and Indigenise

4.2.3. सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख अभ्यास (Exercises in News)

- **SLINEX (श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास):** भारत-श्रीलंका **द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास** SLINEX का 9वां संस्करण **विशाखापट्टनम** में चल रहा है।
- **EX-DUSTLIK:** 'डस्टलिक' **भारत और उज्बेकिस्तान** के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है।
- **लामित्ये-2022:** यह **इंडियन आर्मी** और **सेशेल्स डिफेन्स फोर्सेज** के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **प्रस्थान (अपतटीय सुरक्षा अभ्यास): पश्चिमी नौसेना कमान** द्वारा मुंबई तट से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र (ODA) में **'प्रस्थान'** नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है।

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट: भाग II (IPCC'S SIXTH ASSESSMENT REPORT: PART II)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (IPCC)[40] ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया है। इसका शीर्षक 'जलवायु परिवर्तन 2022: प्रभाव, अनुकूलन और सुभेद्यता[41]' है। इसमें वर्किंग ग्रुप यानी कार्यकारी समूह II द्वारा योगदान दिया गया है।

IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट के बारे में

- IPCC अपने आकलन के छठे दौर में है और अपने तीन कार्यकारी समूहों के योगदान और एक संश्लेषण रिपोर्ट (Synthesis Report) के साथ छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) तैयार कर रहा है।

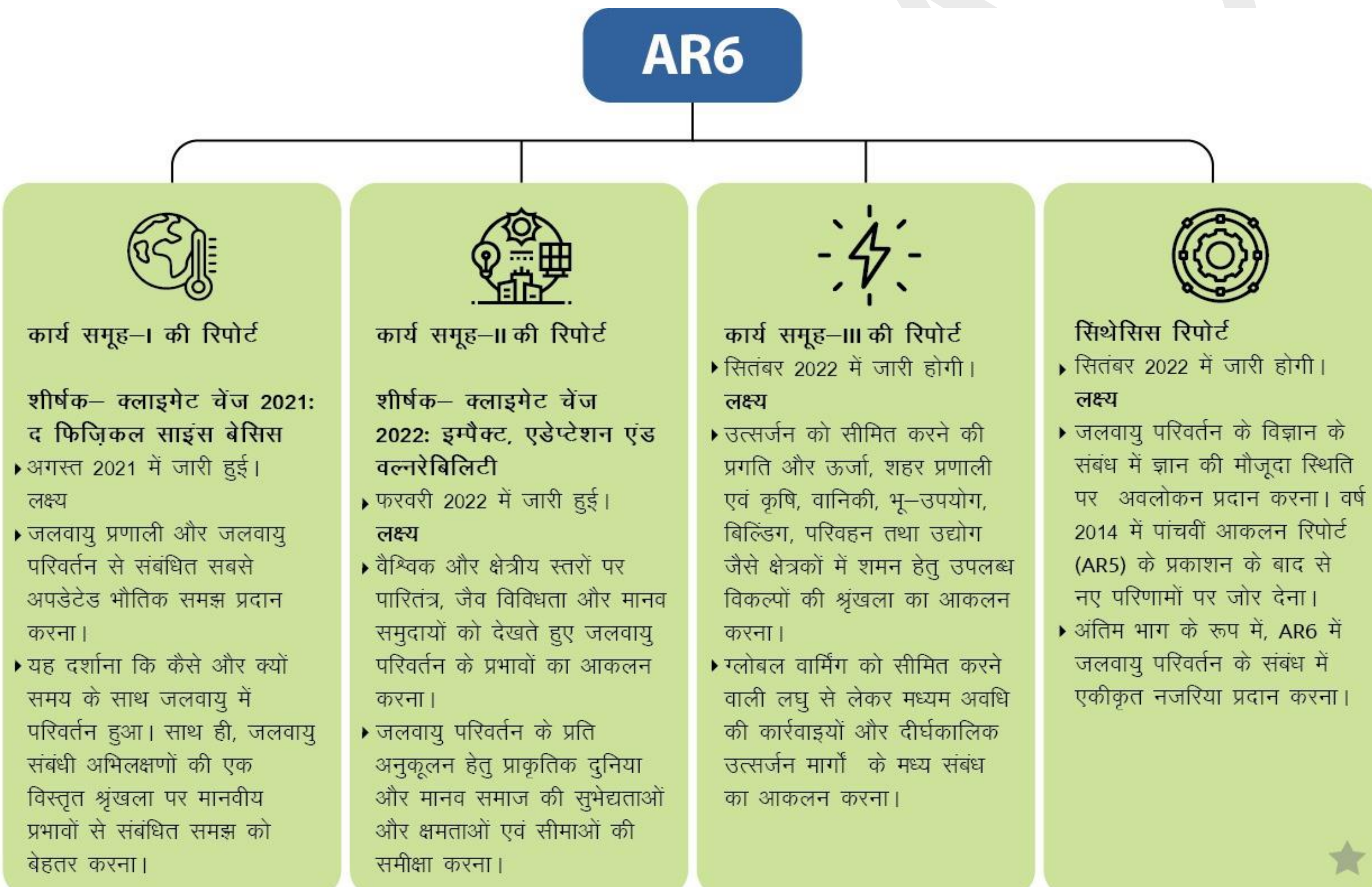

5.1.1. मुख्य निष्कर्ष (KEY FINDINGS)

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की व्यापकता और परिमाण पिछले आकलनों के अनुमानों से अधिक हैं।

अवलोकन	डेटा और अन्य जानकारी
अवलोकित प्रभाव:	जैव विविधता और पारितंत्र पर प्रभाव: • स्थलीय, ताजे जल और तटीय एवं समुद्री पारितंत्र में काफी क्षति हुई है।

[40] Intergovernmental Panel on Climate Change
[41] Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability

मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन (अधिक नियमित और प्रचंड चरम मौसमी घटनाओं सहित) ने प्रकृति और लोगों को व्यापक प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित किया है। साथ ही, इसने प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता से परे संबंधित नुकसान एवं क्षति भी पहुंचाया है।	• **पादपों और प्राणियों की बीमारी** और **व्यापक मृत्यु दर की घटनाओं में वृद्धि हुई है।** • कई क्षेत्रों में **वन कीट पीड़कों की गंभीरता और प्रकोप के प्रसार में वृद्धि हुई है।** • **प्रजातियों का ध्रुवों की ओर विस्थापन:** विश्व स्तर पर आकलन की गई प्रजातियों में से लगभग आधी ध्रुवों की ओर या स्थलीय भाग पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्थापित हो गई हैं। • **अपरिवर्तनीय या स्थाई क्षति:** जलवायु परिवर्तन के कारण 976 प्रजातियों में से 47 प्रतिशत प्रजातियों की स्थानीय आबादी के विलुप्त होने का पता चला है, यह वार्षिक तापमान में वर्ष-दर-वर्ष हो रही वृद्धि से जुड़ा हुआ है। • **अपरिवर्तनीयता की ओर बढ़ रहे प्रभाव:** इसमें हिमनदों के पीछे हटने और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण आर्कटिक पारितंत्र के बदलाव के परिणामस्वरूप जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन जैसे प्रभाव शामिल हैं।

	मनुष्यों पर प्रभाव:
	• **खाद्य और जल संरक्षण में कमी:**
	  ○ पिछले 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से मध्य और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में कृषि विकास धीमी गति से हुआ है।
	  ○ **महासागरीय तापमान में वृद्धि और महासागरीय अम्लीकरण** ने शेलफिश जलीय कृषि और मत्स्यन से होने वाले खाद्य उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
	  ○ विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा वर्तमान में जलवायु संबंधी और गैर-जलवायु संबंधी चालकों के कारण वर्ष के कम-से-कम कुछ समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
	• **लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव:**
	  ○ अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के परिणामस्वरूप **मानव मृत्यु दर और रुग्णता** में वृद्धि हुई है।
	  ○ जलवायु संबंधी खाद्य जनित, जल जनित रोगों और वेक्टर जनित रोगों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
	  ○ पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों (Zoonoses) सहित **पशु और मानव संबंधी रोगों का उद्भव।**
	  ○ जंगल की आग के धुएं, वायुमंडलीय धूल और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क में वृद्धि के कारण **जलवायु के प्रति संवेदनशील हृदय और श्वसन संबंधी समस्याएं।**
	  ○ मौसम और जलवायु संबंधी चरम घटनाओं एवं आजीविका तथा संस्कृति संबंधी हानि के आघात के कारण **मानसिक कष्ट।**
	  ○ **कमजोर समुदायों में कुपोषण:** आहार संबंधी विविधता में कमी के कारण मिश्रित खाद्य-पदार्थों तक पहुंच और खाद्य उत्पादन में अचानक कमी ने स्वदेशी लोगों, छोटे पैमाने पर खाद्य उत्पादकों एवं कम आय वाले परिवारों जैसे समुदायों में कुपोषण को बढ़ावा दिया है।
	• **आर्थिक हानि:** निम्नलिखित पर नकारात्मक प्रभाव के कारण आर्थिक हानि हुई है-
	  ○ जलवायु के प्रति संवेदनशील कृषि, वानिकी, पर्यटन जैसे क्षेत्रक,
	  ○ खुली दशाओं में श्रम उत्पादकता,
	  ○ कृषि उत्पादकता में परिवर्तन; मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव; घरों तथा बुनियादी ढांचे का विनाश; और संपत्ति एवं आय के नुकसान आदि के कारण व्यक्तिगत आजीविका पर प्रभाव।
	  ○ साथ ही, चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाली अल्पकालिक क्षति के कारण आर्थिक हानि।
	• **मानवीय संकट में वृद्धि,** जहां जलवायु संबंधी खतरे उच्च सुभेद्यता के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए,
	  ○ छोटे द्वीपीय राज्यों में विस्थापन।
	  ○ अफ्रीका, और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बाढ़ तथा सूखे से संबंधित चरम खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की स्थिति।

	शहरी क्षेत्रों में प्रभाव: • **हीटवेव (लू)** और **बढ़े हुए वायु प्रदूषण** की घटनाओं सहित तापमान संबंधी चरम घटनाओं की **गहनता में वृद्धि हुई है।** • **परिवहन, जल, स्वच्छता और ऊर्जा प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।** • **आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर स्थित शहरी आबादियों,** जैसे- अनौपचारिक बस्तियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।

पारितंत्रों और लोगों की सुभेद्यता तथा जोखिम	**पारितंत्रों और लोगों की सुभेद्यता और जोखिम**
	• **सुभेद्यता बढ़ाने वाले कारक:** पारितंत्रों, समाजों, समुदायों और व्यक्तियों की क्षमताओं को प्रभावित करके जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल निम्नलिखित हैं:
	  ○ असंधारणीय भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन में परिवर्तन,
	  ○ प्राकृतिक संसाधनों का असंधारणीय उपयोग,
	  ○ निर्वनीकरण,
	  ○ जैव विविधता की हानि,

 ©Vision IAS

	○ पर्यावास संबंधी विखंडन, और ○ प्रदूषकों द्वारा पारितंत्र को होने वाली क्षति। • **मानव पर प्रभाव:** ○ भूमि और/या जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा; स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार और ऊर्जा सहित प्रमुख अवसंरचना प्रणालियों पर प्रभाव। • लैंगिक, नृजातीयता, कम आय आदि से जुड़ी असमानता और हाशियाकरण (Marginalisation) से **सुभेद्यता में वृद्धि हुई है।** • **पारितंत्र पर प्रभाव** ○ विश्व के वनों, प्रवाल भित्तियों और निचले क्षेत्र में स्थित तटीय आर्द्रभूमियों का निम्नीकरण या क्षरण हुआ है। ○ **जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थानिक प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम:** द्वीपों पर ~ 100%, पहाड़ों पर ~ 84%, महाद्वीपों पर ~ 12% और महासागर में ~ 54% (विशेष रूप से भूमध्य-सागर में) स्थानिक प्रजातियों के समक्ष जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने के खतरे का पूर्वानुमान लगाया गया है। • **उच्च सुभेद्यता वाले क्षेत्र:** ○ इसमें पश्चिम, मध्य और पूर्वी अफ्रीका; दक्षिण एशिया; मध्य और दक्षिण अमेरिका; विकासशील छोटे द्वीपीय देश और आर्कटिक शामिल है। ○ निर्धनता; गवर्नेंस संबंधी चुनौतियों; बुनियादी सेवाओं और संसाधनों तक सीमित पहुंच; हिंसक संघर्ष और जलवायु के प्रति संवेदनशील आजीविका (जैसे- छोटे खेतों वाले किसान, पशुपालक, मछली पकड़ने वाले समुदाय) के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में सुभेद्यता उच्चतर है।
निकट भविष्य में जोखिम (वर्ष 2021–वर्ष 2040)	• **निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से** जलवायु संबंधी कई खतरों में अपरिहार्य वृद्धि होगी। इससे पारितंत्र और मनुष्यों के समक्ष कई जोखिम उत्पन्न होंगे। इसमें जैव विविधता की हानि; तटीय बस्तियों और बुनियादी ढांचे में समुद्री जल-क्षेत्र का अतिक्रमण; निचले क्षेत्रों वाले तटीय पारितंत्र की हानि और जलमग्नता आदि शामिल हैं। • इन जोखिमों का स्तर सुभेद्यता, एक्सपोज़र/अरक्षितता, सामाजिक आर्थिक विकास और अनुकूलन के स्तर पर निर्भर करेगा।

©Vision IAS

	• ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब सीमित करने वाली निकट भविष्य की कार्रवाइयों से ग्लोबल वार्मिंग के उच्चतर स्तरों के सापेक्ष अनुमानित हानि और क्षति में काफी हद तक कमी होगी। हालांकि, ये कार्रवाइयां सभी प्रकार की हानि और क्षति को समाप्त नहीं कर पाएंगी।
मध्यम से दीर्घावधि के जोखिम (वर्ष 2041-वर्ष 2100)	• **ग्लोबल वार्मिंग के स्तर में प्रत्येक वृद्धि के साथ अनुमानित प्रतिकूल प्रभाव और संबंधित क्षति एवं हानि में भी वृद्धि होगी।** उदाहरण के लिए- ○ 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग स्तर पर स्थलीय पारितंत्र में आकलन की गई 3 से 14 प्रतिशत प्रजातियों के विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम होगा। यह स्थिति 2 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 18 प्रतिशत; 3 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 29 प्रतिशत; 4 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 39 प्रतिशत; और 5 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 48 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। • **जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थानिक प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम:** 1.5-2 डिग्री सेल्सियस के मध्य ग्लोबल वार्मिंग स्तर पर विलुप्त होने का जोखिम 2 प्रतिशत से कम-से-कम दोगुना हो सकता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग 1.5-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तो यह जोखिम कम-से-कम दस गुना हो सकता है। • **तटीय क्षेत्रों से संबंधित जलवायु संबंधी संकटों से लगभग एक बिलियन लोगों के समक्ष जोखिम उत्पन्न होने का अनुमान है।** • लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग पर, हिमपात पर निर्भर कुछ नदी घाटियों में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता (हिम के पिघलने पर) में 20 प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान है।
जटिल, मिश्रित और व्यापक जोखिम	• **कई जलवायु संकट एक साथ घटित होंगे और कई जलवायु-संबंधी एवं गैर-जलवायु संबंधी जोखिम परस्पर क्रिया करेंगे।** इसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रकों और क्षेत्रों में समग्र जोखिम के मिश्रण एवं जोखिमों की व्यापकता में वृद्धि होगी। ○ उदाहरण के लिए, समुद्र जल-स्तर में अपरिहार्य वृद्धि के मिश्रित और व्यापक प्रभाव पैदा होंगे। इसके परिणामस्वरूप तटीय पारितंत्र और पारितंत्र सेवाओं; भू-जल लवणीकरण; बाढ़ और तटीय बुनियादी ढांचे को क्षति होगी। इससे आजीविका, बस्तियों, स्वास्थ्य, कल्याण, खाद्य और जल सुरक्षा एवं सांस्कृतिक मूल्यों के समक्ष व्यापक जोखिम उत्पन्न होंगे।
जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाइयों से उत्पन्न जोखिम।	• इनमें **अकुशल-अनुकूलन से उत्पन्न जोखिम और उत्सर्जन में कमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निराकरण करने के कुछ उपायों के प्रतिकूल प्रभाव** शामिल हैं। ○ उदाहरण के लिए, प्राकृतिक रूप से वनों से रहित भूमि पर वनीकरण, या कार्बन कैप्चर और भंडारण के साथ या उसके बिना जैव ऊर्जा संबंधी निम्नस्तरीय कार्यान्वयन से जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। यदि इन्हें व्यापक स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है तो इससे जैव विविधता, जल और खाद्य सुरक्षा, एवं आजीविका के समक्ष जोखिम बढ़ सकता है। ○ **सौर विकिरण संशोधन**[42] से वायुमंडलीय CO_2 की सांद्रता में वृद्धि नहीं रुकेगी। साथ ही, इससे निरंतर जारी मानवजनित उत्सर्जन के परिणामस्वरूप समुद्र के अम्लीकरण में भी कमी नहीं होगी।
सीमापार संघर्ष से जोखिम में हुई वृद्धि	• निम्न से उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में समुद्री मछली के स्टॉक के पुनर्वितरण के कारण मात्स्यिकी उपयोगकर्ताओं के बीच संघर्ष बढ़ा है। • नियोजित जलविद्युत परियोजनाओं में वर्षण और जल की उपलब्धता में परिवर्तन, नदी बेसिन साझा करने वाले देशों के मध्य संघर्ष का कारण बनता है।
अस्थाई ओवरशूट के प्रभाव	• यदि आने वाले दशकों में या बाद में ग्लोबल वार्मिंग क्षणिक रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक (ओवरशूट) हो जाता है, तो कई मानव और प्राकृतिक प्रणालियों को अतिरिक्त गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। • **कुछ प्रभावों के कारण अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होगा,** जो ग्लोबल वार्मिंग की संभावित वृद्धि में योगदान करेगा। इससे निर्धारित **ग्लोबल वार्मिंग के स्तर या उससे कम पर वापस लौट पाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।** • **कुछ प्रभाव** ग्लोबल वार्मिंग के कम हो जाने पर भी **अपरिवर्तनीय रहेंगे।**

5.1.2. भारत से संबंधित निष्कर्ष (INDIA SPECIFIC FINDINGS)

- **गंगा और अंतर-राज्यीय साबरमती नदी बेसिन को गंभीर जल संकट संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।**
- **चरम मौसमी घटनाएं:** ग्रीष्म लहरों या लू; शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सूखे; मानसूनी क्षेत्रों में बाढ़; तटीय क्षेत्रों में चक्रवात और हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में हिमनद के पिघलने जैसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिए, इस सदी के अंत तक सूखे की दशाओं में 5-20% तक की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

[42] Solar Radiation Modification

- **सीमांत वर्गों पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए, तटीय क्षेत्रों में लवणीकरण से जुड़े परिवर्तन के कारण भारतीय सुंदरबन में पेयजल और ईंधन हासिल करने के लिए महिलाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ सकता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** तीव्र हीटवेव, बाढ़ और सूखा, वायु प्रदूषकों आदि जैसे संकटों में वृद्धि से निम्नलिखित घटनाओं में वृद्धि होगी-
    - परिसंचारी, श्वसन, मधुमेह और संक्रामक रोग;
    - डायरिया संबंधी रोग, डेंगू बुखार और मलेरिया; और
    - गर्मी से संबंधित मौतें और शिशु मृत्यु दर।
- **आक्रामक प्रजातियां:** जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में विशाल अफ्रीकी घोंघा जैसी अत्यधिक आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **खाद्य उत्पादन पर प्रभाव:**
    - भारतीय समुद्री मात्स्यिकी[43] की वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों में से **लगभग 69% जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव जनित कारकों से प्रभावित पाई गई हैं।**
    - यदि तापमान में 1-4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होती है, तो **चावल के उत्पादन** में 10% से 30% तक **और मक्का के उत्पादन** में 25% से 70% तक की **कमी** आ सकती है।
    - इससे खाद्य उपलब्धता एवं खाद्य पदार्थों की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप **अल्पपोषण** में वृद्धि हो सकती है।
- **प्रवासन:** जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के कारण पहले ही प्रवासन में वृद्धि हो रही है और इससे भविष्य में अनैच्छिक विस्थापन में और अधिक वृद्धि होगी।
    - वर्ष 2019 के दौरान भारत में 40 लाख से अधिक आपदा-प्रेरित विस्थापन दर्ज किया गया था।
- **उच्च ऊर्जा असुरक्षा संबंधी जोखिम और औद्योगिक प्रणालियों से संबंधित जोखिम:** यह स्थिति जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ शीतलन हेतु ऊर्जा (विद्युत) की मांग में वृद्धि के कारण है।
- IPCC की इस रिपोर्ट में भारत की कुछ निम्नलिखित अभिनव और सामुदायिक नेतृत्व वाली अनुकूलन पद्धतियों को उजागर किया गया है:
    - लद्दाख और जास्कर एवं हिमाचल प्रदेश में स्थानीय समुदायों द्वारा **निर्मित कृत्रिम हिमनद, हिम स्तूप और हिम बैरियर बैंड्स।**
    - अहमदाबाद ने चरम तापमान और हीटवेव से निपटने के लिए अग्रगामी तैयारियों को साकार किया है, इसके तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
        - वार्षिक हीट एक्शन प्लान विकसित किया गया है,
        - ऊष्मा के अवशोषण को न्यूनतम करने के लिए भवन निर्माण संबंधी विनियमों को तैयार किया गया है,
        - ऊष्मा संबंधी दबाव के प्रबंधन के बारे में सलाह जारी गई है और
        - छतों को ठंडा रखने वाली नीति का निर्माण किया गया है।

5.1.3. अनुकूलन संबंधी उपाय (ADAPTATION MEASURES)

वर्तमान अनुकूलन	• इसके तहत कम-से-कम 170 देश और कई शहर अपनी जलवायु संबंधी नीतियों और नियोजन प्रक्रियाओं में अनुकूलन को शामिल कर रहे हैं। हालांकि, अनुकूलन संबंधी नियोजन और कार्यान्वयन की वर्तमान गति पर अनुकूलन में अंतराल बढ़ता रहेगा। • **वर्तमान अनुकूलन प्रयासों से संबंधित मुद्दे:** अवलोकन किए गए अधिकतर अनुकूलन- ○ विखंडित और छोटे पैमाने के हैं; ○ वृद्धिशील और क्षेत्र-विशिष्ट हैं; ○ वर्तमान प्रभावों या निकट-भविष्य से संबंधित जोखिमों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं; ○ कार्यान्वयन की बजाय नियोजन पर अधिक केंद्रित हैं; और ○ सभी क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित हैं।
अनुकूलन की सीमाएं	**सॉफ्ट लिमिट:** निम्नलिखित बाधाओं के कारण कुछ मानवीय अनुकूलन सॉफ्ट लिमिट तक पहुंच गए हैं: • **वित्तीय बाधाएं:** इसमें विशेष रूप से विकासशील देशों में अपर्याप्त धन की स्थिति और वैश्विक स्तर पर ट्रैक किए गए जलवायु वित्त के अधिकांश भाग का शमन संबंधी गतिविधियों के लिए लक्षित होना शामिल है। • **अभिशासन, संस्थागत और नीतिगत बाधाएं:** इसमें सभी स्तरों पर जलवायु साक्षरता का अभाव; सूचना और आंकड़ों की सीमित उपलब्धता; असमानता और निर्धनता; और अनुकूलन संबंधी नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय बाधाएं शामिल हैं।

[43] Indian Marine Fisheries

	• **कुछ पारितंत्रों में अनुकूलन हार्ड लिमिट तक पहुंच गए हैं:** इसमें कुछ उष्ण जलीय प्रवाल भित्ति, कुछ तटीय आर्द्रभूमि, कुछ वर्षावन एवं कुछ ध्रुवीय तथा पर्वतीय पारितंत्र शामिल हैं।
	• **अकुशल-अनुकूलन (Maladaptation):** यदि अनुकूलन संबंधी विकल्प और अनुकूलन संबंधी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से संबंधित दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो क्षेत्रकों तथा जोखिमों के संबंध में पृथकता एवं अल्पकालिक लाभों पर केंद्रित अनुकूलन कार्रवाई अक्सर अकुशल-अनुकूलन का कारण बनती हैं। ○ उदाहरण के लिए, समुद्री तटबन्ध प्रभावी रूप से अल्पावधि में लोगों और परिसंपत्तियों के लिए प्रभावों को कम करते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिए स्थान को कम कर देते हैं, जिससे जलवायु संबंधी जोखिमों की सुभेद्यता में दीर्घकालिक रूप से वृद्धि हो सकती हैं। • जलवायु परिवर्तन के प्रति अकुशल-अनुकूलन निम्नलिखित का कारण बन सकता है: ○ **इससे सुभेद्यता, एक्सपोज़र और जोखिमों** का जाल निर्मित हो सकता है, जिसे बदलना मुश्किल और महंगा है। ○ **यह जलवायु परिवर्तन के प्रति जैव विविधता और पारितंत्र की लोचशीलता में कमी कर सकता है।** ○ **यह मौजूदा असमानताओं को मजबूत और प्रबल करके** हाशिए पर स्थित और सुभेद्य समूहों (जैसे- देशज लोग, नृजातीय अल्पसंख्यक, कम आय वाले परिवार, अनौपचारिक बस्तियां) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
जलवायु प्रत्यास्थ विकास	• जलवायु प्रत्यास्थ विकास को सक्षम करने के लिए उपलब्ध अवसर तेजी से संकुचित हो रहे हैं। • यदि ग्लोबल वार्मिंग का स्तर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो जलवायु प्रत्यास्थ विकास की संभावनाएं और भी सीमित हो जाएंगी। साथ ही, यदि ग्लोबल वार्मिंग का स्तर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो कुछ क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में जलवायु प्रत्यास्थ विकास संभव ही नहीं होगा।

5.1.4. रिपोर्ट की सिफारिशें (RECOMMENDATIONS OF THE REPORT)

- लोगों और प्रकृति के लिए जोखिम कम करने वाले **सुसंगत तथा प्रभावी अनुकूलन विकल्प** अपनाए जाने चाहिए (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **अकुशल-अनुकूलन (Maladaptation) से बचना:**
  - **दीर्घकालिक नियोजन प्रक्रियाओं** में जैव विविधता और स्वायत्त अनुकूलन (Autonomous Adaptation) को ध्यान में रखना चाहिए।
  - नियोजन संबंधी पहलों में सांस्कृतिक मूल्यों, देशज ज्ञान, स्थानीय ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश करना चाहिए।
  - **लचीले मार्गों के साथ बहु-क्षेत्रीय और बहु-कारक आधारित नियोजन।**
- **सक्षमकारी दशाएं: इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-**
  - राजनीतिक प्रतिबद्धता और सरकार के सभी स्तरों पर अनुवर्ती कार्रवाई,
  - संस्थागत फ्रेमवर्क,
  - स्पष्ट लक्ष्यों और प्राथमिकताओं वाली नीतियां और माध्यम,
  - प्रभावों और समाधानों के संबंध में बेहतर ज्ञान,
  - पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को जुटाना और उन तक पहुंच बनाना,
  - निगरानी और मूल्यांकन करना, और
  - समावेशी अभिशासन प्रक्रियाएं।
- **जलवायु प्रत्यास्थ विकास प्राप्त करना:** यह निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से संभव है-

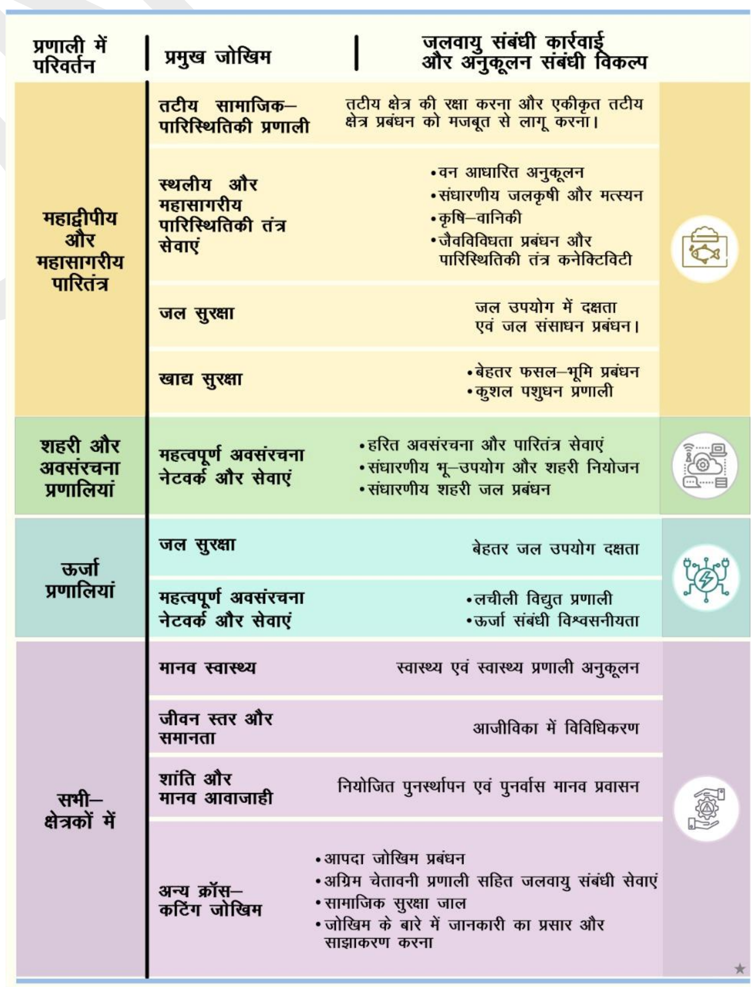

- सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रक द्वारा समावेशी विकास के ऐसे विकल्प चुने जाने की आवश्यकता है, जो जोखिम में कमी, समानता और न्याय को प्राथमिकता देते हों।
- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, वित्त और कार्रवाइयों को अभिशासन के सभी स्तरों, क्षेत्रकों एवं समयबद्धता के साथ एकीकृत करना।
- महिलाओं, युवाओं, देशज लोगों, स्थानीय समुदायों और नृजातीय अल्पसंख्यकों सहित पारंपरिक रूप से हाशिए पर स्थित **समूहों के साथ सहभागिता** विकसित करना।
- वर्तमान में निकट-प्राकृतिक पारितंत्र सहित, पृथ्वी के लगभग 30% से 50% स्थलीय, ताजे जल और महासागरीय क्षेत्रों का **प्रभावी और न्यायोचित संरक्षण करना।**
- सामाजिक, पारिस्थितिकी और ग्रे/ भौतिक अवसंरचना सहित शहरी अवसंरचना के संबंध में दैनिक निर्णयन में समेकित दृष्टिकोण, समावेशी नियोजन और निवेश को शामिल करना।

निष्कर्ष

"सभी वैज्ञानिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि, "जलवायु परिवर्तन मानव-कल्याण और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। अनुकूलन और शमन के संबंध में ठोस अग्रिम वैश्विक कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त देरी नहीं की जानी चाहिए। देरी की स्थिति में सभी के लिए संधारणीय तथा वास योग्य भविष्य सुरक्षित करने हेतु संक्षिप्त अवसर का विकल्प समाप्त हो जाएगा।"

5.2. राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस (NATIONAL DOLPHIN DAY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस वर्ष से 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस इन प्रजातियों के संरक्षण अभियान के हिस्से के रूप में और जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाएगा।

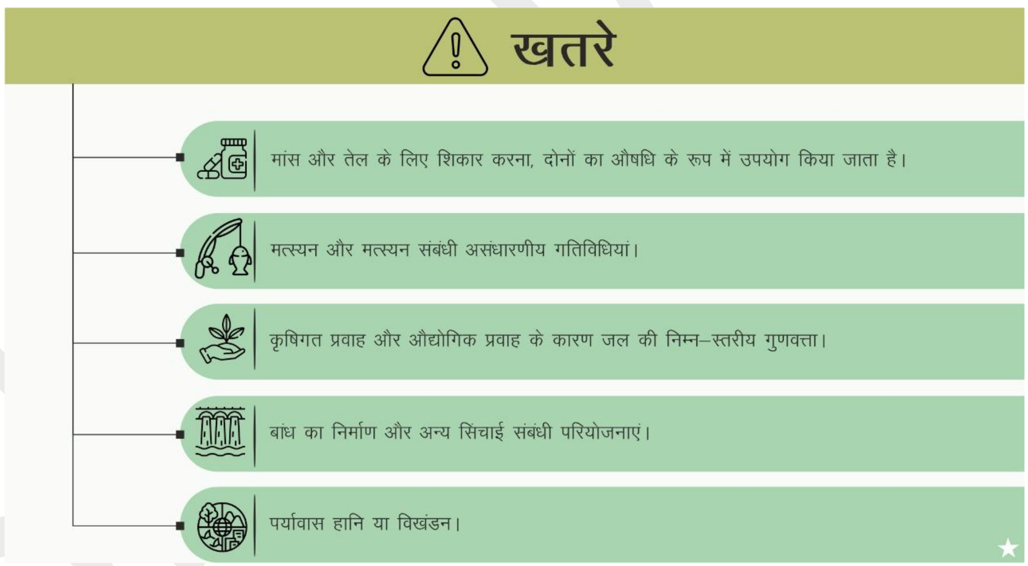

अन्य संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को नामित करने का निर्णय **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)[44] की स्थायी समिति** द्वारा लिया गया है।
- **वर्तमान में 5 अक्टूबर को 'गंगा नदी डॉल्फिन दिवस' के रूप में मनाया जाता है।** हालांकि इसे डॉल्फिन के लिए एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में पुनः नामित करने से इसके तहत गंगा के अतिरिक्त सभी नदियों और महासागरों की डॉल्फिन शामिल हो जाएंगी।

संरक्षण स्थिति

सूची / अधिनियम	वर्गीकरण
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	अनुसूची 1
वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)	परिशिष्ट 1
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची	इंडेंजर्ड

गंगा डॉल्फिन के बारे में

- यह एक **संकेतक प्रजाति** के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थिति पारितंत्र और उसमें अन्य प्रजातियों की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
- यह जल की **गुणवत्ता और प्रवाह में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील** होती है।
- यह दुनिया में पाई जाने वाली ताजे जल की डॉल्फिन की चार प्रजातियों में से एक है। चीन की **यांग्त्ज़ी नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी (भुलन)** और **लैटिन अमेरिका की अमेजन नदी (बोटो)** में अन्य तीन प्रजातियां पाई जाती हैं।

[44] National Board for Wildlife

- यह नदीय पर्यावास में पाई जाती है। यह **खारे जल या बैक-वाटर क्षेत्र में भी पाई जा सकती है,** हालांकि यह इससे होते हुए कभी समुद्र में प्रवेश नहीं करती है।
- गंगा नदी की प्रजाति **भारत, बांग्लादेश** और **नेपाल** में पाई जाती है।
    - भारत में, ज्यादातर गंगा डॉल्फिन (ताजे जल की डॉल्फिन की एक प्रजाति) असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की लंबी गहरी नदी में पाई जाती है।
- एक स्तनपायी होने के नाते, गंगा नदी की डॉल्फिन **पानी में सांस नहीं ले सकती** और हर **30-120 सेकंड में सतह पर आ जाती है।** सांस लेते समय उत्पन्न होने वाली आवाज के कारण, इस जीव को लोकप्रिय रूप से **'सौंस/सुसु/सुशुक/सेहो'** भी कहा जाता है।
- **संरक्षण के प्रयास:**
    - बिहार के भागलपुर में अवस्थित **विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (VGDS)**[45]**,** देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है।
    - ताजे जल और समुद्री डॉल्फिन दोनों के संरक्षण के लिए **'प्रोजेक्ट डॉल्फिन'** को आरंभ किया गया है।
    - भारत सरकार ने वर्ष 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal) घोषित किया था।
    - **गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020 को आरंभ किया गया।** इसके तहत 'गंगा डॉल्फिन के लिए खतरों और डॉल्फिन आबादी पर नदी यातायात, सिंचाई-नहरों एवं शिकार-आधार में कमी के प्रभाव की पहचान की गई।'

5.3. पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DISASTER MANAGEMENT PLAN OF MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ: DMP-MoPR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DMP-MoPR) जारी की गई।

DMP-MoPR के बारे में

- इसे **आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37** और **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों** के अनुपालन में तैयार किया गया है। साथ ही, इसमें गांव से लेकर जिला पंचायत स्तर तक समुदाय आधारित नियोजन के व्यापक परिप्रेक्ष्य को भी शामिल किया गया है।

इस योजना के प्रमुख घटक:

- **संस्थागत व्यवस्था:** योजना का नियोजन, कार्यान्वयन और उसकी निगरानी करने हेतु प्रत्येक गांव में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति और आपदा प्रबंधन पर कार्यदल का गठन किया जाएगा।
- **गांवों और पंचायतों की समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना को मुख्यधारा में लाना:** प्रत्येक भारतीय गांव की एक ग्राम आपदा प्रबंधन योजना होगी। ये योजनाएं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), प्रखंड विकास योजना (BDP) और जिला विकास योजना (DDP) को मुख्यधारा में शामिल करते हुए संबंधित पंचायत के लिए आपदा प्रबंधन की तैयारी का आधार होंगी।
    - समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाएं सहभागितापूर्ण, संशोधित बॉटम-अप दृष्टिकोण और सामाजिक रूप से समावेशी प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाएंगी।
- **संकट जोखिम, सुभेद्यता और क्षमता विश्लेषण:** इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं, जैसे- चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि के प्रति सुभेद्यता का मानचित्रण और इनका क्षेत्र निर्धारित करना शामिल है।

[45] Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary

- **सभी प्रत्यास्थ विकास और जलवायु परिवर्तन कार्रवाई में आपदा जोखिम प्रबंधन का समन्वय:** इसके तहत तीन वैश्विक फ्रेमवर्क, यथा- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सतत विकास लक्ष्य (SDG)** और **पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता** तथा 10 सूत्रीय एजेंडा के अनुरूप राष्ट्रीय पहलों में पारस्परिक सुदृढ़ीकरण करना शामिल है।
- **ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक रूप से समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण:** इसके तहत वंचित समूहों, जैसे- लैंगिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, बच्चे एवं विशेष रूप से दिव्यांग लोगों की जरूरतों को शामिल करने के लिए प्रक्रियाओं और विधियों को प्रस्तुत किया गया है।
- **क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क:** इसके तहत प्रत्येक ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के दो सदस्यों, प्रत्येक पंचायत के लिए आपदा प्रबंधन कार्य समूह के सदस्यों आदि के लिए कुशलता आधारित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।
    - MoPR, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत **स्टेट रिसोर्स पर्सन** के लिए प्रशिक्षण के प्रथम घटक में सहायता करेगा।
- **समन्वय, अभिसरण और सामूहिक कार्रवाई:** इसके तहत अलग-अलग एजेंसियों के मध्य कार्यात्मक समन्वय और आपदा प्रबंधन की संरचना तथा प्रणालियों के संयोजन का प्रयास शामिल है।
    - इस योजना का कार्यान्वयन RGSA की मौजूदा योजना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (DMAs)[46] की योजनाओं एवं पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुदान के साथ अभिसरण/संयोजन मोड में होगा।

स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 243G:** इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के तीनों स्तरों को मजबूत बनाना है। यह अनुच्छेद ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में राज्य विधान-मंडल पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने की शक्ति देता है।
    - हालांकि, 11वीं अनुसूची में 29 विषयों में 'आपदा (Disaster)' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु इसमें सामुदायिक संपत्ति के रख-रखाव, जैसे- आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी, शमन, पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक अधिकांश गतिविधियों को शामिल किया गया है।
- **अनुच्छेद 43ZD:** यह राज्यों के लिए जिला योजना समिति (DPC) का गठन करना अनिवार्य करता है। DPC का कार्य जिले की सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मिलाकर संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना है।
    - इन योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है।

आपदा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी का क्या महत्व है?

- **कवरेज:** भारत में ग्रामीण जनसंख्या वर्ष 2020 में कुल जनसंख्या की 65.07% थी। भारत की अद्वितीय जलवायु और सामाजिक-आर्थिक दशाएं, भारत को कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के प्रति सुभेद्य बनाती हैं। इस प्रकार संपूर्ण देश में आपदा प्रबंधन के संबंध में स्थानीय ग्रामीण सरकारें प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं।
- **निकटता:** ग्राम समुदायों के साथ पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की घनिष्ठ भागीदारी होती है। इस प्रकार PRIs प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को बढ़ा सकती है:
    - **क्षेत्रों का जोखिम संबंधी आकलन करने में;**
    - **कमजोर या सुभेद्य समूहों की पहचान** और उनमें व्याप्त सुभेद्यता की सीमा का पता लगाने में;
    - **अग्रिम चेतावनी प्रणाली को तैयार करने में;**
    - **आपदा के दौरान और आपदा के बाद की अवधि में की जाने वाली कार्रवाई,** जैसे- क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण करने, फसल सुरक्षा संबंधी उपाय आदि में।
    - सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से आपदा के दौरान और बाद की **गतिविधियों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनाए रखने में।**
- **समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण:** पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग स्तरों पर लगभग 5.5 लाख अनुसूचित जाति, 3.35 लाख अनुसूचित जनजाति और 10.48 लाख महिलाएं पंचायत नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। इस प्रकार ये निर्वाचित प्रतिनिधि चरम घटनाओं और आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हाशिए पर स्थित समूहों की देखभाल करने के लिए सबसे बेहतर रूप से सक्षम हैं।
- **पारंपरिक ज्ञान का उपयोग:** PRIs सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती हैं और आपदा प्रबंधन प्रयासों से संबंधित आधुनिक पद्धतियों में इजाफा करने के लिए स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर सकती हैं।
- **समुदाय में प्रामाणिक जागरूकता फैलाना:** उदाहरण के लिए, पंचायतों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **नेतृत्व:** पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य सभी स्तरों पर आपदा जोखिम प्रबंधन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं।
- **एकीकरण के लिए एक आधार:** यह जमीनी स्तर पर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न सरकारी संगठनों के साथ संबंधित समुदाय के अलग-अलग मुद्दों के एकीकरण के लिए एक आधार प्रदान करता है।

[46] Disaster Management Authorities

आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ

- अपनी आपदा योजनाओं को लागू करने के लिए **अपर्याप्त संस्थागत, वित्तीय और मानवीय क्षमता।**
- राज्यों द्वारा **शक्तियों और कार्यों का निम्नतर हस्तांतरण।**
- आपदा प्रबंधन में PRIs की **भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के संबंध में स्पष्टता का अभाव।**
- जमीनी स्तर पर **कमजोर या वंचित समूहों की सीमित भागीदारी।**
- जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर **मौजूद एजेंसियों में प्रभावी समन्वय का अभाव।**
- आपदा प्रबंधन की प्रणाली और रणनीतियों के संबंध में **निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं आधिकारिक पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का अभाव।**

निष्कर्ष

DMP-MoPR प्रभावी तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक रूप से PRIs के सशक्तीकरण में मदद कर सकता है। इस प्रकार आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और आपदा प्रबंधन के लिए PRIs निरंतर अपनी क्षमताओं का निर्माण कर सकते हैं।

5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

5.4.1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने “प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति: कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की ओर” नामक एक ऐतिहासिक संकल्प अपनाया (UNEA ADOPTS HISTORICAL RESOLUTION “END PLASTIC POLLUTION: TOWARDS AN INTERNATIONALLY LEGALLY BINDING INSTRUMENT”)

- विश्व के 175 देशों के प्रतिनिधियों ने **नैरोबी** में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-5) में प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित एक संकल्प यानी रेजोल्यूशन का समर्थन किया है।
  - यह रेजोल्यूशन **प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने** और **वर्ष 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी** एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपनाने से संबंधित है।
    - कानूनी रूप से बाध्यकारी इस समझौते के तहत, “देशों से इस रेजोल्यूशन के उद्देश्यों में योगदान देने के लिए अपेक्षा की जाएगी। इसके तहत देशों को अपनी-अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को विकसित, कार्यान्वित और अपडेट करना होगा।”
- **इस संकल्प के बारे में:**
  - यह **पेरू, रवांडा** और **जापान** द्वारा पेश किए गए तीन प्रारंभिक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर आधारित है।
  - यह प्लास्टिक के उत्पादन, डिजाइन और निपटान सहित उसके **संपूर्ण जीवन चक्र से संबंधित है।**
  - इसके तहत एक **“अंतर-सरकारी वार्ता समिति” (Intergovernmental Negotiating Committee)** का गठन किया जाएगा। इस समिति को वर्ष 2024 के अंत तक कानूनी रूप से बाध्यकारी एक वैश्विक समझौते का ड्राफ्ट तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। यह समिति अपना काम वर्ष 2022 में शुरू कर देगी।
- **प्लास्टिक प्रदूषण का फैलाव:**
  - प्लास्टिक प्रदूषण वर्ष 1950 में **20 लाख टन** के बराबर था। यह बढ़कर वर्ष 2017 में **34.8 करोड़ टन** हो गया। इसके वर्ष 2040 तक दोगुना हो जाने का अनुमान है।
  - वर्ष 2050 तक, प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान के चलते होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए स्वीकृत उत्सर्जन का 15% होगा।
  - **800 से अधिक समुद्री और तटीय प्रजातियां** प्लास्टिक प्रदूषण को निगलने, उसमें उलझ जाने और इससे जुड़े अन्य खतरों का सामना करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में

UNEA
United Nations Environment Assembly
of the United Nations Environment Programme

- यह पर्यावरण के मामलों पर **निर्णय लेने वाला विश्व का सर्वोच्च निकाय** है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी)** है।
- इसकी बैठक **दो वर्ष में एक बार** आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरण नीतियों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से जुड़े कानून विकसित करना है।
- इसका गठन **जून 2012** में किया गया था।

5.4.2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 (UNEP 'Frontiers' Report 2022)

- UNEP ने **"नॉइज़, ब्लेज़ एंड मिसमैच्स"** नामक शीर्षक से **"फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022"** जारी की है। इसमें निम्नलिखित तीन चिंताओं की और ध्यान आकर्षित किया गया है:
  - **अर्बन साउंडस्केप्स** यानी शहरों में ध्वनि प्रसार क्षेत्र,
  - **वाइल्डफायर्स** यानी वनाग्नि, और
  - **फोनोलॉजिकल शिफ्ट** यानी ध्वनि स्तर में मुख्य बदलाव।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
  - ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रदूषित शहरों में दक्षिण एशिया के 13 शहर शामिल हैं। इनमें से पांच शहर भारत में हैं। ये हैं: **मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर** और **दिल्ली।**
  - सड़क यातायात, रेलवे या मनोरंजक गतिविधियों से पैदा हुए ध्वनि प्रदूषण की चपेट में लंबे समय तक रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह **असमय मृत्यु, हृदय रोग व मेटाबॉलिक संबंधी बीमारी का कारण** बन सकता है। इससे **लोगों में चिड़चिड़ापन** भी आ सकता है।
  - दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण **बांग्लादेश की राजधानी ढाका** में दर्ज किया गया है।
- **ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम:**
  - शुरुआत में ध्वनि प्रदूषण को **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत शामिल किया गया था। बाद में, इसके लिए एक अलग कानून **'ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000'** लाया गया था।
    - हालांकि, अभी भी **वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981** के तहत, उद्योगों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 1,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच **जुर्माने का प्रस्ताव** दिया है।
  - **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** मोटर वाहनों, एयर-कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स आदि के लिए ध्वनि मानकों (noise standards) को निर्धारित करता है।
- **ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कदम:**
  - शहरी क्षेत्रों में **वनस्पति आवरण (वेजिटेशन कवर)** में वृद्धि की जानी चाहिए,
  - राजमार्गों या रेलवे लाइनों के किनारे **नॉइज़ बैरियर्स (शोर अवरोधक)** स्थापित किये जा सकते हैं,
  - ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, आदि।
  - जब **ध्वनि या आवाज या शोर** का स्तर लगातार बहुत अधिक या उच्च बना रहता है, तो ऐसी स्थिति को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके चपेट में आने से मनुष्यों या अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- CPCB ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए भारत में **ध्वनि प्रदूषण के तर्कसंगत (permissible) स्तरों को निर्धारित** किया है।

5.4.3. मिनामाता अभिसमय (Minamata Convention)

- **पारे पर मिनामाता अभिसमय[47] के पक्षकारों का चौथा सम्मेलन (COP4) इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहा है।**
- **पारे पर मिनामाता अभिसमय** को जेनेवा में वर्ष 2013 में अपनाया गया था। **यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।**
  - इस अभिसमय का नाम उस **जापानी शहर (मिनामाता)** के नाम पर रखा गया है, जो **1950 के दशक में मिनामाता रोग का केंद्र बन गया था।** मिनामाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली एक **तंत्रिका संबंधी बीमारी** है।
  - **भारत ने वर्ष 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और वर्ष 2018 में इसकी अभिपुष्टि (ratify) की थी।**
  - यह अभिसमय **वर्ष 2017 में लागू** हुआ था।
- बाली में आयोजित सम्मेलन में, इंडोनेशिया के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी एक वैश्विक घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें मिनामाता अभिसमय के पक्षकारों से **वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर-कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान** किया गया है।
- हालांकि, यह **घोषणा-पत्र गैर-बाध्यकारी** है। **इसमें पक्षकारों से आह्वान किया गया है वे:**
  - पारे के व्यापार की निगरानी और प्रबंधन के लिए **व्यावहारिक उपकरण का विकास** करें; **अधिसूचना जारी** करें; तथा **सूचनाओं को साझा करने की एक प्रणाली** भी विकसित करें।
  - पारे के गैर-कानूनी व्यापार से निपटने से संबंधित **अनुभवों और तरीकों का आपस में आदान-प्रदान** करें।
  - दस्तकारी और छोटे पैमाने पर सोने के खनन में पारे के उपयोग को कम करें।
- **कुछ अन्य अभिसमय या कन्वेंशन:**
  - **रॉटरडैम कन्वेंशन:** यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ प्रकार के **खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों** के उपयोग से संबंधित है।
  - **बेसल कन्वेंशन:** यह **खतरनाक अपशिष्टों की सीमा-पार आवाजाही** और उनके निपटान के नियंत्रण से संबंधित है।
  - **वियना कन्वेंशन:** यह **ओजोन परत के संरक्षण** से संबंधित है।
  - **स्टॉकहोम कन्वेंशन:** यह **स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों** (Persistent Organic Pollutants: POPs) से संबंधित है।

[47] Minamata Convention on Mercury

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** ने **पारे** को उन शीर्ष दस रसायनों या रसायनों के समूहों में शामिल किया है, जो लोक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता का कारण हैं।
  - यह **तंत्रिका तंत्र, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा एवं आंखों** पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है।
  - विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारत** पारे का सबसे अधिक उपयोग करने वाला दूसरा देश है।

5.4.4. लक्ष्य जीरो डंप-साइट (Lakshya Zero Dumpsite)

- लक्ष्य जीरो डंप-साइट के तहत, भारत सरकार ने तेलंगाना के **178.6 करोड़ रुपये के "लिगेसी वेस्ट रेमेडिएशन" (पुराने हो चुके कचरे या अपशिष्ट का उपचार)** प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- **लक्ष्य जीरो डंप-साइट के बारे में:**
  - यह **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0** के तहत एक लक्ष्य है।
  - इसके तहत लगभग **16 करोड़ मीट्रिक टन (MT)** पुराने कचरे के उपचार का लक्ष्य रखा गया है। ये कचरे देश भर में लगभग **15,000 एकड़ भूमि** में फैले हुए हैं।
  - यह **संसाधन पुनः प्राप्ति** के दृष्टिकोण और **चक्रीय अर्थव्यवस्था** के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।

5.4.5. अर्थ आवर (Earth Hour)

- अर्थ आवर का आयोजन **"विश्व वन्यजीव कोष (WWF)"** द्वारा किया जाता है।
- इसे प्रतिवर्ष **26 मार्च** को विश्व स्तर पर आयोजित किया जाता है। अर्थ आवर के लिए इस वर्ष का थीम **"शेप अवर फ्यूचर"** था।
- यह व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और व्यवसायों को पृथ्वी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक घंटे के लिए **अपनी गैर-जरूरी लाइट्स को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है।**
- WWF एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन** है। इसकी स्थापना **वर्ष 1961** में हुई थी और इसका मुख्यालय **स्विट्जरलैंड के ग्लैंड** में स्थित है।

5.4.6. राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन 2006-07 तथा 2017-18 के शीर्षक से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस जारी (National Wetland Decadal Change Atlas titled National Wetland Inventory and Assessment-2006-07 and 2017-18)

- इस एटलस का शीर्षक **"राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन (National Wetland Inventory and Assessment)-2006-07 तथा 2017-18"** रखा गया है।
- इसे इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC)[48] ने तैयार किया है। इसमें पिछले एक दशक में देश भर की आर्द्रभूमियों में हुए परिवर्तनों को दर्शाया गया है।
  - **मूल एटलस को SAC ने वर्ष 2011** में जारी किया था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सभी राज्य सरकारों ने अपनी योजना प्रक्रियाओं में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया है।
- **मुख्य निष्कर्ष**
  - राष्ट्रीय स्तर पर, देश की सभी आर्द्रभूमियों का कुल क्षेत्रफल 15.98 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है। यह **देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.86 प्रतिशत** है।
  - आर्द्रभूमि के अलग-अलग प्रकारों में कुल आर्द्रभूमियों का **एक तिहाई से अधिक हिस्सा नदियों (35.2 प्रतिशत) द्वारा कवर** किया गया है। वहीं लगभग अन्य 43 प्रतिशत आर्द्रभूमि क्षेत्र संयुक्त रूप से जलाशयों (17.1 प्रतिशत) द्वारा कवर किया गया है।
  - पिछले एक दशक में आर्द्रभूमि क्षेत्र में अधिकांश वृद्धि **अंतर्देशीय मानव निर्मित (81.5 प्रतिशत) और तटीय कृत्रिम (17.0 प्रतिशत) श्रेणियों में** दर्ज की गयी है।
  - **तटीय प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में कमी** आई है। ये अधिकांशतः तटीय मानव निर्मित श्रेणियों में रूपांतरित हो गई हैं।
  - **मैंग्रोव क्षेत्र** और **प्रवाल भित्तियों** के क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गयी है।

- **आर्द्रभूमियों के बारे में:**
  - **रामसर अभिसमय के अनुसार** प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी दलदली; पंकभूमि; पीटभूमि या जलीय क्षेत्र (जिसका जल ठहरा या बहता हुआ, ताजा, खारा या लवणीय है) को आर्द्रभूमि कहा जाता है। इसमें समुद्री जल के उन हिस्सों को भी शामिल किया गया है, जिनकी निम्न ज्वार के दौरान गहराई छह मीटर से अधिक नहीं है।
  - भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए **आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017** लागू किए गए हैं।

5.4.7. एक अध्ययन के अनुसार यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया की पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियाँ टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई हैं (Permafrost peatlands in Europe, Western Siberia Nearing Tipping Point: Study)

- हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2040 तक, **उत्तरी यूरोप** इतना नम और गर्म हो जाएगा कि यहाँ **पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियों** का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। **पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियाँ एक प्रकार की जमी हुई या हिमीकृत भूमि हैं। इनके नीचे अत्यधिक मात्रा में कार्बन का भंडार या संग्रह** मौजूद होता है।
  - यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामान्य प्रयास ही किए जाएंगे, तो वर्ष 2060 तक, **यूरोप** और **पश्चिमी साइबेरिया** की **75 प्रतिशत** पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियों का विनाश हो सकता है।

[48] Space Applications Centre

- **पीटभूमियाँ,** एक प्रकार की **आर्द्रभूमियाँ होती हैं।** 'पीटभूमि' का आशय पीट मृदा और उस पर विकसित आर्द्रभूमि पर्यावासों से है।
    - कुछ पीटभूमियाँ, **जमी हुई भूमि या पर्माफ्रॉस्ट के नीचे** दब गई हैं और वें पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियों के रूप में मौजूद हैं। ये **अलास्का, कनाडा, रूस के उत्तरी इलाकों** और **उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों में** पाई जाती हैं।
    - वह क्षेत्र जो कम-से-कम लगातार दो वर्षों से **32 डिग्री फॉरेनहाइट (अर्थात् 0 डिग्री सेल्सियस) या इससे कम तापमान** पर पूरी तरह से जमी हुई अवस्था में है, उसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं।
- **ये निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण हैं:**
    - **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने** और कम करने के लिए।
    - **जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए।**
    - **बाढ़ के जोखिम को कम** करने के लिए।
    - **सुरक्षित पेयजल** की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए।
        - पीटभूमियाँ कुल वैश्विक स्थलीय क्षेत्र के केवल 3 प्रतिशत भाग पर ही विस्तृत हैं, लेकिन इनमें विश्व के वनों की तुलना में लगभग दोगुना कार्बन का भंडार मौजूद है।
- **खतरे:**
    - कृषि कार्य के लिए **जल-निकासी** और वन भूमियों को जलना।
    - **जलवायु परिवर्तन।**
    - **वनों की कटाई।**
    - पीट खनन के कारण विनाश (ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने हेतु) , आदि।

Global distribution of peatlands

वैश्विक पीटभूमि पहल (Global Peatlands Initiative)

- इसे वर्ष 2016 में **मराकेश** में आयोजित **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन** के समय आरंभ किया गया था।
- इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय ऑर्गेनिक कार्बन भंडार के रूप में मौजूद पीटभूमियों का संरक्षण** करना है।

5.4.8. वहन क्षमता (Carrying capacity)

- हाल ही में, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि **सुंदरबन में बाघों का घनत्व संभवतः इन मैंग्रोव वनों की वहन क्षमता की सीमा तक पहुंच गया है।**
    - **वर्ष 2018 की अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट** में सुंदरबन में **प्रति 100 वर्ग कि.मी. में "लगभग 4 बाघों"** के पर्यावास की क्षमता निर्धारित की थी। किन्तु, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किए गए इस अध्ययन में **3 से 5 बाघों के घनत्व** का संकेत मिलता है।
- वहन क्षमता (Carrying capacity) को **किसी विशेष पर्यावास में किसी प्रजाति की औसत आबादी के आकार के रूप में परिभाषित** किया जा सकता है। प्रजातियों की **आबादी के आकार पर पर्याप्त भोजन, आश्रय, जल और साथी जैसे पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता** है।
    - यह मानव सतत विकास के मापन और प्रबंधन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार या मापदंड है।
- **आवश्यक कदम**
    - कोविड-19 के कारण आजीविका के लिए मानवीय हस्तक्षेपों में वृद्धि हुई है। इसलिए, वन के **अधिकतम घनत्व को परिभाषित करने वाले नए मानदंडों** को संशोधित करने की आवश्यकता है।
    - क्षति को कम करने और वन्य जीवन की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए **सतत भूमि उपयोग को पर्याप्त प्रोत्साहन** दिए जाने की आवश्यकता है।
    - **सभी टाइगर रिज़र्व के बीच कार्यात्मक संबंध स्थापित किये जाने चाहिए।** इससे बाघों का उनकी आबादी में स्वस्थ अन्तर्मिश्रण हो सकेगा।
    - वन्यजीवों की नई प्रबंधन रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए।
- **सुंदरबन के बारे में:**
    - यह **विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है।** यह रॉयल बंगाल टाइगर का पर्यावास स्थल है। यह 10,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में विस्तृत है।
        - इसका 4,000 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में और शेष बांग्लादेश में है।
    - यह एक **बायोस्फीयर रिज़र्व, नेशनल पार्क** और **टाइगर रिज़र्व** है।
    - वर्ष 1987 में इसे **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** घोषित किया गया था।

5.4.9. एशियाई शेरों की पहचान के लिए सिम्बा / SIMBA (सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियन लायंस) तकनीक {SOFTWARE WITH INTELLIGENCE MARKING BASED IDENTIFICATION OF ASIATIC LIONS (SIMBA) TO IDENTIFY ASIATIC LIONS}

- **गुजरात वन विभाग** द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एक फोटो-पहचान सॉफ्टवेयर अर्थात् **'SIMBA (सिम्बा)'** का उपयोग किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को **शेरों के शरीर के पैटर्न या शारीरिक चिन्ह में अंतर करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन** किया गया है, ताकि शेरों की अलग-अलग पहचान की जा सके।

- इसे हैदराबाद स्थित **'टेलिओलैब्स'** द्वारा विकसित किया गया है।

- **यह कैसे काम करता है?**
  - एशियाई शेरों के **थूथन के दोनों ओर विशेष मूंछ के धब्बे (व्हिस्कर स्पॉट)** होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, **कोई भी दो व्हिस्कर स्पॉट्स पैटर्न सामान नहीं होते हैं अर्थात् शेरों में यह पैटर्न अलग-अलग होता है।** साथ ही, **समय के साथ इनमें कोई बदलाव नहीं** होता है।
  - मशीन लर्निंग तकनीक के साथ SIMBA अलग-अलग **शेरों की पहचान स्वचालित तरीके** से करता है। SIMBA इस कार्य को निम्नलिखित के आधार पर पूरा करता है:
    - **अलग-अलग शेरों के व्हिस्कर स्पॉट में अंतर के आधार पर,**
    - **चेहरे पर किसी निशान, कानों पर दाग या काटने के निशान के आधार पर; और**
    - **तस्वीर से संबंधित अन्य मेटाडेटा के आधार पर।**

- **SIMBA का महत्व:**
  - इससे उपयोगकर्ता को यह **पहचानने और जाँच करने में सहायता** मिलती है कि क्या कोई शेर पहले से ही डेटाबेस में मौजूद है या वह कोई नया शेर है।
  - **लिंग, नाम, माइक्रोचिप नंबर, जीवन की स्थिति, दूध पिलाने वाली मादा शेर** जैसी अतिरिक्त जानकारियों का उपयोग भी डेटाबेस में शेरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
  - इससे एशियाई शेरों के **पर्यावास में प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन** की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहायता मिलेगी।

एशियाई शेर के बारे में

- यह भारत में पायी जाने वाली पांच बड़ी कैट स्पीशीज में से एक है। अन्य चार हैं- बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, हिम तेंदुआ,और क्लाउडेड लेपर्ड।
- एशियाई शेर **केवल भारत में** गुजरात के पांच संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पांच संरक्षित क्षेत्र हैं- गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य, पनिया अभयारण्य, मितियाला अभयारण्य और गिरनार अभयारण्य।
- समूहों में रहने वाली एकमात्र कैट स्पीशीज **शेर** है। इन समूहों को **'प्राइड' (शेरों का समूह)** कहा जाता है।
  - **मादा शेर 'प्राइड' की प्रमुख शिकारी** होती है।
  - गर्भधारण की अवधि **100 -119 दिनों के बीच** होती है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की **अनुसूची 1** में सूचीबद्ध
  - वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के **परिशिष्ट-1** में सूचीबद्ध।
  - IUCN की लाल सूची में "एंडेंजर्ड या संकटापन्न" श्रेणी में सूचीबद्ध।
- एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकार में थोड़े छोटे होते हैं।
  - IUCN की लाल सूची में अफ्रीकी शेर **'वल्नरेबल' (सुभेद्य)** श्रेणी में सूचीबद्ध हैं।

5.4.10. चीता एक्शन प्लान: वर्ष 2022 में भारत में चीता लाने के लिए कार्ययोजना (Cheetah Action Plan: Translocation in 2022)

- हाल ही में, एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल, **"वर्ल्ड्स चीता कैपिटल"** के रूप में विख्यात **नामीबिया** के दौरे पर गया।
- **भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नामीबिया के चीतों को नामीबिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त करने की योजना** तैयार की जा रही है।
- **इससे जुड़े घटनाक्रमों पर एक नज़र:**
  - उच्चतम न्यायालय ने **प्रायोगिक आधार पर नामीबिया** से **अफ्रीकी चीतों को भारतीय पर्यावास में लाने (बसाने) के प्रस्ताव पर वर्ष 2013 में रोक** लगा दी थी। इस रोक को उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020 (सात वर्ष बाद) में हटा दिया।
  - उच्चतम न्यायालय ने यह रोक वर्ष 2013 में **कुनो-पालपुर अभयारण्य में ही शेरों को बसाने की योजना और चीतों के लिए आहार (शिकार) संबंधी कमी** के संदेह के कारण लगाई गई थी।
  - इसके अलावा, **"भारत में चीते को पुनः बसाने की कार्ययोजना"** भी आरंभ की गई थी। इसके तहत पांच वर्षों में भारत में 50 चीतों को लाने की योजना बनाई गयी थी।
- **चीतों को पुनः बसाने के बारे में:**
  - एशियाई चीतों **(IUCN स्थिति: क्रिटीकली इंडेंजर्ड)** की तुलना में **अफ्रीकी चीतों (IUCN स्थिति: वल्नरेबल या सुभेद्य)** को भारत में पुनः बसाना बहुत आसान है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि एशियाई चीते बहुत कम संख्या में केवल ईरान में ही पाए जाते हैं।
  - चीता शुष्क वनों, झाड़ीदार वनों और सवाना की एक **कीस्टोन प्रजाति** है।
  - अत्यधिक शिकार करने और पर्यावास की क्षति के कारण **वर्ष 1952 में चीता को भारत में विलुप्त (extinct) घोषित** कर दिया गया था।
  - चीता **विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी** है।
  - यह **वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)** के **परिशिष्ट 1 (Appendix 1)** में सूचीबद्ध है।

5.4.11. भारतीय भेड़िया (Indian Wolf)

- **भारतीय प्रायद्वीपीय भेड़ियों** (कैनिस ल्यूपस पलीप्स) के पहले वैज्ञानिक जनगणना के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि देश में इस प्रजाति के केवल 3,100 सदस्य शेष हैं।
- **भारतीय भेड़िया, ग्रे वुल्फ की एक उप-प्रजाति है।**
  - यह भारत के अर्ध-शुष्क इलाकों के **झाड़ियों, घास के मैदानों और कृषि-पशुचारण क्षेत्रों** में पाए जाने वाले सामान्य बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है।

- वर्तमान में, इस प्रजाति की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं।
- **खतरा:** शिकार, अतिक्रमण और भूमि परिवर्तन, मानव-पशु संघर्ष के मामलों में वृद्धि, आदि ।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की **अनुसूची I** में **इंडेंजर्ड** प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध।
  - वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के **परिशिष्ट 1** में शामिल।
  - **IUCN:** लीस्ट कंसर्न।

5.4.12. गोल्डन लंगूर (Golden Langur)

- हाल ही में, वैज्ञानिकों के एक दल ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार, गोल्डन लंगूर के **पर्यावास (हैबिटैट) में गंभीर रूप से गिरावट** आ रही है।
- **गोल्डन लंगूर** (या सुनहरा लंगूर) को उसके सोने जैसे रंग वाले फर (fur) के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यह **भारत** और **भूटान** में पाया जाता है।
  - गोल्डन लंगूर का पर्यावास **उत्तर** में **भूटान के फूटहिल्स, पूर्व** में **मानस नदी, पश्चिम** में **संकोश नदी** और **दक्षिण** में **ब्रह्मपुत्र नदी** तक सीमित है।
  - यह **संकटग्रस्त वन्यजीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)** के **एपेंडिक्स I** में सूचीबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** की संकटापन्न (थ्रेटंड) प्रजातियों की **लाल सूची** में **'एंडेंजर्ड'** के रूप में शामिल है।
  - यह **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** की **अनुसूची I** में भी सूचीबद्ध है। उल्लेखनीय है कि **भूटान** ने भी इसे अपने **फ़ॉरेस्ट एंड नेचर कंजर्वेशन एक्ट, 1955** के अधीन **संरक्षण** प्रदान किया है।
  - **खतरे -** विद्युत करंट से मौत, वनों की कटाई, पर्यावास की हानि, आदि।

5.4.13. रफ-टूथ डॉल्फिन (Rough-Toothed Dolphin)

- लक्षद्वीप में पर्यावरण और वन विभाग के एक शोध दल द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में पहली बार जीवित रफ-टूथ डॉल्फिन (स्टेनो ब्रेडेनेंसिस) को देखा गया है।
- **रफ-टूथ डॉल्फिन के बारे में:**
  - **यह पूरे विश्व में उष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण जल में पायी जाती है।** हालांकि, इसके संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।
  - इसकी लंबाई 8.5 फीट तक होती है। इसके शरीर का रंग धूसर (ग्रे), होंठ और गला सफेद और पेट धब्बेदार होता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - IUCN: लीस्ट कंसर्न
  - CITES: परिशिष्ट II

5.4.14. ओलिव रिडले कछुए 'मास नेस्टिंग' के लिए ओडिशा तट पर पहुँचने लगे (Olive Ridley Turtles Arrive at Odisha Coast for Mass Nesting)

- वर्ष 2022 का **अरिबाडा,** गहिरमाथा तट पर दर्ज की गई अब तक की सबसे देरी से घटित होने वाली **मास नेस्टिंग** परिघटना है। अरिबाडा (arribada) का आशय समुद्री कछुओं की मास नेस्टिंग (यानी बड़े स्तर पर अंडे देने) से है।
  - ओडिशा का गहिरमाथा तट, **ओलिव रिडले कछुओं का दुनिया में सबसे बड़ा ब्रीडिंग स्थल** है। इसके बाद **ऋषिकुल्या** का स्थान आता है।
  - ओलिव रिडले कछुए सामान्यतः **रात के समय बालू वाले समुद्र तट पर गड्ढा खोदकर उसमें 40-50 अंडे देते हैं।** अंडे देने के बाद कछुए उसे पुनः बालू से ढक देते हैं। इसके बाद सूर्योदय से पहले कछुए समुद्र में लौट जाते हैं। इन अण्डों से **40-60 दिनों के बाद बच्चे निकलने लगते हैं।**
- **ओलिव रिडले के बारे में:**
  - इनका यह नाम इनके **ओलिव ग्रीन (हरे जैतून) रंग वाले कवच (shell)** के कारण पड़ा है। इनके कवच का आकार दिल के जैसा होता है।
  - ये मुख्य रूप से **प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में** पाए जाते हैं।
  - **मुख्य खतरे:**
    - मछली पकड़ने वाले **बड़े-बड़े जालों में दुर्घटनावश फंसने** से इनकी मृत्यु हो जाती है;
    - मांस, कवच और चमड़े के लिए इनका **बड़े पैमाने पर अवैध शिकार** किया जाता है;
    - ये **समुद्री सतह के बढ़ते तापमान से नकारात्मक रूप से प्रभावित** होते हैं; आदि।
  - **ये कछुए IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल (सुभेद्य) के रूप में सूचीबद्ध हैं।**
  - **संरक्षण की स्थिति:**
    - ये भारतीय **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** की **अनुसूची I** में सूचीबद्ध हैं।
    - साथ ही, ये **वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)** के **एपेंडिक्स I** में भी सूचीबद्ध हैं।
- **इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम:**
  - वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau) द्वारा **ऑपरेशन सेव कूर्म** आरंभ किया गया है।

- ओडिशा सरकार ने बड़े-बड़े जालों के लिए **टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TEDs)** का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
- **ऑपरेशन ओलिवा अभ्यास** शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रीडिंग करने वाले ओलिव रिडले कछुओं के लिए समुद्र में सुरक्षित पड़ाव सुनिश्चित करना है।

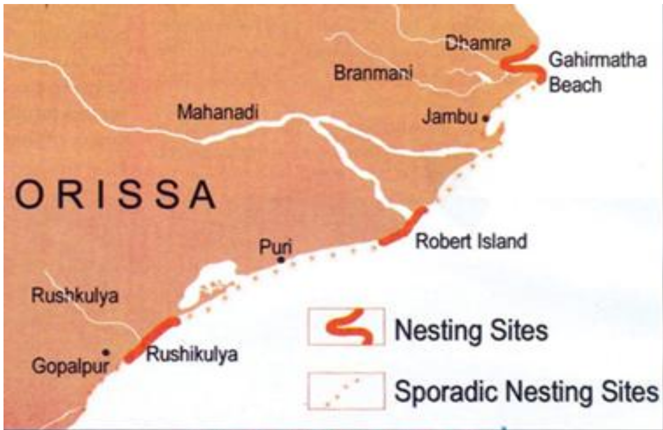

NESTING SITES OF OLIVE RIDLEY TURTLES

5.4.15. कार्बोफ्यूरान (Carbofuran)

- हाल ही में, **असम में 95 से अधिक हिमालयी ग्रिफॉन गिद्धों** (नियरली थ्रेटेंड) और एक **स्टेपी ईगल** की मौत का मामला सामने आया था। इसके लिए कार्बोफ्यूरान के कारण हुई कीटनाशक विषाक्तता को जिम्मेदार ठहराया गया है।
  - **हिमालयी ग्रिफॉन गिद्धों का पर्यावास:** पश्चिमी चीन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान; भारत, नेपाल और भूटान (हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में); मध्य चीन और मंगोलिया।
- **कार्बोफ्यूरान के बारे में:**
  - यह एक **कीटनाशक** है। इसका उपयोग **व्यापक रूप से विभिन्न कृषि फसलों पर कीड़ों और नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।**
  - कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए **इसका व्यापक उपयोग** पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार रहा है।

5.4.16. इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज (India Water Pitch-Pilot-Scale Start-up Challenge)

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने "इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज" पहल की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत **अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) 2.0** के तहत की गई है।
  - अमृत 2.0 को भारतीय **शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने** के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- इसके तहत, सरकार **सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और जल या प्रयुक्त जल क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने** के लिए **देश भर में 100 स्टार्ट-अप्स** का चयन करेगी।

5.4.17. वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक-2022 (World Energy Transition Outlook 2022)

- हाल ही में, बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग के दौरान **IRENA** द्वारा **वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक-2022** जारी किया गया।
  - वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक-2022 में, उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और कार्रवाइयों** को निर्धारित किया गया है। इसमें यह कहा उल्लेख है कि यदि इस सदी के मध्य तक **"निवल शून्य उत्सर्जन" का लक्ष्य हासिल** करना है तो इन प्राथमिकताओं और कार्रवाइयों वर्ष 2030 तक साकार करना होगा।
- इस सदी के मध्य तक **जीवाश्म ईंधन आधारित वैश्विक ऊर्जा क्षेत्रक** को **शून्य-कार्बन वाले ऊर्जा क्षेत्रक** में रूपांतरित करने का सबसे उपयुक्त उपाय **एनर्जी ट्रांजिशन** है।
  - इसके तहत मुख्य रूप से **ऊर्जा से संबंधित CO_2 उत्सर्जन को कम करने** की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, ताकि **जलवायु परिवर्तन को सीमित किया जा सके।**
- **इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**
  - **हरित ऊर्जा गलियारा** के तहत अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली आरंभ की गई है।
  - **प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान यानी पी.एम.-कुसुम योजना** आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डीजल से चलने वाले पंपों की बजाए सौर ऊर्जा वाले पंपों को बढ़ावा देना है।
  - अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) की क्षमता का उपयोग करने के लिए वर्ष 2015 में **अपतटीय पवन ऊर्जा नीति** की घोषणा की गई थी।
  - **इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA)** में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। यह एजेंसी अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षेत्र से संबंधित परियोजना को वित्तपोषण प्रदान करती है।
  - **फेम इंडिया (FAME INDIA) योजना** शुरू की गई है। फेम-इंडिया का आशय है- भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India)।
  - इसके अलावा, **राष्ट्रीय सौर मिशन,** राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, किफायती एल.ई.डी. के लिए **उजाला योजना** आदि पहलों को भी आरंभ किया गया है ।

5.4.18. मेकेदातु बांध (Mekedatu Dam)

- हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक द्वारा बांध निर्माण के कदम के विरुद्ध एक संकल्प (resolution) पारित किया है।

- **मेकेदातु बांध के बारे में:**
  - मेकेदातु नामक इस बांध का निर्माण **कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी** पर प्रस्तावित है। इसे जलाशय और पेयजल परियोजना के रूप में निर्मित किया जाना है। **यह क्षेत्र में जलभृतों (aquifers) को भी रिचार्ज करेगा।**
  - हालांकि, तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि **यह वर्ष 2007 के कावेरी नदी जल अधिकरण के अंतिम निर्णय** और **वर्ष 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करता है।**
  - इसके अलावा, यह बांध ऊपरी रिपेरियन (upper riparian) राज्य से पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करेगा, जिससे तमिलनाडु के कृषि समुदाय प्रभावित होंगे।
  - यह परियोजना अब **कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण** के समक्ष है।

5.4.19. मानस राष्ट्रीय उद्यान (Manas National Park)

- **असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान** में बाघों और गैंडों की आबादी में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।
- यह **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल,** टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, **राष्ट्रीय उद्यान** और **वन्यजीव अभयारण्य** भी है।
- **यह हिमालय की गिरीपदीय क्षेत्र में स्थित है।** यह भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से संलग्न एक राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह **मानस नदी के साथ-साथ विस्तृत** है और **उत्तर में भूटान के वनों से घिरा हुआ है।**
- मानस नदी, **ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है,** जो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है।
- यह **दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का पर्यावास भी है,** जिसमें बाघ, एक सींग वाले गैंडे, स्वैंप हिरण, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन शामिल हैं।

5.4.20. सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve)

- **सरिस्का,** राजस्थान के **अलवर** में स्थित है।
- यह **रॉयल बंगाल टाइगर** के पर्यावास लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण जीवों में तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा आदि शामिल हैं।
- यह एक **वन्यजीव अभयारण्य** और एक **टाइगर रिजर्व** है।
- यह **कंकर वाड़ी किले, नीलकंठ मंदिर** और **पांडुपोल हनुमान मंदिर** के लिए भी प्रसिद्ध है।

5.4.21. अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ (International Monsoons Project Office: IMPO)

- इसकी स्थापना **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)** में की जाएगी। IITM, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- इसे **विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम** और **विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम** के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा।
  - **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** द्वारा इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है।
- IMPO की स्थापना से **एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण** का विस्तार होगा। इससे मानसून में मौसमी बदलाव को बेहतर रूप से समझा जा सकेगा। साथ ही, इससे मानसून और चक्रवातों के **पूर्वानुमान संबंधी कौशल में वृद्धि** होगी। इससे **मानसून अनुसंधान** को भी बल मिलेगा।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. देखभाल अर्थव्यवस्था (CARE ECONOMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने **"कार्यस्थल पर देखभाल: कामकाजी विश्व में अधिक लैंगिक समानता के लिए देखभाल अवकाश एवं सेवाओं में निवेश करना"**[49] नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट, **देखभाल नीतियों से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं** का एक वैश्विक परिदृश्य प्रदान करती है। इन देखभाल नीतियों में मातृत्व सुरक्षा, पैतृक, अभिभावकीय एवं अन्य देखभाल संबंधित अवकाश नीतियां शामिल हैं। साथ ही, इसमें बाल देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं भी समाहित हैं।

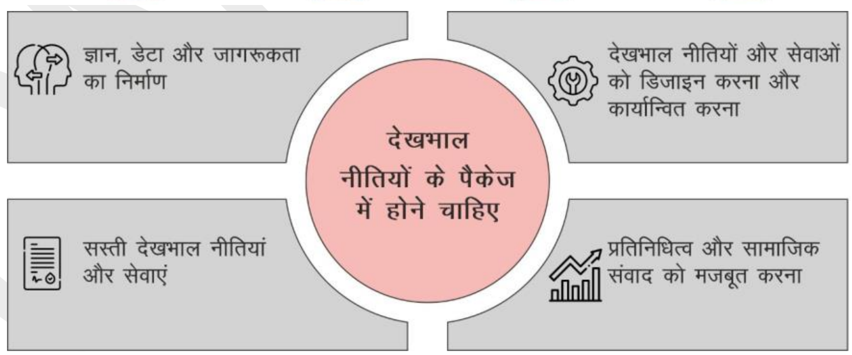

- **इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **देखभाल सेवाओं और नीतियों में सतत एवं गंभीर अंतराल विद्यमान है।** इस अंतराल के कारण लाखों श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन के बिना पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा है।
  - **प्रजनन आयु वर्ग की प्रत्येक दस महिलाओं में से तीन** या 649 मिलियन महिलाएं उन 82 देशों से हैं, जिन्होंने **ILO अभिसमय 183 के सिद्धांतों का पालन नहीं** किया है (इंफोग्राफिक्स देखें)।
    - ILO अभिसमय 183 को **मातृत्व सुरक्षा अभिसमय, 2000** के नाम से भी जाना जाता है।
  - अध्ययन के लिए 183 देशों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के अनुसार **इन देशों में न्यूनतम मातृत्व अवकाश अधिकार प्राप्त करने में कम-से-कम 46 वर्षों का समय लग** सकता है।
  - **स्वतंत्र और गरिमा युक्त जीवनयापन में हेल्दी एजिंग (स्वस्थ आयुर्वृद्धि) के अधिकार** को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं को आवश्यक माना गया है।

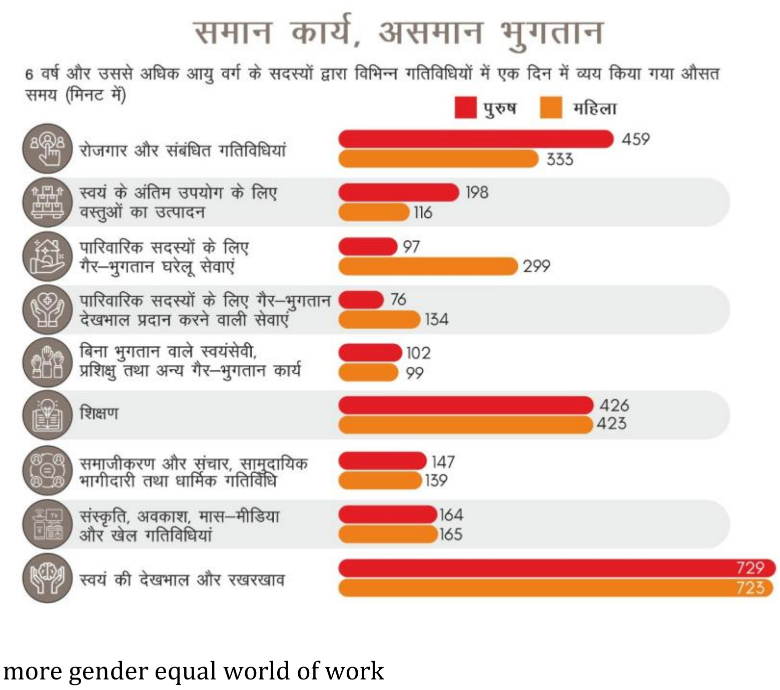

---

[49] Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work

देखभाल अर्थव्यवस्था के बारे में

- देखभाल अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी गतिविधियों और संबंधों से है, जो वयस्क, बच्चे, वृद्ध, युवा, कमज़ोर और समर्थ व्यक्ति की **शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद** करते हैं।
- देखभाल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक क्षेत्र जैसे **शिक्षा, स्वास्थ्य, और समाज सेवा** को शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों में अध्यापक, नर्स, समुदाय स्वास्थ्य कर्मचारी, समाज सेवक और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं।
- किसी भी समाज और **अर्थव्यवस्था को सतत एवं समृद्ध बनाए रखने के लिए** देखभाल से संबंधित कार्यों (यथा वैतनिक व अवैतनिक) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- विशेष रूप से **अवैतनिक देखभाल कर्मचारी** विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण देखभाल को बनाए रखने में सहयोगी रहे हैं। सामान्यतः इनकी सेवाएं **लोकहित** में होती हैं, जिनसे समुदायों का कल्याण होता है। इसके लिए उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है।
- हालांकि, **देखभाल सेवा की अनिवार्य प्रवृत्ति का महत्व महामारी के दौरान** देखा गया था, जब देखभाल कर्मचारियों की सेवाओं के बिना समकालीन स्थिति को प्रबंधित कर पाना कठिन हो रहा था।
- सामान्य रोज़मर्रा के जीवन में देखभाल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अतिरिक्त, यह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। साथ ही, इस क्षेत्रक में **वृद्धि की संभावनाएं भी बहुत अधिक** हैं।
  - इसके अतिरिक्त, वैतनिक देखभाल कार्य, हमेशा से भारत के लिए **विप्रेषण का भी एक बड़ा स्रोत** रहा है।
  - देखभाल अर्थव्यवस्था में पुरुषों से अधिक महिलाओं की भागीदारी है (इंफोग्राफिक्स देखें)।

देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास

- **मातृत्व अवकाश:** ILO मानक अधिदेश के तहत 14 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। इस अधिदेश को 120 देशों ने अपनाया हुआ है। इसके विपरीत, भारत 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।
- **पितृत्व अवकाश:** भारत में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। किंतु निजी क्षेत्रक के लिए ऐसी कोई भी औपचारिक नीति का प्रावधान नहीं किया गया है।
  - हालांकि कुछ कंपनियां जैसे मीशो, ट्विलिओ, फ्लिपकार्ट, रेजरपे और ओक्क्रेडिट, हाल में पिता बने लोगों को अधिक अवकाश प्रदान करती हैं। कई बार यह 30 सप्ताह तक हो जाता है। ऐसे बदलाव को धीरे धीरे सभी क्षेत्रकों में महत्व दिया जा रहा है।
- **घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण:** इसे श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है।
  - इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या और अनुपात, लिव-इन/लिव-आउट, औपचारिक/अनौपचारिक रोजगार, प्रवासी/गैर-प्रवासी, उनकी मजदूरी और अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के संबंध में घरेलू कामगारों के प्रतिशत वितरण का अनुमान लगाना है।
- **राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NCPHE):** इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2010-2011 के दौरान आरंभ किया था। इसका उद्देश्य वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित के अधीन सरकार द्वारा परिकल्पित प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है।
  - **दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD);**
  - **राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (NPOP), 1999; तथा**
  - **माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007.**

भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियां

- **बहुत अधिक महत्व नहीं:** ऐतिहासिक रूप से इतनी महत्ता होने के बावजूद भी, देखभाल से जुड़े कार्य पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित 2 घटकों के माध्यम से इसकी उपेक्षा के कारणों को चिन्हित किया जा सकता है:
  - भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था के कर्मचारियों की **सुचारू पहचान हेतु कोई परितंत्र विकसित नहीं** किया गया है।
  - अन्य देशों की तुलना में, भारत में **देखभाल अर्थव्यवस्था पर किए जाने वाला सार्वजनिक व्यय अत्यंत कम** है। यह सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है।
- **अवैतनिक देखभाल का असमान भार महिलाओं पर पड़ता है:** पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर घरेलू दायित्वों का अधिक बोझ होता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए, गृहणियों को वेतन प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। किन्तु ऐसे उपाय, देखभाल संबंधी कार्यों में लैंगिक भूमिकाओं पर संभावित रूप से विपरीत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।
- **अनुपयुक्त क्रियान्वयन नीति:** मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 में यह अधिदेशित है कि नियोक्ताओं को निश्चित दूरी के भीतर क्रेच (शिशुगृह) सुविधा प्रदान करनी होगी। लेकिन फिर भी, व्यावहारिक तौर पर इसका क्रियान्वयन मानक के अनुरूप नहीं रहा है।
  - वर्ष 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 49% नियोक्ताओं के पास ही क्रेच की सुविधा उपलब्ध थी। जैसा कि रिपोर्ट में दर्शाया गया है स्पष्ट कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों, दंड संबंधी प्रावधानों या निगरानी की अनुपस्थिति आदि इसके गैर-अनुपालन को व्यापक बनाती हैं।

- **देखभाल कर्मचारियों को अपर्याप्त भुगतान:** देश की 2.5 मिलियन आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं (AWWs), सहायक नर्स मिडवाइफ (ANMs) और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHAs) को अब तक कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में इन्हें मासिक वेतन भी नहीं दिया जाता है।
    - हालांकि, श्रम पर संसदीय स्थायी समिति (2020) ने श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से अग्रिम (फ्रंटलाइन) स्वास्थ्य और देखभाल कर्मचारियों के लिए मजदूरी सीमा निर्धारित करने का आह्वान किया है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन ने जल की कमी और ग्रामीण खाद्य समस्या को और अधिक तीव्र कर दिया है। इससे महिलाओं और बच्चों पर देखभाल बोझ बढ़ जाता है। इन परिस्थितियों में, अत्यधिक और श्रमसाध्य अवैतनिक देखभाल गतिविधियां देखभाल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

आगे की राह

- **देखभाल कर्मचारियों की पहचान:** देखभाल कर्मचारियों के लिए एक पहचान तंत्र का सृजन किया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों तक पहुंचने हेतु एक माध्यम का सृजन करना चाहिए। औपचारिक परिभाषा विकसित किए जाने के बाद, जिस व्यक्ति को देखभाल कर्मचारी के रूप में चिन्हित किया गया है, उसे एक रोज़गार (जॉब) कार्ड आवंटित किया जाना चाहिए। यह रोज़गार कार्ड न केवल उसे लाभ प्रदान करने का माध्यम बनेगा, बल्कि श्रमबल के एक औपचारिक नेटवर्क का निर्माण करने में भी मदद करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में ई-श्रम पोर्टल का लाभ उठाया जा सकता है।
- **औपचारीकरण:** अनुमानतः भारत में महिलाओं के अवैतनिक श्रम का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.1% के बराबर आंका गया है। AWWs, ANMs, ASHAs और घरेलू सहायकों (अन्य लोगों में से) को औपचारिक क्षेत्रक कर्मचारियों के रूप में चिन्हित किए जाने से इनके आर्थिक योगदान को GDP में शामिल किया जा सकेगा।
- **महिला अनुकूल रोज़गार सृजन:** विमेंस बजट ग्रुप (2019) ने एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अनुसार यदि भारत के स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्रक में GDP के 2% का अतिरिक्त निवेश किया गया होता, तो 11 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन हो सकता था तथा इसका एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं को प्राप्त हुआ होता। इसके अतिरिक्त, ILO के अनुसार, महिलाओं के कार्यभार को कम करने के लिए जो देश बाल देखभाल अवसंरचना और अभिभावक अवकाश नीतियों के संयोजन में निवेश करते हैं, उनकी जनसंख्या-मातृत्व रोज़गार अनुपात अधिक होता है।
- **निवेश में बढ़ोतरी:** देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में अधिक निवेश किया जा सकता है। देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश से "व्यावसायिक अवनति" (occupational downgrading) को रोका जा सकता है। इससे वे महिलाएं, जो देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों के कारण अपनी नौकरी में लोचशीलता या पार्ट-टाइम भूमिका की खोज हेतु विवश होती हैं, कम वेतन पर कार्य करने से बच सकेंगी।
    - 'व्यावसायिक अवनति' एक ऐसी स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति का मौजूदा वेतन, अपने पूर्व के वेतन की तुलना में कम होता है।
- **बाल देखभाल अवकाश को लैंगिक रूप से निष्पक्ष बनाना:** इस प्रकार के अवकाश में अपनी सेवा की समस्त अवधि में, बच्चे की शिशु अवस्था (से लेकर 18 वर्ष की आयु तक) के दौरान देखभाल हेतु अधिकतम 2 वर्षों (730 दिन) का अवकाश प्रदान किया जाता है। यह अवकाश महिला कर्मचारियों या उन पुरुष कर्मचारियों को दिया जाता है, जो एकल अभिभावक होते हैं। यह नीति इस विचार का समर्थन करती है कि बच्चे की देखभाल की ज़िम्मेदारी प्रमुख रूप से माता की होती है।
    - भारत में 80% से अधिक पुरुषों का यह मानना है कि बच्चे की देखभाल की मुख्य ज़िम्मेदारी माता की होती है।

6.2. लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive Health: SRH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच से संबंधित असमानताओं को प्रकट किया गया है।

लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों (SRHR) के बारे में

- SRHR में लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, देखभाल व सूचना तक पहुंच शामिल है। साथ ही, इसमें अपने लैंगिक व प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय लेने के मामले में स्वायत्तता भी सम्मिलित है। इसमें बच्चे पैदा करने के सही समय का चुनाव व उनके मध्य अंतराल संबंधी निर्णय भी शामिल है।

- लैंगिक अधिकारों में **लैंगिक शिक्षा का अधिकार, लैंगिक हिंसा और उत्पीड़न से संरक्षण** या बच्चा पैदा करने या न करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी शामिल हैं।
  - दूसरी ओर, प्रजनन अधिकारों के अधीन **गर्भनिरोधकों दवाओं और माहवारी व सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच,** सुरक्षित एवं वैध गर्भपात की सुविधा तथा सुरक्षित गर्भावस्था व प्रसव को सुनिश्चित करना शामिल है।
  - SRHR इन अधिकारों के उल्लंघन के नियंत्रण पर भी बल देता है, **जैसे महिलाओं के जननांगों को विकृत करना, जबरन बंध्याकरण या यौन संचारित रोगों से बचाव आदि।**
- यह मूल रूप से **जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने तथा व्यक्तियों और दम्पत्तियों को स्वैच्छिक एवं सुरक्षित लैंगिक व प्रजनन विकल्प** प्रदान करने पर बल देता है। इसमें परिवार का आकार और विवाह की अवधि से संबंधित निर्णय भी शामिल हैं।

भारत में लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार

- भारत विश्व के उन देशों में से एक है, जिन्होंने सबसे पहले **गर्भपात और गर्भ निरोधकों तक पहुंच प्रदान** करने की गारंटी देने वाले कानूनों एवं नीतिगत प्रारूपों को विकसित किया था।
- हालांकि, इसके बावजूद भी महिलाओं और लड़कियों को अपने **जनन संबंधी अधिकारों के पूर्ण प्रयोग करने में उल्लेखनीय बाधाओं का सामना** करना पड़ता है। इन बाधाओं में निम्न गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं एवं लड़कियों के निर्णयन संबंधी अधिकारों का हनन आदि शामिल हैं।
  - सम्पूर्ण विश्व की तुलना में **भारत में मातृ मृत्यु की संख्या सर्वाधिक** रही है।
  - भारत में **मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण असुरक्षित गर्भपात** है।
- **हालांकि, कानूनी गर्भपात देखभाल और गर्भनिरोधकों के बारे में जागरूकता का अभाव** बना हुआ है। ग्रामीण जिलों में, गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच भी अपर्याप्त है।
- जनन अधिकारों से संबंधित सार्वजनिक नीतियों का ध्यान अभी भी **गर्भ निरोधकों के अन्य तरीकों की अपेक्षा बंध्याकरण पर अधिक केन्द्रित** है।
- भारत SRH से संबंधित भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से अत्यधिक ग्रसित रहा है। **व्यापक लैंगिक शिक्षा की अनुपलब्धता** भी इस हेतु उत्तरदायी है।

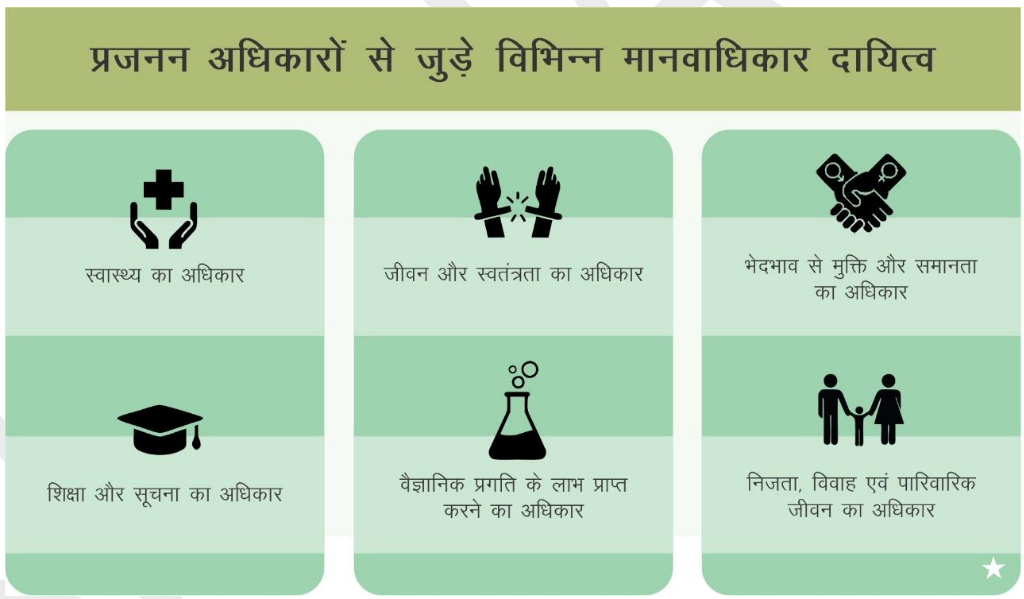

SRHR से संबंधित चुनौतियां

- **SRHR के समक्ष बाधाएं:** परिवार नियोजन और गर्भपात के विरुद्ध सांस्कृतिक प्रथाएं व वैचारिक विरोध; किशोरावस्था में गर्भावस्था से संबंधित कलंक; युवाओं की लैंगिकता से संबंधित सांस्कृतिक रूढ़ियां आदि अक्सर इन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- **वित्तीय अभाव:** विशेष रूप से सुरक्षित गर्भपात और परिवार नियोजन जैसे क्षेत्रों में जनन स्वास्थ्य देखभाल को लेकर सतत वित्तपोषण की पर्याप्तता का अभाव रहा है। निर्धन लोगों को, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को SRH तक पहुँच प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **जागरूकता और उचित सूचना का अभाव:** उन लोगों के लिए सूचना व सेवा प्राप्त करने से संबंधित कठिनाई और अधिक जटिल हो जाती है, जो लैंगिकता, लिंग अभिव्यक्ति व वैवाहिक स्थिति के आधार पर हाशिये पर स्थित हैं।
- **महिलाओं हेतु स्वतंत्रता का अभाव:** अक्सर महिलाओं से संबद्ध गर्भ निरोधक पद्धतियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही, परिवार के वांछित आकार हेतु महिला नसबंदी (ट्यूबेक्टोमी) की जगह पुरुष नसबंदी (वैसेकटोमी) को अधिक सुरक्षित माना जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने लैंगिक और प्रजनन अधिकारों को लेकर **केवल 57% महिलाएं** ही निर्णय लेने में सक्षम हैं।
- **मानकों और दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित असफलताएं: देविका बिस्वास वाद** में उच्चतम न्यायालय ने माना कि "बंध्याकरण कार्यक्रम आभासी रूप से महिला नसबंदी के लिए एक निर्मम अभियान" है। न्यायालय के अनुसार इसके तहत बंध्याकरण कार्यक्रम के लिए केवल अनौपचारिक लक्ष्यों की एक व्यवस्था स्थापित की गई है।

- न्यायालय के अनुसार, राज्य नीतियों ने (जैसे अनौपचारिक लक्ष्यों का निर्धारण और नसबंदी करवाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना आदि) कमज़ोर वर्गों के जनन अधिकारों का अतिक्रमण किया है। ऐसे वर्ग की खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति उनके साथ होने वाली उत्पीड़न की संभावना को बढ़ाती है। ऐसे में उनके पास कोई सार्थक विकल्प चुनने का अवसर नहीं रह जाता है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि बंध्याकरण को लेकर दिया जाने वाला प्रोत्साहन लैंगिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए।

- **महामारी के दौरान उपेक्षा:** कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन, गतिविधियों पर प्रतिबंध और वित्त के अन्यत्र उपयोग ने आवश्यक SRHR तक पहुँच को गंभीर रूप से बाधित किया है।

लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों (SRHR) का महत्व

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए महत्वपूर्ण	इसका कारण यह है कि लैंगिक समानता तथा महिलाओं के स्वास्थ्य से इनका संबंध है। साथ ही, माता, नवजात शिशु, बच्चों तथा किशोरों के स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के आर्थिक विकास और पर्यावरण की धारणीयता को आकार देने में उनकी भूमिका भी है।
अपने शरीर के नियंत्रण के अधिकार को बनाए रखना	इसमें लैंगिकता, प्रजनन तथा लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग से संबंधित अधिकार शामिल हैं। जैसे कि निर्णय किसी प्रकार के कलंक के भय की भावना, भेदभाव या बल प्रयोग से मुक्त होना चाहिए।
युवाओं के लिए अति महत्वपूर्ण	यह उन्हें चिकित्सा सुविधा और व्यापक लैंगिक शिक्षा प्रदान करता है। यह लैंगिक शिक्षा उन्हें यौन दुर्व्यवहार, लिंग आधारित हिंसा तथा महिलाओं के लैंगिक अंगों को विकृत करने जैसी हानिकारक प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है।
महिलाओं को सशक्त करना	परिवार नियोजन और आधुनिक गर्भ निरोधक उपाय महिलाओं को सूचित सूचना के आधार पर निर्णय लेने का विकल्प एवं अवसर प्रदान करते हैं। SRHR से प्राप्त स्वतंत्रता महिलाओं को अपने जीवन में बहुत जल्दी गर्भ धारण करने को टालने और माता एवं शिशु की मृत्यु को कम करने में सार्थक भूमिका निभाती है।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का अनिवार्य भाग	सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (UHC) की दिशा में बढ़ रहे देशों को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि उनके निवासियों की SRHR से संबंधित आवश्यकताओं को नवजात अवस्था से लेकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक उनके संपूर्ण जीवन काल के दौरान किस प्रकार पूरा किया जायेगा।
चिकित्सा परक विस्तृत लाभ	इसमें अत्यधिक जोखिम वाली गर्भावस्थाओं, असुरक्षित गर्भपात और उसकी जटिलताओं, प्रसूति संबंधी जटिलताओं, प्रजनन तंत्र के कैंसर और एड्स से मृत्यु से बचाव करना शामिल है।
अन्य लाभ	इससे जीवन को बचाने और उसका स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी, एच.आई.वी. और एड्स के प्रसार की गति धीमी होगी तथा लैंगिक समानता को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यह जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने और निर्धनता को कम करने में सहायक होगा।

आगे की राह

- आयु, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक अवस्था, रंग या नस्ल, लैंगिक अभिविन्यास तथा लैंगिक पहचान की परवाह किए बिना व्यक्तियों की SRH सूचनाओं और सेवाओं (विशेषकर जिन्हें इनकी आवश्यकता हो) तक सुलभ एवं वहनीय पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- संभावित दुष्प्रभावों और गर्भनिरोधक विधियों की संभावित विफलताओं के बारे में जानकारी सहित **गर्भनिरोधक विकल्पों के बारे में उपयुक्त सूचनाओं तक पहुँच** को व्यक्ति द्वारा अपनी प्रजनन स्वायत्तता का उपयोग करने, बच्चा पैदा करने या न करने से संबंधित नियोजन एवं बच्चों के मध्य अंतराल के लिए आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में संदर्भित किया जाता है।

- मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए, **देशों को स्वास्थ्य क्षेत्रक के अतिरिक्त** सामाजिक प्रथाओं, कानूनों और नीतियों को बदलने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए।
    - इनमें **लैंगिक समानता एवं महिलाओं की स्वायत्ता को बढ़ावा देना, गर्भपात से संबंधित कानूनों का उदारीकरण** तथा विविध लैंगिक अभिविन्यास, लैंगिक पहचान व अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ़ भेदभाव को प्रतिबंधित करना शामिल है।
- लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए व्यापक **लैंगिक शिक्षा का क्रियान्वयन** एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। इसे जीवन-कौशल शिक्षा कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही, इसे स्कूल के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए।
    - लैंगिक सूचनाओं और शिक्षा का महत्व, **लैंगिकता से संबद्ध व्यापक रूढ़ियों और मिथ्या धारणाओं को दूर** करने के एक साधन के रूप में विकसित हुआ है। साथ ही, ये महिलाओं के खिलाफ़ सुनियोजित घरेलू हिंसा की दृढ़ मौजूदगी को दूर करने, यौन संचारित रोगों के उच्च स्तर को कम करने में भी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, ये लिंग और लैंगिकता के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव एवं उन्हें कलंकित घोषित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों/ प्रथाओं को भी समाप्त करेंगे।

आरंभ की गई पहलें

- **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021** लागू किया गया है। इसके तहत गर्भपात करवाने की अवधि में बढ़ोतरी की गई है।
- उच्चतम न्यायालय ने **व्याभिचार को अपराध के दायरे से बाहर** कर दिया है। इसके अतिरिक्त, **नवतेज जौहर वाद** में धारा 377 को निष्प्रभावी बना दिया था। ये निर्णय इस आधार पर थे कि **महिलाओं को लैंगिक स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त** है।
- ऐतिहासिक पुट्टास्वामी निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि **निजता के मूल में** वैयक्तिक लैंगिक संबंधों का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और लैंगिक अभिविन्यास शामिल हैं।
- भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता भी रहा है:
    - महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW);
    - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR);
    - आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICESER) तथा
    - बाल अधिकारों पर अभिसमय (CRC)।
- मातृत्व स्वास्थ्य और इससे संबंधित अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है:
    - प्रजनन, मातृत्व, नवजात, बालक एवं किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A),
    - जननी सुरक्षा योजना (JSY),
    - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK),
    - प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA),
    - प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना आदि।

- ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की जानी चाहिए जो SRHR में पुरुषों को **सहयोगी सहभागी बनने के लिए प्रेरित** करे। साथ ही, लैंगिक और प्रजनन संबंधी निर्णय के स्तर पर महिलाओं की स्वायत्तता की रक्षा कर सके।
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय सेवाओं में लोक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में मौजूदा गहरे अंतराल को दूर करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, इसमें निशुल्क दवाओं व निशुल्क उपचार तक पहुँच तथा कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता को शामिल किया जाना चाहिए।

संबंधित सुर्ख़ियाँ

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने "स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022" रिपोर्ट जारी की

- यह रिपोर्ट **"सीइंग द अनसीन: द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी"** नामक शीर्षक से जारी की गई है।
    - **अनपेक्षित गर्भावस्था** वह स्थिति है, जिसमें कोई महिला या तो बच्चे की चाह नहीं होने या/और अधिक बच्चे की इच्छा नहीं रखने के बावजूद गर्भ धारण कर लेती है।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
    - **अनपेक्षित गर्भावस्था (Unintended Pregnancy)** वाली महिलाओं में से **लगभग 60 प्रतिशत गर्भपात करा लेती हैं।** कुल गर्भपात में से 45 प्रतिशत असुरक्षित होते हैं। ऐसे गर्भपात 5-13 प्रतिशत तक की मातृ मृत्यु दर का कारण बनते हैं।
    - **विकासशील देशों में 13% महिलाएँ** 18 वर्ष की आयु **से पहले ही बच्चे को जन्म** दे देती हैं।
    - वर्ष 2015 और वर्ष 2019 के बीच, विश्व भर में **प्रत्येक वर्ष 121 मिलियन अनपेक्षित गर्भावस्था के मामले देखे गए थे।** इनमें से **प्रत्येक सात में से एक मामला भारत में** दर्ज किया गया था।
- **अनपेक्षित गर्भावस्था में योगदान देने वाले प्रमुख कारक:**
    - लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तथा जानकारी का अभाव।
    - महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर और प्रजनन पर नियंत्रण के मामलों में हानिकारक रीतियाँ व कलंक जैसी धारणाओं का होना।

- ○ स्वास्थ्य सेवाओं में आलोचनात्मक रवैया या शर्मिंदगी महसूस करना।
- ○ गरीबी और आर्थिक विकास का रुक जाना।
- ○ लैंगिक असमानता।
- **रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें:**
  - ○ स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और **लैंगिक रूप से संवेदनशील** बनाना चाहिए।
  - ○ सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।
  - ○ **लैंगिकता-आधारित हिंसा** को समाप्त करने की जरूरत है।
  - ○ **महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए निवेश** किये जाने की आवश्यकता है।
- **UNFPA के बारे में:**
  - ○ यह वर्ष 1968 में स्थापित एक **अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी** है। यह **जनसंख्या तथा लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में** परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समर्थन करती है।
  - ○ इसका अधिदेश **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)** ने स्थापित किया है।
  - ○ यह विभिन्न **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को सीधे प्राप्त करने के लिए सरकारों, भागीदारों और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ कार्य** कर रहा है। इन लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - ▪ स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य- 3
    - ▪ शिक्षा से संबंधित लक्ष्य- 4
    - ▪ लैंगिक समानता से संबंधित लक्ष्य- 5

6.3. महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill)

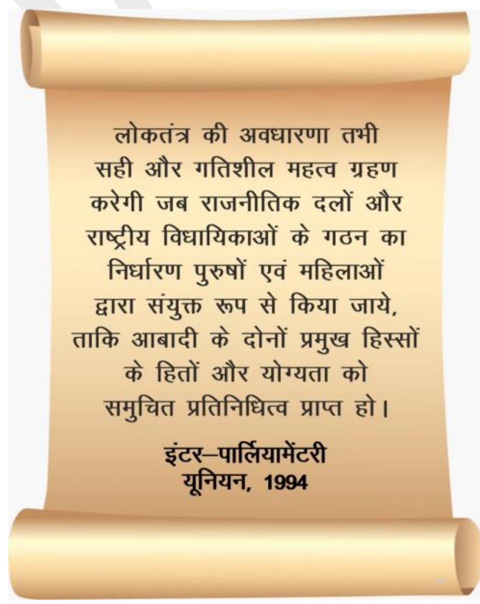

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला आरक्षण विधेयक को 25 वर्ष पहले संसद में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, तब से लेकर अब तक अनेक प्रयासों के बाद भी इसे पारित नहीं किया जा सका है।

भारत में महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता क्यों है?

- अंतर-संसदीय संघ (IPU) के अनुसार संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुपात में **संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से भारत 148वें स्थान** पर है।
  - ○ **पाकिस्तान (20.7%), बांग्लादेश (20.3%) और नेपाल (29.9%)** की संसदों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या भारत की तुलना में अधिक है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, **राजनीतिक सशक्तीकरण सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 13.5 प्रतिशत बिंदुओं की गिरावट** आई है। महिला मंत्रियों की संख्या भी वर्ष 2019 में 23.1% से गिरकर वर्ष 2021 में 9.1% हो गई है (लगभग 22% के अंतर्राष्ट्रीय औसत से भी कम)।
- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, **लैंगिक अंतराल के कारण भारत में विकास गंभीर रूप से बाधित** हुआ है। इसके पीछे पारंपरिक रूप से पुरुष वर्चस्व वाले संस्थानों और सामाजिक स्तरों में महिलाओं की सीमित भागीदारी उत्तरदायी रही है।

भारत में महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास

महिला आरक्षण विधेयक {संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2021} को संसद में अत्यधिक गतिरोध का सामना करना पड़ा है। साथ ही, कई आधारों पर इसका विरोध भी किया जाता रहा है।

उक्त विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए **33% सीटें आरक्षित** की जाएंगी।
- आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में **रोटेशन (चक्रानुक्रम) के आधार पर आवंटित** किया जा सकता है।
- इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के **15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण स्वतः समाप्त** हो जाएगा।

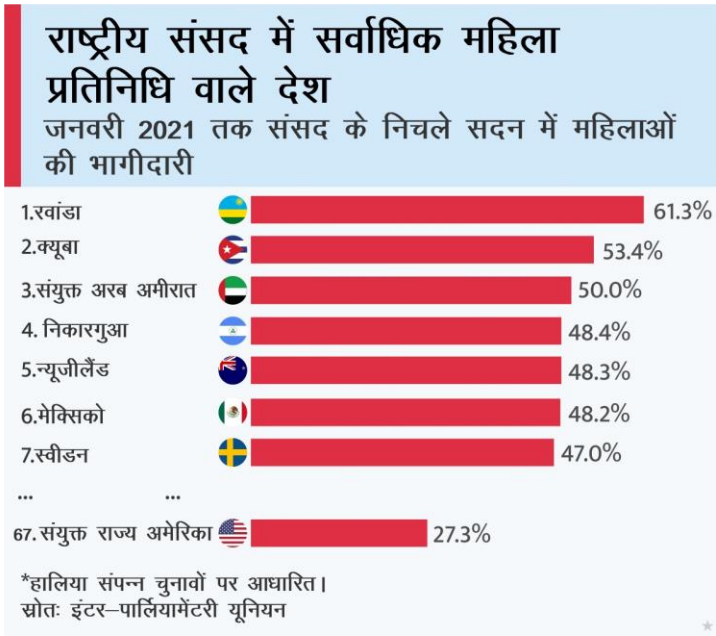

विधेयक के पक्ष और विपक्ष में तर्क

विधेयक के पक्ष में तर्क	विधेयक के विपक्ष में तर्क
• यह **महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी** के लिए आवश्यक है जो उन्हें उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव और असमानता से लड़ने में मदद करेगी। • यह मानव विकास संकेतकों में आगे बढ़ने के लिए **सतत प्रगति** के लिए महत्वपूर्ण है। • एक प्रगतिशील और **प्रतिनिधि लोकतंत्र के निर्माण** के लिए समाज के सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। • महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को एक बेहतर और अधिक समानता आधारित समाज की परिकल्पना हेतु और **समावेशी राष्ट्रीय विकास** की दिशा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकती है। • भारत के संविधान और उसकी प्रस्तावना में निहित समता और स्वतंत्रता के अधिकारों के आधार पर **लैंगिक भेदभाव को खत्म करना और महिला सशक्तीकरण को मजबूत करना** स्वाभाविक है। • **पंचायतों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के लाभ से सीखना-** ○ निर्वाचित महिलाओं ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं की चिंताओं से जुड़े सार्वजनिक विषयों पर अधिक निवेश किया है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों में महिलाओं के चुनाव लड़ने और जीतने की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है।	• यह **महिलाओं की असमान स्थिति को कायम** रखेगा, क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं माना जाएगा। • आरक्षण केवल **अभिजात्य समूहों की महिलाओं को राजनीतिक सत्ता** हासिल करने में मदद करेगा तथा गरीब और वंचित वर्गों की व्यथा/चिंता को और बढ़ाएगा। • प्रत्येक चुनाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन से पुरुष सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में **काम करने हेतु अनिच्छुक** हो सकता है क्योंकि ऐसे में वह (रोटेशन के कारण) उस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो सकता है। • यह एक **"प्रॉक्सी कल्चर" या "सरपंच पति"** जैसी अवधारणा को कायम रख सकता है, जहां निर्वाचित महिलाओं के पास वास्तविक शक्ति उपलब्ध नहीं होगी और वे निर्णय लेने वाले पुरुष की ओर से कार्य करेंगी। • **राजनीति के अपराधीकरण** और **आंतरिक दलीय लोकतंत्र** जैसे चुनावी सुधार के बड़े मुद्दों उपेक्षा के शिकार हो सकते हैं। • कुछ **योग्य पुरुषों के कीमत पर** विधायी पद महिलाओं को प्राप्त हो सकते हैं।

क्या महिला आरक्षण विधेयक का कोई विकल्प है?

- **राजनीतिक दलों के भीतर आरक्षण** सुनिश्चित करने के विचार को महिला आरक्षण के एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे आदि जैसे देशों में राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किए गए हैं, लेकिन संसद में महिलाओं के लिए कोटा का प्रावधान नहीं किया गया है।
  - भारत के चुनाव आयोग ने **राजनीतिक दल के स्तर पर महिलाओं के लिए अनिवार्य उम्मीदवार कोटा** का सुझाव दिया है जिसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सामान्य संशोधन की आवश्यकता होगी।
- इसी तरह, एक अन्य विकल्प **दोहरे सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों को शुरू करना हो सकता** है, जिसका अर्थ यह है कि निर्वाचन क्षेत्र में, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के बजाय, दो सदस्यों को नामित किया जाएगा, जिनमें से एक महिला होगी।
- हालांकि, इन विकल्पों की प्रभावशीलता पर **मजबूत साक्ष्य के अभाव** ने दुनिया भर में इन प्रथाओं को अपनाने की गुंजाइश सीमित कर दी है।

आगे की राह

- इस कानून पर विचार-विमर्श और परिचर्चा करने और संसद में इसके अधिनियमन को सुनिश्चित करने के लिए **राजनीतिक प्रतिबद्धता** और **एक सुदृढ़ साक्ष्य** दोनों आवश्यक हैं, जिससे राजनीतिक और विधायी निर्णय लेने की दिशा में **महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर को कम** किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त, राजनीति में प्रचलित **पुरुष प्रधान मूल्य प्रणाली में परिवर्तन** लाने और महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए **जागरूकता और नेतृत्व विकास कार्यक्रम** आयोजित करने जैसी रणनीतियों को राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15 (3):** इसके तहत महिलाओं की सामाजिक-राजनीतिक उन्नति को सुरक्षित करने के लिए राज्य को विधायी या अन्य "विशेष प्रावधान" करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **अनुच्छेद 325:** मतदाता सूची में शामिल करने के संबंध में बिना किसी भेदभाव के पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों लिंगों के व्यक्तियों लिए समान अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 243 D:** इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर एक-तिहाई सीटों और पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

महिलाओं के राजनीतिक विकास के लिए **अंतर्राष्ट्रीय संधियों** को भी क्रियान्वयित किया गया है, जो राज्यों के सक्रिय उपायों का समर्थन करती हैं:

- **महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय (CEDAW)[50]:** इसे वर्ष 1993 में भारत द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। यह देश में महिलाओं की पूर्ण उन्नति सुनिश्चित करने तथा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनों के निर्माण सहित उचित उपायों को उपलब्ध कराने में मदद करता है।
- **बीजिंग कार्रवाई मंच (BPfA)[51] 1995:** लोकतांत्रिक रूपांतरण, महिला सशक्तीकरण और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सकारात्मक उपायों का समर्थन करता है।

6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

6.4.1. शिक्षा मंत्रालय ने "यूडाइस+ यानी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21" पर रिपोर्ट जारी की है {MINISTRY OF EDUCATION REPORT ON UNIFIED DISTRICT INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATION PLUS (UDISE+) 2020-21}

- UDISE, **स्कूली शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक** थी। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए **जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (DISE)** को एकीकृत किया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 2012-13 में हुई थी।
- **UDISE+** को वर्ष 2018-19 में विकसित किया गया। यह **UDISE का एक नवीनतम संस्करण** है। पहले **UDISE के तहत कागजी प्रारूप में डेटा को हाथ से भरा** और फिर इसे कंप्यूटर में फीड किया जाता था। इस प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए **UDISE+** को आरंभ किया गया।
  - UDISE+ के तहत **संपूर्ण प्रणाली ऑनलाइन** है। इसके तहत **रियल टाइम आधार पर डेटा का संग्रह** किया जाता है।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - **सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio: GER):** यह शिक्षा में भागीदारी के सामान्य स्तर को मापता

---
[50] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
[51] Beijing Platform for Action

है। इसमें स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर वर्ष 2019-20 (25.10 करोड़ छात्र) की तुलना में **वर्ष 2020-21** (25.38 करोड़ छात्र) **में सुधार** हुआ है।

- **छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil Teacher Ratio: PTR):** यह अनुपात प्राथमिक स्तर के लिए 26, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 19, माध्यमिक स्तर के लिए 18 और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए 26 है। ये आंकड़े वर्ष 2018-19 की तुलना में **सुधार की स्थिति** दर्शाते हैं।
- प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा में **12.2 करोड़ से अधिक लड़कियां नामांकित हैं।** यह वर्ष 2019-20 की तुलना में 11.8 लाख लड़कियों की वृद्धि दर्शाता है।
- **कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव:** वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के 39.7 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया।
- **स्कूल की अवसंरचना:** छात्राओं के लिए कार्यशील शौचालय सुविधा, पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, इंटरनेट आदि जैसी सुविधाओं वाले स्कूलों का प्रतिशत वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में बढ़ा है।

6.4.2. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की सांख्यिकी रिपोर्ट-2019 जारी की गयी {Sample Registration System (SRS) Statistical Report 2019 Released}

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SSR) के बारे में

- इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत **महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय** द्वारा जारी किया जाता है।
- SRS, भारत में दशकीय जनगणना को छोड़कर **जनसांख्यिकीय डेटा का एकमात्र आधिकारिक स्रोत** है।
- SRS वस्तुतः राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर आदि से संबंधित अन्य संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए एक **जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण** है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

संकेतक (Indicators)	निष्कर्ष (Findings)
अशोधित जन्म दर (Crude Birth Rate: CBR)- एक साल में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या	• वर्ष 2019 के दौरान **राष्ट्रीय स्तर** पर यह दर 19.7 थी। • यह बिहार में **अधिकतम** (25.8) और केरल में **न्यूनतम** (13.5) थी। • वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक देश के CBR में 1.3 अंक की गिरावट आई है। ग्रामीण CBR में 1.3 अंक की गिरावट और शहरी CBR में 1.0 अंक की गिरावट दर्ज की गयी है।
अशोधित मृत्यु दर (Crude Death Rate: CDR)- छह माह में प्रति 1,000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या	• वर्ष 2019 के दौरान **राष्ट्रीय स्तर** पर यह दर 6.0 थी। • यह छत्तीसगढ़ में **अधिकतम** (7.3) और दिल्ली (3.2) में **न्यूनतम** थी। • पिछले पांच वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय CDR में 0.7 अंक की गिरावट आई है। महिला CDR में 0.6 अंक जबकि पुरुष CDR में 1.2 अंक की गिरावट दर्ज की गयी है।
शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR)- एक साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संख्या।	• राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर, वर्ष 2018 के 32 से कम होकर वर्ष 2019 में 30 हो गई है, जो **2 अंकों की गिरावट** दर्शाती है। • यह मध्य प्रदेश में अधिकतम (46) और केरल में न्यूनतम (6) है।
5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु दर (U5MR)- यह किसी वर्ष विशेष या अवधि में जन्म लिए बच्चे की 5 साल के उम्र से पहले मृत्यु की संभावना को दर्शाती है।	• वर्ष 2018 की तुलना में **वर्ष 2019 में 1 अंक की गिरावट** देखी गई (वर्ष 2018 में 36)। • इसी अवधि के दौरान **पुरुष U5MR में 1 अंक और महिला U5MR में 2 अंकों की गिरावट** दर्ज की गयी है।
जन्म के समय लिंगानुपात- प्रत्येक 1,000 लड़कों के जन्म पर पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या।	• यह राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016-2018 के 899 से **5 अंक बढ़कर** वर्ष 2017-19 में 904 हो गया है। • यह केरल में सर्वाधिक (968), जबकि उत्तराखंड में न्यूनतम (848) है।
कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR)- यह महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है।	• पिछले दो वर्षों, 2017 और 2018 में 2.2 पर स्थिर रहने के बाद कुल प्रजनन दर **वर्ष 2019 में घटकर 2.1 पर आ गई है।** • कुल प्रजनन दर **बिहार में सर्वाधिक** (3.1) दर्ज की गई है जबकि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने सबसे कम TFR (1.5) दर्ज की है। • कुल 15 राज्यों ने **प्रतिस्थापन स्तर** प्राप्त कर लिया है। जब **TFR 2.1** पर आ जाए तो उसे **प्रतिस्थापन स्तर** कहते हैं।

6.4.3. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के तहत वर्ष 2017-19 के लिए भारत में मातृ मृत्यु पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया {Sample Registration System (SRS) Bulletin on Maternal Mortality in India (2017-19) Released}

- SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
    - इसे महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने वर्ष 1964-65 में, पायलट आधार पर **भारत में जन्म और मृत्यु के सैंपल रजिस्ट्रेशन की एक योजना** के रूप में आरंभ किया था। **वर्ष 1969-70** से इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया। इसके बाद इसे SRS के रूप में जाना जाने लगा।
- **इस बुलेटिन के मुख्य निष्कर्ष:**
    - **केरल** में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)[52] 30 है, जो **देश में सबसे कम** है। राष्ट्रीय स्तर पर MMR, **103** है।
        - **MMR:** यह **प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या** को दर्शाता है।
    - **उत्तर प्रदेश, राजस्थान** और **बिहार** जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में **बहुत अधिक सुधार हुआ** है।
    - **असम, उत्तर प्रदेश** और **मध्य प्रदेश 'उच्च MMR'** वाले राज्य बने हुए हैं।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG)** के तहत **MMR को 70 से कम करने** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान रुझानों को देखते हुए लगता है कि भारत इस लक्ष्य को वर्ष 2030 के पहले ही प्राप्त कर लेगा।
- **MMR में जल्द से जल्द कमी लाने के लिए किए गए उपाय:**
    - **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:** इसके तहत प्रत्येक गर्भवती महिला, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन (शल्यक्रिया द्वारा प्रसव) सहित निःशुल्क प्रसव के लिए पात्र है।
    - **प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान:** इसे प्रसव-पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
    - **'लक्ष्य (LaQshya)':** यह लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल है।
    - **जनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य और किशोर (RMNCH+A)[53] सेवाएं।**
    - 10 लाख से अधिक **मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं (आशा/ASHA) मातृ मृत्यु को कम करने के प्रयासों में** सहयोग कर रही हैं।

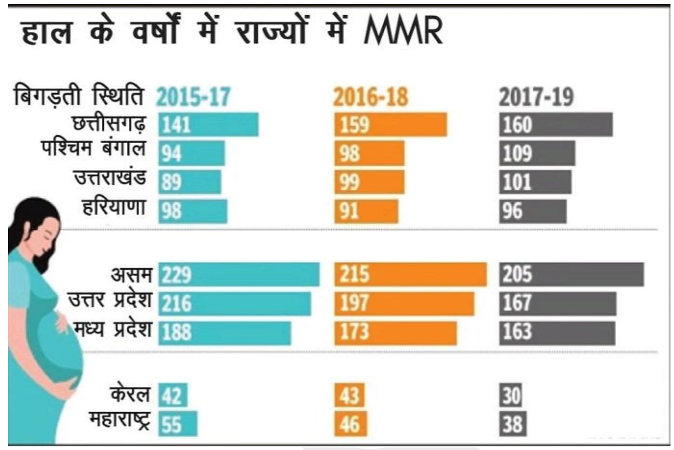

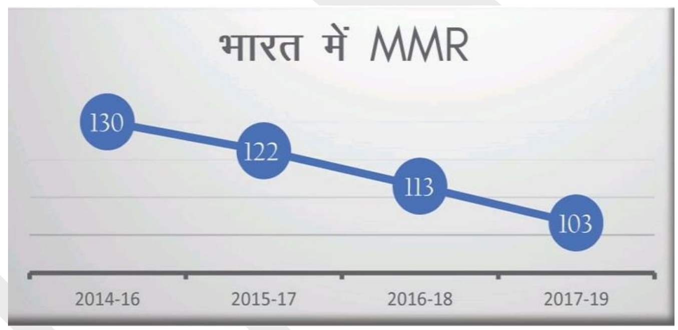

6.4.4. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR), 2022 जारी की {United Nations Sustainable Development Solutions Network released the World Happiness Report (WHR) 2022}

- इस वर्ष रिपोर्ट की 10वीं वर्षगांठ है। इसमें **प्रत्येक राष्ट्र में जी.डी.पी., सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता** और **भ्रष्टाचार के स्तर** जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए खुशी (यानी हैप्पीनेस) के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है।
    - इस रिपोर्ट का लक्ष्य **कल्याण (well-being)** के प्रमुख निर्धारकों (determinants) की पहचान करना है।
- वर्ष 2022 की रिपोर्ट में **भारत, 136वें स्थान** पर है। **फिनलैंड, लगातार 5वें वर्ष सूची में सबसे ऊपर** है। इसे दुनिया के सबसे खुशहाल देश के तौर पर चुना गया है।
    - **WHR, 2022** की रैंकिंग में वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक के **गैलप वर्ल्ड पोल** सर्वेक्षणों के डेटा का उपयोग किया गया है।
    - इस सूचकांक में नीचे के पांच स्थानों पर निम्नलिखित संघर्षग्रस्त देश शामिल हैं- **अफगानिस्तान, लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा** और **बोत्सवाना।**
    - भूटान, इस साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सूचीबद्ध नहीं था।

---
[52] Maternal Mortality Ratio

[53] Reproductive, Maternal, New Born Child Health and Adolescent

- इस साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को उन देशों की सूची में रखा गया है, जहाँ पिछले 10 वर्षों में, **जीवन मूल्यांकन (life evaluations)** के मामले में 0 से 10 के पैमाने पर एक अंक से अधिक की गिरावट देखी गयी है।
- SDSN को वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है। साथ ही, यह सतत विकास के लिए व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है।

6.4.5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दिया है {University Grants Commission (UGC) makes Common Entrance Test Mandatory for all Central Universities}

- मीडिया के साथ वर्चुअली बातचीत के दौरान, **यू.जी.सी. के अध्यक्ष ने निम्नलिखित बातें कहीं:**
  - केंद्रीय विश्वविद्यालयों के **सभी स्नातक (अंडर ग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों में एडमिशन** अब केवल **कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) में प्राप्त अंकों के आधार पर** होगा।
  - CUET, अगले शैक्षणिक सत्र (2022-23) से आयोजित किया जाएगा।
    - किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए **12वीं कक्षा के अंकों को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा।**
  - CUET का आयोजन **नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)** करेगी। यह टेस्ट स्नातक और परास्नातक (पोस्ट ग्रेजुएट), दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होगा।
  - उल्लेखनीय है कि **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** में **कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट** के माध्यम से विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए परीक्षाओं के आयोजन की कल्पना की गयी है।
    - हालांकि, स्नातक पाठ्यक्रमों के विपरीत, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में **पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में CUET के माध्यम से प्रवेश अनिवार्य नहीं** किया गया है।
    - नेशनल टेस्टिंग एजेंसी **एक स्वायत्त और शीर्ष टेस्टिंग ऑर्गेनाईजेशन** है। इसे उच्चतर शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु गठित किया गया है। इसकी स्थापना **सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत की गयी है।
  - CUET, कम्प्यूटर-बेस्ड एग्जाम होगा। इसके तहत एक **उम्मीदवार द्वारा चुनी गयी भाषा में टेस्ट** लिया जाएगा। इस टेस्ट में **विषय-आधारित ज्ञान और सामान्य रुचि** (जैसे कि सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आदि) का परीक्षण किया जायेगा।
  - **CUET का आयोजन 13 भाषाओं होगा। ये 13 भाषाएं हैं-** अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
- इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर एकल प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना है। **इससे उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर परीक्षा के बोझ को कम किया जाएगा।**

6.4.6. स्त्री मनोरक्षा परियोजना (Stree Manoraksha Project)

- इसे **महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD)** द्वारा **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS)** के सहयोग से शुरू किया गया था।
  - NIMHANS, **मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान** के क्षेत्र में रोगी की देखभाल और शैक्षणिक खोज के लिए राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
- इसका उद्देश्य पूरे **भारत में 6,000 वन-स्टॉप सेंटर (OSC)** कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - वन-स्टॉप सेंटर (OSC) योजना (MoWCD द्वारा) वर्ष 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना **निजी और सार्वजनिक** दोनों स्थानों पर **हिंसा से प्रभावित महिलाओं** को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करती है।
  - ये सेंटर महिलाओं को **चिकित्सा, कानूनी** और **अपराध** से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करते हैं।

6.4.7. महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - “समर्थ (SAMARTH)” {Special Entrepreneurship Promotion Drive for Women – “SAMARTH”}

- **'समर्थ'** कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें **स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य** से की गयी है। इसका शुभारंभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने किया है।
- समर्थ के तहत महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगें:
  - महिलाओं के लिए निःशुल्क **कौशल विकास कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत** सीटें आवंटित की जाएंगी।
  - **उद्यम पंजीकरण** के तहत **महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के पंजीकरण** के लिए **विशेष अभियान** की शुरुआत की जाएगी।
  - विपणन सहायता के लिए योजनाओं के तहत प्रदर्शनियों में शामिल होने हेतु भेजे गए **MSME व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का 20 प्रतिशत हिस्सा** महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME को समर्पित किया जाएगा।

6.4.8. नारी शक्ति पुरस्कार (Nari Shakti Puraskar)

- यह पुरस्कार **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस** के अवसर पर प्रदान किया जाता है।
- यह **महिला और बाल विकास मंत्रालय** की एक पहल है। इसके माध्यम से **व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए असाधारण योगदान** को सम्मानित किया जाता है। यह पहल महिलाओं को समाज में निर्णायक और सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में चिन्हित करती है।
    - यह पुरस्कार **किसी भी पात्र व्यक्ति और संस्थान को दिया जा सकता है।**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

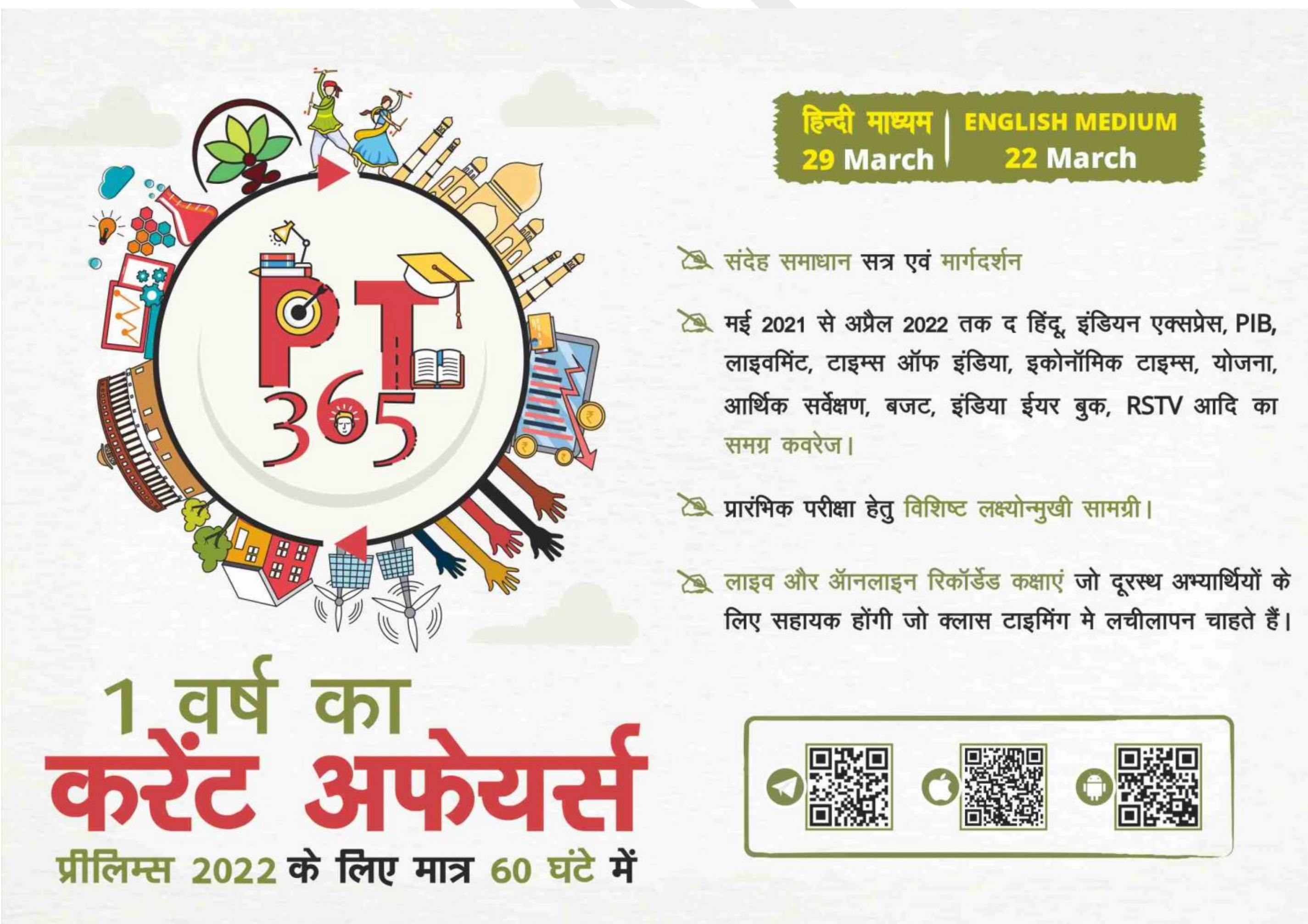

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश में **नेट न्यूट्रैलिटी पर फिर से बहस शुरू हो गई है,** क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स **कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स (CDN)** को विनियमित करने के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि विश्व की बड़ी तकनीकी कंपनियां स्थानीय स्तर पर डेटा होस्ट करने के लिए डिलीवरी नेटवर्क्स का उपयोग करती हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि **CDN** पर नियामक तंत्र के स्तर पर पुनः जांच की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि **इंटरनेट कंपनियां ग्राहकों के कुछ समूहों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए विशिष्ट इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISPs) के साथ गठजोड़ करना शुरू कर देती हैं।** गौरतलब है कि नेट न्यूट्रैलिटी पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की वर्ष 2017 की सिफारिशों से CDN को बाहर रखा गया था।

नेट न्यूट्रैलिटी के बारे में

- नेट न्यूट्रैलिटी का विचार यह है कि **इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs)** द्वारा किसी विशेष ऐप, साइट या सेवाओं के पक्ष में अनुचित भेदभाव **किए बिना अपने नेटवर्क पर सभी डेटा से निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए।**
    - **इनमें ओवर-द-टॉप (OTT) सेवा प्रदाता** (इंटरनेट पर कंटेंट प्रदान करने वाले) और इन प्रतिभागियों के बीच संबंधों को विनियमित करने तथा परिभाषित करने का काम करने वाले सरकार जैसे अन्य हितधारक शामिल हो सकते हैं।
- अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि सभी **उपयोगकर्ता इंटरनेट सामग्री, एप्लीकेशन्स और सेवाओं तक समान स्तर की सेवा गुणवत्ता, गति और कीमत के साथ पहुंचने में सक्षम हों।** इसके साथ ही उन्हें कंटेंट, एप्लीकेशन या सेवाओं के प्रकार के आधार पर उन्हें सेवा में किसी प्रकार की प्राथमिकता या उपेक्षा का सामना न करना पड़े।
- किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के आधार पर नेट न्यूट्रैलिटी के बारे में विचारणीय विषयों में अति सूक्ष्म अंतर होते हैं। **इसी प्रकार, इस मुद्दे पर प्रत्येक देश की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग होती हैं।**
    - **कुछ देशों ने** इस मुद्दे को हल करने के लिए **वर्तमान तंत्र को लगभग पर्याप्त मानते हुए कोई विशिष्ट उपाय नहीं** किया है, जैसे- ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड।
    - **कुछ देशों या समूह ने हल्के-फुल्के नियामक उपाय अपनाए हैं,** जैसे- यूरोपीय आयोग, जापान, यूनाइटेड किंगडम।
    - **कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने विशिष्ट विधायी उपाय किए हैं या करने के प्रस्ताव रखे हैं,** जैसे- ब्राजील, चिली, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका {फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (FCC) नियम}।

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) के बारे में

- CDN का तात्पर्य भौगोलिक रूप से वितरित सर्वरों के एक समूह से है जो इंटरनेट कंटेंट तेजी से प्रदान करने के लिए एक साथ काम करते हैं।
- इस प्रकार, सर्च इंजन (जैसे- Google) ओ.टी.टी. कंटेंट प्रदाता (जैसे- Netflix आदि) जैसी **इंटरनेट कंपनियां** सेवाएं प्रदान करने के लिए CDN सेवाओं को नियोजित करेंगी।
    - किसी भी वेब-आधारित सेवा के लिए **वेब पेज लोड होने में लगने वाले समय का विज्ञापन और ई-कॉमर्स के राजस्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।** यही कारण है कि CDN सेवाओं के लिए जीवंत बाजार विद्यमान है।
- CDN प्रबंधन सॉफ्टवेयर गतिशील रूप से **यह गणना करता है कि अनुरोध करने वाले उपयोगकर्ता के निकटतम कौन-सा सर्वर स्थित है और उन गणनाओं के आधार पर वह कंटेंट वितरित करता है।**

- **भारत में वर्तमान में** नेट न्यूट्रैलिटी सुनिश्चित करने वाले दिशा-निर्देशों की स्थापना हेतु **मुख्य रूप से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा कार्य प्रणालियाँ लागू की जाती हैं।**

नेट न्यूट्रैलिटी की आवश्यकता क्यों है?

- **संभावनाओं के द्वार खोलना**: इंटरनेट की खुली और निष्पक्ष उपलब्धता ने लोगों से लोगों के बीच, व्यवसाय से लोगों के बीच और सरकार से लोगों के बीच होने वाले संचार में तेजी से वृद्धि की है। इससे सामाजिक संपर्क, व्यवसाय और शासन के नए रूपों को आकार मिला है।
- **खुले इंटरनेट का महत्वपूर्ण घटक:** जहां डेटा से समानतापूर्ण व्यवहार और खुले वेब मानकों जैसी नीतियां इंटरनेट पर मौजूद लोगों को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना एक दूसरे के साथ आसानी से संवाद करने की अनुमति देती हैं।
- **समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर:** नेट न्यूट्रैलिटी के बिना इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISPs) उन छोटे व्यवसायों की वेबसाइट्स या सेवाओं की गति को धीमा कर सकते हैं जो तथाकथित फास्ट लेन हेतु भुगतान नहीं कर सकते।
- **अभिव्यक्ति और वाक् स्वातंत्र्य:** ISPs केवल इस आधार पर कंटेंट को ब्लॉक करने या वेब पेजों को धीमा करने में सक्षम नहीं होने चाहिए कि वे उन्हें पसंद नहीं करते हैं। यदि नेट न्यूट्रैलिटी कानून नहीं होंगे, तो उन्हें ऑनलाइन कंटेंट को सेंसर करने से कोई नहीं रोक सकता।
- **कोई बहिष्करण नहीं:** नेट न्यूट्रैलिटी का सिद्धांत यह गारंटी देता है कि इंटरनेट पर सब कुछ सभी के लिए उपलब्ध है। यदि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को ऑनलाइन प्राप्त करना विलासिता की वस्तु बन जाएगा, तो इससे सामाजिक बहिष्कार बढ़ेगा और कंटेंट तक समान पहुँच में कमी आएगी।
- **अभिनव विचारों का समर्थन:** नेट न्यूट्रैलिटी ने गूगल, फेसबुक, ट्विटर और कई अनगिनत अन्य सेवाओं के निर्माण के लिए प्रणाली को सक्षम किया है। ये सभी सेवाएं शुरुआत में बेहद छोटे स्तर पर शुरू की गई थीं। इन सभी ने मामूली संसाधनों के साथ एक बुनियादी वेबसाइट के रूप में शुरुआत की थी।

नेट न्यूट्रैलिटी पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

- TRAI ने नेट न्यूट्रैलिटी पर अपनी सिफारिशों (2017) में खुले और मुक्त इंटरनेट के मूल सिद्धांतों का समर्थन किया है।
- **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के प्रमुख बिंदु:**
    - **कंटेंट से भेदभावपूर्ण व्यवहार निषिद्ध है।** इंटरनेट एक्सेस सेवाएँ एक ऐसे सिद्धांत से प्रशासित होनी चाहिए, जो कंटेंट को लेकर किसी प्रकार के भेदभाव या हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता हो।
    - कंटेंट वितरण नेटवर्कों (CDN) को विनियमन से बाहर रखा गया है।
    - सेवाओं के एक वर्ग के रूप में **'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT)** को गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार पर प्रतिबंध की परिधि से बाहर नहीं रखा गया है। हालांकि**, महत्वपूर्ण 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT)** सेवाएं, जैसे- टेलीमेडिसिन, B2B सेवाएं आदि स्वचालित रूप से इससे बाहर हो जाएंगी।
    - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नेट न्यूट्रैलिटी लागू करने के लिए भारत की ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC)[54] की तर्ज पर एक प्रहरी नियुक्त करने की सलाह दी है।
    - **अंतर्राष्ट्रीय संधियों, न्यायालय के आदेशों, सरकारी आदेशों द्वारा** कुछ साइट्स को प्रतिबंधित करने को **इन दिशा-निर्देशों से छूट दी गई है।**

नेट न्यूट्रैलिटी के विरुद्ध तर्क

- **प्राथमिकता आधारित सेवाएं:** विभिन्न एप्लीकेशंस के डेटा पैकेट को नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक ईमेल पैकेट और एक VoIP पैकेट, आपातकालीन सेवा की जानकारी ले जाने वाले डेटा पैकेट बनाम वीडियो संबंधी जानकारी ले जाने वाले अन्य पैकेट आदि।
- **सीमित बैंडविड्थ:** नेट की बैंडविड्थ की अपनी एक सीमा होती है, यह अनंत क्षमता का संसाधन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्काइप या यूट्यूब का उपयोग कर रहा है, तो उसे बैंडविड्थ की आवश्यकता बहुत अधिक एवं प्राथमिकता के आधार पर होती है। ऐसी स्थिति में यह तर्क दिया जा सकता है कि उसे इंटरनेट के लिए अधिक कीमत चुकानी चाहिए।
    - चूँकि 'वर्क फ्रॉम होम सिस्टम' (ऑफिस इत्यादि संबंधी कार्यों को घर से करना) इस समय की सामान्य कार्यप्रणाली हो गया है, इसलिए दुनिया भर के नियामकों पर बैंडविड्थ, ट्रैफ़िक और वास्तव में नेटवर्क न्यूट्रैलिटी से संबंधित नियमों पर फिर से विचार करने का दबाव बढ़ गया है।
- **अवैध सामग्री:** आपत्तिजनक, खतरनाक और अवैध कंटेंट सभी के लिए सुलभ है और इससे छुटकारा पाना कठिन है। नेट न्यूट्रैलिटी को हटाने से इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) के लिए खतरनाक कंटेंट को फ़िल्टर करना आसान हो जाता है।
- **नई अवसंरचना का अभाव:** नेट न्यूट्रैलिटी होने से बिना भुगतान किए ही बड़ी मात्रा में डेटा का उपभोग किया जाता है। इस पैसे का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह

- **इंटरनेट पर उपयोगकर्ता अधिकारों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है,** ताकि कानून द्वारा अनुमत किसी भी कंटेंट, एप्लीकेशन या सेवा को इंटरनेट पर भेजने, प्राप्त करने, प्रदर्शित करने, उपयोग करने, पोस्ट करने की उपयोगकर्ता की क्षमता को इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) प्रतिबंधित न करें।

[54] Broadcast Audience Research Council

- **इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP)** को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और उपयोगकर्ताओं को समुचित जानकारी के आधार पर विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाने के लिए, **अपनी इंटरनेट ट्रैफिक प्रबंधन नीतियों,** उपकरणों और हस्तक्षेप प्रथाओं **के बारे में उपयोगकर्ताओं के समक्ष पर्याप्त प्रकटीकरण करना चाहिए।**
- **सार्वजनिक संकट के समय में सरकारी सूचनाओं को प्राथमिकता देना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।** उन वेबसाइटों और URL की सूची पर भी अधिक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है, जिन्हें सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) आपातकाल के दौरान शून्य-रेटेड होने की अनुमति देगा।
    - प्रासंगिक स्रोतों और कंटेंट का मूल्यांकन काफी हद तक व्यक्तिपरक हो सकता है और इसमें पक्षपात किए जाने की पर्याप्त आशंका होती है। इसलिए यह कार्य चयन की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।
- **नेट न्यूट्रैलिटी पर ए.के. भार्गव समिति (2015)** ने कुछ दृष्टिकोण (इन्फोग्राफिक्स देखें) का सुझाव दिया था, जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

7.2. अंतरिक्ष मलबा (Space Debris)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो अपनी कक्षीय मलबा ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है। इसके तहत इसरो नेत्र परियोजना के अंतर्गत नये रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप तैनात कर रहा है।

अंतरिक्ष पिंड अनुवर्तन एवं विश्लेषण नेटवर्क (NETRA) परियोजना के बारे में

- **नेत्र (NETRA) परियोजना** का पूरा नाम है- 'अंतरिक्ष पिंड अनुवर्तन एवं विश्लेषण नेटवर्क या नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस' (NETRA)[55]
- **इसरो नेत्रा (NETRA) परियोजना के अंतर्गत नए रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप तैनात करके अपनी कक्षीय मलबा ट्रैकिंग क्षमता** का निर्माण कर रहा है।
- **नेत्रा (NETRA) के तहत 1,500 कि.मी. सीमा की क्षमता से लैस** अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने वाला एक रडार **और एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप** शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे के संबंध में एक प्रभावी निगरानी और ट्रैकिंग नेटवर्क की स्थापना करना है।
- यह **10 से.मी. और उससे अधिक बड़े पिंड का पता लगाने** तथा उसे ट्रैक करने में सक्षम होगा।
- इसे स्वदेशी स्तर पर डिजाइन और निर्मित किया जाएगा।

अंतरिक्ष मलबे के बारे में

- अंतरिक्ष मलबे में **प्राकृतिक उल्कापिंड और कृत्रिम** (मानव निर्मित) कक्षीय मलबे दोनों शामिल होते हैं। उल्का-पिंड, सूर्य की कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जबकि अधिकांश कृत्रिम मलबे पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते हैं (इसलिए इन्हें "कक्षीय" मलबा कहा जाता है)।
    - **कक्षीय मलबा:** पृथ्वी की कक्षा में **उपयोगी नहीं रह गए** मानव निर्मित या कृत्रिम पिंडों को कक्षीय मलबा कहते हैं।

---
55 Network for Space Objects Tracking and Analysis

- **पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाने वाला प्रत्येक उपग्रह अंतरिक्ष मलबा बन सकता है।**
    - संचार और मौसम उपग्रह अक्सर भू-स्थिर कक्षाओं में 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ये उपग्रह या इनका मलबा सैकड़ों या हजारों वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं।
- **एंटी-सैटेलाइट टेस्ट (ASAT):** इस तरह के परीक्षण बहुत कम ही हुए हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यहां तक कि भारत ने अपने उपग्रहों को नष्ट करने के लिए मिसाइल का उपयोग किया है। ऐसे परीक्षणों के परिणामस्वरूप मलबे के हजारों नए टुकड़े पैदा हो जाते हैं।

अंतरिक्ष मलबे से संबंधित जोखिम

- **कक्षा में जोखिम:** निम्न भू-कक्षा (LEO)[56] में पिंड 6-8 कि.मी./सेकंड तक की गति से गमन करते हैं। इसकी गति इतनी तेज होती है कि इससे उपग्रह, अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष में यान के बाहर कार्य कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत नुकसान हो सकता है।
    - अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती संख्या सभी अंतरिक्ष यानों, (विशेष रूप मानव चालक दल वाले यानों के मामले में) के लिए संभावित खतरे को बढ़ा देता है, उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)।
- **केसलर सिंड्रोम:** केसलर सिंड्रोम को केसलर प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें LEO में पिंडों का घनत्व इतना अधिक होता है कि पिंडों के बीच होने वाले आपसी टकराव से टकरावों की एक श्रृंखला शुरू हो सकती है। इसके तहत प्रत्येक टकराव और अधिक अंतरिक्ष मलबा पैदा करता है, जिससे भविष्य में टकराव की संभावनाएं भी और अधिक बढ़ जाती हैं।
- **लागत में वृद्धि: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के एक अध्ययन** के अनुसार, अंतरिक्ष मलबे से उपग्रह संबंधी परिचालन की लागत बढ़ जाती है। भू-स्थिर कक्षा में प्रक्षेपण करने वाली उपग्रह कंपनियों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार मिशन की कुल लागत का लगभग 5-10% हिस्सा सुरक्षात्मक और शमन संबंधी उपायों पर खर्च होता है। वहीं दूसरी ओर निम्न-भू कक्षाओं के लिए सुरक्षात्मक और शमन संबंधी उपायों की लागत और भी अधिक हो जाती है।
- **वैज्ञानिक और अन्य अवलोकनों में बाधा:** अंतरिक्ष में मानव निर्मित पिंडों की मौजूदगी प्राकृतिक परिघटना के अवलोकन को एक कठिन कार्य बना देती है।
    - अंतरिक्ष मलबा, रेडियो टेलीस्कोप तक अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों का पहुंचना बाधित करता है। साथ ही, अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप द्वारा ली जाने वाली इमेज को भी विकृत कर देते हैं। इसके कारण प्राप्त वैज्ञानिक परिणामों की सटीकता प्रभावित होती है।
- **हवाई यात्रा पर प्रभाव:** अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष उड़ान के लिए बहुत समस्याएं पैदा कर सकता है। इस संबंध में सर्वाधिक जोखिम लगभग 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे **संचार और भू-अवलोकन** पिंडों के लिए होगा।

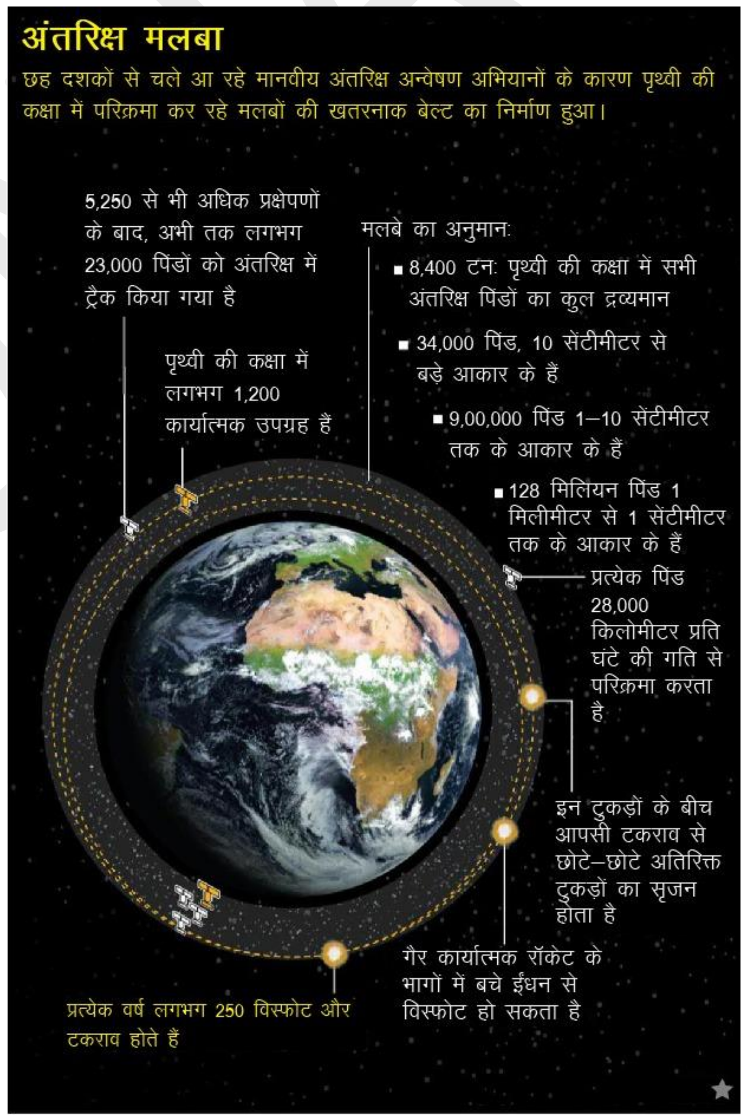

56 Low Earth Orbit

अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए रणनीतियाँ

- **निवारक उपाय:** इसके तहत अंतरिक्ष यान और अपर स्टेज की विस्फोट संबंधी विफलताओं को रोकने के उपाय करना और बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष मलबे फैलने की घटनाओं को समाप्त करना शामिल है।
  - अंतरिक्ष यान या कक्षीय चरणों को इस प्रकार **डिजाइन किया** जाना चाहिए कि सामान्य परिचालन के दौरान किसी भी प्रकार के **मलबे का सृजन न हो।**
  - **निम्न-भू कक्षा से गुजरने वाली कक्षाओं में अंतरिक्ष यान** या कक्षीय चरणों के परित्यक्त परिचालन चरणों को कक्षा से हटाया जाना चाहिए। साथ ही, जहां तक उपयुक्त हो वहाँ तक उन्हें ऐसी कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए जहां उनका जीवनकाल जल्द समाप्त हो जाए।
  - अंतरिक्ष मिशनों को कक्षीय जीवनकाल के दौरान **आकस्मिक टक्कर की संभावना का अनुमान लगाते हुए** और दुर्घटनावश टक्कर होने की संभावना को सीमित करना चाहिए। साथ ही, अंतरिक्ष यानों के आपसी टकराव को रोकने के उपाय / प्रक्षेपण के समय के संबंध में आपस में समन्वय करना चाहिए।
  - कुछ उपग्रहों को उनके कार्यशील जीवन की समाप्ति पर अपेक्षाकृत उच्चतर कक्षाओं (इसे 'उपग्रहों का कब्रिस्तान' कहते हैं) में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे उपग्रहों का वायुमंडल में पुनः प्रवेश संभव न हो।
    - इससे भू-स्थिर कक्षा के दोनों ओर कुछ सौ कि.मी. का संरक्षित क्षेत्र बन जाएगा।
- **मलबा हटाने की प्रक्रिया:** इसके तहत कक्षा में पिंडों की संख्या और उनकी व्यापकता को कम करके कक्षा में पिंडों की अत्यंत तीव्र गति के साथ टकराव की संभावना और गंभीरता को कम करना शामिल है।
  - **अंतरिक्ष टीथर:** इस तकनीक के लिए मलबा तथा मलबा हटाने वाले अंतरिक्ष यान के बीच एक टीथर (जालनुमा जंजीर) को संलग्न किया जाता है। इसके बाद मलबे से टीथर को अलग करने से अंतरिक्ष यान कक्षा में ऊंचाई की तरफ और मलबा नीचे की तरफ गति करने लगता है। टीथर से छोड़े जाने के बाद मलबा ऊपरी वायुमंडल के काफी नजदीक आ जाता है और अंततः वायुमंडल में प्रवेश के दौरान जल कर नष्ट हो जाता है।
  - **लेज़र:** इसके द्वारा पृथ्वी से उच्च शक्ति वाले लेज़रों के उपयोग द्वारा पिंडों की गति को धीमा किया जाता है, ताकि वे अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएँ। लेजर प्रौद्योगिकियां संभावित रूप से बड़ी मात्रा में छोटे आकार के अंतरिक्ष मलबे का समाधान कर सकती हैं।
  - **स्पेस टग्स:** इस प्रक्रिया के तहत किसी अन्य अंतरिक्ष यान पर लगे एक रोबोटिक ग्रैपलिंग डिवाइस का उपयोग करके किसी पिंड को एक नई कक्षा में ले जाना या नष्ट करने के लिए वायुमंडल में प्रवेश कराना शामिल होता है।
    - स्पेस टग वास्तव में एक अंतरिक्ष यान होता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष मलबे के टुकड़ों को भू-स्थिर कक्षाओं में ले जाने के लिए किया जाता है।
- **अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता (SSA)[57]:** इस संदर्भ में जब तक शमन और निवारण संबंधी उपायों के माध्यम से कक्षीय मलबे की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता है, तब तक अंतरिक्ष मलबे के टकराव से कार्यशील उपयोगी उपग्रहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु SSA अत्यंत अनिवार्य है।
  - **SSA** के तहत भू-आधारित राडार और ऑप्टिकल स्टेशनों का उपयोग करते हुए परिक्रमा कर रहे उपग्रहों तथा मलबों की ट्रैकिंग की जाती है, ताकि अंतरिक्ष मलबे के कक्षीय पथों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। इस प्रकार मलबे के पूर्वानुमानित अंतरिक्ष कक्षीय पथ के संदर्भ में कार्यशील उपग्रह के कक्षीय पथ में युक्तिसंगत समायोजन के द्वारा उपग्रह परिचालनकर्ता टकराव की संभावना को निम्नतम कर सकते हैं।

आगे की राह

- **व्यापक अनुसंधान और चर्चा:** इससे संबंधित समस्या और समाधान को पूरी तरह से समझने के लिए अंतरिक्ष मलबे के विषय से संबंधित ऐसे कई राजनीतिक, कानूनी और विनियामकीय मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।
- **शमन दिशा-निर्देश को बाध्यकारी बनाना:** शमन संबंधी दिशा-निर्देश का स्वेच्छा के बजाए अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में बाध्यकारी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  - 'बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति' (UNCOPUOS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों को इससे संबंधित समझौते/कानूनों पर वैश्विक सहमति बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस प्रकार अंतरिक्ष मलबे की चुनौती को दूर करने के साथ-साथ अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित की जा सकती है।
- **राष्ट्रों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे-**
  - मौजूदा अंतरिक्ष संधियों की अभिपुष्टि करें और उनका कार्यान्वयन करें।
  - अंतरिक्ष कानून के विषय में घरेलू कानून विकसित करें और क्षमता निर्माण करें।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं।

---

57 Space Situational Awareness

- **भावी प्रक्षेपणों की संख्या को सीमित करना**: हजारों नए उपग्रहों को लॉन्च करने से वर्तमान स्थिति में सुधार करने में सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि इससे स्थिति और अधिक खराब हो सकती है।
    - **बहु-मिशन वाले उपग्रहों से** भविष्य में संभावित प्रक्षेपणों की संख्या को काफी कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **अंतरिक्ष सूचना नेटवर्क (SIN):** इसके तहत प्रत्येक देश की सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सीमित कक्षीय संसाधन के मुद्दे का समाधान करने के लिए कई वाणिज्यिक तथा सरकारी अभिकर्ताओं को समायोजित किया जा सकता है।
- **अंतरिक्ष मलबे की स्थिति पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए।**

अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा की गई वैश्विक पहल

- **अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वयन समिति (IADC)[58] के अंतरिक्ष मलबे शमन दिशा-निर्देश:** ये दिशा-निर्देश मिशन के निम्नलिखित समग्र पर्यावरणीय प्रभाव को शामिल करते हैं:
    - सामान्य अभियानों के दौरान सृजित होने वाले मलबे की सीमा।
    - कक्षा में परिक्रमा के दौरान टूट-फूट (ऑन-ऑर्बिट ब्रेक-अप) की संभावना को कम करना।
    - मिशन के बाद निपटान करना।
    - कक्षा में परिक्रमा के दौरान (ऑन-ऑर्बिट) टकराव की रोकथाम करना।
- **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS)** ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों, जैसे बाह्य अंतरिक्ष संधि, दायित्व अभिसमय आदि को संपन्न किया है। ये संधियां अंतरिक्ष पिंडों से होने वाले नुकसान के लिए दायित्व, अंतरिक्ष गतिविधियों के साथ हानिकारक हस्तक्षेप की रोकथाम और अंतरिक्ष गतिविधियों के पंजीकरण आदि जैसे मुद्दों को प्रबंधित करती हैं।
- **जापान की एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)** ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने में सहायता करने के लिए स्टार्ट-अप्स के साथ भागीदारी की है।
    - **JAXA ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए दुनिया के पहले मिशन हेतु एस्ट्रोस्केल (Astroscale) के साथ छह महीने की एक प्रदर्शन परियोजना (demonstration project) को लांच की है।**
    - **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)** वर्ष 2025 में एक मिशन लांच करने के लिए **स्विस स्टार्ट-अप क्लियरस्पेस** (ClearSpace) के साथ काम कर रही है।
- **'रिमूव डिब्रीज़'**
    - ब्रिटिश उपग्रह 'रिमूव डिब्रीज़' वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात किया गया था।
    - इसने **अंतरिक्ष मलबे हटाने के लिए दो अलग-अलग तकनीकों का परीक्षण किया:**
        - **नेट का उपयोग करके मलबे को कैप्चर करना**
        - **हार्पून का उपयोग करके मलबे को कैप्चर करना**
- विनाशकारी एंटी सैटेलाइट हथियारों से पैदा होने वाले दीर्घकालिक अंतरिक्ष मलबे की समस्या का निराकरण करने के लिए कई राजनयिक पहलों का प्रस्ताव किया गया है।
    - **चीन और रूस** द्वारा **निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** में एक मसौदा संधि को प्रस्तुत किया गया। इस मसौदे का उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों को तैनात करने, या उनके उपयोग को रोकने की कोशिश करना है।
    - **यूरोपीय संघ** द्वारा एक **स्वैच्छिक आचार संहिता** को प्रस्तुत किया गया है। यह स्पेस-ट्रैफिक प्रबंधन, मलबा शमन और विनाशकारी एंटी सैटेलाइट परीक्षण जैसे मुद्दों को संबोधित करती है।
- भारत में, **दिगांतर का** उद्देश्य देश का पहला अंतरिक्ष-आधारित निगरानी प्लेटफार्म विकसित करके अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या का सामना करना है। **दिगांतर भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु में इनक्यूबेटेड एक कंपनी है।**

7.3. जीनोम संपादन (Genome Editing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने पहली बार एक ऐसा आदेश जारी किया है, जो आनुवंशिक रूप से संशोधित या जी.एम. फसलों पर लागू कड़े नियमों से कुछ प्रकार की जीनोम संपादित फसलों को छूट देता है।

[58] Inter-Agency Space Debris Coordination Committee's

अन्य संबंधित तथ्य

- MoEF&CC ने **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA)[60] के कुछ नियमों से साईट डायरेक्टेड न्यूक्लीज (SDN) 1 और SDN 2 जीनोम संपादित पादपों को छूट दी** है। यह छूट खतरनाक सूक्ष्मजीवों या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग या आयात या निर्यात और भंडारण नियम, 1989 के तहत दी गई है।
- यह आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों पर लागू होने वाली नियामकीय प्रक्रिया की तुलना में **जीनोम-संपादित पादपों, या बिना किसी "विजातीय" जीन वाले जीवों को एक अलग नियामकीय प्रक्रिया के अधीन लाने की अनुमति देगा।**
  - इस अधिसूचना के साथ, **SDN1/SDN2 श्रेणी के पौधों को** शुरू में EPA नियम 1989 के तहत **संस्थागत जैव सुरक्षा समिति द्वारा** और बाद में कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के तहत बीज अधिनियम के तहत **विनियमित किया जाएगा।**
  - SDN1/SDN2 श्रेणी के पौधों को **आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)[61] में बिना किसी विनियमन** के अनुमति दी जाएगी।
    - GEAC वस्तुतः MoEF&CC के तहत एक विशेष समिति है, जिसे GM फसलों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने का कार्यभार सौंपा गया है।

जीन संपादन के बारे में

- जीनोम (या जीन) संपादन किसी **कोशिका या सजीव के DNA में विशिष्ट परिवर्तन करने का तरीका है।** यह जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री जोड़ना, हटाना या बदलना संभव बनाता है।
  - DNA को संपादित करने से आँखों के रंग जैसे शारीरिक लक्षणों और बीमारी के जोखिम में परिवर्तन हो सकता है।

स्थल निर्देशित न्यूक्लीज (Site Directed Nuclease: SDN) के बारे में

- SDN या अनुक्रम विशिष्ट न्यूक्लीज (SSN)[59] का तात्पर्य अनुवर्ती जीनोम संपादन को प्रभावित करने के लिए **DNA तंतुओं को द्विखंडित करने की पद्धति** से है।
  - न्यूक्लीज **न्यूक्लिक अम्ल,** या तो DNA या RNA को **क्षीण करने वाले एंजाइम होते हैं।**
  - **न्यूक्लीज सजीवों में DNA की मरम्मत से संबंधित कई पहलुओं के लिए आवश्यक होते हैं।** यदि कुछ न्यूक्लीज़ में दोष हैं, तो प्रतिरक्षा-हीनता या आनुवंशिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है।
- इस प्रक्रिया को **संपादन की प्रकृति के आधार पर तीन श्रेणियों- SDN1, SDN2 और SDN3 में विभाजित किया जाता है।**

जीन संपादन, GMO विकास से किस प्रकार भिन्न है?

- **आनुवंशिक रूप से संशोधित सजीवों (GMO)** में विजातीय आनुवंशिक सामग्री प्रविष्ट कर पोषक (Host) की आनुवंशिक सामग्री में संशोधन किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, कपास के मामले में मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थुरिंजिंसिस (BT) से निकाले गए जीन cry1Ac और cry2Ab प्रविष्ट कराए जाते हैं।
- जीनोम संपादन और GMO के बीच बुनियादी फर्क यह है कि जहाँ जीनोम संपादन **में विजातीय आनुवंशिक सामग्री प्रविष्ट नहीं कराई जाती है,** वहीं GMO में ऐसा किया जाता है।

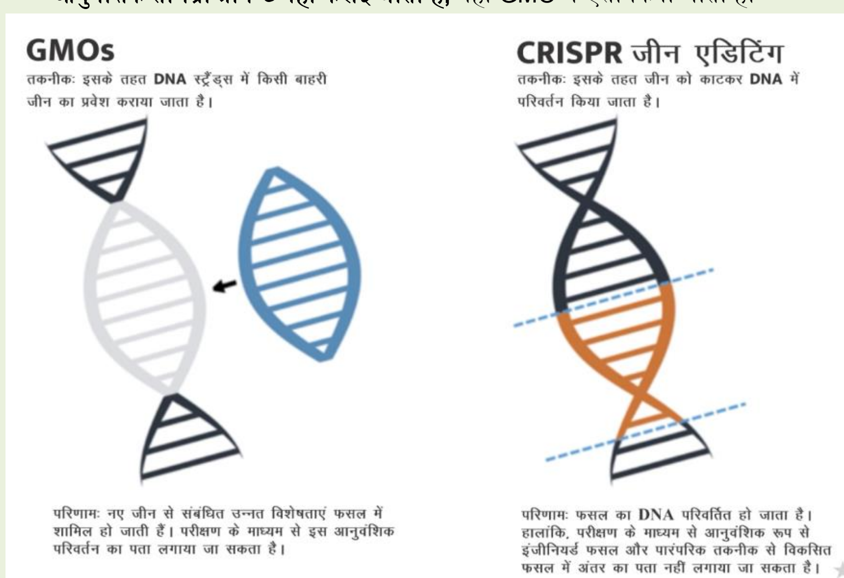

---
[59] Sequence Specific Nuclease
[60] Environmental Protection Act
[61] Genetic Engineering Appraisal Committee

- जीन संपादन थेरेपी की **दो अलग-अलग श्रेणियां हैं: जर्मलाइन थेरेपी और सोमैटिक थेरेपी।**
    - **जर्मलाइन थेरेपी में प्रजननात्मक कोशिकाओं** (जैसे- शुक्राणु और अंडाणु) **के DNA में बदलाव किया जाता है।** प्रजननात्मक कोशिकाओं के DNA में परिवर्तन **एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है।**
    - **वहीं दूसरी ओर, सोमैटिक थेरेपी गैर-प्रजननात्मक कोशिकाओं को लक्षित करती है,** और इन कोशिकाओं में किए गए परिवर्तन केवल जीन थेरेपी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित करते हैं।

यह कैसे काम करता है?

- यह **DNA** को **खोलने, द्विखंडित करने** (काटने- चिपकाने) **और पुनः व्यवस्थित करने** की तीन चरणों वाली जटिल क्रियाविधि है।
- जीनोम संपादन में **एक प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसे 'इंजीनियर्ड न्यूक्लीज़' कहा जाता है।** यह एक विशिष्ट स्थान पर **जीनोम को काटता है।**
- **इंजीनियर्ड न्यूक्लीज़ दो भागों से मिलकर बना होता है-**
    - न्यूक्लीज का वह भाग जो **DNA** को काटता है, और
    - **DNA** के एक विशिष्ट अनुक्रम की ओर न्यूक्लीज़ को निर्देशित करने के लिए **DNA** को लक्षित करने वाला भाग।

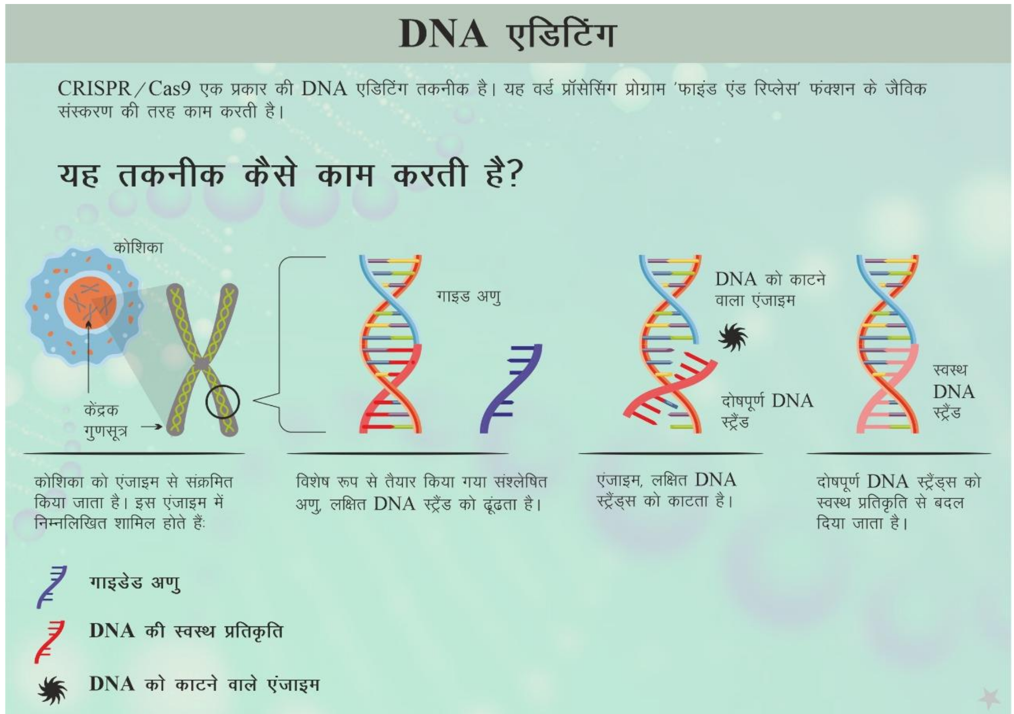

- एक विशिष्ट स्थान पर **DNA** को काटने के बाद, **कोशिका स्वाभाविक रूप से काट की मरम्मत कर लेती है।**
- **इस मरम्मत की प्रक्रिया में** जीनोम में उक्त स्थान पर DNA में परिवर्तन (या 'संपादन') करने के लिए **हेरफेर किया जा सकता है।**
- **जीनोम संपादन के प्रकारों में शामिल हैं:** छोटा DNA परिवर्तन, DNA का एक भाग हटाना, DNA का एक भाग प्रविष्ट कराना।

जीनोम संपादन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें

- इनमें मुख्य रूप से इस बात में भिन्नता होती है कि **काटे जाने वाले DNA की पहचान कैसे की जाती है।**
    - **प्रोटीन आधारित:** इसमें काटे जाने वाले लक्षित DNA को पहचानने और बांधने वाला एक प्रोटीन होता है।
    - **RNA आधारित:** इसमें काटे जाने वाले लक्षित DNA को बांधने वाला RNA का एक छोटा अनुक्रम होता है।

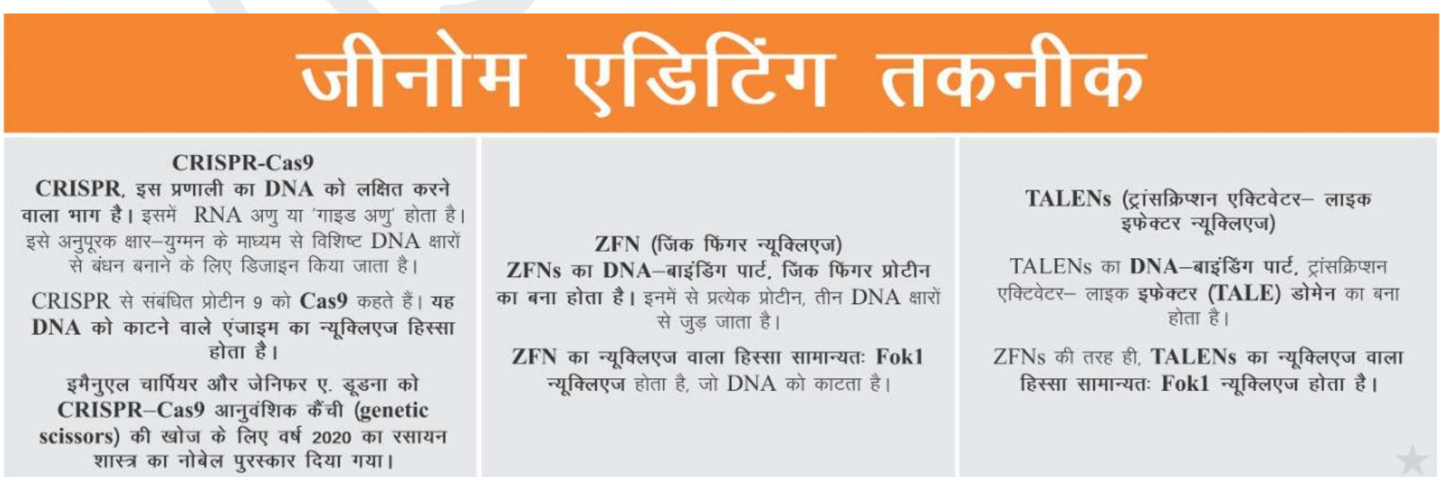

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

7.4.1. चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के वायुमंडल में ऑर्गन-40 के चारों ओर वितरण की पहचान की गयी है (Chandrayaan-2 Makes First Observations of Distribution Of Argon-40 in Moon's Atmosphere)

- **चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2)**[62], चंद्रयान-2 मिशन के साथ भेजा गया एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके द्वारा चंद्रमा के बर्हिमंडल (exosphere) में **ऑर्गन-40 (Ar-40) के चारों ओर वितरण के संबंध में अपनी तरह का पहला अवलोकन** किया गया है।
  - इससे पहले, नासा के **अपोलो-17 ने चंद्रमा के बर्हिमंडल में Ar-40 की उपस्थिति का पता लगाया था**। हालांकि, उस समय यह कहा गया कि **Ar-40 की उपस्थिति केवल चंद्रमा के विषुवतीय क्षेत्र के निकट** ही सीमित है।
  - बर्हिमंडल, **ऊपरी वायुमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र होता** है। इस मंडल में मौजूद परमाणु और अणु शायद ही कभी एक-दूसरे से टकराते हैं। साथ ही, ये इस मंडल से बहार निकल कर गहरे अंतरिक्ष में भी पहुँच सकते हैं।
- **इस अवलोकन (observation) महत्व:** यह चंद्रमा पर दैनिक अवधि (lunar day) के दौरान आर्गन-40 की स्थानिक भिन्नताओं पर प्रकाश डालता है। इस अवलोकन में चंद्रमा के **विषुवतीय और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों को शामिल किया गया** है।
  - यह अवलोकन **अज्ञात या अतिरिक्त क्षय प्रक्रियाओं**[63]**, चंद्रमा के कम्पनों**[64] **या निम्न सक्रिय ऊर्जा**[65] **वाले क्षेत्रों** का भी संकेत देता है।
- **चंद्रयान-2 मिशन के बारे में:**
  - यह **चंद्रमा पर भेजा गया एक भारतीय मिशन** है। इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर एक रोवर उतारकर अब तक अनजान **चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन** करना है। इस मिशन के **लैंडर का नाम 'विक्रम'** और **रोवर का नाम 'प्रज्ञान'** है।
  - इसे **वर्ष 2019 में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk-III (GSLV Mk-III)** द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
- **चंद्रयान-1:** यह इसरो का **पहला चंद्र अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन** था। इस मिशन ने **चंद्रमा पर जल की उपस्थिति का पता** लगाया था।
  - इसने चंद्रमा की कक्षा से **अवरक्त, दृश्यमान** और **एक्स-रे प्रकाश** में चंद्रमा का मानचित्रण किया था। साथ ही, इसने चंद्रमा पर अलग-अलग तत्वों, खनिजों और हिम की मौजूदगी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए परावर्तित विकिरण का उपयोग किया था।

ऑर्गन

- यह एक **अक्रिय, रंगहीन** और **गंधहीन** तत्व तथा एक **नोबल गैस** है।
- ऑर्गन-40, **ऑर्गन का समस्थानिक (isotope)** है। यह **चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पोटैशियम-40 (K-40) के रेडियोधर्मी विघटन** से उत्पन्न होती है।

7.4.2. GSAT 7B और भारत के अन्य सैन्य उपग्रह (The GSAT 7B and India's other Military Satellites)

- रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली **रक्षा अधिग्रहण परिषद** ने GSAT 7B के लिए **एक्सेप्टेन्स ऑफ़ नेसेसिटी** यानी इसकी खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। **एक्सेप्टेन्स ऑफ़ नेसेसिटी** (यानी आवश्यकता की स्वीकृति), खरीद का पहला चरण है।
  - GSAT 7B को देश में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जा रहा है।
  - GSAT 7B को अगले 2-3 वर्षों में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। यह सेना के उपयोग के लिए एक **अत्याधुनिक, मल्टीबैंड व सैन्य श्रेणी का उपग्रह** होगा।
  - यह **सैन्य बल की क्षमता बढ़ाने में सहायक** सिद्ध होगा।
  - इससे सेना की सूचना-संचार क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। यह भारत की नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देगा और बिना असफल हुए सेना को संचार सुविधा प्रदान करेगा।
- GSAT 7 श्रृंखला के उपग्रह **भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO)**[66] **के आधुनिक उपग्रह** हैं।
  - इन्हें **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)** द्वारा विकसित किया गया है। इनका उद्देश्य **रक्षा सेवाओं की संचार आवश्यकताओं को पूरा करना** है।
  - GSAT 7 उपग्रह (वर्ष 2013 में लॉन्च) का उपयोग **भारतीय नौसेना** द्वारा किया जाता है। वहीं GSAT 7A (वर्ष 2018 में लॉन्च) को **भारतीय वायु सेना** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - वर्तमान में, भारतीय थल सेना GSAT 7A की **30% संचार क्षमताओं का उपयोग** कर रही है।
- **भारत के अन्य सैन्य उपग्रह:**
  - **इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट (EMISAT):** यह **कौटिल्य** नामक एक **इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ELINT) पैकेज** से लैस है।
    - इसमें भूमि पर स्थित रडार को बाधित करने की क्षमता है। यह पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करता है।

---

[62] Chandra's Atmospheric Composition Explorer
[63] unknown or additional loss processes
[64] Moon quakes
[65] lower activation energies
[66] Geosynchronous Transfer Orbit

- RISAT 2BR1 **सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह:** इसमें बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग मोड सहित अलग-अलग मोड में संचालित (ऑपरेट) होने की क्षमता है।

7.4.3. एक्सोमार्स (ExoMars)

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने **'एक्सोमार्स 2022'** मिशन को **इस वर्ष सितंबर में लॉन्च नहीं करने का निर्णय लिया है।** यह निर्णय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा **रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम 'रोस्कोस्मोस' के साथ सभी सहयोग को निलंबित करने के बाद** लिया गया है।
    - एक्सोमार्स मिशन का उद्देश्य **मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व से जुड़े प्रश्न का समाधान खोजना है।**
    - **इसके दो भाग हैं:**
        - पहले भाग में वर्ष 2016 में **एक ऑर्बिटर** और **एक लैंडर** को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
        - इसके दूसरे भाग के रूप में, सितंबर 2022 में **मंगल ग्रह पर एक रोवर** को पहुंचाया जाना था।

7.4.4. क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार (CLUSTER BOMBS AND THERMOBARIC WEAPONS)

- मानवाधिकार समूहों ने, **यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस पर क्लस्टर बमों और थर्मोबेरिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप** लगाया है।

क्लस्टर हथियार (Cluster munitions)	**थर्मोबेरिक हथियार (इसे एरोसोल बम, फ्यूल एयर एक्स्प्लोसिव या वैक्यूम बम भी कहा जाता है)**

• ये एक प्रकार के **गैर-सटीक हथियार** होते हैं। इन्हें किसी बड़े क्षेत्र में **ताबड़तोड़ तरीके से आबादी (यानी लोगों) को घायल करने या मारने** और वाहनों तथा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
• इन्हें **विमान से गिराया** जा सकता है या **प्रोजेक्टाइल (प्रक्षेप्य) के रूप में दागा** जा सकता है। ये हथियार अपने मार्ग में छोटे-छोटे बमों की बमबारी करते जाते हैं।
• इन छोटे-छोटे बमों में से **कई बम फट नहीं पाते हैं** और जमीन पर निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसे में लड़ाई या युद्ध समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक मानव आबादी को इनसे खतरा बना रहता है।
• जिन देशों ने **क्लस्टर हथियारों पर अभिसमय (Convention on Cluster Munitions)** की अभिपुष्टि की है, उन्हें क्लस्टर बमों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। अब तक, इस **अभिसमय के 110 देश पक्षकार** हैं।
    ○ **रूस, यूक्रेन और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**
• **भारत के पास क्लस्टर हथियार हैं।** इन्हें जमीन से आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल या रॉकेट और मिसाइलों से भी दागा जा सकता है।
 	
	• ये हथियार बड़े व उच्च तापमान वाले विस्फोट के लिए **वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग** करते हैं।
	• समान आकार के पारंपरिक बम की तुलना में ये **बहुत अधिक तबाही** मचाते हैं।
	• इस बम में **2 अलग-अलग चरणों में विस्फोट** होता है:
	    ○ जैसे ही यह अपने लक्ष्य से टकराता है तो **पहले विस्फोट से बम का ईंधन कंटेनर खुलता है** और ईंधन का बादल और धातु के टुकड़े बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।
	    ○ **इसके बाद दूसरा विस्फोट होता है**, जो एरोसोल के बादल को आग के विशाल गोले में तब्दील कर देता है। इससे चारों ओर विस्फोट की जानलेवा लहरें फैलने लगती हैं। इससे मजबूत इमारत या उपकरण भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही, मनुष्य भी इसके अत्यधिक ताप में तुरंत जल कर मर जाते हैं।
	• **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप से थर्मोबैरिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।**
	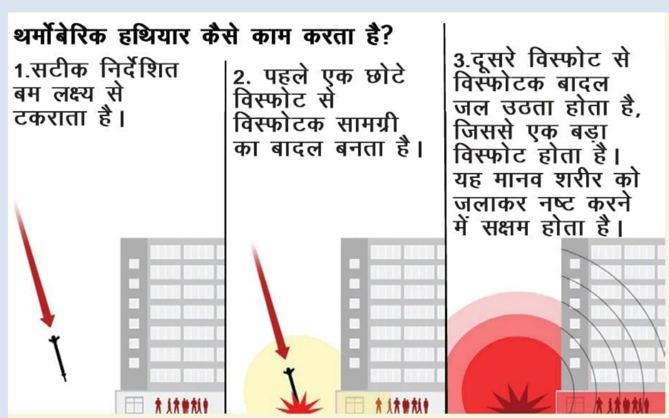

 ©Vision IAS

7.4.5. मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम (Man-Portable Air-Defence Systems: MANPADS)

- कई सारे पश्चिमी देश युद्ध में यूक्रेन की सहायता के लिए **मैनपैड्स (MANPADS)** भेज रहे हैं।
- **मैनपैड्स के बारे में:**
    - ये **कम दूरी तक हमला करने वाली एक हल्की, पोर्टेबल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं।** इन्हें विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए व्यक्तियों या कुछ लोगों के समूहों द्वारा भी दागा जा सकता है।
    - इन्हें कोई व्यक्ति अपने **कंधे से भी दाग** सकता है। साथ ही, इन्हें किसी **वाहन के ऊपर से,** ट्राइपॉड या स्टैंड से, हेलीकॉप्टर या नाव से भी दागा जा सकता।
    - ये **"दागो और भूल जाओ"** (fire and forget) की कार्य-प्रणाली पर आधारित हैं।

7.4.6. कामिकेज़ ड्रोन्स (Kamikaze Drones)

- ये छोटे आकार के **मानव रहित विमान** हैं। ये विस्फोटक पदार्थों से लैस होते हैं। ये किसी टैंक अथवा सैन्य टुकड़ी के ऊपर उड़ान भर सकते हैं। इनसे टकराने के बाद इनमें विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद ये काफी क्षति पहुँचाते हैं।
    - इन्हें **स्विचब्लेड ड्रोन्स** भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लॉन्च करने पर इनके ब्लेड जैसे विंग्स निकलते हैं।
- **विशेषताएं:** इन्हें राडार की सहायता पता लगा पाना कठिन होता है। ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। ये फेशियल रिकग्निशन तकनीक पर आधारित होते हैं। ये विस्फोट के दायरे को सीमित कर सकते हैं। साथ ही, ये लागत प्रभावी भी होते हैं।
- हाल ही में, इनकी **रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन को आपूर्ति** की जा रही है। यह आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जा रही है।
    - **रूस, चीन, इजरायल, ईरान** और **तुर्की** सहित कई अन्य देशों के पास भी इसका कोई न कोई संस्करण मौजूद है।

7.4.7. कवच (Kavach)

- रेल मंत्री द्वारा **गुल्लागुड़ा-चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों** के बीच 'कवच' की कार्य प्रणाली के **ट्रायल का निरीक्षण** किया गया।
- **कवच** स्वदेश में विकसित **"ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली (Train Collision Avoidance System: TCAS)"** है।
    - यह **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** और **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) उपकरणों का एक सेट** होता है। इसे लोकोमोटिव (रेल इंजन), सिग्नलिंग सिस्टम और पटरियों पर लगाया जाता है।
    - ये उपकरण, रेलगाड़ियों के **ब्रेक को नियंत्रित** और **ड्राइवरों को सचेत करने** के लिए **अल्ट्रा-हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी** का उपयोग करके एक-दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं।
- **'कवच' की प्रमुख विशेषताएं:**
    - जब **मानवीय गलती** के कारण कोई ट्रेन किसी **रेड सिग्नल** को पार कर आगे बढ़ जाती है, तो **यह प्रणाली स्वचालित रूप से सक्रिय होकर ट्रेन में ब्रेक लगा देती है।** इस प्रकार यह प्रणाली ट्रेनों के अचानक आमने-सामने आ जाने पर होने वाली टक्कर से भी बचाती है।
    - इस प्रणाली के तहत आगे आने वाली लेवल क्रॉसिंग से पहले, **हूटर अपने आप बज जाता है।** इससे कोहरे की दशा में दूर तक स्पष्ट दिखाई न देने की स्थिति में लोको-पायलटों (यानी ट्रेन ड्राईवर) को सहायता मिलती है।
        - जहाँ रेलवे लाइन सड़क को पार करती है, उसे लेवल क्रॉसिंग कहते हैं।
    - किसी घुमावदार मोड़ पर या पुलों को पार करते समय **ट्रेन की गति स्वचालित रूप कम होकर, निर्धारित सीमा पर पहुँच जाती है।**
    - इसका वर्ष 2012 से विकास किया जा रहा है। इसे भारतीय उद्योग के सहयोग से **अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (Research Design and Standards Organisation: RDSO)** द्वारा विकसित किया गया है।
        - इसका परीक्षण **दक्षिण मध्य रेलवे** में किया गया है।
- **रेलवे में सुरक्षा के लिए की गई अन्य पहलें:**
    - मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना,
    - रोलिंग स्टॉक (सभी प्रकार की रेल गाड़ियों) की ऑनलाइन निगरानी करना,
    - रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए **लिंक हॉफमैन बुश कोच** प्रणाली को अपनाना, आदि।

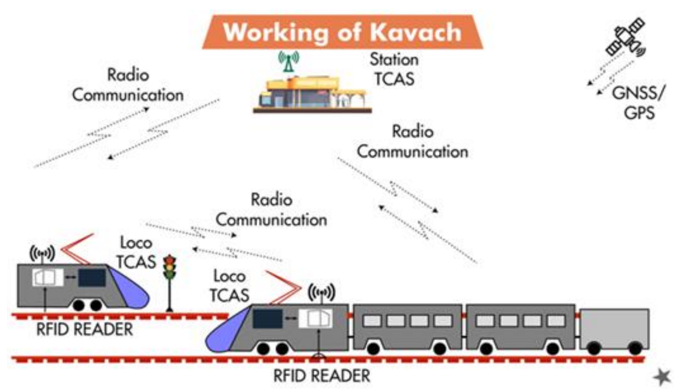

7.4.8. भारत में "WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM) (WHO Global Centre for Traditional Medicine in India)

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने **गुजरात के जामनगर में 'WHO-GCTM' (यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र)** की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना के लिए भारत सरकार और **विश्व स्वास्थ्य संगठन** ने "मेजबान देश समझौते (Host Country agreement)" पर हस्ताक्षर किए हैं।

- इसकी स्थापना **आयुष मंत्रालय** के तहत की जाएगी। यह विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम और सुदूर स्थित एकमात्र **वैश्विक केंद्र (कार्यालय)** होगा।

- **GCTM के लाभ:**
    - इससे वैश्विक स्तर पर आयुष प्रणालियों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
    - इससे भारत को पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।
    - यह पारंपरिक चिकित्सा की **गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग** को सुनिश्चित करेगा।
    - इससे प्रासंगिक तकनीकी क्षेत्रों में डेटा आधारित विश्लेषण और प्रभाव आकलन के लिए मानदंडों, मानकों, और दिशा-निर्देशों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।
    - इससे पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में **आवश्यक क्षमता निर्माण करने** और **प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने** में सहायता मिलेगी।
- **पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय:**
    - **योग से जुड़े पेशेवरों के स्वैच्छिक प्रमाणन हेतु योजना** आरंभ की गयी है।
    - **योग प्रमाणन बोर्ड (Yoga Certification Board: YCB):** इसे दुनिया भर में योग से जुड़े पेशेवरों के ज्ञान और कौशल में तालमेल, गुणवत्ता और एकरूपता लाने के लिए स्थापित किया गया है।
    - आयुष प्रणाली के बारे में प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने के लिए 31 देशों में **आयुष सूचना प्रकोष्ठ (AYUSH Information Cell)** की स्थापना की गई है।
- **ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक चिकित्सा क्या है?**
    - यह उन स्वास्थ्य संबंधी पद्धतियों, दृष्टिकोणों, ज्ञान और विश्वासों को संदर्भित करता है, जिनमें किसी रोग के इलाज, निदान और रोकथाम या बेहतरी के लिए पादपों, आध्यात्मिक उपचार के तरीकों आदि को शामिल किया जाता है।
    - इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) और सोवा रिग्पा शामिल हैं।

7.4.9. 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस 2022 मनाया गया (World Tuberculosis Day 2022 Observed on 24th March)

- **24 मार्च** को **विश्व क्षय रोग दिवस** के अवसर पर **"इंडिया टी.बी. रिपोर्ट 2022"** जारी की गयी। इस रिपोर्ट का **शीर्षक** है- **"कमिंग टुगेदर टू एंड टी.बी. अलटुगेदर"** {टी.बी. को पूर्णतया समाप्त करने के लिए साथ आना}।
- इस अवसर पर **"राष्ट्रीय टी.बी. प्रसार सर्वेक्षण रिपोर्ट"** (National TB Prevalence Survey) भी जारी की गयी।
- **इंडिया टी.बी. रिपोर्ट 2022 के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
    - **वर्ष 2021 में** टी.बी. रोगियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में **19% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
    - **क्षय रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP 2017- 25)** का विज़न, राज्य और जिला स्तर तक पहुँच गया है। **कुल 18 राज्यों ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।**
    - भारत में, **चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस (बच्चों में टी.बी.)** एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका **वैश्विक स्तर पर ट्यूबरक्लोसिस के बोझ में लगभग 31% का योगदान** है।
    - भारत में **वर्ष 2019 से वर्ष 2020 के बीच टी.बी. के सभी रूपों के कारण होने वाली मृत्यु दर में 11% की वृद्धि** दर्ज की गयी है।
- **राष्ट्रीय टी.बी. प्रसार सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
    - इस सर्वेक्षण के अनुसार, **सिम्प्टमैटिक यानी टी.बी. के शुरूआती लक्षण वाली अधिकांश आबादी (64%) ने स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश ही नहीं की।**
    - भारत में सभी आयु के लोगों में टी.बी. के सभी रूपों का प्रसार **वर्ष 2021 के लिए प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर 312** था।
- इस अवसर पर सरकार ने **"डेयर टू इरेड टी.बी."** नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया।
    - इसके तहत भारतीय आंकड़ों की सहायता से और **संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग** के आधार पर टी.बी. की निगरानी के लिए एक **"जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम"** का गठन किया जायेगा।
- **क्षय रोग / तपेदिक / ट्यूबरक्लोसिस (TB) के बारे में**
    - टी.बी., **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस** नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु प्रायः संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
    - यह एक संक्रामक रोग है, जो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है।
    - **टी.बी. को समाप्त करने के लिए भारत का विजन:** इसके तहत वर्ष 2025 तक भारत से टी.बी. को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच वर्ष पहले की प्रतिबद्धता है।
    - **टी.बी. उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**
        - **क्षय रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-2025** की घोषणा की गयी है।
        - केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम** (National Tuberculosis Elimination Program: NTEP) चलाया जा रहा है।
        - **टी.बी. हारेगा देश जीतेगा** नामक एक अभियान चलाया जा रहा है।

7.4.10. ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation)

- हाल ही में, ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन कराने वाले **व्यक्ति की ट्रांसप्लांटेशन के 2 माह बाद मृत्यु हो गई।**

- **ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में:**
  - यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मानव के अलावा किसी जीवित पशु कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को प्राप्तकर्ता मानव के शरीर में प्रत्यारोपित, इम्प्लांट या प्रवेश कराया जाता है।
  - जेनो ट्रांसप्लांटेशन में **सूअरों का उपयोग** बढ़ रहा है, क्योंकि **इसके अंग शरीर विज्ञान की दृष्टि से मनुष्यों के समान होते हैं।** इसके अलावा, ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए अधिक अनुकूल भी होते हैं।
- **चिंताएं:**
  - कभी-कभी किसी व्यक्ति द्वारा दान किए गए **अंगों को प्राप्तकर्ता व्यक्ति का शरीर अस्वीकार कर देता है।**
  - इसके अलावा पशु अधिकार, धर्म और नैतिकता से मुद्दे भी इसमें शामिल हैं।

7.4.11. रक्त में माइक्रोप्लास्टिक्स (Microplastics in Blood)

- वैज्ञानिकों को **पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक मिला है।** उन्होंने यह चेतावनी दी है कि सभी जगह मौजूद ये कण अंगों में भी पहुंच सकते हैं।
  - अधिकांश अदृश्य प्लास्टिक के छोटे टुकड़े पहले से ही पृथ्वी पर लगभग हर जगह मौजूद हैं। ये कण गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों के साथ-साथ, हवा, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला में उपस्थित हैं।
- हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि **क्या ये माइक्रोप्लास्टिक्स रक्त प्रवाह द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्र हो सकते हैं और किसी रोग का कारण बन सकते हैं।**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (CULTURE)

8.1. भारत के संगीत वाद्ययंत्र (INDIA'S MUSICAL INSTRUMENTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तमिलनाडु के सुषिर (वायु) संगीत वाद्ययंत्र **नरसिंहपेट्टई नागास्वरम** को भौगोलिक संकेतक (GI) का दर्जा प्रदान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **नागास्वरम एक वायु वाद्य यंत्र है।** यह कर्नाटक **संगीत कार्यक्रमों, विवाह समारोहों, त्योहारों और मंदिर उत्सवों** का एक अभिन्न अंग है।
- नागास्वरम की अनूठी विशेषता इसकी निर्माण प्रक्रिया है। इसे अन्य मशीन-निर्मित वाद्य यंत्रों के विपरीत, **तंजावुर के नरसिंहपेट्टई गांव में हाथों से बनाया जाता है।**
- नागास्वरम के कारीगर लकड़ी को बुद्धिमानी से चुनते हैं, जो **आबनूस जैसी होती है।** यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह **200 वर्ष पुरानी हो और नमी को अवशोषित न करती हो।** इसके शीर्ष भाग में धातु की एक कुंडी होती है, जिसमें सरकंडे से बने मुखनाल को पकड़ने के लिए एक छोटा धातु का सिलेंडर लगाया जाता है।
- सरकंडे (reeds) स्थानीय रूप से उगाए गए पौधे की पत्तियों से बनाए जाते हैं, जिसे **'नानल' (बांस की एक किस्म) कहा जाता है।**
- भौगोलिक संकेतक से नागस्वरम कारीगरों को सम्मान प्राप्त होगा।

भौगोलिक संकेतक (GI) के बारे में

- भौगोलिक संकेतक उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है, जिनकी **एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति** होती है। इनकी **उत्पत्ति के स्थान के कारण इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण या प्रतिष्ठा होती है।** चूंकि, गुण उत्पादन के भौगोलिक स्थान पर निर्भर करते हैं, इसलिए उत्पाद और उसके उत्पादन के मूल स्थान के बीच एक स्पष्ट संबंध होता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:** बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स/TRIPS) GI के संरक्षण हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। यह समझौता विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों को अधिक संरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है।
- **भारत में कानूनी व्यवस्था:** भारत ने ट्रिप्स के तहत अपने दायित्व के अनुपालन में, **माल के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999**[67] तथा **माल के भौगोलिक संकेतक (विनियमन और संरक्षण) नियम, 2002** को अधिनियमित करके विधायी उपाय किए हैं।
    - इस अधिनियम के तहत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DIPP) के तहत कार्यरत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक, **"भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रार"** है। यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (GIR) की कार्यप्रणाली की निगरानी करता है। GIR **चेन्नई** में स्थित है और इसका **अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है।**
- **संरक्षण:** भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिलने से उत्पादक/निर्माता किसी तीसरे पक्ष को उसके उत्पाद की नकल करने से रोकता है। तीसरे पक्ष का उत्पाद GI उत्पाद के मानकों के अनुरूप नहीं होता है। हालांकि, एक भौगोलिक संकेतक का दर्जा इसके धारक यह अनुमति नहीं देता है कि वह **तीसरे पक्ष को उसी तकनीक का उपयोग करके उत्पाद बनाने से रोक सके,** जो उस संकेतक के लिए मानकों में निर्धारित है।
- **सुरक्षा की अवधि:** एक भौगोलिक संकेतक **10 वर्ष** की अवधि के लिए पंजीकृत होता है। पंजीकरण को एक समय में 10 वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है।
- **भौगोलिक संकेतक के उल्लंघन के लिए जुर्माना:** भौगोलिक संकेतक जालसाज़ी के लिए छह माह से लेकर तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है तथा 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों के बारे में

- **विकास:** संगीत-संबंधी गतिविधि के प्राचीनतम प्रमाण मध्य प्रदेश के अनेक भागों और भीमबेटका की गुफाओं में बने भित्तिचित्रों से प्राप्त हुए हैं। यहां लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव निवास करता था। इसके काफी समय बाद, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से भी नृत्य एवं संगीत गतिविधियों के प्रमाण मिले थे।
- **संगीत वाद्ययंत्रों के अध्ययन की प्रासंगिकता:** इनका अध्ययन संगीत के उद्भव की जानकारी देने में सहायक होता है। साथ ही, वाद्य जिस जनसमूह से संबंधित होते हैं, उसकी **संस्कृति के कई पहलुओं का वर्णन** करने में भी सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए:
    - गज बनाने के लिए बाल, ढोल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी या चिकनी मिट्टी या फिर वाद्यों में उपयोग की जाने वाली जानवरों की खाल यह सभी हमें उस प्रदेश विशेष की वनस्पति तथा पशु-वर्ग के विषय में बताते हैं।
    - दूसरी से छठी शताब्दी ईस्वी के संगम साहित्य में वाद्य के लिए **तमिल शब्द 'कारूवी'** का प्रयोग मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ उपकरण है, जिसे संगीत में वाद्य के अर्थ में लिया गया है।
    - हाथ का **हस्तवीणा** के रूप में उल्लेख किया गया है। इसमें हाथों व उंगलियों को वैदिक गान की स्वरलिपि पद्धति को प्रदर्शित करने तथा ध्वनि का मुद्रा-हस्तमुद्रा के साथ समन्वय करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
- **भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों का वर्गीकरण:** भरतमुनि द्वारा संकलित नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्यों को ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। (यह वर्गीकरण बाद में ग्रीक और यूरोप द्वारा अनुकूलित किया गया था):

---
[67] Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999

अवनद्ध वाद्य (मेम्ब्रानोफोन्स, तबले आदि) 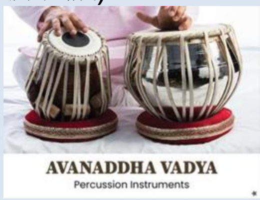	• **अवनद्ध वाद्य (ताल वाद्य) में पशु की खाल** पर आघात करके ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। इस खाल को मिट्टी, धातु के बर्तन या फिर लकड़ी के ढोल या ढांचे के ऊपर खींच कर लगाया जाता है। • **ऐतिहासिक साक्ष्य:** हमें ऐसे वाद्यों के प्राचीनतम उल्लेख वेदों में मिलते हैं, जहां भूमि दुंदुभि का उल्लेख है। • **प्रकार:** उन्हें उनके आकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ○ **अर्ध्वक:** इनमें मुख्य हैं- तबले की जोड़ी और चेंडा। वर्तमान समय के कुछ प्रमुख तबला वादक हैं- **उस्ताद अल्ला रक्खा खां, ज़ाकिर हुसैन, शफात अहमद और सामता प्रसाद।** ○ **अंकया:** वर्तमान में इस वर्ग में मृदंगम, पखावज, खोल आदि प्रमुख हैं। ○ **आलिंग्य:** इस वर्ग में डफ, डफली आदि आते हैं।\ ○ **डमरू:** इस वर्ग में हिमाचल प्रदेश के छोटे 'हुडुका' से लेकर दक्षिण भारत का विशाल वाद्य '**तिमिल**' तक आते हैं।
तत् वाद्य (कॉर्डोफोन्स या तार वाले वाद्य) 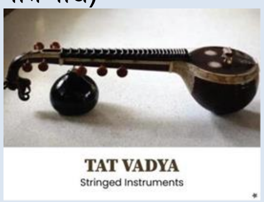	• तत् वाद्य, वाद्यों का एक ऐसा वर्ग है, जिनमें **तार अथवा तन्त्री के कम्पन से ध्वनि उत्पन्न होती है।** यह कम्पन तार पर उंगली या फिर गज चलाने से उत्पन्न होता है। (रावण हस्तवीणा प्राचीनतम वाद्ययंत्रों में से एक है) • **ऐतिहासिक साक्ष्य:** प्राचीन समय की बहुत-सी-मूर्तियों और भित्तिचित्रों से इनका उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे- **भरहुत और सांची स्तूप, अमरावती के नक्काशीदार स्तम्भ** आदि। **दूसरी शताब्दी ई. से प्राचीन तमिल ग्रंथों में याड़ का उल्लेख प्राप्त होता है।** • **उदाहरण:** संतूर, सारंगी, दिलरुबा, एसराज, कमायचा आदि। ○ कमायचा- पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजायी जाने वाली वीणा है। कमायचा वाद्य भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम एशिया और अफ्रीका से जोड़ता है • **पंडित शिव कुमार शर्मा** प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, और **उस्ताद सुल्तान खान** सारंगी के एक प्रसिद्ध वादक हैं।
घन वाद्य (इडियोफ़ोन या ठोस वाद्य) 	• **ये स्वयं-कम्पित्र होते हैं,** अर्थात् अपनी लोचदार प्रकृति के कारण उनका स्वयं का एक अनुनाद होता है। यह अनुनाद इन पर आघात किए जाने, खींचे जाने या घर्षण या वायु से उत्तेजित किए जाने पर तरंगों में उत्सर्जित होता है। • इस समूह के वाद्य **स्पष्ट स्वरमान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं,** जो एक राग बनाने के लिए आवश्यक होता है। यही कारण है कि इनका उपयोग शास्त्रीय संगीत में सीमित है। • **ऐतिहासिक साक्ष्य: ओडिशा स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर में,** झांज बजाती हुई एक महिला की लगभग 8 फुट की एक विशाल ऊँची मूर्ति है। • **उदाहरण:** घंटी, भजन चक्कालू, भुआंज आदि।
सुषिर वाद्य (एरोफोन या वायु वाद्य) 	• सुषिर वाद्यों में एक खोखली नलिका में हवा भर कर (अर्थात् फूंक मार कर) ध्वनि उत्पन्न की जाती है। हवा के मार्ग को नियंत्रित करके स्वर की ऊंचाई सुनिश्चित की जाती है। • **ऐतिहासिक साक्ष्य:** 13वीं शताब्दी में शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत संबंधी ग्रंथ **'संगीत रत्नाकर'** में हमें 18 प्रकार की बांसुरियों का उल्लेख मिलता है। सिन्धु सभ्यता के उत्खनन में मुत्तिका शिल्प (मिट्टी) की बनी पक्षी के आकार की सीटियां एवं मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो वायु और ताल वाद्यों को प्रदर्शित करती हैं। • वेदों में **'वेनू'** नामक वाद्य का उल्लेख मिलता है, जिसे राजाओं का गुणगान तथा मंत्रोच्चारण में संगत करने के लिए बजाया जाता था। वेदों में **'नांदी'** नामक बांसुरी के एक प्रकार का भी उल्लेख प्राप्त होता है। • **प्रकार:** ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर मोटे तौर पर सुषिर अथवा वायु वाद्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है- ○ **बांसुरी:** इकहरी बांसुरी अथवा दोहरी बांसुरिया केवल एक खोखली नलिका के साथ होती है। ये स्वर की ऊँचाई को नियंत्रित करने के लिए अंगुली रखने के छिद्रों सहित होती हैं। ऐसी बांसुरियां देश के बहुत से भागों में प्रचलित हैं। **पंडित हरिप्रसाद चौरसिया** प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ○ **कम्पिका या सरकंडा युक्त वाद्य** जैसे शहनाई, नादस्वरम् आदि वाद्यों में वाद्य की खोखली नलिका के भीतर एक अथवा दो कम्पिका को डाला जाता है, जो हवा के भर जाने पर कम्पित होती हैं। ▪ ऐसा माना जाता है कि **शहनाई भारत में पश्चिम एशिया से आई है।** हालांकि, कुछ अन्य विद्वान भी हैं, जो यह मानते हैं कि यह वाद्य **चीन** से आया है। • इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय **उस्ताद बिस्मिल्लाह खां** को जाता है। आज के जाने-माने शहनाई वादकों में **पंडित अनंत लाल** और **पंडित दया शंकर** का नाम प्रमुख है।

8.2. पाइका विद्रोह (Paika Rebellion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कहा है कि **पाइका विद्रोह** को **प्रथम स्वतंत्रता संग्राम** नहीं कहा जा सकता।

अन्य संबंधित तथ्य

- ओडिशा सरकार, वर्ष 2017 से केंद्र सरकार से पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में घोषित करने का आग्रह कर रही है।
  - वर्तमान में, **1857 के सिपाही विद्रोह** को ब्रिटिश शासन के खिलाफ **प्रथम स्वतंत्रता संग्राम** कहा जाता है।
- संस्कृति मंत्रालय ने सूचित किया था कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की **कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में** केस स्टडी के रूप में शामिल किया जाएगा।
- वर्ष 2018 में, भारतीय प्रधान मंत्री ने पाइका विद्रोह पर **स्मारक डाक टिकट** और **सिक्का** जारी किया था।

पाइका विद्रोह (1817-1825 ई.)

- पाइका विद्रोह एक **सशस्त्र विद्रोह** था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ **ओडिशा** में हुआ था। यह 1857 के सिपाही विद्रोह से लगभग 40 वर्ष पूर्व घटित हुआ था।
  - पाइका, **ओडिशा के गजपति शासकों के पारंपरिक भू-स्वामी लड़ाके थे,** जो राजा को सैन्य सेवाएं देते थे। पाइका समुदाय के पास **लगान-मुक्त भूमि** थी, जो उन्हें **खुर्दा** राज्य में उनकी सैन्य सेवा के लिए प्रदान की गई थी।

पाइका विद्रोह के लिए त्वरित स्मरणीय तथ्य
- **समय अवधि:** 1817-1825 ई.
- **राज्य:** ओडिशा
- **नेता:** बख्शी जगबंधु विद्याधर
- **विरुद्ध:** ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC)

- **ईस्ट इंडिया कंपनी** द्वारा 1803 ई. में खुर्दा के राजा, **राजा मुकुंद देव को सत्ता से हटाने के पश्चात्** अंग्रेजों ने स्वयं को ओडिशा में स्थापित कर लिया था।
- गजपति राजा की लड़ाकू सेना के वंशानुगत प्रमुख, **बख्शी जगबंधु विद्याधर** के नेतृत्व में पाइका, आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों का समर्थन प्राप्त कर एकजुट हुए।
  - उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया, खुर्दा की ओर अपने कूच के दौरान उन्होंने पुलिस स्टेशनों, प्रशासनिक कार्यालयों और सरकारी खजाने को आग लगा दी, जहां से अंग्रेजों को भागना पड़ा।
  - उन्हें जमींदारों, ग्राम प्रधानों और आम किसानों का समर्थन प्राप्त था।
- पाइका विद्रोह पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गया। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों और पाइका बलों के बीच कई टकराव और मुठभेड़ें हुईं। विद्रोह को **अंततः ब्रिटिश सेना द्वारा दबा दिया गया।**
  - विद्याधर को 1825 ई. में जेल में डाल दिया गया और 1829 ई. में जेल में उनकी मृत्यु हो गई।

पाइका विद्रोह के कारण

- **भू-राजस्व व्यवस्था:** अंग्रेजों के आगमन और औपनिवेशिक शासन की स्थापना के कारण नई भू-राजस्व व्यवस्थाएँ आईं, जिनके कारण पाइका अपनी संपत्ति से वंचित हो गए थे।
- **ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां:** खुर्दा के राजा को हटाने के साथ, ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियां ओडिशा के लोगों के लिए असहनीय होती गईं। अर्थव्यवस्था और राजस्व प्रणालियों में निरंतर हस्तक्षेपों ने **किसानों व काश्तकारों के शोषण एवं उत्पीड़न** को अंततः अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में बदल दिया।
- **नई मुद्रा प्रणाली:** अंग्रेजों ने नई मुद्रा प्रणाली के तहत कौड़ी के स्थान पर रुपये का प्रचलन किया। ग्रामीणों को नई मुद्रा को संभालने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसने स्थानीय महाजनों द्वारा किसानों के शोषण में वृद्धि की।
- **ब्रिटिश नमक नीति:** ओडिशा के लंबे समुद्री तट पर भारी मात्रा में नमक का उत्पादन होता था। इस नमक का उपयोग यहां के निवासी स्वतंत्र रूप से करते थे। लेकिन, ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों और तटीय क्षेत्र के स्थानीय लोगों को नमक बनाने के उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया।

पाइका विद्रोह के परिणाम

- **प्रशासनिक परिवर्तन:** ओडिशा के लोगों (ओडिया) को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया और उन्हें जिम्मेदार कार्य सौंपे गए।
- लोगों द्वारा सुगम खरीद के लिए **नमक की कीमतों में कमी की गई** और अधिक नमक उपलब्ध कराया गया।
- स्थानीय जमींदारों के **राजस्व बोझ में कमी हुई।** कई मामलों में, सरकार ने बकायेदारों की संपत्ति खरीदी और उन्हें मूल मालिकों को लौटा दिया।

    ○ **पाइकाओं को राजा की लड़ाका सेना का पेशा छोड़ने** और आजीविका कमाने के साधन के रूप में **खेती व अन्य कार्यों को अपनाने** के लिए मजबूर किया गया।
- **पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन:** जब 1817 ई. में राजा मुकुंददेव द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, तब उसके पुत्र **रामचंद्र देव तृतीय** को पुरी लौटने की अनुमति दी गई थी। रामचंद्र को वार्षिक पेंशन दी जाती थी तथा उसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन भी सौंप दिया गया था। इस व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ओडिशा के लोगों के मन व भावनाओं को विजित कर लिया था।

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

8.3.1. करेवा (KAREWAS)

- कश्मीर घाटी में विकास और निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों के कारण **'करेवा' टीलों की खुदाई** की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, इनका **विनाश** हो रहा है। करेवा **अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा के निक्षेप** हैं।
    - ○ करेवा हिमनदीय मृत्तिका (glacial clay) और **हिमोढ़ में शामिल अन्य सामग्रियों के सरोवरी निक्षेप** (झील में निक्षेप) हैं।
    - ○ ये निक्षेप **अनियोजित निर्माण कार्य, मृत्तिका के अवैध खनन** आदि के कारण नष्ट हो रहे हैं।
- **करेवा (इसे वुद्र भी कहा जाता है) का निर्माण कैसे हुआ?**
    - ○ प्लीस्टोसीन युग (26 लाख वर्ष से 11,700 वर्ष पूर्व) के दौरान **पीर पंजाल के उत्थान** के कारण **जल अपवाह एक क्षेत्र में अवरुद्ध** हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, एक **झील क्षेत्र** (लगभग 5000 वर्ग किमी) विकसित हो गया था। इससे कश्मीर घाटी में एक **बेसिन जैसी संरचना का निर्माण** हुआ।
    - ○ कुछ समय पश्चात, **इस झील का जल बारामुला गार्ज** के माध्यम से अपवाहित हो गया। इस प्रकार, **करेवा निक्षेप अवशेष के रूप में बचा रह गया।**
- **करेवा का महत्व**
    - ○ **कृषि संबंधी:** यह कश्मीरी केसर (जाफरान), बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है।
        - ▪ कश्मीर घाटी की केसर विरासत एवं खेती को **खाद्य और कृषि संगठन** (FAO) की **"वैश्विक कृषि विरासत प्रणाली"** के रूप में मान्यता दी गई है।
        - ▪ केसर को वर्ष 2020 में **भौगोलिक संकेतक** (GI) दर्जा प्रदान किया गया था।
    - ○ **पुरातात्विक महत्व:** यहां कई मानव सभ्यताओं और बस्तियों के जीवाश्म एवं अवशेष मौजूद हैं।

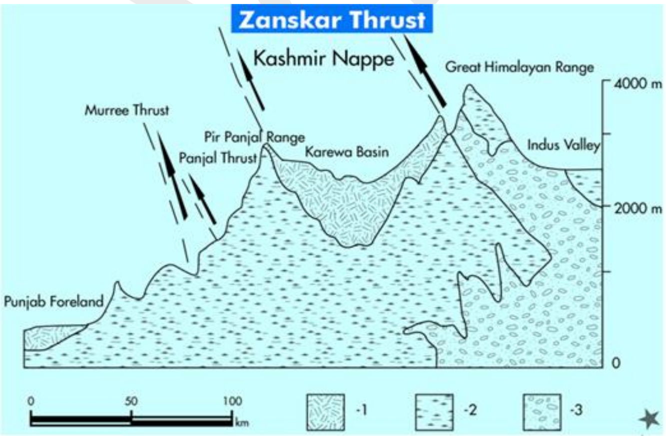

8.3.2. जी.आई. टैग वाला कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीन (GI-TAGGED KASHMIR CARPETS)

- पहली बार भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त **कश्मीरी कालीन** को जर्मनी निर्यात किया गया है।
- **हस्त निर्मित कश्मीरी कालीनों** को वर्ष 2016 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DIPP) द्वारा जी.आई. टैग प्रदान किया था। लेकिन पंजीकृत कालीनों का प्रमाणन इस वर्ष से शुरू हुआ है।
- **कश्मीरी कालीन का इतिहास** फारस के प्रसिद्ध सूफी संत और विद्वान, **हजरत मीर सैयद अली हमदानी (1341- 1385 ईस्वी) के काल का है।**
- कश्मीरी कालीन **ईरानी कालीनों से मिलती-जुलती है।** हालांकि, कश्मीरी कालीनों में बुनकर, डिजाइन पैटर्न और रंगों के लिए **कोड और प्रतीकों के एक लिखित सेट का उपयोग करते हैं, जिसे तालीम कहा जाता है।**
    - ○ **तालीम, एक कोड युक्त रंगों का चार्ट है।** यह चार्ट एक विशेष रंग में बुने जाने वाली नॉट्स (गठानों) की संख्या को इंगित करता है।

8.3.3. पाल-दाधवाव नरसंहार (PAL-DADHVAV MASSACRE)

- 7 मार्च को, **गुजरात के पाल-दाधवाव नरसंहार की घटना को हुए 100 वर्ष पूरे हो गए।**
- यह नरसंहार गुजरात क्षेत्र के **इदर रियासत** के **साबरकांठा जिले** के **पाल-चितरिया** और **दाधवाव** गाँव में एक सदी पहले हुआ था।
    - ○ इसमें **अंग्रेजों और सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए गए भू-राजस्व कर (लगान) के विरोध में आंदोलन किया गया था।**
    - ○ इस नरसंहार में मेवाड़ भील कॉर्प्स के एक ब्रिटिश अधिकारी **मेजर एच. जी. सटन** ने निर्दोष आदिवासियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था।

8.3.4. यूनेस्को "सिटी ऑफ लिटरेचर" (UNESCO'S CITY OF LITERATURE)

- हाल ही में, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA) द्वारा **कोझिकोड** को **यूनेस्को "सिटी ऑफ लिटरेचर"** के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया। यूनेस्को का सिटी ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम **"यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN)"** का हिस्सा है।
- **UCCN** का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। इसे उन शहरों के साथ और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था,

©Vision IAS

जिन्होंने रचनात्मकता (क्रिएटिविटी) को सतत शहरी विकास के लिए एक स्ट्रेटजिक फैक्टर के रूप में पहचाना है।

- **इसमें सात रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं:** शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाककला (गैस्ट्रोनॉमी), साहित्य, संगीत और मीडिया कला।

* **इस सूची में 6 भारतीय शहर शामिल हैं-** हैदराबाद (खगोल विज्ञान), मुंबई (फिल्म), वाराणसी (संगीत), चेन्नई (संगीत), जयपुर (शिल्प और लोक कला) तथा श्रीनगर (शिल्प और लोक कला)। इसमें श्रीनगर को हाल ही में शामिल किया गया था।

8.3.5. ओल चिकी (OLCHIKI)

* पहली बार, **भारतीय संविधान का संथाली लिपि "ओल चिकी" में अनुवाद** किया गया है।
    - **92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** द्वारा संथाली को बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ **आठवीं अनुसूची** में शामिल किया था।
* **ओल चिकी के बारे में**
    - 'ओल चिकी लिपि' में ओल शब्द का अर्थ है "लिखना" तथा चिकी शब्द का अर्थ है "लिपि"। इसका **आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने** वर्ष 1925 में संथाली लिखने के लिए किया था।
    - ओल चिकी लिपि वर्णानुक्रम में है तथा यह **अन्य भारतीय लिपियों में से किसी भी लिपि के शब्दांश गुणों को साझा नहीं करती है।**
    - इसमें **30 अक्षर और पांच बुनियादी विशेषक चिह्न** होते हैं {किसी विशेष उच्चारण को इंगित करने के लिए एक शब्द में एक अक्षर के ऊपर या नीचे (या कभी-कभी बगल में) लगाए गए चिह्न)।
* **संथाल समुदाय के बारे में:**
    - संथाल समुदाय के लोग **असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा** और **झारखंड** सहित कई राज्यों में निवास करते हैं।
    - इस समुदाय के लोग **संथाली भाषा** बोलते हैं। यह भाषा **ऑस्ट्रो-एशियाई भाषाओं के सब-फैमिली के 'मुंडा समूह' से संबंधित है।**
    - संथाल समुदाय के लोग **रंगीन दीवारों, फर्श** और **कलात्मक रूप से नक्काशीदार दरवाजों** वाले अपनी **आवास वास्तुकला** के लिए जाने जाते हैं।
    - इनका प्राथमिक व्यवसाय **स्थायी कृषि (Settled Agriculture)** है।

8.3.6. हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम (HORNBILL NEST ADOPTION PROGRAM: HNAP)

* हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश की **निशि (Nyishi) जनजाति** ने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम (HNAP) के एक दशक पूरा होने का उत्सव मनाया है।
    - HNAP, को वर्ष 2011 में समुदाय आधारित हॉर्नबिल संरक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिज़र्व के बाहरी वन क्षेत्र में संचालित होता है।
* हॉर्नबिल को **एक वन के बेहतर स्थिति का संकेतक** माना जाता है। हॉर्नबिल को **बीज फैलाने वाला** और **"जंगल के किसान"** के रूप में भी जाना जाता है।
* **भारत में हॉर्नबिल की नौ प्रजातियां पाई जाती हैं।** इनमें से चार पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं, ये हैं **- इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल** और **ग्रेट हॉर्नबिल।**
* इसके अलावा, **नागालैंड सरकार प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करती है।** इसका उद्देश्य अंतर-जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करना और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है।

8.3.7. बामियान बुद्ध (BAMIYAN BUDDHAS)

* तालिबान, चीन से निवेश प्राप्त करने की आशा में **बामियान बुद्ध** प्रतिमाओं का संरक्षण कर रहा हैं।
* **बामियान बुद्ध के बारे में:**
    - ये प्रतिमाएं/मूर्तियां अफगानिस्तान की मध्य उच्च भूमि में **हिंदू कुश** में स्थित है।
    - बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं **5वीं शताब्दी ईस्वी की हैं।** यहाँ बलुआ पत्थर की एक प्राचीन प्रतिमा को कभी विश्व भर में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता था।
    - इन प्रतिमाओं को स्थानीय रूप से **'सलसल'** और **'शामामा'** के नाम से जाना जाता था।
    - ये **गुप्त, ससानी** और **यूनानी** कलात्मक शैलियों के संगम का महान उदाहरण थीं।
    - **वर्ष 2001 में तालिबान ने दोनों प्रतिमाओं को नष्ट करना शुरू किया था।**
    - इसके बाद, **यूनेस्को ने वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में** इन अवशेषों को शामिल किया।

8.3.8. पद्म पुरस्कार 2022 (PADMA AWARDS 2022)

* पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गयी थी। ये पुरस्कार **भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं।** इनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है।

- पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं:
    - **पद्म विभूषण** (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए)।
    - **पद्म भूषण** (उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए)।
    - **पद्म श्री** (विशिष्ट सेवा के लिए)।
- यह पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों में होने वाले **क्रियाकलापों या विषयों की उपलब्धियों को पहचानने का प्रयास करता है, जहां लोक सेवा का एक तत्व शामिल होता है।**
- पुरस्कार विजेताओं को **पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर** सम्मानित किया जाता है। इस समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
- **इस पुरस्कार के लिए स्व-नामांकन भी किया जा सकता है।**
- हालांकि, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कामगार सहित **सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।**
- **एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या** (मरणोपरांत पुरस्कारों और NRI / विदेशियों / OCI को छोड़कर) **120 से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
- पुरस्कार विजेताओं को **राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद** (प्रमाण-पत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार में **कोई नकद राशि प्रदान नहीं की जाती** है।

8.3.9. खेलो इंडिया स्कीम के तहत ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों को बढ़ावा {PROMOTION OF RURAL AND INDIGENOUS/TRIBAL GAMES UNDER KHELO INDIA SCHEME (KIS)}

- **खेलो इंडिया योजना** में "ग्रामीण और स्वदेशी / आदिवासी खेलों को बढ़ावा" देने वाले घटक को शामिल किया गया है। यह घटक विशेष रूप से देश में **ग्रामीण और स्वदेशी / आदिवासी खेलों के विकास और प्रचार के लिए समर्पित** है।
- खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेलों में बेहतर प्रदर्शन हासिल करना है। इससे देश की आबादी को खेल से संबंधित अन्य लाभों के माध्यम से पॉवर ऑफ़ स्पोर्ट्स के सकारात्मक उपयोग में मदद मिलेगी।
    - यह **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** के तहत केंद्रीय क्षेत्रक की एक फ्लैगशिप योजना है।
- इसके तहत निम्नलिखित प्रमुख **स्वदेशी / पारंपरिक खेलों की पहचान** की गई है:

मलखंब, मध्य प्रदेश	• यह योग, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। • मलखंब के कई प्रकार हैं। इनमें शामिल हैं- लम्बवत लकड़ी के पोल पर मलखंब, रस्सी पर मलखंब, हैंगिंग मलखंब, निराधार (बिना किसी सहारे के) मलखंब, बेंत पर मलखंब, तैरते प्लेटफॉर्म पर मलखंब, हथियारों के साथ मलखंब आदि।	
कलारीपयट्टू, केरल	• यह **मार्शल आर्ट** का एक रूप है। • इसमें **अलग-अलग तकनीकें** शामिल हैं। इसमें मेइपयट्टू (शरीर का व्यायाम), वादिपयट्टू (लाठी से लड़ना), वालपयट्टू (तलवार से लड़ना) आदि शामिल हैं।	
गतका, पंजाब	• यह एक प्रकार का पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जो ऐतिहासिक रूप से **सिख गुरुओं से जुड़ा** हुआ है। • इसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच **लकड़ी की बेंत से** लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें **तलवारों के रूप में लकड़ी की बेंत** (जिसे **सोटी** कहा जाता है) का उपयोग किया है।	
थांग टा, मणिपुर	• इस पारंपरिक मार्शल आर्ट को **ह्यूएन लालोंग** (खुद को बचाने का तरीका) भी कहा जाता है।	
योगासन	• योग की भाषा में यह **बैठने की एक मुद्रा** है। इसका उपयोग आमतौर पर ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। इसमें पालथी मार कर बैठा जाता है। • योगासन के कुछ **उदाहरण** हैं: **पद्मासन** (कमल मुद्रा), **सिद्धासन** (पूर्ण या सिद्ध मुद्रा), **वज्रासन** (वज्र मुद्रा) आदि।	
सिलंबम, तमिलनाडु	• यह शस्त्र आधारित **भारतीय मार्शल आर्ट** है। इसका अभ्यास पारंपरिक रूप से **श्रीलंका और मलेशिया** के तमिल समुदाय द्वारा भी किया जाता है।	

8.3.10. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Films Development Corporation- NFDC)

- हाल ही में, **केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय** ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) में **चार फिल्म निकायों के विलय** की घोषणा की है।
  - इन चार फिल्म निकायों में **फिल्म प्रभाग** (Films Division - FD), **फिल्म समारोह निदेशालय** (Directorate of Films Festivals - DFF), **भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार** (National Film Archives of India - NFAI) और **चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी** (Children's Film Society - CFS) शामिल हैं।
- फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की **शुरुआत वर्ष 2016-17 में आरंभ** हुई थी। इन मीडिया इकाइयों का विलय केंद्र सरकार के तहत **स्वायत्त निकायों के एक बड़े युक्तिकरण अभ्यास का हिस्सा है**, जिसे सभी मंत्रालयों में चलाया जा रहा है।
- इस विलय के उपरांत इनके पास उपलब्ध **परिसंपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास रहेगा।**
- इसके तहत वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण के उनके अधिकारों को NFDC को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- फिल्मों और वृत्तचित्रों के डिजिटलीकरण एवं उनके नवीनीकरण के उद्देश्य से **राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन** को अब **NFDC द्वारा कार्यान्वित** किया जाएगा।
- **विलय का महत्व:**
  - इसका उद्देश्य सभी क्रियाकलापों को एक ही प्रबंधन के तहत लाकर विभिन्न क्रियाकलापों के **अतिव्यापन को कम करना** तथा **सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।**
  - यह भारतीय सिनेमा की सभी शैलियों-फीचर फिल्मों में **संतुलित और केंद्रित विकास को सुनिश्चित करेगा,** जिसमें ओ.टी.टी प्लेटफार्मों के लिए फिल्में/ सामग्री, बच्चों से संबंधित सामग्री, एनीमेशन, लघु फिल्में और वृत्तचित्र शामिल हैं।
  - यह अस्पष्ट अवसंरचना और श्रमबल का **बेहतर एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित** करेगा।
  - साथ ही, यह फिल्म निकायों और एक केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय पहुँच के बीच **अधिक तालमेल व बेहतर समन्वय** लाने का प्रयास करेगा।
- **NFDC के बारे में:**
  - यह **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।** इसे वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। NFDC का प्राथमिक उद्देश्य **भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, कुशल और एकीकृत विकास** की योजना तैयार करना
  - **फीचर फिल्मों के निर्माण** का कार्य **NFDC द्वारा** संपन्न किया जाता है।

फिल्म निकायों की भूमिका

- **फिल्म प्रभाग** (FD) की स्थापना वर्ष 1948 में **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** के अधीन की गयी थी। इसे मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के रूप में **वृत्तचित्रों और समाचार पत्रिकाओं का निर्माण करने** तथा **भारतीय इतिहास के एक सिनेमाई रिकॉर्ड को संरक्षित करने** के लिए गठित किया गया था।
- **चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी** (CFS) वर्ष 1955 में स्थापित एक **स्वायत्त संगठन** है। इसका विशेष उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से **बच्चों और युवाओं को मूल्य-आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।**
- **भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार** (NFAI) की स्थापना वर्ष 1964 में **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** के तहत की गई थी। NFAI का मुख्य उद्देश्य **भारतीय सिनेमाई विरासत का संग्रह करना एवं उसे संरक्षित करना है।**
- **फिल्म समारोह निदेशालय** (DFF) की स्थापना वर्ष 1973 में **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य **भारतीय फिल्मों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना है।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

9.1. भगवद गीता और प्रशासनिक नैतिकता के लिए सीख (Bhagavad Gita And The Learnings For Administrative Ethics)

परिचय

हाल ही में, गुजरात सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में (कक्षा 6 से 12 तक) भगवत गीता को शामिल किया जाएगा।

भगवद गीता द्वारा प्रदत्त ज्ञान को महज धार्मिक गुणार्थ/विचार से कहीं अधिक माना जाता है। इसमें जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों से लेकर जटिल नैतिक समस्याओं के समाधान तक तथा इसके इतर सभी गूढ़ विषयों पर चर्चा की गई है।

इस धर्मग्रंथ द्वारा प्रसारित नैतिक आचरण के सिद्धांत एवं विचार न केवल स्कूली शिक्षा के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक नैतिकता, चिकित्सीय नैतिकता आदि के लिए भी उपयोगी हैं। इसकी प्रयोज्यता के दायरे के अधीन प्रशासनिक नैतिकता भी शामिल है जो व्यवस्था और प्रशासकों को समान रूप से मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।

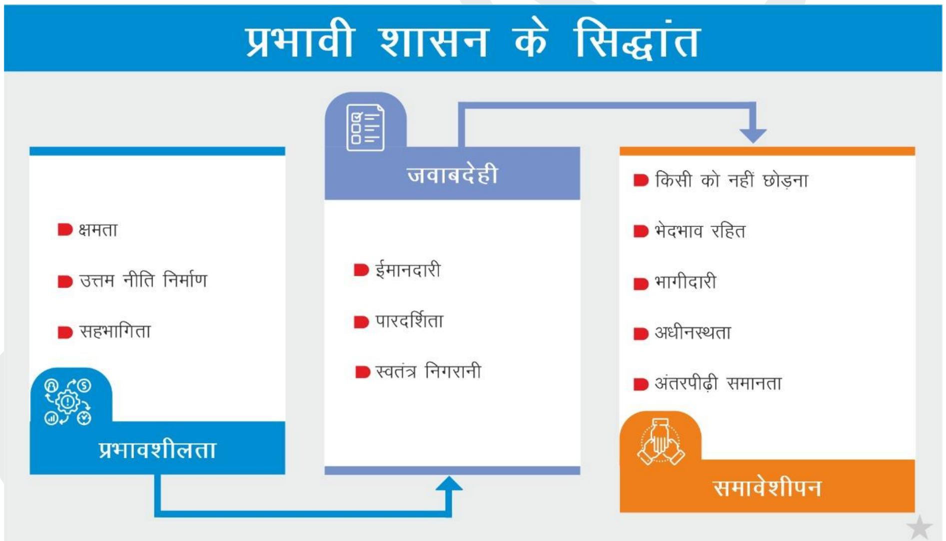

प्रशासनिक नैतिकता में निहित सिद्धांत और मुद्दे क्या हैं?

लोक प्रशासन को सरकार के कामकाज की आधारशिला के रूप में रेखांकित किया जाता है। यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने तथा प्रभावी शासन को सुनिश्चित करने में आवश्यक और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

- लोक प्रशासन संस्थानों द्वारा प्रभावी शासन सुनिश्चित करने हेतु, इफेक्टिव गवर्नेंस यानी प्रभावी शासन के **11 सिद्धांतों के अंगीकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।**
- हालांकि, भारत में अभी भी **सिविल सेवकों के लिए कोड ऑफ़ एथिक्स (आचार संहिता)** को पूरी तरह से अपनाया जाना शेष है।
- भारतीय प्रशासन कई अन्य मुद्दों से भी ग्रस्त रहा है, जैसे कि:
    - **भ्रष्टाचार,** अर्थात् प्राधिकार का दुरुपयोग और सार्वजनिक धन की बर्बादी। उदाहरण के लिए, भाई-भतीजावाद और रिश्वतखोरी के कारण भारत अभी भी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85वें स्थान पर है।
    - राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण **निर्णय लेने में निष्पक्षता का अभाव** देखा जाता रहा है।
        - फ्रांसीसी समाजशास्त्री मिशेल क्रोज़ियर के अनुसार, यह **नौकरशाही की नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता** है। इससे निष्क्रियता, प्रक्रियाओं की जटिलता, नीरसता आदि को बढ़ावा मिलता है।
    - **अप्रभावी नेतृत्व** या ख़राब निगरानी के चलते उच्च अधिकारी अपने सभी अधीनस्थों से संवैधानिक मूल्यों या न्यूनतम आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।
    - **सुगम्यता और जवाबदेही की कमी** भी इन मुद्दों में शामिल हैं, जैसे कि प्राधिकार को लोक सेवा की जगह शासक के दर्जे के रूप में देखा जाता है।
    - सूचना के अधिकार जैसे कानूनों के बावजूद **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव** बना हुआ है।

भगवद गीता की शिक्षाएं, प्रशासनिक नैतिकता की प्रणाली को आगे बढ़ाने में कैसे सहायता कर सकती हैं?

भगवद गीता की शिक्षाएं नैतिक व्यवहार या आचरण के संबंध में लोक सेवकों का मार्गदर्शन कर **प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी शासन** की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। इससे निर्णयन संबंधी मुद्दों से निपटने और नीतिगत कार्यस्थल का निर्माण करने में मदद मिलेगी:

- **कार्यप्रणाली या व्यवहार में सत्यनिष्ठा:** भगवद गीता में सकाम कर्म की जगह निष्काम कर्म को बढ़ावा दिया गया है जो इस ग्रंथ का मूल दर्शन है। **निष्काम कर्म** या **निस्वार्थ कर्म** व्यक्तिगत उत्थान को ध्यान में रखते हुए मोह, अहंकार या निष्क्रियता को दूर कर सत्यनिष्ठा और पवित्रता की ओर ले जाता है। जैसा कि **अध्याय 2 के श्लोक 47** में कहा गया है:
  - आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के परिणामों के अधिकारी नहीं हैं। कभी भी आप स्वयं को अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत मानो और न ही अपने कर्तव्य को न करने में कभी आसक्त हों।

कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन |
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते
सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ||

- **निर्णय लेने में निष्पक्षता:** भगवद गीता की शिक्षाएं **लोक संग्रह** को बढ़ावा देती हैं, यानी **सभी को एकसाथ/संगठित बनाए रखने पर जोर** देती हैं। इसकी शिक्षाएं मन की दृढ़ता और **प्रेय पर श्रेय,** अर्थात् आनंद या प्रसन्नता पर अच्छाई या निष्पक्षता को वरीयता देकर **सार्वभौमिक कल्याण (समावेशी और संधारणीय विकास**) की ओर प्रेरित करती हैं। जैसा कि **अध्याय 16 के श्लोक 22** में कहा गया है**:**
  - जो पुरुष अंधकार की ओर जाने वाले तीन द्वारों से मुक्त होकर कल्याण के लिए प्रयास करता है, वह परमगति को प्राप्त करता है।

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय
तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो
याति परां गतिम्॥

- **नेतृत्व विकास:** भगवद गीता **स्वधर्म** अर्थात् **अपने कर्तव्य या धर्म** के पालन पर बल देती है। जब नेतृत्व सदाचारी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो अधीनस्थ भी नेतृत्व को मान्यता देते हैं और उसका सम्मान करते हैं और उसके पथ निर्देशन का अनुसरण करते हैं।
- **अभिप्रेरणा:** अध्ययनों में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि कार्य से संबंधित तनाव के लिए उत्तरदायी कारण मुख्यतः मन से संबंधित रहे हैं जैसे प्रदर्शन, संबंधों, मीडिया का दबाव आदि। भगवद गीता मन पर केंद्रित है और **सभी में सत्व** और **देवत्व** को बढ़ावा देने के लिए **अवचेतन और चेतन कार्यों** के मध्य अंतर को रेखांकित करती है - ईर्ष्या दूर करने में मदद करती है और काम के लिए प्रेरणा पैदा करती है।
  - महर्षि पतंजलि ने सदाचार आधारित कार्यों के लिए **संस्कार** पर अत्यधिक बल देने हेतु **उचित ज्ञान (सत्व** के हिस्से के रूप में) **के सृजन** के साथ मानव **वृत्ति** (मन के उतार-चढ़ाव) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

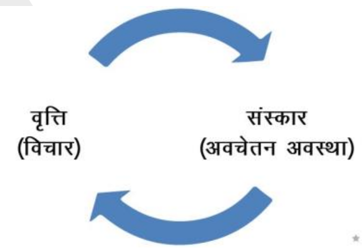

भगवद गीता की शिक्षाएं इन गुणों को बनाए रखने में कैसे मदद कर सकती हैं?

पॉल एच. ऐपलबी ने अच्छे प्रशासक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर प्रकाश डाला है, जैसे कि - **बेहतर श्रोता**, **कार्य के प्रति प्रबल झुकाव**, **जिम्मेदारी उठाने की तत्परता** आदि। भगवद गीता इन गुणों का विकास करने में प्रशासकों की मदद कर सकती है-

- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** भगवद गीता **स्थितप्रज्ञ** होने अर्थात् समभाव या दृढ़ संकल्प के साथ धीरता प्राप्त करने पर जोर देती है। यह प्रशासकों की अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और लक्ष्यों/उद्देश्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ बनने में मदद कर सकती है।
- **नैतिक दुविधाओं का समाधान: निष्काम कर्म** व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणामों से विरक्त बने रहने में मदद करता है। यह प्रशासकों की नैतिक अनिवार्यताओं के बीच**,** विशेष रूप से **स्व-हित** और **सार्वजनिक हित** के मध्य विद्यमान संघर्ष के कारण होने वाली दुविधाओं का समाधान करने में मदद कर सकता है।
- **करुणा: सत्व** और **मन की शुद्धि** साथी सजीवों के प्रति करुणा उत्पन्न करने में मदद करती है। यह **लोगों की समस्याओं** का समाधान करने की दिशा में आधिकारिक शक्ति का उपयोग करने के लिए **मन की स्पष्टता** तथा **प्रेरणा** के माध्यम से पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करने में प्रशासकों की मदद कर सकती है।

> "आप देखेंगे कि, आध्यात्मिकता के पीछे कोई धार्मिक निहितार्थ नहीं है। आध्यात्मिकता का सार व्यक्ति के मन और विचारों को शुद्ध बनाना है।
>
> जब मैंने "भगवद गीता" जैसे अपने प्राचीन ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि यह दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए मैंने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया।
>
> मैं इसको एक प्रशासनिक सिद्धान्त मानता हूँ, जो आपको संगठन संचालन जैसे कार्यों में मदद कर सकता है।
>
> - **ई. श्रीधरन** (मेट्रो मैन ऑफ़ इंडिया)

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (SCHEMES IN NEWS)

10.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA (GRAMIN)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मकानों की स्वीकृति देने और निर्माण कार्य पूरा करने तथा मार्च 2024 तक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गति तीव्र करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस **2.95 करोड़ पक्के मकान** के निर्माण के लिए **पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता** प्रदान करना है। ○ इससे पहले, इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक **कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना था।** • पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, **PMAY-G अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से परिवारों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करती है।**	• यह भारत सरकार द्वारा वर्ष **2016** में शुरू किया गया एक **प्रमुख मिशन** है। इसे **ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित** किया जा रहा है। • योजना से संबंधित मकानों की निर्माण लागत को **केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।** इसमें प्रत्येक इकाई को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ○ केंद्र हिमालयी क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए निर्माण लागत का 90% वहन करता है, जबकि शेष 10% के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। ○ यदि **इसे पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया है, तो यह राशि 1.3 लाख रुपये है।** • इसमें **सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC)[68] 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव मानकों** के आधार पर तथा अंतिम आवास+ (Awaas+) सूची से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इसके बाद यह बाद ग्राम सभा और अपीलीय प्रक्रिया द्वारा उचित सत्यापन के अधीन होता है। • **आवास सॉफ्ट और आवास ऐप** का उपयोग करके एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से इस मिशन की **निगरानी और कार्यान्वयन** किया जाना है। ○ **आवास ऐप:** इसमें रियल टाइम निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है। यह मुद्रित तिथि और समय के माध्यम से मकान निर्माण की साक्ष्य-आधारित प्रगति और घर की भू-संदर्भित तस्वीरें दर्शाता है। ○ लाभार्थियों को सभी भुगतान आवास सॉफ्ट एम.आई.एस. में पंजीकृत लाभार्थी के बैंक/डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किए जाने हैं। ▪ **आवास सॉफ्ट,** योजना के कार्यान्वयन पहलुओं से संबंधित कई आंकड़ों की डेटा प्रविष्टि के लिए कार्यात्मकता और निगरानी प्रदान करता है। • कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी सामुदायिक भागीदारी (सामाजिक अंकेक्षण), संसद सदस्यों (दिशा समिति), केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं आदि के माध्यम से भी की जाती है। • **न्यूनतम इकाई (मकान) का आकार 25 वर्ग मीटर (या) 269 वर्ग फुट है।** ○ **किसी भी ठेकेदार** को मकान निर्माण में **नहीं** लगाया जाना चाहिए। • इच्छुक लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से **70,000 रुपये तक** की राशि का **ऋण प्राप्त कर सकते हैं।** • हाल ही में, आवास सॉफ्ट में शामिल किए गए कुछ मॉड्यूल हैं: ○ **भूमिहीन मॉड्यूल:** इस योजना में स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL)[69] में भूमिहीन परिवारों का भी ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार को भूमिहीन परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। ▪ इसके अतिरिक्त इस मॉड्यूल के अंतर्गत, **PMAY-G** की स्थायी प्रतीक्षा सूची में भूमिहीन लाभार्थियों का मानचित्रण किया जाएगा। साथ ही, भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि खरीद के लिए भूमि या वित्तीय सहायता प्राप्त करने की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा। ○ **ई-टिकटिंग प्रणाली**- राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संदर्भित **PMAY-G** के तहत तकनीकी और गैर-तकनीकी मुद्दों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए मॉड्यूल पेश किया गया है। ○ **आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)[70]** सुरक्षित और प्रामाणिक लेन-देन के लिए संबंधित लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े उसके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)[71] की सुविधा प्रदान करती है।

[68] Socio Economic and Caste Census
[69] Permanent Waitlist
[70] Aadhaar Based Payment System
[71] Direct Benefit Transfer

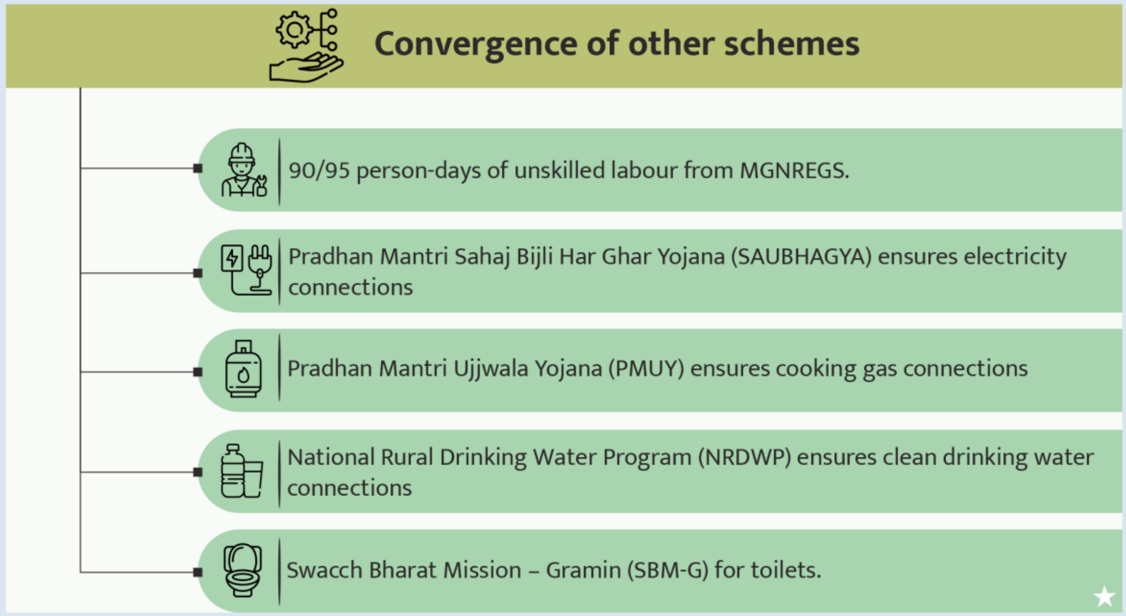

10.2 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PRADHAN MANTRI GARIB KALYAN ANNA YOJANA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने सितंबर 2022 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है। ऐसा “समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति चिंता और संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए” किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• यह योजना **आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है**। इसमें प्रवासियों और गरीबों को **निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति** की जाती है।
• यह योजना **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंदों की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने हेतु परिकल्पित की गई है।** इसे प्राथमिकता वाले सभी घरों (राशन कार्डधारकों) और अंत्योदय अन्न योजना तक पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
  ○ PM-GKAY का विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड से उबरने की इस अवधि के दौरान **किसी भी गरीब परिवार को भूखे पेट न सोना पड़े।**
	• **PM-GKAY को अप्रैल 2020 से विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।** इस योजना को अगले छह महीने यानी सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ा दिया गया है।
	• इस योजना के तहत 81.35 करोड़ से अधिक व्यक्ति, यानी भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर किया जाएगा।
	• यह कार्यक्रम **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** द्वारा संचालित किया जा रहा है।
	• **लाभ:**
	  ○ विस्तारित PM-GKAY के तहत प्रत्येक लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अतिरिक्त **प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त राशन मुफ्त मिलेगा।**
	    ▪ वर्ष 2020 में इस योजना की घोषणा के समय सरकार ने प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो चावल या गेहूं के साथ दाल और तेल शामिल किया था। हालांकि, बाद में इसे प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम चावल या गेहूं तक सीमित कर दिया गया।
	  ○ **देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (NORC)**[72] **योजना** के अंतर्गत किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठाया जा सकता है।
	• **पात्रता:**
	  ○ **गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, अंत्योदय अन्न योजना (AAY)**[73] **और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)**[74] श्रेणियों के परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।

[72] One Nation One Ration Card
[73] Antyodaya Anna Yojana
[74] Priority Households

	○ **PHH की पहचान राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार की जानी है।** AAY परिवारों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जानी है। ○ **विधवाओं या मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों** या विकलांग व्यक्तियों या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवार जिनके पास निर्वाह या सामाजिक समर्थन का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है। ○ **विधवाएं या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या अक्षम व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिलाएं या एकल पुरुष,** जिनके पास पारिवारिक या सामाजिक समर्थन या निर्वाह के सुनिश्चित साधन नहीं हैं। ○ **सभी आदिम जनजातीय परिवार इसके लिए पात्र होंगे।** ○ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/ शिल्पकार** और अन्य समान श्रेणियां इसके लिए पात्र होंगी। ○ **एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्तियों के गरीबी रेखा से नीचे** के सभी परिवार पात्र होंगे।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल: भारत

लद्दाख
- BRO ने जोजिला दर्रे को रिकॉर्ड 73 दिनों में खोल दिया है।

राजस्थान
- केवलादेव से हिरणों के स्थानांतरण के लिए अफ्रीका की बोमा तकनीक (Boma technique) को अपनाया गया है।
- सरिस्का टाइगर रिज़र्व में वनाग्नि की घटना।

गुजरात
- गुजरात में आदिवासी समुदाय तापी, पार और नर्मदा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

केरल
- हाल ही में, कोझिकोड को यूनेस्को "सिटी ऑफ लिटरेचर" के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया।

उत्तर प्रदेश
- मुरादाबाद ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है।

मेघालय
- असम और मेघालय ने आपसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया।

असम
- असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और गैंडों की आबादी में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।
- असम और मेघालय ने आपसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया।

मिजोरम
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने "कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट" की प्रगति की समीक्षा की।

ओडिशा
- ओलिव रिडले कछुए 'मास नेस्टिंग' के लिए ओडिशा तट पर पहुँचने लगे हैं।

तमिलनाडु
- तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक द्वारा मेकेदातु बांध निर्माण के कदम के विरुद्ध एक 'संकल्प' पारित किया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल: विश्व

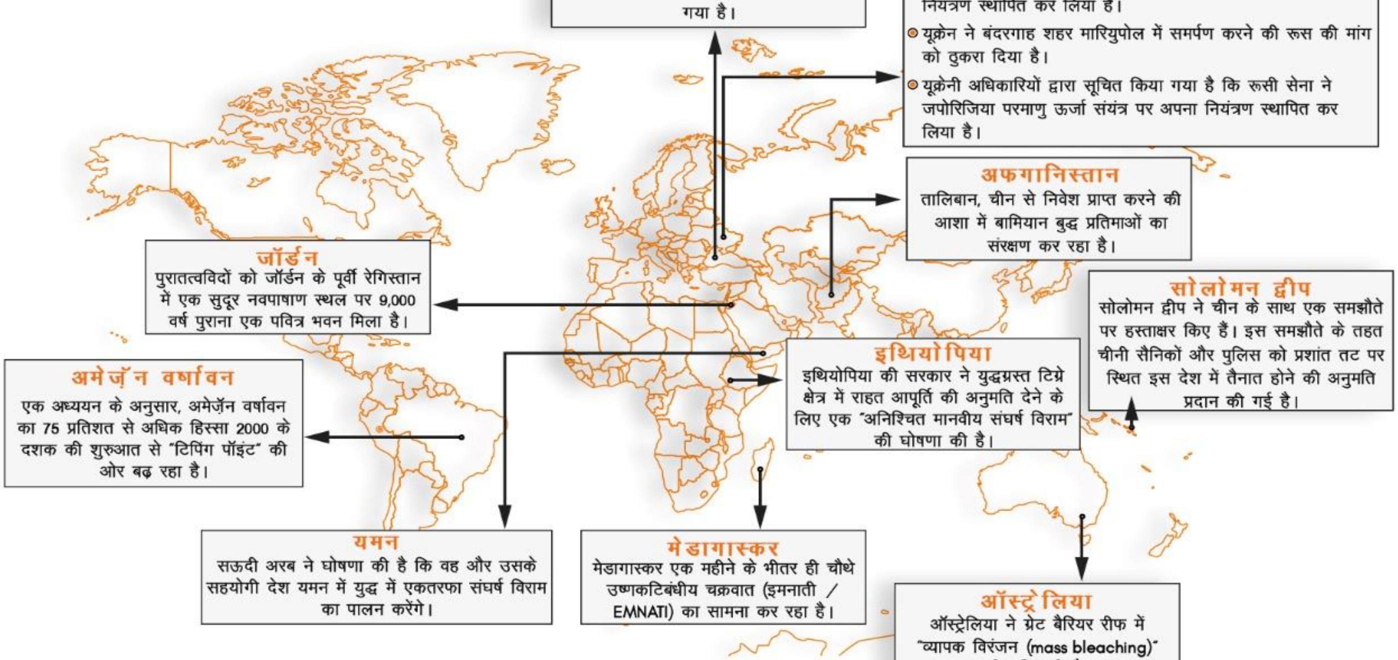

काला सागर
रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से होकर गुजरने वाला पोत परिवहन मार्ग बंद हो गया है।

यूक्रेन
- रूसी सेना ने नीपर नदी के किनारे स्थित खेरसॉन शहर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है।
- यूक्रेन ने बंदरगाह शहर मारियुपोल में समर्पण करने की रूस की मांग को ठुकरा दिया है।
- यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि रूसी सेना ने जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है।

अफगानिस्तान
तालिबान, चीन से निवेश प्राप्त करने की आशा में बामियान बुद्ध प्रतिमाओं का संरक्षण कर रहा है।

जॉर्डन
पुरातत्वविदों को जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नवपाषाण स्थल पर 9,000 वर्ष पुराना एक पवित्र भवन मिला है।

सोलोमन द्वीप
सोलोमन द्वीप ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत चीनी सैनिकों और पुलिस को प्रशांत तट पर स्थित इस देश में तैनात होने की अनुमति प्रदान की गई है।

इथियोपिया
इथियोपिया की सरकार ने युद्धग्रस्त टिग्रे क्षेत्र में राहत आपूर्ति की अनुमति देने के लिए एक "अनिश्चित मानवीय संघर्ष विराम" की घोषणा की है।

अमेज़ॅन वर्षावन
एक अध्ययन के अनुसार, अमेज़ॅन वर्षावन का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 2000 के दशक की शुरुआत से "टिपिंग पॉइंट" की ओर बढ़ रहा है।

यमन
सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह और उसके सहयोगी देश यमन में युद्ध में एकतरफा संघर्ष विराम का पालन करेंगे।

मेडागास्कर
मेडागास्कर एक महीने के भीतर ही चौथे उष्णकटिबंधीय चक्रवात (इमनाती / EMNATI) का सामना कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ में "व्यापक विरंजन (mass bleaching)" की पुष्टि की है।

सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 समर्थ रामदास	• समर्थ रामदास का जन्म सन 1608 ई. में महाराष्ट्र में हुआ था। वह **शिवाजी के साथ निकटता से जुड़े हुए थे। वे संत तुकाराम के समकालीन** थे। • वह **अद्वैतवाद के समर्थक और भक्त** थे। उन्होंने पूरे भारत में हिंदू धर्म के प्रचार–प्रसार की दिशा में कार्य किया। • उन्होंने **श्री राम जय राम जय जय राम** का मंत्र दिया। • उनकी साहित्यिक रचनाओं में **दासबोध, मनाचे श्लोक** (मन को संबोधित पद), **करुणाष्टक** (ईश्वर को समर्पित भजन) शामिल हैं। • **प्रदर्शित जीवन–मूल्यः आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति समर्पण, आदि।**	• **ईश्वर की भक्ति और अध्यात्मः** ▸ वे भगवान राम के भक्त थे। अपने पूरे जीवनकाल में उन्होंने सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया। ▸ उन्होंने साहित्य के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए।
 हरिचंद ठाकुर	• हरिचंद ठाकुर का जन्म **वर्ष 1812 में बांग्लादेश के ओराकांडी** में ठाकुर समुदाय (अनुसूचित जाति समुदाय) के एक किसान परिवार में हुआ था। • हरिचंद ठाकुर का परिवार वैष्णव हिंदू था। उन्होंने **वैष्णव हिंदू धर्म के एक संप्रदाय 'मतुआ' की स्थापना की थी।** ▫ **इसे 'नमोशूद्र' समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनाया गया, जिन्हें तब चांडाल के सामान्य अपमानजनक नाम से भी जाना जाता था और अछूत माना जाता था।** ▫ **इस संप्रदाय ने जातिगत उत्पीड़न का विरोध किया।** • **आदर्श और मूल्यः** समाज सुधारक, देखभाल और दयालुता। • हरिचंद ठाकुर ने आजादी के पूर्व के दौर में **अविभाजित बंगाल में दबे–कुचले, दलित और वंचित लोगों के कल्याण** के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।	• **देखभाल और दयाः** ▸ वे बचपन से ही भजन गाया करते थे। वे दलितों की दुर्दशा से द्रवित हो जाते थे। बाद में उन्होंने 'अछूत' लोगों के बीच रहकर बहुत काम किया और उनका सिद्धांत सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना था। ▸ संगीत और परोपकारी गतिविधियों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें उनके सभी मित्रों का अपार स्नेह मिलता था।
 सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले	• सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले **को भारत के सामाजिक एवं शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण दंपति के रूप में जाना जाता है।** • **योगदानः** ▫ उन्होंने पूना में **लड़कियों, शूद्रों और अति–शूद्रों** के लिए वर्ष 1848 में एक **स्कूल शुरू किया था।** ▫ उन्होंने वर्ष 1853 में गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु **एक शिशु देखभाल केंद्र खोला था।** इसका एक और उद्देश्य सामाजिक मानदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करना था। ✓ उन्होंने पुणे में अपने ही घर में **'बालहत्या प्रतिबंधक गृह'** की स्थापना की थी। ▫ **वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज** की स्थापना की थी। सत्यशोधक **समाज ने सामाजिक परिवर्तनों का समर्थन** किया था। इस समाज ने अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह आदि का समर्थन किया था। • **मूल्यः** उन्होंने **महिला शिक्षा और सशक्तीकरण** की दिशा में कार्य किया था। साथ ही, **जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने** का प्रयास भी किया था।	• **तर्कवाद और सामाजिक न्यायः** ▸ फुले ने अपने लेखन (जैसे– **गुलामगिरी**) के माध्यम से भारतीय अतीत की पुनर्व्याख्या की और भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक समझ प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से भारत की जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति को रेखांकित किया। ▸ वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने लड़कियों एवं दलित वर्गों के बच्चों के लिए कई स्कूल शुरू किए।
 श्यामजी कृष्ण वर्मा (4 अक्टूबर 1857– 31 मार्च 1930)	• श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में **इंडियन होम रूल सोसाइटी,** इंडिया हाउस (1905) और **द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट** की स्थापना की थी। ▫ इंडिया हाउस, ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय था। यह उग्र राष्ट्रवादियों के लिए एक बैठक केंद्र या मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। ▫ उनकी मासिक पत्रिका, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट **राष्ट्रवादी विचारों की प्रसारक बन गई।** ▫ इंडियन होमरूल सोसाइटी के माध्यम से, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। • **आदर्श और मूल्यः** कट्टर राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और नेतृत्वकर्ता। • उन्हें समर्पित **'क्रांति तीर्थ'** नामक एक स्मारक का निर्माण और उद्घाटन वर्ष 2010 में मांडवी के निकट किया गया था।	• **देशभक्ति और निस्वार्थताः** ▸ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित होकर, उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्र राष्ट्र के लिए काम करने के लिए समर्पित करने का निर्णय किया।
 राहुल सांकृत्यायन (9 अप्रैल 1893 – 14 अप्रैल 1963)	• बिहार सरकार **नालंदा और विक्रमशिला में मौजूद सैकड़ों मूल बौद्ध पांडुलिपियों का अनुवाद और प्रकाशन करने की प्रक्रिया** में है। जब बख्तियार खिलजी की सेना ने 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालयों को जलाने का प्रयास किया था तब इन पांडुलिपियों को वहां से हटा दिया गया था। बाद में **राहुल सांकृत्यायन द्वारा इन्हें तिब्बत से भारत वापस लाया गया।** • **योगदानः** ▫ **राहुल सांकृत्यायन, एक यात्री और साहित्यकार थे।** उन्हें **महापंडित** (महान विद्वान) कहा जाता था, क्योंकि वह लगभग 30 भाषाओं को जानते थे। हालांकि, उनकी अधिकांश रचनाएं हिंदी में हैं। ▫ उन्होंने **"मध्य एशिया का इतिहास", "वोल्गा से गंगा"** तथा संस्कृत में तिब्बती भाषा के एक व्याकरण और वर्णों की रचना की। ▫ उन्होंने **धर्मकीर्ति, असंग और सुबंधु** जैसे बौद्ध तर्कशास्त्रियों की **दार्शनिक रचनाओं के संरक्षण** और **पुनर्निर्माण में अग्रणी योगदान दिया।** ▫ उनकी यात्राओं ने उन्हें यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें **"हिंदी यात्रा साहित्य का जनक"** माना जाता है। • **मूल्यः** मानवतावादी, औपनिवेशिक विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ता, आदि। • उन्हें **साहित्य अकादमी (वर्ष 1958)** और **पद्म भूषण** से सम्मानित किया गया था।	• **विद्वता और जिज्ञासाः** ▸ वह एक प्रतिष्ठित **बुद्धिजीवी और बहुभाषी** थे। वे विभिन्न परिवेशों, लोगों, संस्कृतियों और परंपराओं को चित्रित करने वाले स्मरण आधारित उल्लेखनीय लेखन के लिए जाने जाते थे। ▸ उन्होंने **यात्रा वृत्तांत** को **'साहित्य का रूप'** देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के सबसे व्यापक रूप से यात्रा करने वाले विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन के पैंतालीस वर्ष अपने घर से दूर यात्राओं पर बिताए।
 मोरारजी रणछोड़जी देसाई (29 फरवरी 1896 – 10 अप्रैल 1995)	• मोरारजी रणछोड़जी देसाई, भारत के **पहले गैर–कांग्रेसी प्रधान मंत्री** थे। • वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाओं के निर्माता और एक महान सुधारक थे। • **योगदानः** ▫ **स्वतंत्रता पूर्वः** ✓ वह वर्ष 1930 में **सविनय अवज्ञा आंदोलन** में शामिल हुए। ✓ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ▫ **स्वतंत्रता के बादः** ✓ वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें भी प्रमुख विपक्षी नेताओं से साथ जेल में कैद किया गया था। ✓ उन्होंने **भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने** के लिए गंभीर प्रयास किए।	• **मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़नाः** ▸ वह स्वयं यह मानते थे कि "सभी को सच्चाई और विश्वास के अनुसार ही जीवन में कर्म करना चाहिए"। ▸ वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों के परम अनुयायी थे।

	• **पुरस्कार:** उन्हें पाकिस्तान द्वारा **"निशान–ए–पाकिस्तान"** से और यहां भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार वे **दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार** प्राप्त करने वाले **एकमात्र भारतीय हैं**। • **प्रदर्शित जीवन–मूल्य: महात्मा गांधी के सिद्धांतों के परम–अनुयायी,** सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, आदि।	
 बिश्नी देवी शाह (1902–1974)	• बिश्नी देवी शाह का जन्म बागेश्वर, उत्तराखंड में हुआ था। • उन्हें **उत्तराखंड की पहली महिला एक्टिविस्ट** और **स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला** के रूप में जाना जाता है। • वह रात्रि जागरण में **कुमाऊंनी कवि गिरदा के गीत गाती थीं।** • वह **महात्मा गांधी के जन जागरण से प्रेरित थीं।** उन्होंने **वर्ष 1940–41 में गांधीजी द्वारा शुरू व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया।** • वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक आंदोलनकारी महिला की भूमिका का अनुभव कराया। • उन्होंने स्वदेशी और खादी के विचार को प्रोत्साहित किया। • **व्यक्तिगत जीवन–मूल्य:** देशभक्ति, बहादुरी, स्वदेशी आदि।	• **बहादुरी और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता:** ▹ एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उन्होंने अपने बहादुरी पूर्ण प्रयासों के माध्यम से जबरदस्त साहस का प्रदर्शन किया। ▹ उन्होंने उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
 सुभद्रा कुमारी चौहान (16 अगस्त 1904 – 15 फरवरी 1948)	• सुभद्रा कुमारी चौहान, अंग्रेजों के विरुद्ध **महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुईं।** • वह एक अग्रणी **लेखिका** थीं। साहित्य के पुरुष–प्रधान युग के दौरान भी उनकी रचनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हुईं। • उनकी कविता, **झाँसी की रानी,** हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक मानी जाती है। • उन्होंने अपनी रचनाओं को हिन्दी की **खड़ी बोली** में लिखा। • उनकी कविताओं में भारत के **स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का भी चित्रण किया** गया है।	• **देशभक्ति और उत्साह:** ▹ अपने व्यापक लेखन के माध्यम से, उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विषय पर पीढ़ियों को प्रेरित किया। माना जाता है कि उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ▹ उन्होंने विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में भाग लेकर अपने समर्पण का प्रदर्शन किया।
 दुर्गावती देवी (वर्ष 1907–1999)	• उन्हें **"द अग्नि ऑफ इंडिया"** के नाम से भी जाना जाता है। • **भगत सिंह, अशफाकउल्लाह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों** और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्यों पर उनका जबरदस्त प्रभाव था। • वह **नौजवान भारत सभा की एक सक्रिय सदस्य थीं।** उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या (वर्ष 1928) के बाद लाहौर से भागने में भगत सिंह की मदद की। • उन्होंने वर्ष 1935 में लखनऊ में **गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की।** • उनके ब्रिटिश विरोधी अभियान के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और **तीन वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया।** • **व्यक्तिगत मूल्य:** स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय क्रांतिकारी, आदि।	• **निडरता और बलिदान:** ▹ उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और सामाजिक वर्जनाओं और पूर्वाग्रहों को चुनौती दी। ▹ उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया और भगत सिंह को पकड़ने की अंग्रेजों की योजना को टालने में सफल हो गईं।
 सुचेता कृपलानी (वर्ष 1908–1974)	• वह **भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री** (संयुक्त प्रांत की) थीं। • उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी आचार्य कृपलानी से हुआ था। • **जीवन मूल्य:** गांधीवादी विचारधारा, देशभक्ति, मन और आत्मा से निडर, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध, आदि। • **महत्वपूर्ण योगदान/उपलब्धियां:** ▫ उन्होंने वर्ष 1940 में **कांग्रेस की महिला विंग** की स्थापना की। ▫ 1940 के दशक में (भारत छोड़ो आंदोलन सहित) **स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।** ▫ वह **संविधान सभा के लिए चुनी गईं।** ▫ वर्ष 1949 में, **वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से एक प्रतिनिधि थीं।** वर्ष 1961 में उन्होंने **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।** ▫ उन्होंने **सुचेता: एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी** शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी।	• **देशभक्ति और अदम्य साहस:** ▹ एक निडर सेनानी के रूप में, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया ▹ उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल के दौरान राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी की वकालत की।
 मीना स्वामीनाथन	• हाल ही में, शिक्षाविद **मीना स्वामीनाथन** का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया है। • वह **कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन की पत्नी थीं।** • वह **एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की एमेरिटस ट्रस्टी थीं।** • **प्रमुख योगदान:** ▫ उन्होंने तमिलनाडु में **इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम (ICDS)** की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। ▫ वह **मोबाइल क्रेच** के संस्थापकों में से एक थीं। ▫ वह **सेंटर फॉर वीमेन डेवलपमेंट स्टडीज** की संस्थापक सदस्य थीं। ▫ वह **बचपन की देखभाल और शिक्षा** पर यूनेस्को और यूनिसेफ से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार थीं। • **व्यक्तिगत मूल्य:** सामाजिक कल्याण, लैंगिक समानता, आदि।	• **सामाजिक न्याय और दृष्टि:** ▹ वह एक प्रखर अधिवक्ता थीं। उन्होंने बाल देखभाल, शिक्षा और लैंगिक समानता के प्रति जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ अपने जीवन के पांच दशक समर्पित किये। ▹ उन्होंने उस समिति की अध्यक्षता की जिसने देश भर में आंगनवाड़ी स्थापित करने का प्रस्ताव रखने का एक साहसिक और शक्तिशाली दृष्टिकोण अपनाया।

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
चुनाव सुधार: प्रभावी लोकतंत्र का एक दृष्टिकोण	चुनाव भारत के बड़े त्योहार जैसे बन गए हैं। कई राज्यों में धांधली, बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं के लिए खतरा और बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा इन चुनावों की विशेषता बन गई है। चुनावी सुधारों की आवश्यकता को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है और इस संबंध में कई सुझाव दिए गए हैं। यह दस्तावेज़ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मूल तथ्यों एवं संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की कमियों की व्याख्या करता है और भारत में चुनावी सुधारों की शुरुआत का मार्ग सुझाता है।	
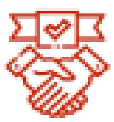 पैराडिप्लोमेसी: विदेश नीति के विकेन्द्रीकरण के गुण और दोष	उप-राज्य सरकारों द्वारा संचालित पैराडिप्लोमेसी, क्षेत्रीय सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख अभिकर्ता बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का विचार प्रस्तुत करती है। इस दस्तावेज़ में भारत में उप-राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे की जांच करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, प्रमुख और आवश्यक विकल्पों के निर्धारण का एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उप-राज्य इकाइयों की कार्यवाहियों से उत्पन्न संभावित चुनौतियों का परीक्षण किया गया है।	
कृषि श्रृंखला: कृषि का सिंहावलोकन	वर्ष 1947 के बाद से देश में हुआ प्रभावशाली कृषि विकास और उससे प्राप्त लाभ, कई चुनौतियों के विरुद्ध किसानों के प्रयासों के लिए सम्मान के द्योतक हैं। साथ ही, यह भोजन और अपने कृषि-उद्योगों के लिए कच्चे माल की देश की मांग को पूरा करने और सुरक्षित करने के लिए किसानों के धैर्य और दृढ़ संकल्प के प्रति भी सम्मान व्यक्त करता है। विडंबना यह है कि वही किसान अब और भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह दस्तावेज़ संपूर्ण कृषि श्रृंखला में से पहला है जो कृषि क्षेत्र, इसके महत्व, विकास और चुनौतियों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और श्रृंखला के सभी शेष दस्तावेज़ों के लिए आधार तैयार करता है।	
नेचर-पॉज़िटिव शहर: प्रकृति के साथ शहरों के संबंधों का कायाकल्प	ऐसे समय में जब दुनिया की जैव विविधता खतरनाक दर से समाप्त हो रही है, और इस क्षति को बीमारी के प्रकोप ने और बढ़ा दिया है, शहरों में प्रकृति की स्थिति पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। फिर भी शहरीकरण अधिवासों की क्षति का एक प्रमुख कारण है, जो जैव विविधता के चौंका देने वाले नुकसान में वृद्धि करता है। प्रकृति और शहरी स्थानों के बीच जटिल संबंधों की व्याख्या करते हुए, यह दस्तावेज शहरों और प्रकृति के बीच तालमेल की कमी के कारकों की जांच करता है और उस संतुलन को पुनर्जीवित करने और बहाल करने के लिए रणनीतियों पर विचार करता है ताकि एक बेहतर, हरित और स्वस्थ दुनिया का निर्माण किया जा सके।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए

सोशल मीडिया पर फॉलो करें

www.visionias.in

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of **Vision Ias**

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

2 AIR
JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)

3 AIR
ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)

4 AIR
YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)

5 AIR
MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)

6 AIR
MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)

7 AIR
PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES, ESSAY TEST, ABHYAAS, PDP)

8 AIR
JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

9 AIR
APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)

10 AIR
SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES, ESSAY TEST)

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE	AHMEDABAD	LUCKNOW	CHANDIGARH	GUWAHATI
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC